



RACE IAS

करेंट अप्फेयर्स

अप्रैल, 2026 | ₹ 60/-

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

- भारत-कनाडा यूरेनियम रणनीतिक समझौता
- मानव-वन्यजीव संघर्ष
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
- प्रश्नकाल एवं गिलोटिन
- CCUS बनाम कार्बन फॉर्मिंग
- नई जीडीपी शृंखला (आधार वर्ष 2022-23)
- MGNREGA बनाम VB-G RAM G Ac
- कृषि सखी पहल
- हॉरमुज जलडमरूमध्य और पश्चिम एशिया संकट
- प्रारम्भ 2026



Gist of



Raghav Publication House

अनुक्रमणिका

ग्लोबल पेस्टिसाइड संकट: टॉक्सिसिटी ट्रेन्ड्स और रेगुलेटरी फेलियर	1
भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी और हेक्सागन गठबंधन	2
भारत के स्किल डेवलपमेंट पर CAG रिपोर्ट	3
ईरान-अमेरिका-इज़राइल संघर्ष	4
सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS)	5
डूरंड रेखा	6
भारत-कनाडा रणनीतिक यूरेनियम सौदा	7
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)	8
संवैधानिक नैतिकता	9
पोषक तत्व ट्रांसपोर्टर प्रोटीन	11
कवच 4.0 सिस्टम	12
बग बाउंड्री प्रोग्राम	13
निष्क्रिय इच्छामृत्यु	14
मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC)	15
खाड़ी राष्ट्र	16
क्षुद्रग्रह 2024 YR4	17
GPS जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस	18
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	19
AI और नेशनल सिव्योरिटी कैलकुलस	20
अलवणीकरण संयंत्र	21
शुरुआती गर्मी और लू की स्थिति	22
डिजिटल अंतर को पाटना	24
ट्रान्साटलांटिक एलायंस रिफ्ट	25
मासिक धर्म अवकाश नीति	26
पश्चिमी ट्रेगोपैन	27
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी)	28
प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड	29
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026	30
भारत की पड़ोस कूटनीति और पश्चिम एशिया संकट	32
अप्रत्याशित घटना	33
दो लिंग वाले केकड़े की खोज	34
अस्पतालों में आग से सुरक्षा	35
बाल मृत्यु दर और पोषण	35
प्रश्नकाल और गिलोटिन	36
आर्थिक स्थिरीकरण कोष	37
नारियल प्रोत्साहन योजना	38
खाद्य पदार्थों में मिलावट	39
ब्रिक्स और वैज्ञानिक सहयोग	40
CCUS बनाम कार्बन फार्मिंग	41
इसरो का NavIC (नेविगेशन सिस्टम) संकट	42
इज़राइल-ईरान संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा संकट	44
नई जीडीपी सीरीज (आधार वर्ष 2022-23)	45

जल जीवन मिशन (जेजेएम) -----	46
मनरेगा बनाम वीबी-जी राम जी अधिनियम -----	47
भारत-म्यांमार सीमा और मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) -----	48
हिंद महासागर क्षेत्र -----	49
लघु जल विद्युत (एसएचपी) विकास योजना -----	50
RISA: टाइमलेस ट्राइबल -----	51
भारत औद्योगिक विकास योजना (BH AVYA) -----	53
भारत में कॉलेजियम प्रणाली-----	55
डिजिटल निर्वासन और सेंसरशिप-----	56
होर्मुज जलडमरूमध्य और पश्चिम एशिया संकट -----	57
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (एनडीसी) -----	58
प्रारंभ 2026 -----	59
लिबर्टीज़ क्लॉज़ -----	59
सुरक्षा संकल्प कार्यशाला -----	60
अकाउंटिंग एजुकेशन को ग्लोबल GAAP के साथ जोड़ना -----	61
अघनाशिनी-वेदावती नदी-जोड़ो परियोजना -----	62
मॉडल कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल (MCP) -----	63
रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) -----	64
एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी और टैक्स में छूट (RoDTEP) -----	65
ब्राज़ील का प्रोअलकूल प्रोग्राम -----	66
कृषि में महिला किसान -----	67
टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई -----	68
माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना-2.0 (CGSMFI-2.0) -----	69
स्टीलथ फ्रिगेट तारागिरी (F41) -----	70
भारत में वोट का अधिकार -----	71
भारत में गर्भपात कानून -----	72
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और पर्यावरण -----	73
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2025 -----	74
अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा और धर्म परिवर्तन -----	75
रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल -----	76
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 -----	78
वंदे मातरम बनाम राष्ट्रगान -----	79
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा -----	80
अमेरिका-ईरान शांति फॉर्मूला -----	82
ब्रिक्स+ -----	83
ज़ोजिला दर्रा -----	84
AI टोकन -----	85
गृह सुगम पोर्टल -----	86
एमएलएट्रैक.कॉम -----	87
अमेरिकी क्रांति -----	88

करेंट अफेयर्स

ग्लोबल पेस्टिसाइड संकट: टॉक्सिसिटी ट्रेड्स और रेगुलेटरी फेलियर

प्रसंग

साइंसजर्नल में छपी एक बड़ी स्टडी से पता चला है कि 2030 तक पेस्टिसाइड के खतरे को आधा करने के इंटरनेशनल कमिटमेंट के बावजूद, दुनिया भर में "टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी" (TAT) तेज़ी से बढ़ रही है। यह रिसर्च एक खतरनाक ट्रेड को दिखाती है जहाँ खेती-बाड़ी में तेज़ी, खासकर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, पर्यावरण सुरक्षा उपायों से आगे निकल रही है।

समाचार के बारे में

- **"बिग फोर" कंट्रीब्यूटर:** इंडिया, चीन, USA और ब्राज़ील मिलकर **ग्लोबल पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी का लगभग 70% हिस्सा हैं।**
- **TAT मेट्रिक:** पुराने तरीकों से अलग, जो सिर्फ़ इस्तेमाल किए गए पेस्टिसाइड्स की मात्रा (kg) को ट्रैक करते हैं, **टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी (TAT)** उन केमिकल्स की अंदरूनी मारक क्षमता को मापता है जो टारगेट नहीं किए गए जीवों (मधुमक्खियों, मछलियों, मिट्टी के जीवों) के लिए हैं।
- **टारगेट फेलियर: कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (2022)** के तहत, देशों ने 2030 तक पेस्टिसाइड रिस्क को **50% तक कम करने का वादा किया।**
 - **अभी की स्थिति:** दुनिया भर में, रिस्क बढ़ रहा है। **चिली** अभी अकेला ऐसा देश है जो 2030 के लक्ष्य को पूरा करने की राह पर है।
 - **सबसे ज़्यादा प्रभावित ग्रुप:** ज़मीन पर रहने वाले आर्थ्रोपोड्स (कीड़े) में सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ी (+6.4% सालाना), इसके बाद मिट्टी के जीव और मछलियों का नंबर आता है।

भारत का कीटनाशक परिदृश्य

भारत को पेस्टिसाइड की बढ़ती मात्रा और बहुत ज़्यादा खतरनाक फ़ॉर्मूलेशन के लगातार इस्तेमाल की "दोहरी मार" का सामना करना पड़ रहा है।

- **लगातार खतरे: भारत कम से कम 66 ऐसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है जो दूसरे देशों में बैन**

हैं। उदाहरण के लिए, **पैराक्वाट** (एक बहुत ज़हरीला हर्बिसाइड जो EU में बैन है) आसानी से मिल जाता है।

- **आर्थिक असर:** बहुत ज़्यादा बचे हुए अनाज की वजह से यूरोपियन यूनियन ने बासमती चावल जैसे **भारतीय एक्सपोर्ट को सख्त मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट (MRLs) की वजह से रिजेक्ट कर दिया है।**
- **हेल्थ संकट:** रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के ग्रामीण अस्पतालों में बड़ों में ज़हर के मामलों का एक बड़ा हिस्सा तेज़ पेस्टिसाइड के संपर्क में आने से जुड़ा है।

भारत में नियामक ढांचा

भारत अभी मॉडर्न चुनौतियों से निपटने के लिए अपने 50 साल पुराने रेगुलेटरी सिस्टम में बदलाव कर रहा है।

विशेषता	कीटनाशक अधिनियम, 1968 (पुराना)	कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 (मसौदा)
केंद्र	कृषि उत्पादकता और उपयोग	लाइफ़साइकल मैनेजमेंट (इम्पोर्ट से डिस्पोज़ल तक)
तकनीकी	मैनुअल रिकॉर्ड/कागज़-आधारित	डिजिटल रजिस्ट्रेशन और रियल-टाइम ट्रेसिबिलिटी
दंड	मामूली जुर्माना/न्यूनतम रोकथाम	भारी जुर्माना और 5 साल तक की जेल
जोखिम आकलन	सीमित पर्यावरणीय फोकस	रिस्क-बेस्ड अप्रूवल और "कूलिंग-ऑफ" पीरियड

2025 बिल की आलोचना:

- **साफ़ न होने वाली भाषा:** एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बिल रिस्क को "पक्का" करने के बजाय उसे कम करने की सिर्फ़ "कोशिश" करता है।
- **राज्य की शक्ति:** यह ड्राफ़्ट खतरनाक केमिकल पर हमेशा के लिए बैन लगाने की राज्य सरकारों की शक्ति

को सीमित करता है, और रजिस्ट्रेशन कमिटी में अधिकार को सेंट्रलाइज़ करता है।

- **ज़िम्मेदारी:** आलोचक बताते हैं कि बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने या ज़हर देने के मामलों में मैन्युफैक्चरर्स के लिए साफ़ क्रिमिनल ज़िम्मेदारी का कोई नियम नहीं है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **"टॉप 20" को धीरे-धीरे खत्म करना:** रिसर्च से पता चलता है कि सिर्फ़ 20 एक्टिव इंग्रीडिएंट्स ही दुनिया भर में 90% से ज़्यादा टॉक्सिसिटी के लिए ज़िम्मेदार हैं। इन खास केमिकल्स पर टारगेटेड बैन से बड़े नतीजे मिल सकते हैं।
- **एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम):** रसायन-प्रथम दृष्टिकोण से जैविक नियंत्रण और जैविक खेती (जैसे, परम्परागत) की ओर स्थानांतरण कृषि विकास योजना।
- **डेटा ट्रांसपेरेंसी:** 2030 के टारगेट की रियल-टाइम ट्रेकिंग के लिए एक्टिव इंग्रीडिएंट्स के हिसाब से पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की सालाना रिपोर्टिंग ज़रूरी है।
- **किसानों को जागरूक करना:** "कैलेंडर स्प्रेडिंग" (तारीख के हिसाब से स्प्रे करना) से हटकर "श्रेशोल्ड स्प्रेडिंग" (सिर्फ़ तब स्प्रे करना जब कीड़ों की ज़रूरत हो) की ओर बढ़ना।

निष्कर्ष

दुनिया भर में पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी में बढ़ती एक "सख्त चेतावनी" है कि खेती की प्रोडक्टिविटी को लंबे समय तक इकोलॉजिकल हेल्थ की कीमत पर खरीदा जा रहा है। भारत के लिए, **पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल, 2025** घरेलू कानून को ग्लोबल बायोडायवर्सिटी लक्ष्यों के साथ जोड़ने का एक अहम मौका है, बशर्ते इसमें ज़्यादा जवाबदेही और नॉन-टॉक्सिक विकल्पों के प्रति झुकाव शामिल हो।

भारत-ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी और हेक्सागन गठबंधन

प्रसंग

ब्राज़ील के राष्ट्रपति **लुईज़ इनासियो लूला डा सिल्वा** ने भारत का पांच दिन का सरकारी दौरा पूरा किया, जो साउथ-साउथ सहयोग में एक अहम पल था। इस दौरे का नतीजा एक नया स्ट्रेटिजिक रोडमैप बना, जो डिजिटल सॉल्यूशंस, एनर्जी ट्रांज़िशन और बाइलेटरल ट्रेड टारगेट में बड़े अपग्रेड पर फोकस था।

समाचार के बारे में

- **स्ट्रेटिजिक मीटिंग:** PM मोदी और प्रेसिडेंट लूला ने "भविष्य के लिए डिजिटल पार्टनरशिप पर जॉइंट

डिक्लोरेशन" पर साइन किए, जिसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पर मिलकर काम करना है।

- **एनर्जी सिक्योरिटी:** नेताओं ने **ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के लिए अपना कमिटमेंट दोहराया** और **सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF)** और ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन में जॉइंट वेंचर की संभावना पर विचार किया।

- **ट्रेड में बढ़ोतरी:** * अभी का ट्रेड: लगभग **\$15.2 बिलियन** (भारत अभी थोड़ा ट्रेड सरप्लस का फायदा उठा रहा है)।

○ नया टारगेट: दोनों देशों का लक्ष्य **2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करके \$30 बिलियन करना है।**

○ **मर्कॉसुर PTA:** मौजूदा **प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (2004 में साइन किया गया) को बढ़ाने के लिए बातचीत चल रही है**, जिसमें अभी सिर्फ़ 450 टैरिफ लाइनें शामिल हैं, ताकि पूरी इकोनॉमिक क्षमता का फायदा उठाया जा सके।

महत्वपूर्ण खनिज सहयोग

अपनी विशाल, अप्रयुक्त भौगोलिक संपदा के कारण ब्राज़ील भारत के ग्रीन एनर्जी परिवर्तन का आधार बन रहा है।

- **दुर्लभ पृथ्वी भंडार:** ब्राज़ील में वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी भंडार का लगभग 17-21% (अनुमानित 21 मिलियन टन) है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
- **एक्सप्लोरेशन गैप:** अभी, ब्राज़ील के सिर्फ़ **30% रिज़र्व** ही एक्सप्लोर किए गए हैं, और इसका प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट में 1% से भी कम है।
- **भारत का हित:** दोनों देशों ने **माइनिंग और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी** पर मिलकर काम करने के लिए एक डील की है। यह भारत के सेमीकंडक्टर मिशन, EV बैटरी प्रोडक्शन और एक देश की सप्लाय चैन पर निर्भरता कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है।

हेक्सागोनल एलायंस (गठबंधनों का हेक्सागोन)

फरवरी 2026 में इज़राइली PM बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा प्रस्तावित यह कॉन्सेप्ट भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाले एक नए जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर को दिखाता है।

- **कोर सदस्य:** इज़राइल, भारत, ग्रीस और साइप्रस।
- **ज़्यादा पहुंच:** इसमें बिना नाम वाले **अरब देश** (शायद UAE और बहरीन) और **अफ्रीकी पार्टनर** (जैसे मोरक्को और सोमालीलैंड) शामिल हैं।
- **रणनीतिक उद्देश्य:**

1. **सुरक्षा:** इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर-टेररिज्म "रेडिकल एक्सिस" को टारगेट करना।

2. **आर्थिक संपर्क:** भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के साथ संरेखित करना ।
3. **टेक्नोलॉजी:** AI से चलने वाले युद्ध, क्रांति कम्प्यूटिंग और सेमीकंडक्टर में गहरे संबंध।

- **डिप्लोमैटिक सेंसिटिविटी:** जबकि इज़राइल ने इस "हेक्सागन" को बहुत बढ़ावा दिया है, भारत एक बैलेंस अप्रोच बनाए रखता है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और दूसरे वेस्ट एशियाई देशों के साथ पारंपरिक रिश्तों को प्रायोरिटी देता है।

चुनौतियां

- **लॉजिस्टिकल रुकावटें:** ज्यादा माल ढुलाई की लागत और भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच सीधे शिपिंग रूट की कमी व्यापार के लिए एक रुकावट बनी हुई है ।
- **जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग:** "हेक्सागोनल अलायंस" में भारत के शामिल होने की पाकिस्तान जैसे रीजनल एक्टर्स ने कड़ी आलोचना की है, जिससे नई दिल्ली को वेस्ट एशिया में मुश्किल सेक्टरियन और पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ से निपटना पड़ रहा है।
- **प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी:** हालांकि ब्राज़ील के पास ओर है, लेकिन दोनों देशों के पास रेयर अर्थ्स को हाई-प्रोडिटी मैग्नेट और कंपोनेंट्स में रिफाइन करने के लिए ज़रूरी एडवांस्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ की कमी है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **मर्कॉसुर का विस्तार :** मर्कॉसुर ब्लॉक के साथ एक सीमित PTA से एक पूर्ण **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में बदलाव।**
- **हेक्सागन को इंस्टीट्यूशनल बनाना:** फॉर्मल डिफेंस पैक्ट्स पर जाने से पहले, मैरीटाइम सिक्योरिटी और टेक-स्टैंडर्डाइजेशन जैसे नॉन-सेंसिटिव एरिया में "मिनीलेटरल " को ऑपरेशन पर फोकस करना।
- **रिसोर्स-टू-रिटेल:** जॉइंट वेंचर बनाना, जिसमें भारतीय टेक कंपनियां भारतीय मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मिनरल्स को रिफाइन करने के लिए ब्राज़ील में प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं।

निष्कर्ष

भारत की विदेश नीति तेज़ी से "मल्टी-अलाइनमेंट" से तय हो रही है, जिसमें ब्राज़ील से ज़रूरी रिसोर्स हासिल करना और हेक्सागन अलायंस के ज़रिए भूमध्य सागर में एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाना शामिल है। ये पार्टनरशिप भारत के एक रीजनल प्लेयर से ग्लोबल साउथ और वेस्ट के बीच "ब्रिजिंग पावर" बनने के बदलाव को दिखाती हैं।

भारत के स्किल डेवलपमेंट पर CAG रिपोर्ट

प्रसंग

दिसंबर 2025 में, **भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG)** ने संसद में एक तीखा परफॉर्मंस ऑडिट पेश किया। रिपोर्ट (नंबर 20 of 2025) **प्रधान पर फोकस थी।** **मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** में हुई गड़बड़ियों को उजागर किया है, जिससे भारत के अपने "डेमोग्राफिक डिविडेंड" को भुनाने के प्लैगशिप प्रोग्राम में सिस्टम की कमियों का पता चला है।

समाचार के बारे में

ऑडिट में PMKVY के पहले तीन फेज़ (2015–2022) को लागू करने को कवर किया गया, जिससे सरकारी दावों और ज़मीनी हकीकत के बीच एक बड़ा अंतर सामने आया।

मुख्य ऑडिट निष्कर्ष:

- **डेटा इंटीग्रिटी और "घोस्ट" बेनिफिशियरी:**
 - से ज़्यादा **कैंडिडेट के रिकॉर्ड** (जिससे 90.66 लाख लोग प्रभावित हुए) में बैंक डिटेल्स गायब थीं या गलत थीं (जैसे, "0000" या "123456" जैसे प्लेसहोल्डर)।
 - कई राज्यों में अलग-अलग बैच के लिए ट्रेनिंग फंड क्लेम करने के लिए **नकली ईमेल ID (जैसे, "abcd@gmail.com")** और **डुप्लीकेट तस्वीरों** का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ।
- **वित्तीय कुप्रबंधन:**
 - मार्च 2024 तक राज्य के हिस्सों को दिए गए फंड का लगभग **20% इस्तेमाल नहीं हुआ।**
 - डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) फेलियर : हर सर्टिफाइड कैंडिडेट को ₹500 देने का वादा किया गया था, लेकिन पेमेंट सिर्फ **18.4%** पार्टिसिपेंट्स को ही सक्सेसफुली क्रेडिट हुआ।
- **बुनियादी ढांचे की खामियां:**
 - फिजिकल इंस्पेक्शन में पाया गया कि कई ट्रेनिंग सेंटर **बंद थे या थे ही नहीं** , जबकि रिकॉर्ड में ट्रेनिंग सेशन चल रहे थे।
 - सिर्फ **13% ट्रेनिंग बैच** ने ज़रूरी आधार -बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम को माना।

आर्थिक आधार: "मिसिंग मिडिल"

चीन जैसे दूसरे देशों की तुलना में भारत की आर्थिक स्थिति अनोखी लेकिन मुश्किल बनी हुई है।

- **मैनुफैक्चरिंग को छोड़ना:** जहां चीन ने सर्विसेज़ में जाने से पहले खुद को "दुनिया की फैक्ट्री" (सेकेंडरी सेक्टर) के तौर पर स्थापित किया, वहीं भारत ने सीधे एग्रीकल्चर से सर्विसेज़ में बदलाव किया।

- **स्ट्रक्चरल कमज़ोरी:** मज़बूत मैनुफैक्चरिंग बेस के बिना, सेमी-स्किल्ड लेबर के लिए "एब्जॉर्टिव कैपेसिटी" सीमित होती है, जिससे डिग्री होने के बावजूद युवाओं में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होती है।

शिक्षा-उद्योग का संबंध टूटना

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 में स्किल गैप को कम करने के लिए बड़े टारगेट तय किए गए थे, फिर भी उन्हें लागू करने में अभी भी सुस्ती है।

मीट्रिक	लक्ष्य (एनईपी 2020)	वर्तमान स्थिति (लगभग 2025)	वैश्विक समकक्ष (जर्मनी/चीन)
व्यावसायिक अनुभव	2025 तक 50% शिक्षार्थी	~1.3% से 4.4%	50% से 75%
पाठ्यक्रम संरक्षण	कक्षा 6 से एकीकरण	ज़्यादातर कक्षा 11-12 तक सीमित	सेकेंडरी स्कूल में गहराई से इंटीग्रेटेड

वोकेशनल ट्रेनिंग में चुनौतियाँ:

- **टेक्निकल मिसमैच:** जिन रोल्स में टेक्निकल एक्सपर्टिज़ की ज़रूरत होती है, उनमें CAG ने पाया कि **85% सर्टिफाइड कैंडिडेट्स** के पास सिर्फ़ बेसिक लिटरेसी थी।
- **सर्टिफिकेशन बनाम काबिलियत:** यह सिस्टम "सर्टिफिकेशन-हैवी" लेकिन "आउटकम-लाइट" बना हुआ है, जिसमें सर्टिफाइड कैंडिडेट्स के लिए प्लेसमेंट रेट सिर्फ़ **41%** है।

आगे बढ़ने का रास्ता

CAG और पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने स्किलिंग आर्किटेक्चर में बड़े बदलाव का सुझाव दिया है:

- **आउटकम-बेस्ड फंडिंग:** ट्रेनिंग पार्टनर्स को पेमेंट सिर्फ़ एनरोलमेंट या सर्टिफिकेशन के बजाय, वेरिफाइड लॉन्ग-टर्म एम्प्लॉयमेंट से सख्ती से जुड़ा होना चाहिए।
- **UDISE इंटीग्रेशन:** यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE) को स्किल इंडिया पोर्टल के साथ मर्ज करने में तेज़ी लाना, ताकि घास्ट एनरोलमेंट को रोका जा सके।
- **इंडस्ट्री-लेड ट्रेनिंग:** सिर्फ़ क्लासरूम वाले वोकेशनल मॉड्यूल के बजाय **ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT)** और **अप्रेंटिसशिप (NAPS)** पर ध्यान देना।

- **ट्रांसपेरेंसी:** सभी ट्रेनिंग सेशन के लिए **जियो-टैग्ड, टाइम-स्टैम्प्ड सबूत** लागू करना ताकि गलत रिकॉर्ड का इस्तेमाल खत्म हो सके।

निष्कर्ष

CAG रिपोर्ट एक वेक-अप कॉल है कि "स्किल इंडिया" सिर्फ़ डिजिटल डैशबोर्ड पर सफल नहीं हो सकता। डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिज़ास्टर में बदलने से बचाने के लिए, भारत को "सर्टिफिकेट के लिए स्किलिंग" से आगे बढ़कर "मार्केट के लिए स्किलिंग" पर ध्यान देना होगा।

ईरान-अमेरिका-इज़राइल संघर्ष

प्रसंग

खामेनेई की इज़राइल के किए गए एक सटीक हमले में हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव देखा गया। इस घटना ने यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के सपोर्ट वाली सेनाओं के बीच कई मोर्चों पर मिलिट्री बढ़ोतरी शुरू कर दी है, जिससे ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और इलाके की स्थिरता को खतरा है।

समाचार के बारे में

- **मिलिट्री ऑपरेशन:** * **लायन रोअर** : ईरानी लीडरशिप को टारगेट करने वाले इज़राइली काइनेटिक ऑपरेशन का कोड नाम।
- **एपिक फ्यूरी:** रीजनल एसेट्स को सुरक्षित करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्टिव मिलिट्री प्रेमवर्क।
- **सच्चा वादा:** मिडिल ईस्ट में ड्रोन और मिसाइल हमलों से जुड़ा ईरान का जवाबी हमला।
- **ग्लोबल रिएक्शन:** दुनिया भर में शिया मुसलमानों के एक बड़े नेता के तौर पर, खामेनेई की मौत से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और नागरिक अशांति फैल गई है, जिसमें पाकिस्तान में US एम्बेसी जैसे पश्चिमी डिप्लोमैटिक मिशन पर बड़े हमले शामिल हैं।
- **भौगोलिक फ्लैशपॉइंट (होर्मुज जलडमरूमध्य):**
 - ईरान और ओमान के बीच स्थित यह खाई फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है।
 - यह दुनिया का सबसे सेंसिटिव ऑयल चोकपॉइंट है, जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड का **20-25%** हिस्सा संभालता है।
- **"लाल" घटना (होर्मुज द्वीप):**
 - **हेमाटाइट (आयरन ऑक्साइड)** भरपूर है।
 - भारी बारिश के दौरान, पानी बहने से आस-पास का पानी लाल हो जाता है। यह एक **प्राकृतिक भौगोलिक घटना** है, प्रदूषण या लड़ाई-झगड़े से होने वाली मौतों का नतीजा नहीं।

भारत पर प्रभाव

- **आर्थिक कमज़ोरी:** भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल इम्पोर्ट करता है। होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट से दुनिया भर में कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे शायद रूस के तेल की तरफ झुकाव हो सकता है, जिस पर US के लगाए गए टैरिफ़ का रिस्क है।
- **डायस्पोरा सुरक्षा:** ड्रोन हमलों के कारण संघर्ष का सीधा असर UAE में रहने वाले भारतीय प्रवासियों पर पड़ा है।
- **लॉजिस्टिकल रुकावटें:** * GCC देशों में **CBSE एग्जाम** समेत एजुकेशनल कामों में काफी देरी हो रही है।
 - एविएशन में उथल-पुथल मची हुई है, बड़े पैमाने पर फ़्लाइट कैंसल हो रही हैं और उनका रूट बदला जा रहा है, खासकर हैदराबाद जैसे हब से चलने वाली इंडिगो जैसी एयरलाइन्स पर इसका असर पड़ रहा है।

ऐतिहासिक और राजनीतिक ढांचा

- **थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर:** ईरान वेलायत- ए- फकीह (इस्लामिक न्यायविद की देखरेख) के तहत काम करता है, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक सबसे बड़े धार्मिक नेता के पास देश पर आखिरी अधिकार होता है।
- **JCPOA (2015):** जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ़ एक्शन ईरान और P5+1 के बीच एक अहम न्यूक्लियर डील थी। इसे बैन में राहत के बदले न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत US के हटने से फिर से आर्थिक परेशानी और दुश्मनी बढ़ गई।

चुनौतियां

- **एनर्जी सिक्योरिटी:** होर्मुज स्ट्रेट पर लगातार खतरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उतार-चढ़ाव पैदा करते हैं, जिसका असर डेवलपिंग इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है।
- **डिप्लोमैटिक मुश्किल:** भारत जैसे देशों को संक्शन और रीजनल अलायंस के साथ-साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में भी बैलेंस बनाना होगा।
- **इंसानी खतरा:** बड़े इलाके में लड़ाई की संभावना से लाखों माइग्रेंट वर्कर और लोकल लोगों को बेघर होने का खतरा है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **डिप्लोमैटिक डी-एस्केलेशन:** बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय युद्ध को रोकने के लिए न्यूट्रल इंटरनेशनल संस्थाओं द्वारा तुरंत मध्यस्थता।
- **एनर्जी रूट्स का डायवर्सिफिकेशन:** सेंसिटिव चोकपॉइंट्स को बायपास करने के लिए अल्टरनेटिव ट्रेड कॉरिडोर के डेवलपमेंट में तेज़ी लाना।

- **एक्सपैट्स की सुरक्षा:** खाड़ी में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए कॉन्सुलर सर्विस और इवैक्युएशन प्रोटोकॉल को मज़बूत करना।
- **स्ट्रेटेजिक रिज़र्व:** भारत को शॉर्ट-टर्म सप्लाई झटकों को कम करने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व (SPR) को मज़बूत करना होगा।

निष्कर्ष

सुप्रीम लीडर की हत्या ने ईरान-इज़राइल-USA की तिकड़ी को एक अनजान जगह पर धकेल दिया है। दुनिया भर में अब एक बड़े मानवीय संकट को संभालने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही यह भी पक्का करना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की "धमनियां", खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य खुला और काम करता रहे।

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS)

प्रसंग

1 मार्च, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया में तेज़ी से बढ़ रही मिलिट्री बढ़ोतरी पर बात करने के लिए **कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। यह मीटिंग ईरान पर US-इज़राइल के मिलकर किए गए हमलों (28 फरवरी, 2026) की वजह से हुई थी, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और कई टॉप मिलिट्री अधिकारियों की मौत हो गई थी।**

संघर्ष के बारे में

- **ईरान की जवाबी कार्रवाई:** तेहरान ने खाड़ी में खाड़ी में US मिलिट्री ठिकानों और सहयोगी इलाकों को निशाना बनाते हुए 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और 200+ ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया।
- **मुख्य लक्ष्य:** * **अल धफरा एयर बेस (यूएई)**
 - **अल उदीद एयर बेस (कतर)** - इस क्षेत्र में सबसे बड़ा अमेरिकी बेस।
 - **नेवल बेस (बहरीन)** — US नेवी के पांचवें फ्लीट का हेडक्वार्टर।
 - **रियाद (सऊदी अरब)** और **कुवैत और जॉर्डन में जगहें** ।
- **भारत पर असर:** इस लड़ाई की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस के फ्लो में काफी रुकावट आई है, ईरान ने **होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है** । इसके अलावा, खाड़ी में एयरस्पेस बंद होने की वजह से सैकड़ों भारतीय नागरिक और छात्र अभी फंसे हुए हैं।

सीसीएस बैठक के परिणाम

प्रधानमंत्री ने भारत के स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन ऑप्शन का रिव्यू किया:

- **विदेशियों की सुरक्षा:** विदेश मंत्रालय को खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
- **इकोनॉमिक रेजिलिएंस:** घरेलू फ्यूल स्टेबिलिटी पक्का करने के लिए एनर्जी की कीमतों और सप्लाय चैन पर असर का आकलन किया गया।
- **डिप्लोमैटिक आउटरीच: PM मोदी ने सऊदी अरब, जॉर्डन और बहरीन** के नेताओं के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, और दुश्मनी को जल्द खत्म करने और बातचीत पर लौटने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

संवैधानिक और राजनीतिक ढांचा: कैबिनेट समितियां

कैबिनेट कमेटियां भारत सरकार के कामकाज में अहम भूमिका निभाती हैं, जिससे ज़रूरी मुद्दों पर खास ध्यान दिया जा सकता है।

राजनीति के मुख्य तथ्य:

- **एक्स्ट्रा-कॉन्स्टिट्यूशनल:** इनका ज़िक्र भारत के संविधान में नहीं है। इन्हें भारत सरकार (ट्रांज़ैक्शन ऑफ़ बिज़नेस) रूल्स, 1961 के तहत बनाया गया है।
- **कुल कमेटियां:** अभी 8 कैबिनेट कमेटियां हैं (जैसे, सिक्वोरिटी, इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट्स, वगैरह)।
- **अध्यक्षता:** प्रधानमंत्री 8 में से 6 कमेटियों की अध्यक्षता करते हैं।
 - **अपवाद:** 1. आवास पर कैबिनेट समिति: गृह मंत्री की अध्यक्षता में।
2. संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति: रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में।
- **"सुपर कैबिनेट":** पॉलिटिकल अफेयर्स की कैबिनेट कमिटी को अक्सर "सुपर कैबिनेट" कहा जाता है क्योंकि यह विदेश और घरेलू मामलों से जुड़े सभी पॉलिसी मामलों को देखती है और इसमें सबसे सीनियर मंत्री होते हैं।

प्रमुख समितियों की तुलना

समिति	बेसिक कार्यक्रम	अध्यक्ष
सुरक्षा (सीसीएस)	रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी मामले	प्रधान मंत्री
आर्थिक मामले (सीसीईए)	आर्थिक रुझान, कीमतें और औद्योगिक नीति	प्रधान मंत्री

राजनीतिक मामले	घरेलू और विदेशी राजनीतिक मुद्दे	प्रधान मंत्री
नियुक्तियाँ (एसीसी)	सरकार/बैंकों में उच्च-स्तरीय नियुक्तियाँ	प्रधान मंत्री

निष्कर्ष

अभी का वेस्ट एशिया संकट हमें याद दिलाता है कि CCS भारत की नेशनल सिक्वोरिटी के लिए सबसे बड़ी फ़ैसले लेने वाली बॉडी क्यों है। जैसे-जैसे रीजनल स्टेबिलिटी डगमगा रही है, भारत की "सुपर कैबिनेट" और CCS को डिप्लोमैटिक न्यूट्रैलिटी और अपनी एनर्जी सिक्वोरिटी और इंडियन डायस्पोरा की भलाई की तुरंत ज़रूरत के बीच बैलेंस बनाना होगा।

ड्रेंड रेखा

प्रसंग

अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहा बॉर्डर विवाद "खुली जंग" की हालत में बदल गया। जवाबी हवाई हमलों और ज़मीनी हमलों की एक सीरीज़ के बाद, मिलिट्री की मुठभेड़ें अलग-अलग बॉर्डर झड़पों से आगे बढ़कर बड़े राजनीतिक और मिलिट्री सेंटर्स पर सीधे हमले करने तक पहुँच गई हैं।

ड्रेंड रेखा के बारे में

- **सीमा:** 1893 में स्थापित 2,640 km (लगभग 1,600 मील) अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा।
- **शुरुआत:** ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव सर हेनरी मोर्टिमर ड्रेंड और अफ़गान अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच एक समझौते से हुआ।
- **विवाद:** * अफ़गानिस्तान का रुख: किसी भी अफ़गान सरकार (मौजूदा तालिबान सरकार समेत) ने इस लाइन को औपचारिक रूप से परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर मान्यता नहीं दी है। वे इसे एक कॉलोनियल थोपने के तौर पर देखते हैं जो पश्तून कबीलाई इलाकों को बनावटी तौर पर बांटता है।
 - **पाकिस्तान का रुख:** पाकिस्तान को 1947 में बॉर्डर विरासत में मिला था और वह इसे कानूनी तौर पर ज़रूरी, इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त बाउंड्री मानता है।

वर्तमान संघर्ष (2026 में वृद्धि)

26 फरवरी और 3 मार्च 2026 के बीच हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, जिसके कारण पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे "खुले युद्ध" की हालत बताया।

मुख्य फ्लैशपॉइंट:

- **तोरखम और चमन:** बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग जहां भारी आर्टिलरी फायरिंग हुई है और अक्सर बंद किए गए हैं।
- **काबुल और कंधार:** एक बड़े पॉलिसी बदलाव के तहत, पाकिस्तान एयर फ़ोर्स (PAF) ने इन शहरों पर हमले किए, जिसमें **205वें अटल कॉर्प्स** हेडक्वार्टर समेत तालिबान के मिलिट्री इंफ़्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया।
- **पूर्वी प्रांत:** नंगरहार, पक्तिया, खोस्त और पक्तिका में भीषण लड़ाई।
- **बगराम एयर बेस:** रिपोर्ट्स से पता चलता है कि चल रहे ऑपरेशन्स के दौरान इस स्ट्रेटेजिक साइट को टारगेट किया गया था।

वृद्धि के कारण

- **क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म (TTP):** पाकिस्तान का आरोप है कि अफ़गान तालिबान **तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को पनाह देता है**। इस्लामाबाद का दावा है कि TTP अफ़गान ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर तेज़ी से जानलेवा हमले करने के लिए करता है।
- **बॉर्डर फेंसिंग:** तालिबान ने पाकिस्तान द्वारा लगाई गई सिव्योरिटी फेंस के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया है, जिससे हिंसक "जैसे को तैसा" वाली झड़पें हो रही हैं।
- **ऑपरेशन "गज़ाब लिल हक़" (सही गुस्सा):** पाकिस्तान ने फरवरी 2026 के आखिर में यह मिलिट्री हमला शुरू किया था। इसका मकसद तालिबान के मिलिट्री ठिकानों और TTP के ठिकानों को खत्म करना है।
- **अफ़गान जवाबी कार्रवाई:** तालिबान ने ड्रोन हमलों और ज़मीनी हमलों से जवाब दिया, और दावा किया कि उसने कई पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर कब्ज़ा कर लिया है और मिलिट्री इन्फ़्रामेंट को बेअसर कर दिया है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **क्षेत्रीय मध्यस्थता:** कतर, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय संघर्ष को रोकने के लिए सीज़फ़ायर कराने की कोशिश कर रहे हैं।
- **डिप्लोमैटिक चैनल:** हालांकि टेंशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अफ़गान सरकार ने लड़ाई को सुलझाने के लिए "बातचीत" की इच्छा जताई है, हालांकि भरोसा अब भी सबसे कम है।
- **चीन की भूमिका:** रीजनल कनेक्टिविटी में एक बड़े स्टेकहोल्डर के तौर पर, बीजिंग पर दखल देने का दबाव है, क्योंकि इस लड़ाई से सीधे तौर पर इस इलाके से

होकर गुजरने वाले **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के रास्तों को खतरा है।**

निष्कर्ष

इंड लाइन दुनिया की सबसे अस्थिर सीमाओं में से एक है। 2026 में प्रॉक्सी सपोर्ट से "ओपन वॉर" में बदलाव इस बात पर ज़ोर देता है कि 1893 के समझौते की विरासत दक्षिण एशिया में अस्थिरता का मुख्य कारण बनी हुई है। इस संकट को हल करने के लिए "पश्तून फैक्टर" को संबोधित करना होगा और एक साझा काउंटर-टेररिज्म फ्रेमवर्क बनाना होगा जो दोनों देशों की सॉवरेनिटी का सम्मान करे।

भारत-कनाडा रणनीतिक यूरेनियम सौदा

प्रसंग

मार्च 2026 में, कनाडा के प्रधानमंत्री **मार्क कार्नो के** नई दिल्ली के ऑफिशियल दौरे के दौरान, भारत और कनाडा ने यूरेनियम की सप्लाई के लिए **\$2.6 बिलियन के एक ऐतिहासिक लॉन्ग-टर्म एग्रीमेंट पर साइन किए**। यह डील आपसी रिश्तों में एक बड़ा "रीसेट" है, जो पिछले डिप्लोमैटिक टकराव से एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहा है।

समाचार के बारे में

- **एग्रीमेंट:** कनाडा की यूरेनियम की बड़ी कंपनी **कैमेको, भारत के डिपार्टमेंट ऑफ़ एटॉमिक एनर्जी को लगभग 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम और कंसन्ट्रेट (\$U_3O_8\$) सप्लाई करेगी।**
- **टाइमलाइन: डिलीवरी 2027 में शुरू होगी और 2035 तक चलेगी (9 साल का समय)।**
- **स्ट्रेटेजिक पार्टनर:** कैमेको दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड यूरेनियम प्रोवाइडर्स में से एक है, जो कनाडा को भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए "पसंदीदा सप्लायर" बनाता है।

भारत के लिए सामरिक महत्व

- **सप्लाई-डिमांड में अंतर:** भारत को अपने मौजूदा रिएक्टर्स को चलाने के लिए हर साल लगभग **1,800 टन यूरेनियम की ज़रूरत होती है, लेकिन वह देश में सिर्फ 600-900 टन ही बना पाता है।**
- **लिमिटेड रिज़र्व:** हालांकि भारत के पास ~76,000 टन यूरेनियम रिज़र्व है, लेकिन घरेलू माइनिंग (खासकर झारखंड और आंध्र प्रदेश में) इसके लंबे समय के विस्तार के लक्ष्यों के लिए काफ़ी नहीं है।
- **एनर्जी सिव्योरिटी:** कोयले से दूर जाने और इम्पोर्टेड कूड ऑयल (जो अभी भारत की ~80% ज़रूरतें पूरी करता है) पर डिपेंडेंस कम करने के लिए ज़रूरी

"बेसलोड" पावर के लिए विदेशी यूरेनियम हासिल करना ज़रूरी है।

भारत के परमाणु लक्ष्य (विकसित भारत 2047)

- **अभी की कैपेसिटी:** ~8.78 GW (2026 की शुरुआत तक)।
- **2047 का लक्ष्य: 100 गीगावाट .**
- **क्लीन एनर्जी मिशन:** 2025-26 के यूनियन बजट में, सरकार ने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड **न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च किया, जिसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs)** के लिए ₹20,000 करोड़ का एलोकेशन शामिल है।
- **डायवर्सिफिकेशन:** इस प्लान में स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर (PHWRs), इंटरनेशनल पार्टनर्स से बड़े लाइट वॉटर रिएक्टर (LWRs), और इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए SMRs शामिल हैं।

अन्य प्रमुख द्विपक्षीय घटनाक्रम (2026)

यूरेनियम डील के अलावा, PM कार्नी के दौर से कई और "नेक्स्ट-जेनरेशन" नतीजे भी मिले:

- **CEPA रोडमैप:** दोनों देशों ने **कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA)** के लिए **टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए, जिसका मकसद 2026** के आखिर तक डील को पूरा करना है। इसका मकसद 2030 तक दोनों देशों के बीच ट्रेड को **\$50 बिलियन** तक पहुंचाना है।
- **क्लाइमेट अलायंस:** कनाडा ने ऑफिशियली **इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA)** और **ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (GBA)** में फुल मेंबर के तौर पर शामिल होने का फैसला किया है।
- **महत्वपूर्ण खनिज:** EV क्रांति के लिए ज़रूरी लिथियम, कोबाल्ट और दूसरे मिनरल्स की सप्लाई चेन में सहयोग को मज़बूत करने के लिए एक MoU साइन किया गया।
- **शिक्षा:** भारत में कनाडाई यूनिवर्सिटी कैंपस बनाने में मदद के लिए समझौते हुए।

निष्कर्ष

\$2.6 बिलियन की यूरेनियम डील सिर्फ एक कमर्शियल ट्रांज़ेक्शन से कहीं ज़्यादा है; यह भारत-कनाडा के नए रिश्ते का "टिकाऊ आर्थिक सहारा" है। लगभग एक दशक का फ्यूल हासिल करके, भारत अपने 100 GW न्यूक्लियर लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है, जबकि कनाडा इंडो-पैसिफिक के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन में एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर अपनी भूमिका को मज़बूत कर रहा है।

अंतरिक्ष पुनःप्रवेश

प्रसंग

इंसानों के स्पेसफ्लाइट में तरक्की के साथ स्पेस में दोबारा एंट्री ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। भारत में, **गगनयान प्रोग्राम** सबसे आगे है, जो एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट से धरती की सतह पर सुरक्षित वापस लाने के लिए ज़रूरी मुश्किल इंजीनियरिंग पर फोकस करता है।

अंतरिक्ष पुनःप्रवेश को समझना

- **परिभाषा:** वह प्रोसेस जिससे कोई स्पेसक्राफ्ट या क्रू कैप्सूल अपनी ऑर्बिट से बाहर निकलता है, पृथ्वी के एटमोस्फियर से गुज़रता है, और सेफ तरीके से लैंड करता है।
- **री-एंट्री कॉरिडोर:** यह एक पतली, "एकदम सही" एटमोस्फेरिक विंडो है। सटीकता बहुत ज़रूरी है:
 - **बहुत उथला (ओवरशूट):** स्पेसक्राफ्ट पानी पर पत्थर की तरह एटमोस्फियर से "स्किप" कर सकता है और वापस स्पेस में चला जा सकता है।
 - **बहुत ज़्यादा ढलान (अंडरशूट):** गाड़ी को बहुत ज़्यादा धीमा करने वाली ताकतों और गर्मी का सामना करना पड़ता है, जिससे गाड़ी खराब हो सकती है।

अंतरिक्ष में पुनः प्रवेश कैसे काम करता है

1. **डी-ऑर्बिट बर्न:** स्पेसक्राफ्ट 180° घूमता है और अपने इंजन को यात्रा की दिशा के उलट चलाता है। इससे वेगोसिटी कम हो जाती है, जिससे ग्रेविटी क्राफ्ट को एटमोस्फियर की ओर खींच पाती है।
2. **एटमोस्फेरिक एरोब्रेकिंग :** जैसे ही क्राफ्ट मोटी हवा से टकराता है, ड्रैग काइनेटिक एनर्जी को गर्मी में बदल देता है, जिससे गाड़ी तेज़ी से धीमी हो जाती है।
3. **थर्मल प्रोटेक्शन:** हीट शील्ड (**एब्लेशन का इस्तेमाल करके** — जिसमें मटीरियल जलकर गर्मी को दूर ले जाता है — या हाई-टेक इंसुलेशन) इंटीरियर को हज़ारों डिग्री तक पहुंचने वाले तापमान से बचाती है।
4. **कम्युनिकेशन ब्लैकआउट:** बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से कैप्सूल के चारों ओर **आयनाइज़्ड प्लाज़्मा** की एक परत बन जाती है, जिससे ज़मीन पर जाने वाले सभी रेडियो सिग्नल कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाते हैं।
5. **पैराशूट डिप्लॉयमेंट:** एक बार कम ऊंचाई और सबसोनिक स्पीड पर पहुंचने के बाद, एक मल्टी-स्टेज पैराशूट सिस्टम डिप्लॉय हो जाता है ताकि आसानी से लैंडिंग हो सके।

प्रमुख तकनीकी अवधारणाएँ

- **सेमी-बैलिस्टिक बॉडी:** पैसिव गिरती चट्टान या पूरी तरह से स्टीयरेबल हवाई जहाज के उलट, गगनयान जैसा कैप्सूल "सेमी-बैलिस्टिक" होता है। अपने सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी को शिफ्ट करके, यह थोड़ी मात्रा में **एयरोडायनामिक लिफ्ट बनाता है**। इससे क्रू को

थोड़ा "स्टीयर" करने और एक खास लैंडिंग टारगेट को हिट करने में मदद मिलती है।

- **प्लाज़्मा शीथ:** यह कम्प्यूनिक्शन ब्लैकआउट का कारण है। हवा इतनी गर्म होती है कि यह एटम से इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देती है, जिससे एक "शील्ड" बन जाती है जिसे रेडियो वेव्स पार नहीं कर पातीं।

गगनयान पुनःप्रवेश अनुक्रम

भारतीय मिशन एक खास **ऑर्बिटल मॉड्यूल का इस्तेमाल करता है** जिसमें कू मॉड्यूल (CM) और सर्विस मॉड्यूल (SM) शामिल हैं।

- **स्टेप 1:** सर्विस मॉड्यूल डी-ऑर्बिट बर्न करता है।
- **स्टेप 2:** SM अलग हो जाता है और उसे एटमॉस्फियर में जलने दिया जाता है।
- **स्टेप 3:** कू मॉड्यूल अपने थर्मल शील्ड से सुरक्षित होकर अकेले ही री-एंट्री कॉरिडोर में प्रवेश करता है।
- **स्टेप 4:** अपनी सेमी-बैलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ और थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके, CM अपनी ट्रेजेक्टरी बनाए रखता है।
- **स्टेप 5:** तीन -स्टेज वाला पैराशूट सिस्टम (जिसमें एपेक्स कवर सेपरेशन, ड्रोग च्यूट्स और मेन च्यूट्स शामिल हैं) मॉड्यूल को धीमा कर देता है।
- **स्टेप 6:** बंगाल की खाड़ी में एक सुरक्षित स्प्लैशडाउन होता है, जहां रिकवरी टीम तैनात होती हैं।

पुनः प्रवेश के प्रकारों की तुलना

विशेषता	बैलिस्टिक (निष्क्रिय)	अर्ध-बैलिस्टिक (गगनयान)	लिफ्टिंग (अंतरिक्ष शटल)
नियंत्रण	कोई नहीं	सीमित (लिफ्ट-आधारित)	उच्च (पंख-आधारित)
जी बलों	बहुत ऊँचा	मध्यम	कम
शुद्धता	कम	उच्च	बहुत ऊँचा

निष्कर्ष

सेफ़ री-एंट्री शायद किसी भी स्पेस मिशन का सबसे खतरनाक फेज़ होता है। इसके लिए फ़िज़िक्स, मैटेरियल साइंस और टाइमिंग का एकदम सही तालमेल चाहिए होता है। भारत के लिए, गगनयान मिशन के साथ इस प्रोसेस में महारत हासिल करना, उन खास देशों के ग्रुप में शामिल होने का एक बड़ा कदम है जो आज्ञादा इंसानी स्पेस एक्सेस कर सकते हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)

प्रसंग

1 मार्च, 2026 को, बिजली मंत्रालय के तहत काम करने वाले **ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया**। यह मील का पत्थर भारत की एनर्जी की खपत कम करने और देश की अर्थव्यवस्था में एनर्जी बचाने को संस्थागत बनाने की यात्रा की चौथाई सदी का प्रतीक है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के बारे में

- **यह क्या है:** एनर्जी बचाने की पॉलिसी और प्रोग्राम को डिज़ाइन करने और लागू करने के लिए एक कानूनी संस्था और भारत की नोडल संस्था।
- **स्थापना:** 1 मार्च 2002.
- **कानूनी आधार:** ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001।
- **मूल मंत्रालय:** विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।

संक्षिप्त इतिहास और विकास

- **शुरुआत:** एनर्जी कंज़र्वेशन एक्ट, 2001 के लागू होने के बाद, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए एक कानूनी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देने के लिए बनाया गया।
- **ग्रोथ:** दो दशकों में, BEE ने सिंपल अप्लायंस लेबलिंग से लेकर कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल, बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी प्रोग्राम तक विस्तार किया है।
- **मुख्य उपलब्धियाँ:**
 - **स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग (S&L) प्रोग्राम:** अप्लायंसेज के लिए मशहूर "स्टार रेटिंग" शुरू की गई।
 - **PAT स्कीम:** एनर्जी-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के लिए *परफॉर्म, अचीव और ट्रेड मैकेनिज्म* लॉन्च किया गया।
 - **CCTS: कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम** जैसे मार्केट-बेस्ड सिस्टम की ओर बदलाव।

मिशन और प्रमुख कार्य

मिशन: इंडियन इकॉनमी की **एनर्जी इंटेंसिटी को कम** करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मार्केट-बेस्ड मैकेनिज्म के ज़रिए सेल्फ-रेगुलेशन को बढ़ावा देना।

मूलभूत प्रकार्य:

- **पॉलिसी लीडरशिप:** एनर्जी बचाने के लिए नेशनल स्ट्रेटेजी की सिफारिश करता है।
- **प्रोग्राम लागू करना:** PAT, S&L, और एनर्जी बचाने वाले बिल्डिंग कोड जैसी खास स्कीमों को कोऑर्डिनेट करना।

- **मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन:** असल एनर्जी बचत को मापने और वेरिफाई करने के लिए प्रोटोकॉल बनाता है।
- **स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन:** इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और अप्लायंसेज के लिए टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन तय करता है।
- **एनर्जी ऑडिट:** ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने वाले सेक्टर में "डेसिग्रेटेड कंज्यूमर्स" के लिए रेगुलर ऑडिट ज़रूरी करता है।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** ग्रीन एनर्जी सेक्टर में R&D को बढ़ावा देता है और कंसल्टेंसी सर्विसेज़ को मज़बूत करता है।
- **कंज्यूमर अवेयरनेस: स्टार लेबल ऐप** जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके लोगों को सोच-समझकर, एनर्जी बचाने वाली खरीदारी करने में मदद करता है।

महत्व

- **एनर्जी सिक््योरिटी:** बिजली बचाकर, BEE कुल डिमांड ग्रोथ को कम करता है, जिससे महंगी एक्स्ट्रा पावर जेनरेशन कैपेसिटी पर देश की डिपेंडेंस कम होती है।
- **क्लाइमेट कमिटमेंट्स:** BEE भारत के **नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन्स (NDCs) का एक अहम हिस्सा है**, जो एमिशन की इंटेन्सिटी कम करने और नेट-ज़ीरो भविष्य की ओर बढ़ने के लक्ष्यों को सपोर्ट करता है।
- **आर्थिक बचत:** एनर्जी एफिशिएंसी के उपायों से अरबों यूनिट बिजली की बचत हुई है, जिससे इंडस्ट्री और घरों दोनों के लिए खर्च में भारी कमी आई है।

BEE का प्रभाव: एक नज़र

program'	लक्षित दर्शक	प्राथमिक तंत्र
मानक और लेबलिंग	घरेलू उपभोक्ता	अप्लायंसेज के लिए स्टार रेटिंग (1-5 स्टार)।
पीएटी योजना	बड़े उद्योग	एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट (ESCerts)।
ईसीबीसी	वाणिज्यिक भवन	नए कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड।
अजय / उजाला	सार्वजनिक एवं घरेलू	LED बल्ब और सोलर लाइट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे BEE अपनी अगली चौथाई सदी में कदम रख रहा है, इसकी भूमिका सिर्फ कंज़र्वेशन से बदलकर भारत के **एनर्जी ट्रांज़िशन को आगे बढ़ाने की हो रही है**। AI-बेस्ड मॉनिटरिंग जैसी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके और कार्बन मार्केट को बढ़ाकर, BEE प्राइमरी इंजन बना हुआ है, जो यह पक्का करता है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ न सिर्फ तेज़ हो, बल्कि ग्रीन और सस्टेनेबल भी हो।

संवैधानिक नैतिकता

प्रसंग

सीनियर वकील कपिल सिब्बल और जाने-माने पत्रकार एन. राम के बीच एक हाई-प्रोफाइल बातचीत के दौरान, दोनों ने भारत में संवैधानिक मशीनरी के टूटने को लेकर चिंता जताई। उन्होंने तर्क दिया कि **संवैधानिक नैतिकता को** राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर यह पक्का करना चाहिए कि बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय मिले।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** कॉन्स्टिट्यूशनल मोरैलिटी का मतलब है संविधान के मूल सिद्धांतों और भावना का पालन करना, न कि सिर्फ उसके शब्दों का। यह कानून और नैतिकता के बीच पुल का काम करता है।
- **मकसद:** इसके लिए सरकारी अधिकारियों और नागरिकों को इस तरह काम करना होगा जिससे डेमोक्रेटिक संस्थाएं बनी रहें और "ज़्यादातर लोगों की तानाशाही" से लोगों की आज़ादी की रक्षा हो।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
 - **मूल्यों का पालन:** लोकप्रिय या धार्मिक भावनाओं से ज़्यादा न्याय, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे को प्राथमिकता देना।
 - **इंस्टीट्यूशनल रोक:** यह पक्का करना कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और ज्यूडिशियरी अपनी संवैधानिक सीमाओं को पार न करें।
 - **माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा:** ज़्यादातर लोगों की भावनाओं से हाशिए पर पड़े ग्रुप्स के अधिकारों की सुरक्षा करना।
 - **मनमानी न करना:** यह गारंटी देना कि राज्य के काम सत्ता में बैठे लोगों की मर्ज़ी के बजाय सोच-समझकर बनाए गए कानून पर आधारित हों।
 - **पब्लिक कॉन्शियस:** एक ऐसा सिविक कल्चर बनाना जहाँ लोगों की आदतें डेमोक्रेटिक नियमों के हिसाब से हों।

आधुनिक समय में महत्व

- **मेजॉरिटी पर रोक:** यह बहुतां के राज को कुछ लोगों के जुल्म में बदलने से रोकता है (जैसे, शादी की अपनी पसंद को बचाने के लिए राज्य के धर्म-परिवर्तन विरोधी कानूनों की न्यायिक जांच)।
- **कानून का राज बनाए रखना:** यह पक्का करता है कि पॉलिटिकल जुड़ाव की परवाह किए बिना कानून का एक जैसा इस्तेमाल हो (जैसे, एक्टिविस्ट के बेल के मामलों में ऊपरी अदालतें यह पक्का करती हैं कि "आज़ादी नियम है और जेल एक्सेप्शन है")।
- **जवाबदेही पक्का करना:** यह ज़रूरी है कि एग्जीक्यूटिव कानून के प्रति जवाबदेह रहे (जैसे, पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करने वाला 2024 का फैसला)।
- **असहमति की रक्षा:** यह माना जाता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष की आवाज़ की ज़रूरत होती है (जैसे, 2023 के आखिर में MPs के रिकॉर्ड सस्पेंशन के संबंध में कोर्ट का दखल)।
- **सामाजिक बदलाव के हिसाब से ढलना: संविधान को एक "जीवित दस्तावेज़" बनने देना है (जैसे, नवतेज सिंह जौहर मामले में आपसी सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना)।**

चुनौतियां

- **न्यायिक अतिवाद:** कानून की व्याख्या करने और "बेंच से कानून बनाने" के बीच की पतली लाइन, बनाम "अंडररीच" जहां कोर्ट कार्रवाई करने में नाकाम रहता है (जैसे, "सील्ड कवर" न्यायशास्त्र पर चिंताएं)।
- **एग्जीक्यूटिव का दबदबा:** लेजिस्लेचर में ज़्यादा बहुमत होने पर बिल (जैसे नए क्रिमिनल कोड) बिना ज़्यादा सोच-विचार के वॉयस वोट से पास हो सकते हैं।
- **न्यायपालिका का राजनीतिकरण:** केस लिस्टिंग (मास्टर ऑफ़ रोस्टर पावर) या रिटायरमेंट के बाद की नियुक्तियों में भेदभाव से जनता का भरोसा कम हो सकता है।
- **फ़ेडरलिज़्म का कमज़ोर होना:** राज्य के बिल पास करने को लेकर गवर्नर और चुनी हुई राज्य सरकारों (जैसे, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल) के बीच अक्सर अनबन रहती है।
- **कानून का हथियार बनाना: PMLA या भारतीय न्याय संहिता के नियमों** जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल, आलोचना करने वालों को चुप कराने या विरोधियों को ट्रायल से पहले गिरफ्तार करने के लिए।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **न्यायिक स्वतंत्रता:** लोगों का विश्वास वापस लाने के लिए नियुक्तियों और केस लिस्टिंग के लिए पारदर्शी सिस्टम बनाना।
- **बहस को मज़बूत करना: यह पक्का करना कि सभी बड़े कानून** पास होने से पहले **पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी** से जांच करवाएं।
- **नागरिक शिक्षा:** आने वाली पीढ़ियों में लोकतांत्रिक आदतों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के सिलेबस में संवैधानिक मूल्यों को शामिल करना।
- **एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार:** बिना भेदभाव के न्याय पक्का करने के लिए जांच एजेंसियों को राजनीतिक दखल से बचाना।
- **फ़ेडरल गाइडलाइंस:** गवर्नरों की भूमिका के लिए साफ़ सीमाएं तय करना ताकि वे केंद्र के पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर काम न कर सकें।

निष्कर्ष

संवैधानिक नैतिकता लोकतंत्र की जान है; इसके बिना, संविधान सिर्फ़ शब्दों का ढाँचा बनकर रह जाता है। इस नैतिकता की आखिरी परीक्षा सत्ता के दबाव में आए बिना न्याय देना है। भारत को एक मज़बूत गणराज्य बने रहने के लिए, इसके संस्थानों को सभी नागरिकों की भलाई के लिए कानून का मतलब निकालने की हिम्मत फिर से हासिल करनी होगी, यह पक्का करते हुए कि सिर्फ़ राजनीतिक फायदे के बजाय दस्तावेज़ की भावना को बनाए रखा जाए।

पोषक तत्व ट्रांसपोर्टर प्रोटीन

प्रसंग

ETH ज्यूरिख और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ़ म्यूनिख के रिसर्चर्स ने बैक्टीरिया को **डिज़ाइनर प्रोटीन बनाने के लिए इंजीनियरिंग करके सिंथेटिक बायोलॉजी में एक बड़ी सफलता हासिल की है। एक खास न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर को बदलकर, उन्होंने प्रोटीन में आर्टिफिशियल अमीनो एसिड को** शामिल करने के लिए सेलुलर बैरियर को सफलतापूर्वक बायपास कर दिया है, जिससे प्रिसिजन मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी के लिए नए रास्ते खुल गए हैं।

न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के बारे में

यह क्या है?

न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर एक खास **मेम्ब्रेन प्रोटीन है** जो गेटकीपर की तरह काम करता है, जिससे सेल्स को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड जैसे ज़रूरी मॉलिक्यूल्स को इंपोर्ट करने में मदद मिलती है। इस स्टडी में, साइंटिस्ट्स ने *E. coli* में एक **ABC ट्रांसपोर्टर (ATP-बाइंडिंग कैसेट)** बनाया ताकि सिंथेटिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को पहचाना और इंपोर्ट किया जा सके।

उद्देश्य:

इसका मुख्य मकसद सेल मेम्ब्रेन की नैचुरल "सेलेक्टिविटी" को दूर करना है। ज़्यादातर सेल्स सिंथेटिक अमीनो एसिड को रिजेक्ट कर देते हैं। इन ट्रांसपोर्टर्स की इंजीनियरिंग करके, साइटिस्ट सेल्स को इन "अननैचुरल" चीज़ों को लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं ताकि वे पूरी तरह से नए बायोलॉजिकल या केमिकल काम करने वाले प्रोटीन बना सकें।

यह कैसे काम करता है: "ट्रोजन हॉर्स" रणनीति

यह प्रोसेस एक स्मार्ट बायोलॉजिकल बाईपास को फॉलो करता है:

- छलावरण:** आर्टिफिशियल अमीनो एसिड, **ट्रिपेटाइड्स** या **टेट्रापेटाइड्स** (नेचुरल अमीनो एसिड की छोटी चेन) के अंदर छिपे होते हैं।
- ट्रांसपोर्ट:** इंजीनियर्ड ABC ट्रांसपोर्टर नेचुरल "पैकेजिंग" को पहचानता है और पूरी चेन को सेल में ले जाता है।
- रिलीज़:** अंदर जाने के बाद, सेलुलर एंजाइम पेटाइड बॉन्ड को तोड़ देते हैं, और आर्टिफिशियल अमीनो एसिड को रिलीज़ करते हैं।
- सिंथेसिस:** सेल का **राइबोसोम** फिर इन सिंथेटिक अमीनो एसिड को लेकर एक कस्टम-डिज़ाइन प्रोटीन बनाता है।

प्रमुख विशेषताएं

- ट्रोजन हॉर्स स्ट्रैटेजी:** सिंथेटिक मटीरियल को मेम्ब्रेन बैरियर से "छिपाने" के लिए नेचुरल पेटाइड चेन का इस्तेमाल करती है।
- बेहतर एफिशिएंसी:** मॉडिफाइड ट्रांसपोर्टर अपने नेचुरल अमीनो एसिड की तुलना में **10 गुना ज़्यादा आर्टिफिशियल अमीनो एसिड इंपोर्ट कर सकता है।**
- डायरेक्टेड इवोल्यूशन:** प्रोटीन को लैब में "इवॉल्व" किया गया ताकि यह पक्का हो सके कि यह भीड़भाड़ वाले न्यूट्रिएंट्स वाले माहौल में भी असरदार बना रहे।
- मल्टीफंक्शनल कैपेसिटी:** यह सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि एक ही प्रोटीन स्टैंड में **दो अलग-अलग तरह के आर्टिफिशियल अमीनो एसिड डाल सकता है।**
- लैब कम्पैटिबिलिटी:** कई सिंथेटिक बायोलॉजी टूल्स के उलट, यह सिस्टम स्टैंडर्ड लैबोरेटरी ग्रोथ कंडीशन और मीडिया में अच्छे से काम करता है।

महत्व

- एडवांस्ड ड्रग डिलीवरी:** इन डिज़ाइनर प्रोटीन को "होमिंग मिसाइल" की तरह काम करने के लिए इंजीनियर किया जा सकता है, जो दवाओं को सही जगहों पर ले जा सकते हैं या उन्हें सिर्फ़ खास बायोलॉजिकल ट्रिगर पर ही रिलीज़ कर सकते हैं।

- नई केमिस्ट्री:** यह खास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या लाइट सेंसिटिविटी जैसे केमिकल गुणों वाले प्रोटीन बनाने की अनुमति देता है, जो प्रकृति में कहीं नहीं पाए जाते।
- सिंथेटिक बायोलॉजी माइलस्टोन:** यह **जेनेटिक कोड को असरदार तरीके से बढ़ाता है**, और उन स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड से आगे बढ़ता है जिन्होंने अरबों सालों से जीवन को बताया है।
- बायोकैटेलिसिस:** इंजीनियर्ड प्रोटीन से ग्रीन केमिस्ट्री और प्लास्टिक डिग्रेडेशन के लिए ज़्यादा कुशल इंडस्ट्रियल एंजाइम बन सकते हैं।

निष्कर्ष

न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की इंजीनियरिंग, बायोलॉजी को देखने से लेकर उसे एक्टिव रूप से "प्रोग्रामिंग" करने तक के बदलाव को दिखाती है। सेल्स को एक बड़े केमिकल अल्फाबेट का इस्तेमाल करना सिखाकर, साइटिस्ट बायोफार्मास्यूटिकल्स और स्मार्ट मटीरियल की अगली पीढ़ी के लिए एक नींव बना रहे हैं।

कवच 4.0 सिस्टम

प्रसंग

रेलवे सुरक्षा को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, केंद्रीय रेल मंत्री ने 2026 की शुरुआत में **लोकसभा को बताया कि कवच 4.0 को 1,452 रूट किलोमीटर** पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। यह रोलआउट अभी ज़्यादा भीड़ वाले **दिल्ली-मुंबई** और **दिल्ली-हावड़ा** कॉरिडोर पर फोकस है ताकि पैसेंजर सुरक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा असर हो सके।

कवच 4.0 सिस्टम के बारे में

यह क्या है?

कवच भारत का स्वदेशी **ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP)** सिस्टम है। यह एक लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम है जिसे लोको पायलट के काम न करने पर ऑटोमैटिकली स्पीड और ब्रेक मैनेज करके ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइज़ेशन (**RDSO**) ने इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर **डवलप किया है।**
- सेफ्टी स्टैंडर्ड:** यह **SIL-4** (सेफ्टी इंटीग्रेटी लेवल-4) के लिए सर्टिफाइड है, जो दुनिया भर में सेफ्टी एश्योरेंस का सबसे ऊंचा लेवल है।

यह काम किस प्रकार करता है?

यह सिस्टम एक हाई-टेक कम्प्युनिकेशन नेटवर्क पर निर्भर करता है:

1. **ट्रैकसाइड:** लोकेशन और ट्रैक ID डेटा देने के लिए रेगुलर इंटरवल पर ट्रैक पर **RFID टैग लगाए जाते हैं।**
2. **ऑन-बोर्ड:** लोकोमोटिव में एक **ऑन-बोर्ड कंप्यूटर** और एक रेडियो यूनिट लगी होती है।
3. **आधारभूत संरचना:** स्टेशनों पर **रेडियो टावर लगातार कनेक्टिविटी देते हैं।** जब ये पार्ट्स आपस में बातचीत करते हैं, तो सिस्टम "मूवमेंट अथॉरिटी" को मॉनिटर करता है। अगर कोई ट्रेन रेड सिग्नल या उसी ट्रैक पर किसी दूसरी ट्रेन के पास आती है, तो कवच ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और टक्कर रोकने के लिए **ऑटोमैटिकली ब्रेक लगाता है।**

कवच 4.0 की मुख्य विशेषताएं

- **बेहतर प्रिसिजन:** वर्जन 4.0 बेहतर लोकेशन एक्यूरेसी और सिग्नल जानकारी की बेहतर हैंडलिंग देता है, खासकर मुश्किल और भीड़भाड़ वाले **रेलवे यार्ड** में।
- **डायरेक्ट इंटरलॉकिंग इंटीग्रेशन:** यह ट्रैक ऑक्यूपेंसी पर मिलीसेकंड-एक्यूरेट अपडेट पाने के लिए **इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है।**
- **UHF और फाइबर कम्युनिकेशन:** बिना रुकावट स्टेशन-से-लोकोमोटिव कनेक्टिविटी के लिए **अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (UHF) रेडियो और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क** के मज़बूत मिक्स का इस्तेमाल करता है।
- **ऑटोमैटिक ब्रेकिंग:** यह एक फेल-सेफ की तरह काम करता है जो इंसानी गलती को ओवरराइड करता है, अगर लोको पायलट रेड सिग्नल (SPAD) पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है या परमिटेड स्पीड लिमिट से ज़्यादा स्पीड लेता है।
- **SOSR (सेव आवर सोल्स) फ़ीचर:** यह किसी लोकोमोटिव या स्टेशन को एक खास दायरे में सभी ट्रेनों को इमरजेंसी मैसेज भेजने की सुविधा देता है, जिससे मुश्किल समय में उन्हें तुरंत रोक दिया जाता है।

महत्व

- **ज़ीरो-एक्सीडेंट विज़न:** इसका लक्ष्य "नतीजे वाले ट्रेन एक्सीडेंट" को खत्म करना है, जिनमें 2014 से अब तक इंसानी गलती के फैक्टर को हटाकर लगभग **90% की कमी देखी गई है।**
- **फॉग रेजिलिएंस:** यह ट्रेनों को घने कोहरे और कम विज़िबिलिटी वाली स्थितियों में सुरक्षित रूप से ज़्यादा स्पीड बनाए रखने में मदद करता है, जिससे सर्दियों में देरी काफ़ी कम हो जाती है।
- **कॉस्ट-इफेक्टिवनेस:** स्वदेशी होने के कारण, कवच की कीमत इसी तरह के इंटरनेशनल सिस्टम (जैसे यूरोपियन ETCS) की तुलना में लगभग **एक-चौथाई है, जिससे**

इसे पूरे देश में बहुत तेज़ी से रोलआउट किया जा सकता है।

- **ग्लोबल एक्सपोर्ट पोर्टेंशियल:** 4.0 के सफल इम्प्लीमेंटेशन के साथ, भारत इस कॉस्ट-इफेक्टिव सेफ्टी टेक्नोलॉजी को दूसरे डेवलप हो रहे रेलवे नेटवर्क को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है।

निष्कर्ष

कवच 4.0 ट्रांसपोर्ट सेक्टर में "मेड इन इंडिया" टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंडियन रेलवे को इंसानों द्वारा मॉनिटर किए जाने वाले नेटवर्क से मशीन से चलने वाले नेटवर्क में बदलकर, यह सिस्टम यह पक्का कर रहा है कि भारत के सबसे बिज़ी कॉरिडोर पर स्पीड और सेफ्टी आखिरकार एक साथ मिल सकें।

बग बाउंड्री प्रोग्राम

प्रसंग

यूनिक **आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI)** ने अपना पहला स्ट्रक्चर्ड **बग बाउंड्री प्रोग्राम लॉन्च किया है।** यह पहला आधार इकोसिस्टम की साइबर सिक््योरिटी को मज़बूत करने के लिए एक स्ट्रेटिजिक कदम है, जिसमें एथिकल हैकिंग कम्युनिटी की कलेक्टिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके 1.4 बिलियन से ज़्यादा नागरिकों का बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा रखा गया है।

बग बाउंड्री प्रोग्राम के बारे में

यह क्या है? बग बाउंड्री प्रोग्राम एक क्राउडसोर्सड सिक््योरिटी पहल है, जिसमें एक ऑर्गनाइज़ेशन इंडिपेंडेंट एथिकल हैकर्स और सिक््योरिटी रिसर्चर्स को अपने सॉफ्टवेयर या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कमज़ोरियों को खोजने और रिपोर्ट करने के लिए बुलाता है।

उद्देश्य:

- **प्रोएक्टिव डिफेंस:** गलत इरादे वाले लोग सिक््योरिटी की कमियों का फायदा उठा सकें, इससे पहले उन्हें पहचानना और ठीक करना।
- **भरोसा बढ़ाना: जिम्मेदारी से जानकारी देने के** कल्चर को बढ़ावा देना और आधार जैसे ज़रूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों का भरोसा बढ़ाना।
- **लगातार सुधार:** डिजिटल एसेट्स का लगातार, असल दुनिया का स्ट्रेस टेस्ट देना, जो पारंपरिक ऑडिट में छूट सकता है।

प्रमुख विशेषताएं

- **एलीट पार्टिसिपेशन:** अपने पहले रन के लिए, UIDAI ने प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए **20 बहुत अनुभवी एथिकल हैकर्स और रिसर्चर्स को चुना है।**

- **टारगेटेड स्कोप:** टेस्टिंग ज़रूरी पब्लिक-फेसिंग डिजिटल एसेट्स पर फोकस है, जिसमें शामिल हैं:
 - ऑफिशियल **UIDAI वेबसाइट** ।
 - मायआधार **पोर्टल** .
 - सिक्वोर **QR कोड** एप्लीकेशन।
- **सीवियरिटी-बेस्ड रिवाँड्स:** रिवाँड्स कमी के असर के हिसाब से बनाए जाते हैं। वल्नरेबिलिटीज़ को चार टियर में बांटा गया है: **क्रिटिकल, हाई, मीडियम, और लो** ।
- **स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप:** यह प्रोग्राम एक स्पेशल साइबर सिक्वोरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, **ComOlho IT Private Limited** के साथ मिलकर चलाया जा रहा है ।
- **डिफेंस-इन-डेपथ:** यह प्रोग्राम मौजूदा सिक्वोरिटी लेयर्स, जैसे रेगुलर **पेनेट्रेशन टेस्टिंग (VAPT)** , सिक्वोरिटी ऑडिट, और 24/7 लगातार मॉनिटरिंग का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि सप्लीमेंट है।

महत्व

- **सॉवरेन सिक्वोरिटी:** आधार इकोसिस्टम को मजबूत करना नेशनल सिक्वोरिटी का मामला है, क्योंकि यह भारत के **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम की रीढ़ है।
- **कॉस्ट-इफेक्टिवनेस:** यह ऑर्गेनाइज़ेशन को सिर्फ सिक्वोरिटी फर्म के समय के बजाय रिज़ल्ट (असल में मिले बग) के लिए पेमेंट करने की सुविधा देता है।
- **ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस:** इस लॉन्च के साथ, UIDAI उन ग्लोबल टेक बड़ी कंपनियों (जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट) और सरकारी एजेंसियों (जैसे US डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफेंस) की लिस्ट में शामिल हो गया है जो सेंसिटिव डेटा को सुरक्षित रखने के लिए "बाउंटी" मॉडल का इस्तेमाल करते हैं।

निष्कर्ष

UIDAI बग बाउंटी प्रोग्राम एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और मिलकर काम करने वाले साइबर सिक्वोरिटी के नज़रिए की ओर एक बदलाव दिखाता है। एथिकल हैकर्स के लिए अपने दरवाज़े खोलकर, अर्थाँरिटी साइबर खतरों के बदलते नेचर को मान रही है और यह पक्का कर रही है कि "दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक ID सिस्टम" मुश्किल एल्गोरिदम वाले हमलों के खिलाफ मजबूत बना रहे।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु

प्रसंग

एक ऐतिहासिक फैसले में, **भारत के सुप्रीम कोर्ट** ने पहली बार एक खास मामले में अपना पैसिव यूथनेशिया फ्रेमवर्क लागू किया।

कोर्ट ने 32 साल के **हरीश राणा के लिए लाइफ-सस्टेनिंग ट्रीटमेंट वापस लेने की इजाज़त दे दी**, जो 13 साल से परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट (PVS) में थे, जिससे ज्यूडिशियल थ्योरी से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ओर बदलाव हुआ।

इच्छामृत्यु के बारे में

यूथनेशिया क्या है?

यूथनेशिया, दर्द और तकलीफ़ से राहत पाने के लिए जान-बूझकर किसी की जान लेने की प्रैक्टिस है, आम तौर पर उन मरीज़ों के लिए जिनकी बीमारी लाइलाज या जानलेवा होती है।

इच्छामृत्यु के प्रकार:

- **एक्टिव यूथनेशिया:** मौत का कारण बनने के लिए सीधे एक्शन लेना (जैसे, जानलेवा इंजेक्शन)। यह भारत में **गैर-कानूनी** है ।
- **पैसिव यूथनेशिया:** ज़िंदगी बढ़ाने वाले इलाज (जैसे, वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब) को रोकना या वापस लेना ताकि मौत अपने आप हो सके। भारत में सख्त कानूनी और मेडिकल गाइडलाइंस के तहत यह **कानूनी** है।

भारत में न्यायिक विकास

- **पी. रथिनम केस (1994):** सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में सुझाव दिया कि "जीवन के अधिकार" (अनुच्छेद 21) में "मरने का अधिकार" शामिल है।
- **ज्ञान कौर केस (1996):** रथिनम के फैसले को पलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन **सम्मान के साथ मरने के अधिकार पर जोर दिया गया** ।
- **अरुणा शानबाग केस (2011):** 42 साल तक वेजिटेटिव स्टेट में रहने वाली एक नर्स की वजह से, SC ने पैसिव यूथनेशिया को प्रिंसिपली लीगल कर दिया, जो हाई कोर्ट की मंजूरी पर निर्भर था।
- **कॉमन कॉज़ केस (2018):** "गरिमा के साथ मरने के अधिकार" को एक **बुनियादी अधिकार के तौर पर मान्यता दी गई** और **लिविंग विल** (एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव) को कानूनी मान्यता दी गई।
- **2023 अमेंडमेंट:** SC ने इस प्रोसेस को आसान बनाया, लिविंग विल्स पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के काउंटरसिग्नेचर की ज़रूरत को हटा दिया ताकि उन्हें ज़्यादा आसानी से समझा जा सके।

कानून की आवश्यकता

- **मेडिकल सीमाएं:** "टर्मिनली इल" बनाम "वेजिटेटिव स्टेट" को डिफाइन करने के लिए साफ कानूनों की ज़रूरत है। दिल्ली HC ने शुरू में हरीश राणा की अपील इसलिए खारिज कर दी क्योंकि वह "टर्मिनली इल" नहीं था, भले ही उसकी 13 साल की हालत बेकार थी।

- **स्टैंडर्ड मेडिकल बोर्ड:** अभी, बोर्ड अक्सर एड-हॉक बनाए जाते हैं। राणा केस में, SC को प्राइमरी और सेकेंडरी बोर्ड खुद बनाने पड़े थे क्योंकि कोई पक्का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था।
- **डॉक्टरों के लिए लीगल इम्युनिटी:** एक कानूनी फ्रेमवर्क, मरीज़ की इज़्ज़त पर आधारित पसंद का सम्मान करते हुए, डॉक्टरों को आत्महत्या के लिए उकसाने की क्रिमिनल ज़िम्मेदारी से बचाएगा।
- **आसान तरीके:** अभी कोर्ट की निगरानी में चलने वाले तरीके सख्त हैं; हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को राणा के परिवार को तुरंत राहत देने के लिए ज़रूरी 30-दिन के "कंसीडरेशन पीरियड" में छूट देनी पड़ी।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **गलत इस्तेमाल का खतरा:** ऐसी आशंका है कि बुजुर्ग या दिव्यांग लोगों को पैसे या प्रॉपर्टी के लिए यूथेनेशिया के लिए मजबूर किया जा सकता है।
- **सामाजिक-धार्मिक आपत्तियाँ:** कई ग्रुप यूथेनेशिया को जीवन के प्राकृतिक चक्र में दखल मानते हैं, जिससे "जीवन की पवित्रता" और "जीवन की क्वालिटी" के बीच टकराव पैदा होता है।
- **गरिमा की व्यक्तिपरकता:** "गरिमा" को कानूनी तौर पर मापना मुश्किल है। जबकि कोर्ट ने राणा की हालत को "दयनीय" माना, दूसरों का तर्क है कि ब्रेनस्टेम का कोई भी काम जीवन बनाता है।
- **पैलिएटिव केयर की कमी:** अगर अच्छी क्वालिटी का पेन मैनेजमेंट उनके बजट में नहीं है, तो यूथेनेशिया गरीबों के लिए एक डिफ़ॉल्ट चॉइस बन सकता है। SC को खास तौर पर AIIMS दिल्ली को राणा की देखभाल करने का आदेश देना पड़ा, जिससे यह पता चला कि इसकी यूनिवर्सल एक्सेस की कमी है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कानूनी कार्रवाई:** गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों के मेडिकल इलाज को प्राथमिकता देने वाला बिल, कोर्ट की गाइडलाइंस को कानूनी आधार देगा।
- **डिजिटल रजिस्ट्री:** एडवांस डायरेक्टिव्स के लिए एक नेशनल डेटाबेस बनाएं ताकि इमरजेंसी में किसी व्यक्ति की इच्छाएं डॉक्टरों को तुरंत मिल सकें।
- **पैलिएटिव केयर में निवेश:** यह पक्का करें कि शांतिपूर्ण अंत का फ़ैसला हॉस्पिट सुविधाओं तक पहुंच की कमी की वजह से न हो।
- **पब्लिक सेंसिटाइज़ेशन:** मुश्किल समय में परिवारों पर इमोशनल और कानूनी बोझ कम करने के लिए लिविंग विल्स बनाने के महत्व के बारे में नागरिकों को बताएं।

हरीश राणा केस में सुप्रीम कोर्ट के दखल ने "गरिमा के साथ मरने के अधिकार" को एक संवैधानिक सोच से बदलकर एक जीती-जागती सच्चाई बना दिया है। हालांकि, अलग-अलग मामलों में सबसे बड़ी अदालत से दखल की उम्मीद करना सही नहीं है। मेडिकल नैतिकता, जीवन की पवित्रता और शांतिपूर्ण अंत के अधिकार के बीच बैलेंस बनाने के लिए एक दयालु, मज़बूत **केंद्रीय कानून** ज़रूरी है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC)

प्रसंग

कंजर्वेशन बायोलॉजी (2026) में छपी एक ज़रूरी स्टडी ने असम में इंसान-हाथी टकराव के मैनेजमेंट को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इससे पता चलता है कि गांववालों की सुरक्षा के लिए बनाए गए **एंटी-डिप्रेडेशन स्कॉड (ADS) अनजाने में हाथियों की अचानक होने वाली मौतों में 200-300% की बढ़ोतरी** से जुड़े हैं, जो डर पर आधारित रोकथाम के असर को चुनौती देता है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) के बारे में

यह क्या है?

इंसान-जानवरों के बीच टकराव का मतलब है इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बुरे रिश्ते, जिसके नतीजे दोनों के लिए बुरे होते हैं। इसमें इंसानी जान, जानवरों और फसलों का नुकसान, साथ ही बदले में जानवरों को मारना और गलती से जानवरों की मौत शामिल है।

डेटा और सांख्यिकी:

- **हाथियों की मौत:** भारत में हर साल लगभग **100 हाथियों की मौत** गैर-प्राकृतिक कारणों से होती है, जैसे बिजली का झटका लगना, ट्रेन से टकराना और शिकार।
- **इंसानी नुकसान:** भारत में हर साल हाथियों से टकराव के कारण **500** से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, खासकर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में।
- **आर्थिक असर:** हर साल लाखों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे अक्सर छोटे किसान भारी कर्ज़ में डूब जाते हैं।
- **इंटरवेंशन पैराडॉक्स:** असम के सोनितपुर में, ADSs की मौजूदगी की वजह से 14 सालों में **14 और हाथियों की मौत हुई**, जबकि उन इलाकों में हाथियों की मौत नहीं हुई जहां हाथियों की कोई टीम नहीं थी।

संघर्ष को संतुलित करने की आवश्यकता

- **आर्थिक सुरक्षा:** झगड़े किसी गांव के परिवार की साल भर की पूरी रोजी-रोटी खत्म कर सकते हैं। सोनितपुर के चाय बागानों में, संगठित रखवाली ही अक्सर पूरी तरह से आर्थिक बर्बादी से बचाने का एकमात्र रास्ता होती है।

- **कीस्टोन स्पीशीज़ का संरक्षण:** हाथी "इकोसिस्टम इंजीनियर" हैं। उनके खत्म होने से जंगल की सेहत बिगड़ती है, फिर भी ADS-एक्टिव गांवों में ज्यादा मौत की दर असम की 5,000 की आबादी के लंबे समय तक चलने के लिए खतरा है।
- **साइकोलॉजिकल सेफ्टी:** हमलों का लगातार डर ज़िंदगी की क्वालिटी को कम करता है। ADS का मकसद "संख्या में सुरक्षा" देना था, जिससे हिंसक बदले की कार्रवाई की वजह बनने वाली घबराहट कम हो।
- **इकोलॉजिकल कॉरिडोर बनाए रखना:** टकराव को बैलेंस करने से यह पक्का होता है कि माइग्रेशन के रास्ते चालू रहें। जब हाथी सर्चलाइट से डर जाते हैं, तो वे अक्सर सुरक्षित रास्तों से भटककर खतरनाक रेलवे ट्रैक पर चले जाते हैं।

की गई पहल

- **एंटी-डिप्रेडेशन स्कॉड (ADS):** हाथियों को फसलों से दूर भगाने के लिए सर्चलाइट और पटाखों से लैस कम्युनिटी के ग्रुप।
- **प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992):** हैबिटाट मैनेजमेंट और कॉरिडोर प्रोटेक्शन के लिए फाइनैशियल और टेक्निकल मदद देने वाली एक सेंट्रल स्कीम।
- **लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस:** जंगली जानवरों के सुरक्षित आने-जाने के लिए हाईवे पर अंडरपास और ओवरपास बनाना।
- **अर्ली वार्निंग सिस्टम (EWS):** रियल-टाइम में झुंड की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए SMS अलर्ट, थर्मल सेंसर और "एलिफेंट सेल्स" का इस्तेमाल करना।

संबंधित चुनौतियाँ

- **डर का माहौल:** आक्रामक रोकने वाली चीज़ों से जानवर सावधानी खो सकते हैं। डरे हुए हाथियों के खाइयों में गिरने या ट्रेन से टकराने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उनका पीछा करने वाले उनका ध्यान भटका देते हैं।
- **टूटी-फूटी जगहें:** डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगातार जंगलों को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिससे हाथियों को चाय के बागानों और इंसानी बस्तियों से होकर गुज़रना पड़ता है।
- **बिना सिस्टम के जवाब:** फॉर्मल ट्रेनिंग की कमी अक्सर ऑर्गनाइज़्ड स्कॉड को अस्त-व्यस्त "लोकल मॉब" में बदल देती है, जिससे ऑपरेशन बेअसर या नुकसानदायक हो जाते हैं।
- **डेटा गैप:** असल झगड़े के लेवल अक्सर कम रिपोर्ट किए जाते हैं क्योंकि गांव वाले फॉरिस्ट डिपार्टमेंट की कानूनी जांच से बचने के लिए डिटेल्स छिपा सकते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **पैसिव डिट्रेंट की ओर बढ़ें:** पटाखों से दूर होकर, मधुमक्खी-बाड़ या मिर्च-आधारित डिट्रेंट जैसे गैर-खतरनाक बैरियर की ओर बढ़ें।
- **सख्त जांच:** ADS को तब तक बढ़ाना रोकें जब तक दूसरे राज्यों में वन्यजीवों की मौत पर उनका असर आंकड़ों के हिसाब से साफ न हो जाए।
- **कम्युनिटी द्वारा बीमा:** किसानों को हाथियों को भगाने की ज़रूरत कम करने के लिए तेज़ी से फसल-मुआवज़े की स्कीम लागू करें।
- **स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर:** पहचाने गए हाथी कॉरिडोर में ट्रेनों के लिए सेंसर-बेस्ड स्पीड रेस्ट्रिक्टर लगाएं।
- **हैबिटाट रेस्टोरेशन:** सोनितपुर जैसे हाई-प्रायोरिटी वाले इलाकों में खोए हुए कॉरिडोर में फिर से पेड़ लगाने को प्राथमिकता दें।

निष्कर्ष

असम के नतीजों से पता चलता है कि अगर अच्छी नीयत वाली स्ट्रेटेजी सिर्फ़ डर पर आधारित हों, तो वे उल्टी पड़ सकती हैं। असरदार मैनेजमेंट को "ऑर्गनाइज़्ड पीछा करने" से साइंस-समर्थित, **पैसिव को-एग्जिस्टेंस की ओर बदलना होगा**। ग्रामीण समुदायों और भारत के "हेरिटेज एनिमल" दोनों की सुरक्षा के लिए नेशनल गाइडलाइंस का डेटा-ड्रिवन री-इवैल्यूएशन ज़रूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि सुरक्षा विलुप्त होने की कीमत पर न हो।

खाड़ी राष्ट्र

प्रसंग

, खाड़ी देश अभी एक बड़े क्षेत्रीय संकट का केंद्र हैं। यह तनाव ईरान के साथ एक बड़े संघर्ष में बदल गया है, जिससे **गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) की स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी** को बड़ा खतरा है।

खाड़ी देशों के बारे में

यह क्या है?

खाड़ी देशों का मतलब मुख्य रूप से छह सॉवरेन देश हैं जो **गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) में शामिल हैं**। 1981 में बना यह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन फारस की खाड़ी से लगे अरब देशों के बीच रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कलेक्टिव सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।

सदस्य देशों:

GCC में छह राजशाही शामिल हैं:

- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
- सऊदी अरब साम्राज्य (केएसए)

- बहरीन साम्राज्य
- ओमान सल्तनत
- कतर राज्य
- कुवैत राज्य

प्रमुख भौगोलिक और भूगर्भीय विशेषताएं

- **अरेबियन शील्ड:** पश्चिम में इग्निजस और मेटामॉर्फिक चट्टानों का एक बड़ा प्रीकैम्ब्रियन कॉम्प्लेक्स। यह पूर्व में सेडिमेंट्री लेयर्स के लिए एक स्टेबल जियोलॉजिकल बेस देता है, जहाँ इस इलाके का ज़्यादातर तेल फंडा हुआ है।
- **फ़ारस की खाड़ी के निचले इलाके:** अरब पेनिनसुला का पूर्वी हिस्सा धीरे-धीरे कम गहरी फ़ारस की खाड़ी की ओर झुकता है, जिससे किनारे और किनारे से तेल और गैस निकालने के लिए एक अच्छा माहौल बनता है।
- **रुब अल खली (खाली जगह):** दुनिया का सबसे बड़ा लगातार रेतीला रेगिस्तान। यह दक्षिणी सऊदी अरब के ज़्यादातर हिस्से और ओमान और UAE के कुछ हिस्सों में फैला है, जो फॉसिल फ्यूल से भरपूर पुरानी झीलों के ऊपर बना है।
- **स्ट्रेजिक चोकपाइंट्स:** इस इलाके की ज्योग्राफी में **होर्मुज स्ट्रेट का** दबदबा है, जो एक पतला पानी का रास्ता है, जिससे रोज़ाना **दुनिया का लगभग 20% तेल और 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG)** गुज़रता है।
- **सूखा मौसम और वादी:** इसकी खासियत है बहुत ज़्यादा गर्मी (50 डिग्री सेंटीग्रेड) और पठारों और वादियों (बीच-बीच में बहने वाली नदी घाटियाँ) का नज़ारा जो साल के ज़्यादातर समय सूखा रहता है।

खाड़ी देशों का महत्व

- **ग्लोबल एनर्जी हब:** GCC देशों के पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े कच्चे तेल और नैचुरल गैस के प्रूवन रिज़र्व हैं, जो असल में ग्लोबल एनर्जी मार्केट के "सेंट्रल बैंक" के तौर पर काम करते हैं।
- **इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन:** हाइड्रोकार्बन के अलावा, सऊदी अरब और UAE जैसे देश बड़े **गीगा-प्रोजेक्ट्स** (जैसे NEOM) और बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स के ज़रिए फाइनेंस, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स के ग्लोबल हब बन गए हैं।
- **जियोपॉलिटिकल पिवट:** एशिया, अफ्रीका और यूरोप के चौराहे पर होने की वजह से, ये देश इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और मैरीटाइम सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभाते हैं।

चुनौतियाँ और कमज़ोरियाँ

- **संघर्ष और सुरक्षा:** जैसा कि 2026 के संकट से पता चलता है, ईरान से नज़दीकी और होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता इन देशों को समुद्री नाकाबंदी और क्षेत्रीय युद्ध के लिए बहुत कमज़ोर बनाती है।
- **पानी की कमी:** लगभग कोई पक्की नदी न होने की वजह से, यह इलाका अपने ताज़े पानी की सप्लाई के लिए पूरी तरह से डीसेलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर है, जिससे ये जगहें हाई-वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट बन जाती हैं।
- **क्लाइमेट चेंज:** बढ़ता तापमान और समुद्र का लेवल, तटीय शहरों और नाज़ुक रेगिस्तानी इकोसिस्टम के रहने लायक होने के लिए लंबे समय का खतरा पैदा कर रहे हैं।

निष्कर्ष

खाड़ी के देश पुरानी परंपरा और भविष्य की चाहत का एक अनोखा मेल दिखाते हैं। हालांकि उनकी ज़मीनी दौलत ने उन्हें दुनिया भर में बहुत ज़्यादा असर दिया है, लेकिन 2026 का संघर्ष इस इलाके के नाज़ुक स्वभाव को दिखाता है, जहां आर्थिक खुशहाली समुद्री सुरक्षा और इलाके की शांति से जुड़ी हुई है।

क्षुद्रग्रह 2024 YR4

प्रसंग

2024 YR4 के चंद्रमा से टकराने की संभावना को खारिज कर दिया है। **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST)** से उच्च-सटीक डेटा द्वारा समर्थित परिष्कृत कक्षीय गणनाएं पुष्टि करती हैं कि वस्तु लगभग 21,200 किमी की सुरक्षित दूरी से गुज़रेगी।

क्षुद्रग्रह 2024 YR4 के बारे में

यह क्या है?

2024 YR4 एक नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट (NEO) है जिसे **अपोलो-टाइप एस्टेरॉयड** (अर्थ-क्रॉसिंग) के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। दिसंबर 2024 में चिली में ATLAS सर्वे से खोजा गया, यह कुछ समय के लिए प्लैनेटरी डिफेंस सर्कल में सबसे ज़्यादा चिंता की बात बन गया, और **टोरिनो स्केल रेटिंग 3 तक पहुंच गया**, जो 2004 में एस्टेरॉयड अपोफिस के बाद सबसे ज़्यादा है।

उत्पत्ति और गठन:

- **मेन बेल्ट सबर्ब:** स्टडीज़ से पता चलता है कि इसकी शुरुआत मंगल और बृहस्पति के बीच मेन एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच के इलाके से हुई है।
- **यार्कोव्स्की इफ़ेक्ट:** यार्कोव्स्की इफ़ेक्ट की वजह से एस्टेरॉयड अंदरूनी सोलर सिस्टम की ओर बढ़ गया था। यह एक ऐसी घटना है जिसमें सूरज से किसी चीज़ का असमान रूप से गर्म होना एक हल्के थ्रस्टर की तरह काम करता है, जिससे लाखों सालों में उसका ऑर्बिट बदल जाता है।
- **पहले का बोल्टर:** इसकी ठोस बनावट से पता चलता है कि यह शायद किसी बड़े "मलबे के ढेर" वाले एस्टेरॉयड की

सतह पर एक बड़ा बोल्टर था, जो टक्कर से बाहर निकल गया था।

विशेषताएँ

- **साइज़:** डायमीटर लगभग **53 से 67 मीटर** के बीच (15 मंज़िला बिल्डिंग के बराबर)।
- **आकार:** देखने से पता चलता है कि इसका **आकार साफ़ तौर पर चपटा और चपटा है**, जिसकी तुलना अक्सर हॉकी पक से की जाती है।
- **बनावट:** यह एक पथरीला **S-टाइप एस्टेरॉयड है**, जो सिलिकेट्स और निकेल-आयरन से भरपूर है।
- **रैपिड स्पिन:** इसका रोटेशन पीरियड बहुत तेज़ होता है, जो लगभग **19.5 से 20 मिनट का होता है**।

महत्व

- **इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन:** यह पहला एस्टेरॉयड था जिसने **इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वॉर्निंग नेटवर्क (IAWN)** और स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप (SMPAG) से पूरे पैमाने पर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स शुरू किया।
- **ग्रहों की सुरक्षा में JWST:** 2026 में 2024 YR4 को सफलतापूर्वक ट्रैक करने से JWST की खूबी का पता चला, जिससे यह साबित हुआ कि यह बहुत धुंधली, खतरनाक चीज़ों को देखकर ग्रहों की सुरक्षा में मदद कर सकता है, जो इसके ओरिजिनल डिज़ाइन के दायरे से बाहर का काम है।
- **साइंटिफिक माइलस्टोन:** इस घटना ने छोटे लेकिन खतरनाक एस्टेरॉयड के लिए "इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी" मॉडल को बेहतर बनाने का एक बहुत कम मिलने वाला मौका दिया।

जोखिमों को समझना: टोरिनो स्केल

टोरिनो स्केल NEOs से जुड़े इम्पैक्ट हैज़र्ड को कैटेगरी में बांटने का एक तरीका है। **3 की रेटिंग** (जो 2024 YR4 में कुछ समय के लिए थी) यह बताती है कि यह एक करीबी मुठभेड़ है जिस पर एस्ट्रोनॉमर्स को ध्यान देना चाहिए, और इससे लोकल तबाही होने की ज़्यादा संभावना है।

निष्कर्ष

2032 में चांद या पृथ्वी से टक्कर की संभावना "खत्म" होना मॉडर्न एस्ट्रोमेट्री की जीत है। हालांकि 2024 YR4 अब तुरंत कोई खतरा नहीं है, लेकिन इससे शुरू हुए ग्लोबल रिस्पॉन्स ने खतरनाक स्पेस रॉक्स का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के हमारे प्रोटोकॉल को काफी मजबूत किया है। यह याद दिलाता है कि "नेशनल सिविलोरीटी कैलकुलस" अब हमारे एटमॉस्फियर से कहीं आगे गहरे स्पेस तक फैला हुआ है।

GPS जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस

प्रसंग

वेस्ट एशिया में बढ़ते संघर्ष की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की घटनाओं में **55% की बढ़ोतरी हुई है**। **होर्मुज स्ट्रेट के पास चल रहे 1,650 से ज़्यादा जहाजों** ने GPS जैमिंग और स्पूफिंग की बड़ी रिपोर्ट दी है, जिससे पता चलता है कि नॉन-काइनेटिक हमलों के लिए ग्लोबल मैरीटाइम और एविएशन नेविगेशन सिस्टम कितने कमज़ोर हैं।

GPS जैमिंग के बारे में

यह क्या है? GPS जैमिंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का एक रूप है, जिसमें एक ज़मीनी ट्रांसमीटर हाई-पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजता है, ताकि GPS (USA), GLONASS (रूस), या NavIC (भारत) जैसे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) से भेजे गए कमज़ोर सिग्नल को "दबा" दिया जा सके।

यह काम किस प्रकार करता है:

- **सिग्नल की कमजोरी:** सैटेलाइट सिग्नल लगभग 20,000 km तक चलते हैं और धरती पर पहुंचने पर बहुत हल्के होते हैं।
- **मैकेनिज्म: एक जैमर सैटेलाइट (L1 और L2 बैंड)** द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उन्हीं फ्रीक्वेंसी पर "नॉइज़" ब्रॉडकास्ट करता है।
- **नतीजा:** इससे एक हाई सिग्नल-टू-नॉइज़ रेश्यो बनता है जो रिसेवर को सैटेलाइट डेटा पर लॉक होने से रोकता है, जिससे नेविगेशन सिस्टम असल में "ब्लाइंड" हो जाता है।

GNSS इंटरफेरेंस के प्रकार:

- **जैमिंग (डिनायल ऑफ़ सर्विस):** रिसेवर सिग्नल पूरी तरह से खो देता है। यह "नो सिग्नल" दिखाता है, जिससे ऑपरेटर्स को मैनुअल नेविगेशन या इनर्शियल सेंसर पर निर्भर रहना पड़ता है।
- **स्पूफिंग (धोखा):** यह एक ज़्यादा खतरनाक अटक है जिसमें जैमर नकली सिग्नल भेजता है जो असली सिग्नल जैसे लगते हैं। रिसेवर गलत लोकेशन बताता है; जैसे, **होर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज** अपने सिस्टम को किसी अंदरूनी एयरपोर्ट पर दिखा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस (EMI) के बारे में

यह क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस (EMI) किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नॉर्मल ऑपरेशन में अनचाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से होने वाली रुकावट है। इसे अक्सर आज के डिजिटल ज़माने का "इनविज़िबल पॉल्यूशन" कहा जाता है।

EMI चैन:

1. **सोर्स:** एनर्जी बनाने वाली चीज़ (जैसे, मोटर, स्मार्टफोन, या बिजली)।

2. **रास्ता (कपलिंग):** वह माध्यम (हवा या तार) जिससे एनर्जी गुजरती है।
3. **पीडित:** वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका परफॉर्मेंस खराब हो गया है।

युग्मन तंत्र:

- **रेडिएटेड:** इंटरफेरेंस हवा में रेडियो तरंगों के रूप में फैलता है (Wi-Fi और मोबाइल फोन में आम है)।
- **कंडक्टेड:** इंटरफेरेंस फिजिकल तारों, जैसे पावर या सिग्नल केबल से होकर जाता है।
- **इंडक्टिव (मैग्नेटिक):** एक तार से मैग्नेटिक फील्ड बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के पास के तार में "लीक" हो जाती है।
- **कैपेसिटिव (इलेक्ट्रिक):** वोल्टेज नॉइज़ पास के दो कंडक्टर के बीच ट्रांसफर होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करते हैं।

हस्तक्षेप का वर्गीकरण

- **नैरोबैंड:** एक खास, छोटी फ्रीक्वेंसी रेंज पर असर डालता है (जैसे, किसी खास रेडियो ट्रांसमीटर से आने वाला शोर)।
- **ब्रॉडबैंड:** रेडियो स्पेक्ट्रम की एक बड़ी रेंज पर असर डालता है (जैसे, सनस्पॉट या खराब इलेक्ट्रिकल ग्रिड की वजह से)।
- **कंटीन्यूअस:** एक लगातार एमिशन, जैसे हाई-वोल्टेज पावर लाइनों से बैकग्राउंड रेडिएशन।
- **इंपल्स/ट्रांजिएंट:** अचानक, कम समय का बर्स्ट, जैसे बिजली गिरना या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ESD)।

महत्व और चुनौतियाँ

- **समुद्री सुरक्षा:** होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अहम चोकपॉइंट्स पर जाम लगने से गलती से बॉर्डर पार करने या टक्कर होने की संभावना हो सकती है।
- **एविएशन सेफ्टी:** कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन के ऊपर कर्माधिकारी फ्लाइट्स में अक्सर "GPS लॉस" की रिपोर्ट आती है, जिससे एयर टैफ़िक कंट्रोलर्स और पायलट्स का वर्कलोड बढ़ जाता है।
- **नेशनल सिक्योरिटी:** विदेशी GNSS (जैसे GPS) पर निर्भरता एक स्ट्रेटेजिक कमज़ोरी पैदा करती है। यही वजह है कि भारत अपनी सॉवरेन नेविगेशन ज़रूरतों के लिए **NavIC** को तेज़ी से बढ़ावा दे रहा है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक स्टैंडर्ड टूल बनता जा रहा है, "नेशनल सिक्योरिटी कैलकुलस" इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सुरक्षा की ओर बढ़ रहा है। मज़बूत,

मल्टी-कॉन्स्टेलेशन रिसीवर और NavIC जैसे स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम बनाना अब सिर्फ़ एक टेक्नोलॉजिकल लक्ष्य नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और आर्थिक संप्रभुता के लिए एक ज़रूरत है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)

प्रसंग

यूनियन बजट 2026-27 में, भारत सरकार ने PMMSY के तहत फिशरीज़ सेक्टर को **₹2,500 करोड़ दिए**। इस अलॉटमेंट का मकसद "ब्लू इकॉनमी" की तरफ़ तेज़ी से बदलाव लाना है, जिसमें वैल्यू चेन को मॉडर्न बनाने और तटीय समुदायों की क्लाइमेट रेजिलिएंस को बढ़ाने पर फ़ोकस किया जाएगा।

योजना के बारे में

यह क्या है?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) एक बड़ी अम्ब्रेला स्कीम है जिसे भारत के फिशरीज़ सेक्टर के सस्टेनेबल और ज़िम्मेदार डेवलपमेंट को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। यह मछली प्रोडक्शन, कटाई के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर और मछुआरों की सोशियो-इकोनॉमिक भलाई में ज़रूरी कमियों को पूरा करती है।

- **लॉन्च:** 10 सितंबर 2020.

- **मंत्रालय:** मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।

- **कुल व्यय:** ₹20,050 करोड़ (प्रारंभिक स्वीकृत निवेश)।

प्राथमिक ऑब्जेक्ट:

- **प्रोडक्शन बूस्ट:** सस्टेनेबल और इनक्लूसिव तरीकों से मछली प्रोडक्टिविटी बढ़ाना।
- **मॉडर्नाइज़ेशन:** मॉडर्न लैंडिंग सेंटर से लेकर कोल्ड चेन मैनेजमेंट और रिटेल मार्केटिंग तक वैल्यू चेन को मज़बूत करना।
- **आर्थिक कल्याण:** मछुआरों और मछली पालने वालों की इनकम दोगुनी करना और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी पक्का करना।
- **इकोलॉजिकल बैलेंस:** ज़िम्मेदार हार्वेस्टिंग और पानी की हेल्थ मैनेजमेंट के ज़रिए "ब्लू ग्रोथ" को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएँ

- **डुअल कंपोनेंट फ्रेमवर्क: सेंट्रल सेक्टर (CS)** स्कीम (100% सेंट्रल फंडिंग) और **सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम (CSS)** (सेंटर और राज्यों के बीच शेयर्ड फंडिंग) के ज़रिए ऑपरेट होता है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट:** कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मॉडर्न फिशिंग हार्बर, फिश

लैंडिंग सेंटर और इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन बनाने के लिए फंडिंग।

- **अलग-अलग तरह का एकाकल्चर: बायोफ्लोक फार्मिंग**, सी केज कल्चर, सीवीड की खेती और सजावटी मछली पालन जैसे ज़्यादा बढ़ने वाले एरिया पर फोकस करें।
- **वेलफेयर और सेफ्टी:** ज़रूरी "फिशिंग बैन" के समय (मानसून का मौसम) इंश्योरेंस, बोट अपग्रेड और रोज़ी-रोटी के लिए फाइनेंशियल मदद देना।
- **सस्टेनेबल प्रैक्टिस:** समुद्री मछली स्टॉक को फिर से भरने और खराब इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए **आर्टिफिशियल रीफ और सी रैचिंग** का इस्तेमाल।
- **टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन:** गांव लेवल पर एक्सटेंशन सर्विस और टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए **सागर मित्र पहल** का इस्तेमाल करना।

महत्व

- **ग्लोबल पहचान:** दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मछली प्रोड्यूसर के तौर पर भारत का स्टेटस मजबूत करता है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन में लगभग 8% का योगदान देता है।
- **रोज़ी-रोटी की सुरक्षा:** यह सीधे और इनडायरेक्टली **28 मिलियन से ज़्यादा मछुआरों** और मछली पालने वालों को सपोर्ट करता है, खासकर तटीय और अंदरूनी ग्रामीण इलाकों में।
- **एक्सपोर्ट की संभावना:** मछली पालन से होने वाली एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई को दोगुना करके ₹1 लाख करोड़ करने का लक्ष्य है, जिससे यह सेक्टर भारत के फॉरेन एक्सचेंज में बड़ा योगदान देगा।
- **न्यूट्रिशनल सिक्वोरिटी:** सस्ते एनिमल प्रोटीन की उपलब्धता को बढ़ाता है, जिससे कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई में मदद मिलती है।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

- **क्लाइमेट चेंज:** समुद्र का बढ़ता तापमान और समुद्र का एसिडिक होना समुद्री बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा है; PMMSY के आने वाले वर्शन "क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल विलेज" पर फोकस कर रहे हैं।
- **लास्ट-माइल क्रेडिट:** यह पक्का करना कि छोटे लेवल के पारंपरिक मछुआरे आसानी से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा पा सकें।
- **ट्रेसिबिलिटी:** मछली एक्सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए ब्लॉकचेन-बेस्ड ट्रैकिंग लागू करना।

निष्कर्ष

विकसित भारत के विज़न के तहत एक आत्मनिर्भर और खुशहाल मछली पकड़ने वाले समुदाय का रास्ता बना रही है।

AI और नेशनल सिक्वोरिटी कैलकुलस

प्रसंग

हाई-स्टेक मिलिट्री ऑपरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन एक अहम मोड़ पर पहुँच गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि US मिलिट्री ने **एंथ्रोपिक के क्लाउड AI** को अपनी "किल चेन" में शामिल कर लिया है, और इसका इस्तेमाल वेस्ट एशिया में स्ट्राइक के दौरान रियल-टाइम टारगेट की पहचान और कानूनी मंजूरी के लिए किया जा रहा है। यह AI के एक सपोर्टिव टूल से काइनेटिक वॉरफेयर के एक मुख्य हिस्से में बदलाव को दिखाता है।

नेशनल सिक्वोरिटी कैलकुलस के बारे में

यह क्या है?

"नेशनल सिक्वोरिटी कैलकुलस" वह स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल देश यह आकलन करने के लिए करते हैं कि AI—एक डुअल-यूज़ टेक्नोलॉजी—ग्लोबल पावर बैलेंस को कैसे बदल सकती है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के उलट, जो सरकार के अधीन है और कम मिलती है, AI प्राइवेट सेक्टर के इनोवेशन, मैथमेटिकल मॉडल और आसानी से मिलने वाले सेमीकंडक्टर से चलती है।

डेटा और सांख्यिकी:

- **ऑपरेशनल स्पीड:** 2026 के ईरान संघर्ष के पहले 24 घंटों में, AI टारगेटिंग टूल्स ने US को **1,000 से ज़्यादा टारगेट पर हमला करने में मदद की**, और खतरों को इंसानी समझ की लिमिट से भी तेज़ी से प्राथमिकता दी।
- **इंडस्ट्रियल जासूसी:** एंथ्रोपिक ने अपने क्लाउड मॉडल को टारगेट करने वाले **16 मिलियन बिना इजाज़त वाले एक्सचेंज रिकॉर्ड किए**, जो विदेशी सरकारी लैब से जुड़े लगभग 24,000 अकाउंट से थे।
- **इंडियन साइबर सिक्वोरिटी ग्रोथ:** भारत का इन्फॉर्मेशन सिक्वोरिटी खर्च **2026 में \$3.4 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है**, जो AI से होने वाले खतरों का मुकाबला करने की ज़रूरत के कारण 11.7% की बढ़ोतरी है।
- **कंप्यूट सॉवरिन्टी: इंडियाAI मिशन** के तहत, भारत ने **38,000 से ज़्यादा GPUs को शामिल किया है**, और नेशनल सिक्वोरिटी के लिए सब्सिडी वाला कंप्यूट देने का लक्ष्य 100,000 GPUs का है।

राष्ट्रीय सुरक्षा में AI की भूमिका

- **निगरानी और टोही:** AI वाले ड्रोन मुश्किल इलाकों की रियल-टाइम निगरानी करते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर ऑटोमेटेड

पेट्रोलिंग के लिए AI वाले झुंड वाले ड्रोन को इंटीग्रेट किया है।

- **प्रेडिक्टिव एनालिसिस:** मशीन लर्निंग दुश्मन के कम्युनिकेशन में पैटर्न की पहचान करती है। **नेशनल सिव्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट (NSCS)** नेशनल सिव्योरिटी इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए इन मॉडल्स का इस्तेमाल करता है।
- **साइबर डिफेंस: पॉलीमॉर्फिक मैलवेयर से ग्रिड को बचाना। 2025 के बाद, भारत ने** लगभग तुरंत घुसपैठ का पता लगाने के लिए अपने पावर ग्रिड में AI-ड्रिवन सिव्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (SOCs) तैनात किए।
- **इंटरनल सिव्योरिटी: महाकुंभ 2025 के दौरान,** पुलिस ने भीड़ की डेंसिटी पर नज़र रखने और रियल-टाइम में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों को फ़्लैग करने के लिए 2,700 AI-एन्हांसड कैमरों का इस्तेमाल किया।
- **ऑटोनॉमस लॉजिस्टिक्स:** iDEX प्रोग्राम ने नेवल ऑपरेशन में इंसानी रिस्क को कम करने के लिए AI-पावर्ड ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल (AUVs) डेवलप करने वाले स्टार्टअप्स को फंड दिया है।

महत्वपूर्ण पहल

- **इंडियाAI मिशन:** ₹ 10,372 करोड़ का प्रोग्राम जो सॉवरेन कंप्यूट और "सेफ एंड ट्रस्टेड AI" फ्रेमवर्क पर फोकस करता है।
- **भारतजेन:** दुनिया का पहला सरकारी फंडेड मल्टीमॉडल LLM, जो **कॉग्निटिव सॉवरेनिटी पक्का करने के लिए 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है।**
- **iCET (US-इंडिया):** डिफेंस AI को को-डेवलप करने और सेमीकंडक्टर सप्लाय चैन को सिव्योर करने के लिए एक बाइलेटरल पार्टनरशिप।
- **AI गवर्नेंस गाइडलाइंस (2026):** ऑटोनॉमस हथियारों और सर्विलांस एथिक्स को रेगुलेट करने के लिए नई दिल्ली समित में जारी किया गया एक फ्रेमवर्क।

चुनौतियां

- **"ब्लैक बॉक्स" प्रॉब्लम:** यह समझाना अक्सर नामुमकिन होता है कि AI ने कोई खास जानलेवा फैसला क्यों लिया, जिससे सॉफ्टवेयर बग और साइबर-अटैक में फर्क करना मुश्किल हो जाता है।
- **विदेशी स्टैक पर निर्भरता:** प्रोग्राइटर US या ओपन-सोर्स चीनी मॉडल पर निर्भर रहने से "किल स्विच" या विदेशी हितों द्वारा गुप्त निगरानी का खतरा रहता है।
- **AI से फैली गलत जानकारी:** डीपफेक का इस्तेमाल सांप्रदायिक तनाव भड़काने या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में

हेरफेर करने के लिए तेज़ी से किया जा रहा है, जैसा कि 2025 के क्षेत्रीय चुनावों में देखा गया।

- **एक्सपोर्ट कंट्रोल से बचना:** पाबंदियों के बावजूद, 2026 की रिपोर्ट बताती है कि हाई-एंड **Nvidia Blackwell चिप्स का** इस्तेमाल दुनिया भर में प्रॉक्सी सर्विस के ज़रिए दूसरे मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए किया जा रहा है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **सॉवरेन इंफ्रास्ट्रक्चर:** इंडिपेंडेंस पक्का करने के लिए लोकल लेवल पर काम के, अलग-अलग तरह के इंडियन डेटासेट पर मॉडल्स को ट्रेनिंग देना।
- **यूनिवर्सल रेड लाइन्स:** जानलेवा ऑटोनॉमस हथियारों पर **सही इंसानी कंट्रोल** बनाए रखने के लिए ग्लोबल समझौते।
- **AI रेड-टीमिंग:** दुश्मन के हमलों के खिलाफ AI सिस्टम का स्ट्रेस-टेस्ट करने के लिए आर्मड फोर्सज़ के अंदर डेडिकेटेड यूनिट्स बनाना।
- **एथिकल ऑडिटिंग:** "रिस्पॉन्सिबल AI 2.0" की ओर बढ़ना, जिसमें सभी मिलिट्री AI डिप्लॉयमेंट के लिए लगातार, ऑडिटेबल एश्योरेंस होगा।

निष्कर्ष

नेशनल सिव्योरिटी कैलकुलस में AI का इंटीग्रेशन पारंपरिक युद्ध से **एल्गोरिदमिक कॉम्पिटिशन की ओर बदलाव का संकेत देता है।** भारत के लिए चुनौती यह है कि इंसानी फैसले की नैतिक जवाबदेही बनाए रखते हुए AI की टैक्टिकल स्पीड का इस्तेमाल किया जाए। इस दौर में असली सिव्योरिटी **टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी** और एक स्वदेशी इकोसिस्टम हासिल करने पर निर्भर करेगी जिसे बाहरी ताकतों ओवरराइड न कर सकें।

अलवणीकरण संयंत्र

प्रसंग

US-इज़राइल-ईरान लड़ाई में हाल ही में हुई मिलिट्री बढ़ोतरी ने कहा है कि ज़रूरी डीसेलिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। इन घटनाओं ने पानी की सुरक्षा और ऐसे इलाके में मानवीय संकट की संभावना को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है, जहाँ ज़िंदा रहना प्रोसेसड समुद्री पानी पर निर्भर है।

अलवणीकरण संयंत्रों के बारे में

यह क्या है?

डीसेलिनेशन प्लांट एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है जो घुले हुए नमक और मिनरल को हटाकर खारे समुद्री पानी या खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदलता है।

कोर प्रौद्योगिकी:

सबसे आम तरीका **रिवर्स ऑस्मोसिस (RO)** है। इस प्रोसेस में, समुद्र के पानी को सेमी-परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई प्रेशर में धकेला जाता है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स को निकालने देते हैं और नमक और दूसरी गंदगी को फंसा लेते हैं।

वैश्विक वितरण:

डीसेलिनेशन प्लांट सूखे, पानी की कमी वाले तटीय इलाकों में ज्यादा हैं:

- **वेस्ट एशिया (ग्लोबल हब):** सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन। अकेले इस क्षेत्र में **ग्लोबल कैपेसिटी का लगभग 70% हिस्सा है।**
- **उत्तरी अफ्रीका:** मुख्य प्लांट लीबिया और अल्जीरिया में हैं।
- **दूसरे बड़े देश:** इज़राइल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

प्राथमिक उद्देश्य:

- **वॉटर सिक्वोरिटी:** ऐसे इलाकों में जहां नेचुरल रिसोर्स बहुत कम हैं, वहां लगातार फ्रेशवॉटर सप्लाई पक्का करना।
- **क्लाइमेट रेजिलिएंस:** सूखे और ज्यादा क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के दौरान "वेदर-प्रूफ" पानी का सोर्स देना।
- **रिसोर्स मैनेजमेंट:** घटते ग्राउंडवाटर और नदी सिस्टम से ज्यादा पानी निकालने को कम करना।

प्रमुख विशेषताएं:

- **एनर्जी इंटेंसिटी:** इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा बिजली की ज़रूरत होती है, इसलिए एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कई प्लांट्स को **पावर स्टेशनों के साथ एक ही जगह पर लगाया जाता है।**
- **ब्राइन मैनेजमेंट:** इस प्रोसेस का एक बायप्रोडक्ट **ब्राइन** (बहुत ज्यादा गाढ़ा खारा पानी) है, जिसे आम तौर पर वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है, जिसके लिए एनवायरनमेंट पर ध्यान से नज़र रखने की ज़रूरत होती है।
- **तेज़ी से विकास: दुनिया भर में 21,000** से ज्यादा प्लांट चल रहे हैं, जिनकी ग्लोबल कैपेसिटी ग्रोथ रेट सालाना **6-12% है।**

महत्व

- **शुष्क क्षेत्रों में जीवन रक्षा:** कई खाड़ी देशों में, अलवणीकरण से **कुल पीने के पानी की 40-90% आपूर्ति होती है।**
- **सोशियो-इकोनॉमिक फाउंडेशन:** यह टेक्नोलॉजी रेगिस्तानी इलाकों में मेगासिटी और बड़े इंडस्ट्रियल ज़ोन

बनाने में मदद करती है, जो वरना रहने लायक नहीं होते।

- **स्ट्रेटिजिक एसेट:** क्योंकि ये जीवन के लिए पानी का मुख्य सोर्स हैं, इसलिए इन प्लांट्स को **ज़रूरी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है**, जिससे इनकी सुरक्षा नेशनल सिक्वोरिटी का मामला बन जाती है।

चुनौतियाँ और जोखिम

- **जियोपॉलिटिकल कमज़ोरी:** जैसा कि हाल की लड़ाइयों में देखा गया है, ये प्लांट बहुत कीमती टारगेट हैं। एक भी बड़ी फैसिलिटी को नुकसान होने से कुछ ही घंटों में लाखों लोग बिना पानी के रह सकते हैं।
- **पर्यावरण पर असर:** अगर एडवांस्ड डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी से गर्म, हाइपरसैलिन ब्राइन पानी को मैनेज नहीं किया गया, तो यह लोकल मरीन इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- **ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट:** एनर्जी-इंटेंसिव डीसेलिनेशन के लिए फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस पानी की कीमतों को ग्लोबल एनर्जी मार्केट के उतार-चढ़ाव से जोड़ती है।

निष्कर्ष

वेस्ट एशिया में डीसेलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करना पानी की कमी वाले इलाकों में इंसानी बस्तियों की नाजुकता को दिखाता है। हालांकि टेक्नोलॉजी ने इंसानों को रेगिस्तान में फलने-फूलने दिया है, लेकिन इन फैसिलिटीज़ पर स्ट्रेटिजिक निर्भरता एक "वॉटर-सिक्वोरिटी ट्रैप" बनाती है, जहां लड़ाई तुरंत इंसानी तबाही को ट्रिगर कर सकती है। आगे बढ़ते हुए, रिन्यूएबल एनर्जी और डीसेंट्रलाइज़्ड डीसेलिनेशन यूनिट्स को इंटीग्रेट करना ज्यादा मज़बूत वॉटर सिस्टम बनाने के लिए ज़रूरी हो सकता है।

शुरुआती गर्मी और लू की स्थिति

प्रसंग

मार्च 2026 की शुरुआत में, उत्तर भारत में हीट-वेव की स्थिति बहुत कम और समय से पहले आई। हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में महीने के पहले हफ़्ते में तापमान नॉर्मल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया, जो सर्दियों से गर्मियों में तेज़ी से बदलाव का संकेत था।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:

हीट-वेव गर्मियों में होने वाला असामान्य रूप से ज्यादा तापमान का समय होता है, जो नॉर्मल मैक्सिमम से ज्यादा होता है। 2026 में, उत्तर और पश्चिम भारत में पारे में अचानक बढ़ोतरी के कारण पारंपरिक वसंत का बदलाव असरदार तरीके से टाल दिया गया था।

डेटा और सांख्यिकी:

- **बहुत ज़्यादा बदलाव: मार्च की शुरुआत में** उत्तर और पश्चिम भारत में तापमान मौसम के औसत से 8 °C से 13 °C ज़्यादा रहा।
- **पहाड़ों का गर्म होना:** शिमला में मार्च में तापमान 25 °C से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो ऊंचाई वाले इलाकों में गर्मी का एक ट्रेंड है, जिसे पहले बहुत मुश्किल माना जाता था।
- **बारिश की कमी:** जनवरी और फरवरी 2026 में पूरे भारत में बारिश 16 °C थी, जो पुराने औसत से 60 °C कम है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** 1901 में रिकॉर्ड रखना शुरू होने के बाद से फरवरी 2026 को भारत में तीसरा सबसे सूखा फरवरी माना गया।

शुरुआती हीटवेव को बढ़ावा देने वाले फैक्टर्स:

- **सूखी सर्दियों का असर:** सर्दियों में बारिश न होने से मिट्टी की नमी भाप बनकर उड़ नहीं पाती; सूखी मिट्टी सीधे गर्मी सोख लेती है, जिससे सतह तेज़ी से गर्म होती है।
- **कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस:** भूमध्य सागर से आने वाली धीमी बारिश वाली हवाओं की वजह से नवंबर 2025 से ठंडी बर्फ़बारी और बारिश में कमी आई है।
- **एटमोस्फेरिक एंटीसाइक्लोन:** पश्चिमी भारत के ऊपर हाई-प्रेसर सिस्टम की वजह से डूबती हवा दबकर गर्म हो गई, जिससे बादल नहीं बन पाए।
- **क्लाइमेट चेंज:** लंबे समय से ग्लोबल वार्मिंग मौसम की सीमाओं को बदल रही है, जिससे जल्दी शुरू होने वाली हीटवेव "न्यू नॉर्मल" बन रही है।

आपदा प्रबंधन पर रूपरेखा

संस्थागत पहल:

- **IMD सीज़नल फोरकास्ट:** इंडिया मेटियोरॉलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीटवेव वाले दिनों के लिए शुरुआती चेतावनी जारी की है, खासकर गुजरात और आंध्र प्रदेश को टारगेट करते हुए।
- **हीट एक्शन प्लान (HAPs):** नगर पालिकाएं कूलिंग सेंटर और पब्लिक हेल्थ रिस्क को मैनेज करने के लिए लोकल HAPs को एक्टिवेट कर रही हैं।
- **NDMA गाइडलाइंस:** नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लेबर टाइमिंग और पानी की उपलब्धता पर फोकस करने के लिए SOPs में बदलाव किया है।
- **खेती से जुड़ी सलाह:** खड़ी रबी फसलों को आखिरी गर्मी के तनाव से बचाने के लिए बार-बार सिंचाई का अलर्ट जारी किया गया है।

चुनौतियां

- **खेती की कमज़ोरी:** दाने भरने के समय अचानक गर्मी पड़ने से गेहूं और सरसों जैसी फसलें मुरझा जाती हैं। पंजाब और हरियाणा में किसानों को पैदावार को लेकर काफ़ी खतरा रहता है।
- **पानी के सोर्स में कमी:** सिंचाई और पीने के पानी की बढ़ती मांग से ग्राउंडवाटर खत्म हो रहा है; हिमाचल में बर्फ कम पिघलने से दिल्ली और चंडीगढ़ में गर्मियों में पानी की सप्लाई पर खतरा है।
- **पब्लिक हेल्थ रिस्क:** इंसान का शरीर शुरुआती गर्मी के लिए तैयार नहीं होता, जिससे जम्मू और शिमला जैसे इलाकों में गर्मी से थकान और स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं।
- **पावर ग्रिड पर दबाव:** बेमौसम कूलिंग लोड ने मार्च में दिल्ली की पीक पावर डिमांड को अप्रैल के आखिर में देखे जाने वाले लेवल तक पहुंचा दिया है।
- **मज़दूरों पर आर्थिक असर:** बाहर काम करने वाले मज़दूर, खासकर MNREGA के तहत, प्रोडक्टिविटी में कमी और सेहत को होने वाले खतरों का सामना करते हैं, जिससे काम के घंटों में बदलाव करना पड़ता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

दिशानिर्देश और अनुकूलन:

- गेहूं और सरसों की क्लाइमेट-रेज़िलिएंट, गर्मी-टॉलरेंट किस्मों के डिस्ट्रीब्यूशन में तेज़ी लाएं।
- मिट्टी को बिना थकाए नमी बनाए रखने के लिए माइक्रो-इरिगेशन (ड्रिप और स्प्रींकलर) को बढ़ावा दें।

शहरी और प्रौद्योगिकी उपाय:

- ग्रीन कवर और कूल-रूफ टेक्नोलॉजी बढ़ाकर "अर्बन हीट आइलैंड" के असर को कम करें।
- कमज़ोर आबादी की लोकल हेल्थ निगरानी के लिए AI-बेस्ड प्रेडिक्टिव मॉडल इस्तेमाल करें।

नीति और निगरानी:

- सूखे के मौसम में मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए सर्दियों में बारिश के पानी को अच्छे से जमा करें।
- फूड सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने के लिए रिएक्टिव राहत के बजाय प्रोएक्टिव अडैप्टेशन पक्का करें।

निष्कर्ष

2026 की शुरुआती हीटवेव भारत के सीज़नल साइकिल में होने वाले अस्थिर बदलावों को दिखाती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कमी की वजह से हो रहे हैं। इस ट्रेंड से निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ और इकॉनमी को बचाने के लिए प्रोएक्टिव क्लाइमेट अडैप्टेशन की ओर बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि 2026 **इंटरनेशनल ईयर**

ऑफ़ द वुमन फार्मर है, इसलिए गांव के वर्कफोर्स को इन बढ़ते खतरनाक क्लाइमेट बदलावों से निपटने में मदद करने पर ध्यान देना चाहिए।

डिजिटल अंतर को पाटना

प्रसंग

2026 की शुरुआत में, भारत ने अपने डिजिटल माहौल में एक बड़ा बदलाव किया, क्योंकि **भारतनेट प्रोजेक्ट 2.15 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों तक सफलतापूर्वक पहुंचा**। साथ ही, देश ने **1 बिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन का माइलस्टोन पार कर लिया**, जिससे ग्लोबल डिजिटल पावरहाउस के तौर पर उसकी जगह पक्की हो गई।

डिजिटल डिवाइड को पाटने के बारे में

यह क्या है?

"डिजिटल डिवाइड" का मतलब उन डेमोग्राफिक्स और इलाकों के बीच सोशियो-इकोनॉमिक गैप से है, जिनके पास मॉडर्न इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) का एक्सेस है और जिनके पास नहीं है। इस गैप को भरने की भारत की स्ट्रेटेजी तीन पिलर पर टिकी है:

- **यूनिवर्सल कनेक्टिविटी:** ऑप्टिकल फाइबर और 5G नेटवर्क का विस्तार।
- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI):** आधार और UPI जैसे फाउंडेशन का इस्तेमाल करना।
- **डिजिटल लिटरेसी:** नागरिकों को सोशियो-इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में मदद करना।

डेटा और सांख्यिकी:

- **ब्रॉडबैंड सर्ज:** नवंबर 2025 में सब्सक्रिप्शन **100 करोड़ (1 बिलियन) को पार कर जाएगा**, जो पिछले दशक की तुलना में छह गुना ज़्यादा है।
- **डेटा अफोर्डेबिलिटी:** लागत में **96% की गिरावट आई** है, जो 2014 में ₹269/GB से घटकर 2026 में लगभग **₹8-10/GB हो गई है**।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच:** 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर का डिप्लॉयमेंट **42.36 लाख रूट km तक पहुंच जाएगा**।
- **ग्रामीण साक्षरता:** PMGDISHA प्रोग्राम ने 2024 तक **6.39 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण लोगों को डिजिटल स्किल्स में ट्रेनिंग दी है**।

विभाजन को पाटने की आवश्यकता

- **सबको साथ लेकर चलने वाला शासन:** *अंत्योदय* (आखिरी व्यक्ति तक सेवा) के लिए डिजिटल एक्सेस ज़रूरी है। **आधार-इनेबल्ड DBT** यह पक्का करता है

कि सब्सिडी बिना किसी बिचौलिए की मदद के 143 करोड़ यूज़र्स तक पहुंचे।

- **फाइनेंशियल इन्क्लूजन:** UPI इकोसिस्टम अब **हर महीने ₹28.33 लाख करोड़ प्रोसेस करता है**, जिससे टियर-III शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल इकॉनमी में हिस्सा लेने का मौका मिलता है।
- **इक्यूटेबल एजुकेशन: DIKSHA और SWAYAM** जैसे प्लेटफॉर्म 18,000+ कोर्स होस्ट करते हैं, जिससे दूर-दराज के इलाकों के स्टूडेंट्स को IITs और IISc की एलीट फैकल्टी तक एक्सेस मिलता है।
- **किसान सशक्तिकरण: e-NAM प्लेटफॉर्म ने 1,522 मंडियों को जोड़ा है**, जिससे 1.79 करोड़ किसानों को बेहतर कीमत पाने और पारंपरिक कार्टेल से बचने में मदद मिली है।

की गई पहल

- **भारतनेट:** 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड फाइबर बैकबोन से जोड़ना।
- **PM-WANI:** लोकल दुकानों (पब्लिक डेटा ऑफिस) के ज़रिए **4 लाख+ Wi-Fi हॉटस्पॉट** लगाना ताकि "इंटरनेट शैडो" एरिया को कवर किया जा सके।
- **कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs): 6.5 लाख विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स (VLEs)** का एक नेटवर्क जो बुजुर्गों या नॉन-टेक सैवी लोगों को असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज़ देता है।
- **नमो ड्रोन दीदी:** महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) को खेती के ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देकर हाई-टेक को गांव की रोज़ी-रोटी के साथ मिलाना।
- **इंडियाAI मिशन:** ₹ **10,300 करोड़ की** पहल, जो सभी जिलों में स्टार्टअप को सब्सिडी वाली कंप्यूटिंग पावर और AI डेटासेट देगी।

संबंधित चुनौतियाँ

- **जेंडर गैप:** ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को अभी भी पर्सनल मोबाइल डिवाइस तक कम एक्सेस मिलता है; कई महिलाएं अपने पैसे या पढ़ाई-लिखाई के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करती हैं।
- **भाषा की रुकावटें:** हाई-वैल्यू कंटेंट अक्सर इंग्लिश में होता है। हालांकि **भाषिणी AI** टूल एक कदम आगे है, लेकिन लोकल बोलियों में डीप-टेक सर्टिफिकेशन अभी भी कम हैं।
- **लास्ट-माइल कालिटी:** उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी इलाकों में, फिजिकल फाइबर डैमेज की वजह से अक्सर पंचायत के "कनेक्टेड" होने के बावजूद लंबे समय तक बिजली गुल रहती है।

- **साइबर सिक्योरिटी रिस्क:** कम जानकारी की वजह से नए कनेक्टेड यूजर्स फ्रिशिंग और फ़ाइनेंशियल स्कैम के शिकार हो सकते हैं, जैसा कि जामताड़ा-स्टाइल फ़ॉड के बढ़ने से देखा जा सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **6G और सैटेलाइट इंटरनेट: "डार्क ज़ोन" में कनेक्टिविटी देने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट का इस्तेमाल करना**, जहाँ फ़ाइबर बिछाना ज्योग्राफ़िकल रूप से नामुमकिन है।
- **भाषिणी को मेनस्ट्रीम करना:** लिटरेसी की रुकावटों को खत्म करने के लिए सभी सरकारी एप्लीकेशन में रियल-टाइम वॉइस-टू-वॉइस ट्रांसलेशन को इंटीग्रेट करना।
- **डिजिटल स्किल्स 2.0:** अटल टिकरिंग लैब्स के ज़रिए स्कूल लेवल पर बेसिक इस्तेमाल से आगे बढ़कर AI, कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी सिखाना।
- **यूनिवर्सल डिवाइस एक्सेस:** हार्डवेयर की कमी को पूरा करने के लिए बहुत कम कीमत वाले, अच्छी क्वालिटी वाले स्मार्टफोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना।
- **इनक्लूसिव इनक्यूबेटर्स:** लोकल लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए Tier-II और Tier III शहरों में टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर्स (TBIs) बनाना।

निष्कर्ष

भारत का एक डिजिटल लीडर के तौर पर विकास यह दिखाता है कि जब मज़बूत पब्लिक इंफ़्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट हो तो टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी बराबरी लाने वाली चीज़ है। किफ़ायत को देसी इनोवेशन और साक्षरता के साथ जोड़कर, देश यह पक्का कर रहा है कि डिजिटल क्रांति सिर्फ़ शहरों तक सीमित न रहकर एक ज़मीनी आंदोलन बने।

ट्रान्साटलान्टिक एलायंस रिफ़्ट

प्रसंग

अमेरिका और यूरोप के बीच लंबे समय से चला आ रहा गठबंधन अब एक ऐतिहासिक टूटने के पॉइंट पर पहुँच गया है। **ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन के तहत**, यह रिश्ता एक जैसी वैल्यूज़ पर आधारित पार्टनरशिप से बदलकर बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन वाले और अक्सर दुश्मनी वाले "कम भरोसे वाले" माहौल में बदल गया है।

समाचार के बारे में

विश्वास का टूटना:

यह दरार अब सिर्फ़ टैक्टिकल असहमति के बारे में नहीं है, बल्कि एक बुनियादी स्ट्रेटेजिक मतभेद को दिखाती है। जहाँ US ने

"वेस्टर्न हेमिस्फ़ियर फ़र्स्ट" स्ट्रेटेजी की ओर रुख किया है, वहीं यूरोप खुद को तेज़ी से अलग-थलग पाता है क्योंकि उसे अपने पूर्वी हिस्से में अस्तित्व के लिए सुरक्षा के खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

दरार के मुख्य ट्रिगर:

- **"ग्रीनलैंड संकट" (Jan 2026):** एक ऐसे कदम में जिसने पूरे महाद्वीप को चौंका दिया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डेनमार्क पर **ग्रीनलैंड का कंट्रोल छोड़ने के लिए फिर से ज़ोरदार दबाव डाला**। डेनमार्क और उसके यूरोपियन सपोर्टर्स (जर्मनी, फ़्रांस, UK) के खिलाफ़ सज़ा देने वाले टैरिफ़ की धमकियों ने रिश्तों को बहुत बुरे हाल में पहुंचा दिया है।
- **NATO खर्च का अल्टीमेटम:** 2014 के "GDP का 2%" एग्रीमेंट से आगे बढ़ते हुए, ट्रंप ने पब्लिकली **5% टारगेट के बारे में सोचा है, यूरोपियन साथियों पर "फ़्रीराइडिंग" का आरोप लगाया है और आर्टिकल 5** (कलेक्टिव डिफेंस) के लिए US के कमिटमेंट पर सवाल उठाया है।
- **ट्रेड टैरिफ़:** फरवरी 2026 तक, US ने पहले से तय ट्रेड नियमों और पहले के समझौतों को नज़रअंदाज़ करते हुए EU से ज़्यादातर इंपोर्ट पर 15% और UK से **10% टैरिफ़ लगाया है**।

विवाद के प्रमुख क्षेत्र

विशेषता	अमेरिकी स्थिति (ट्रंप 2.0)	यूरोपीय स्थिति (EU/UK)
रक्षा	लेन-देन से जुड़ा; 5% तक GDP खर्च की मांग; अलग होने का खतरा।	"स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी" के समर्थक; NATO के अंदर धीरे-धीरे रीबैलेंसिंग को प्राथमिकता देते हैं।
जलवायु	पेरिस समझौते के लक्ष्यों को छोड़ना; फॉसिल फ्यूल बढ़ाने का समर्थन करना।	ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को लीड करता है; ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी को प्रायोरिटी देता है।
यूक्रेन	मदद में तेज़ी से कमी; ऐसी "डील" का समर्थन करता है जिससे हमलावर को फ़ायदा हो सकता है।	रूस को अस्तित्व के लिए खतरा मानता है; क्रीव के लिए लगातार मिलिट्री सपोर्ट चाहता है।

ईरान	मिलिट्री का बढ़ा हुआ रवैया; सहयोगी देशों (जैसे, स्पेन) पर ट्रेड बैन की धमकी।	डिप्लोमैटिक कंट्रोल पसंद है; इलाके में अस्थिरता और एनर्जी शॉक का डर है।
------	--	---

चुनौतियां

- **मल्टीलेटरलिज़्म का खत्म होना:** US ने हाल ही में **60 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन** और UN एंटीटी से खुद को अलग कर लिया है, जिससे लीडरशिप में एक खालीपन आ गया है जिसे चीन और रूस भरना चाहते हैं।
- **"डोनरो डॉक्ट्रिन":** वेस्टर्न हेमिस्फ़ियर पर US का नया फ़ोकस (डोनाल्ड ट्रंप और मोनरो डॉक्ट्रिन के नाम पर) यूरोपियन सिक्वोरिटी के बजाय रीजनल दबदबे को ज्यादा अहमियत देता है।
- **इकोनॉमिक फ़्रेगमेंटेशन:** डिफेंस प्रोक्योरमेंट में "यूरोपियन प्रेफरेंस" और US प्रोटेक्शनलिज़्म दो अलग-अलग, मुकाबला करने वाले इकोनॉमिक ब्लॉक बना रहे हैं।
- **विचारधारा की लड़ाई:** US के बड़े अधिकारियों ने यूरोप के नियमों और मूल्यों की खुलेआम आलोचना की है, और कभी-कभी यूरोप में दक्षिणपंथी "देशभक्त" पार्टियों का खुलकर समर्थन किया है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी:** यूरोप को एयरलिफ्ट, इंटेलिजेंस और कमांड स्ट्रक्चर सहित इंडिपेंडेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी बनाने के लिए अपनी "रेडीनेस 2030" पहल को तेज़ करना होगा।
- **अलग-अलग तरह की पार्टनरशिप:** EU, US मार्केट पर आर्थिक निर्भरता कम करने के लिए **EU-मर्कोसुर FTA (Jan 2026 में साइन किया गया) जैसे नए ट्रेड डील की ओर बढ़ रहा है।**
- **कानूनी "बैकस्टॉप":** यूरोपियन नेता यूक्रेन की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम (पोलैंड/रोमानिया में) का इस्तेमाल करने के लिए कानूनी तरीकों पर विचार कर रहे हैं, भले ही इसके लिए US बैकस्टॉप की गारंटी न हो।
- **एकजुट पुशबैक:** जैसा कि ग्रीनलैंड विवाद में देखा गया, यूरोपियन देशों की मिली-जुली कार्रवाई (जैसे बॉन्ड मार्केट में मिलकर जवाब) एकतरफ़ा US दबाव के खिलाफ़ एक असरदार तरीका साबित हुई है।

निष्कर्ष

ट्रांसअटलांटिक अलायंस WWII के खत्म होने के बाद से अपने सबसे बड़े बदलाव से गुज़र रहा है। यूरोप के लिए, "दबदबे का ज़माना" खत्म हो रहा है, और इसकी जगह **आत्मनिर्भरता की**

सख्त ज़रूरत ने ले ली है। हालांकि US एक अहम किरदार बना हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इस पार्टनरशिप में टकराव, ट्रेड वॉर और "कम भरोसे" वाली सच्चाई बनी रहने की संभावना है।

मासिक धर्म अवकाश नीति

प्रसंग

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने काम करने वाली महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए पूरे देश में ज़रूरी मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी की मांग वाली एक बार-बार आने वाली पिटीशन पर सुनवाई की। कोर्ट ने महिलाओं के सामने आने वाली बायोलॉजिकल चुनौतियों के लिए गहरी हमदर्दी दिखाई, लेकिन ज़रूरी मेंडेट बनाने में कोर्ट के दखल के खिलाफ अपना रुख बनाए रखा।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां

मना करने का कारण:

- **आर्थिक नुकसान: चीफ जस्टिस सूर्यकांत** की अगुवाई वाली बेंच ने चेतावनी दी कि पेड लीव के लिए कानूनी आदेश उल्टा पड़ सकता है। इसने कहा कि प्राइवेट कंपनियां महिलाओं को "ज़्यादा महंगी" या "कम उपलब्ध" नौकरी पर रख सकती हैं, जिससे उनके लंबे समय के करियर की संभावनाओं को नुकसान हो सकता है।
- **पुरानी सोच को मज़बूत करना:** कोर्ट ने कहा कि ऐसी छुट्टी को ज़रूरी बनाने से अनजाने में यह पुरानी सोच मज़बूत हो सकती है कि औरतें "कमज़ोर" काम करने वाली होती हैं या अपने पीरियड्स के दौरान शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं।
- **न्यायिक रोक:** कोर्ट ने कहा कि यह सरकार का पॉलिसी मामला है, ज्यूडिशियरी का नहीं। उसने केंद्र सरकार को **स्टेकहोल्डर्स से सलाह करने और एक "मॉडल पॉलिसी" तलाशने का निर्देश दिया, जिसे राज्य और कंपनियां अपना सकें।**

कोर्ट कोट: "जिस पल आप इसे कानून में ज़रूरी कर देंगे, कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देगा... उनका करियर खत्म हो जाएगा। वे कहेंगे कि सबको बताकर आपको घर बैठ जाना चाहिए।" — CJ।
सूर्यकांत

भारत में वर्तमान स्थिति

हालांकि कोई सेंट्रल कानून नहीं है, लेकिन अलग-अलग राज्यों और प्राइवेट कंपनियों ने अलग-अलग कदम उठाए हैं:

- **कर्नाटक :** सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में महिलाओं को हर महीने **एक दिन की पेड मेंस्ट्रुअल लीव** देने वाली एक अहम पॉलिसी को मंजूरी दी गई ।

- **ओडिशा: 1992 से** महिला सरकारी कर्मचारियों को खास तौर पर पीरियड्स हेल्थ के लिए हर साल **10 एक्स्ट्रा कैजुअल लीव दी जा रही हैं।**
- **बिहार: 1992 से सरकारी कर्मचारियों को** हर महीने **दो दिन की स्पेशल छुट्टी** मिलती है।
- **केरल:** 2023 में, राज्य ने सभी सरकारी यूनिवर्सिटी और इंस्टिट्यूटल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ITI) में स्टूडेंट्स को पीरियड्स की छुट्टी देने की इजाजत दी।
- **सिक्किम हाई कोर्ट ने** हाल ही में एक मेडिकल ऑफिसर की सिफारिश पर अपनी महिला कर्मचारियों के लिए महीने में 2-3 दिन की छुट्टी शुरू की है।

संवैधानिक लिंक: मासिक धर्म स्वच्छता (अनुच्छेद 21)

एक अलग लेकिन संबंधित ऐतिहासिक फैसले (**डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ, जनवरी 2026**) में, सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वच्छता को **मौलिक अधिकार का दर्जा दिया** :

- **गरिमा का अधिकार:** सैनिटरी प्रोडक्ट्स, काम करने वाले टॉयलेट्स और डिस्पोज़ल सिस्टम तक पहुंच को अब **जीवन के अधिकार (आर्टिकल 21) का एक ज़रूरी हिस्सा माना गया है।**
- **स्कूलों के लिए आदेश:** कोर्ट ने सभी स्कूलों (सरकारी और प्राइवेट) को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, जेंडर के हिसाब से अलग टॉयलेट और "मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट (MHM) कॉर्नर" देने का आदेश दिया।
- **असर:** यह पीरियड्स को "वेलफेयर" मुद्दे से बदलकर "राइट्स-बेस्ड" हक बना देता है, जिससे यह पक्का होता है कि लड़कियां सुविधाओं की कमी की वजह से स्कूल न छोड़ें।

आगे का रास्ता: सुझाए गए समाधान

सख्त कानूनी आदेश के बजाय, कोर्ट और एक्सपर्ट्स एक "बैलेंस्ड अप्रोच" का सुझाव देते हैं:

1. **फ्लेक्सिबिलिटी:** "पीरियड डेज़" के दौरान **वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) ऑप्शन और फ्लेक्सिबल शिफ्ट** को बढ़ावा देना।
2. **अपनी मर्जी से अपनाना:** प्राइवेट सेक्टर को बिना किसी कानूनी मजबूरी के टैलेंट को अट्रैक्ट करने और बनाए रखने के लिए "पीरियड पर्स" देने के लिए बढ़ावा देना।
3. **इंफ्रास्ट्रक्चर:** सभी पब्लिक और एजुकेशनल जगहों पर सैनिटरी सुविधाओं के लिए 2026 की गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करना।
4. **स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन:** केंद्र सरकार से उम्मीद है कि वह एक "नेशनल मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी" बनाएगी ताकि राज्यों को फॉलो करने के लिए एक ब्लूप्रिंट मिल सके।

निष्कर्ष

इस बहस से एक उलझन सामने आती है: पीरियड्स एक बायोलॉजिकल सच्चाई है जिसके लिए एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन एक कानूनी आदेश से महिलाओं के रोज़गार पर "बायोलॉजिकल टैक्स" लगने का खतरा है। आगे का रास्ता सिर्फ कानूनी छुट्टी के बजाय **जागरूकता और इंफ्रास्ट्रक्चर में है।**

पश्चिमी ट्रेगोपैन

प्रसंग

वेस्टर्न ट्रेगोपैन, जिसे "**पक्षियों का राजा**" माना जाता है, **पश्चिमी हिमालय** में इसकी घटती आबादी और रहने की जगह के बंटवारे को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण सुर्खियों में आ गया है।

पश्चिमी ट्रेगोपैन के बारे में

यह क्या है?

वेस्टर्न ट्रेगोपैन (*ट्रेगोपैन मेलानोसेफालस*) दुनिया की सबसे दुर्लभ तीतर प्रजातियों में से एक है। स्थानीय लोककथाओं में गहराई से बसा हुआ, यह **हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है** और स्थानीय रूप से इसे **जुजुराना के नाम से जाना जाता है**, जिसका मतलब है "पक्षियों का राजा।"

आवास और वितरण:

- **लोकेशन:** यह पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है।
- **ऊंचाई: 2,400 और 3,600 मीटर** के बीच ऊंचाई वाले टेम्परेट और सबअल्पाइन जंगल हैं।
- **पेड़-पौधे:** घोंसला बनाने और छिपने के लिए बहुत घनी झाड़ियों (जैसे बांस और रोडोडेंड्रोन) वाली जगहों को पसंद करते हैं।
- **गढ़:** मुख्य आबादी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (GHNPP), दारनघाटी वाइल्डलाइफ सैक्चुररी और रूपी भाभा वाइल्डलाइफ सैक्चुररी में पाई जाती है।

मुख्य विशेषताएँ

- **संरक्षण स्थिति:** * IUCN लाल सूची: सुभेद्य।
 - **जनसंख्या:** बहुत बिखरी हुई, दुनिया भर में सिर्फ **2,500-3,500 लोग होने का अनुमान है।**
- **आकर्षक रूप:** नर अपने शानदार पंखों, सफेद "मोती" जैसे धब्बों वाले गहरे पंखों, लाल गर्दन और चमकीले नीले गले के लिए मशहूर हैं।
- **"सींग वाला" तीतर:** ब्रीडिंग के मौसम (मई-जून) में, नर तीतर अपने साथी को अट्रैक्ट करने के लिए दो मांसल, **बिजली जैसे नीले सींग** और एक रंगीन लैपेट दिखाते हैं।

- **छिपने वाला व्यवहार:** ये बहुत शर्मीले और छिपकर रहने वाले होते हैं; इन्हें खुले में बहुत कम देखा जाता है, ये घने जंगल में चुपचाप घूमना पसंद करते हैं।
- **घोंसला बनाना:** कई अन्य तीतरों के विपरीत, वे कभी-कभी पेड़ों या अन्य पक्षियों के परित्यक्त घोंसलों में घोंसला बनाते हैं, आमतौर पर **3-6 अंडे देते हैं**।

महत्व

- **इकोसिस्टम इंडिकेटर:** एक सेंसिटिव स्पीशीज़ होने के नाते, इसका होना या न होना हिमालय के टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम की हेल्थ का एक ज़रूरी इंडिकेटर है।
- **कल्चरल आइकॉन:** "पक्षियों का राजा" होने की वजह से यह हिमाचल प्रदेश में कम्युनिटी के संरक्षण की कोशिशों के लिए एक खास प्रजाति है।

अस्तित्व की चुनौतियाँ

- **हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन:** इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि सड़कें और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स, इन पक्षियों के लिए ज़रूरी लगातार जंगल को तोड़ देते हैं।
- **इंसानों की वजह से दबाव:** दवा वाली जड़ी-बूटियों (जैसे *मोर्चला मशरूम*) को इकट्ठा करने और पक्षियों के ब्रीडिंग के ज़रूरी मौसम में जानवरों के चरने से होने वाली परेशानी।
- **क्लाइमेट चेंज:** बढ़ते तापमान की वजह से पेड़ों की लाइन ऊपर की ओर खिसक रही है, जिससे इन जानवरों के लिए मौजूद सबअल्पाइन हैबिटेट शायद कम हो सकता है।
- **शिकार:** अंडे और चूजे कुदरती शिकारियों के लिए कमज़ोर होते हैं, यह खतरा उनकी आबादी के छोटे और बिखरे होने की वजह से और बढ़ जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कंजर्वेशन ब्रीडिंग:** हिमाचल प्रदेश में सराहन फीजेंट्री में सफल कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करें और बढ़ाएं ताकि जंगली जानवरों की आबादी को बढ़ाया जा सके।
- **कम्युनिटी के नेतृत्व में सुरक्षा:** लोकल "जुजुराना गार्डियन" को बढ़ावा दें कि वे घोंसलों पर नज़र रखें और मई और जून के पीक ब्रीडिंग महीनों में गड़बड़ी को रोकें।
- **हैबिटेट कॉरिडोर:** अलग-अलग जगहों को जोड़ने के लिए सुरक्षित जंगल के कॉरिडोर बनाएं, जिससे अलग-अलग ग्रुप के बीच जेनेटिक एक्सचेंज हो सके।

- **इको-टूरिज़्म रेगुलेशन:** नेस्टिंग सीजन के दौरान ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के कोर ज़ोन में ट्रेकिंग और हर्ब कलेक्शन को सख्ती से रेगुलेट करें।

निष्कर्ष

वेस्टर्न ट्रेगोपैन का ज़िंदा रहना, हिमालय के साफ़-सुथरे जंगल के बचे रहने जैसा ही है। "जुजुराना" को बचाने के लिए, ऊंचाई पर डेवलपमेंट और घने, शांत जंगलों को बचाने के बीच एक नाज़ुक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, जिन्हें यह "राजा" अपना घर कहता है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी)

प्रसंग

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, **NMDC लिमिटेड ने एक ही साल में 50 मिलियन टन (MT) आयरन ओर के** प्रोडक्शन का माइलस्टोन पार करने वाली भारत की पहली माइनिंग कंपनी बनकर इतिहास रच दिया। यह अचीवमेंट भारत की एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री के टाइटन के तौर पर इसकी भूमिका को दिखाता है।

एनएमडीसी के बारे में

यह क्या है?

NMDC लिमिटेड एक **नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (CPSE) है जो मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टील** के एडमिनिस्ट्रिटिव कंट्रोल में काम करता है। अपनी शुरुआत से ही, यह भारत का सबसे बड़ा आयरन ओर प्रोड्यूसर बन गया है।

- **स्थापना:** 1958
- **मुख्यालय:** हैदराबाद, तेलंगाना
- **स्टेटस:** भारत की मिनरल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल सेल्फ-रिलायंस के लिए एक ज़रूरी स्ट्रेटेजिक एसेट।

उद्देश्य:

- वर्ल्ड-क्लास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिनरल रिसोर्स को खोजना और उनका सस्टेनेबल इस्तेमाल करना।
- घरेलू स्टील इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल की लगातार सप्लाई बनाए रखना।
- भारत की **नेशनल स्टील पॉलिसी के लिए एक मुख्य ड्राइवर के तौर पर काम करना, जिसका टारगेट 2030 तक 300 MT** की प्रोडक्शन कैपेसिटी हासिल करना है।

प्रमुख कार्य और संचालन

- **आयरन ओर प्रोडक्शन:** यह ज़्यादा मशीन वाली खदानें चलाता है, खासकर **बैलाडीला सेक्टर (छत्तीसगढ़)** और **डोनीमलाई (कर्नाटक)** में।

- **डायमंड माइनिंग: पन्ना, मध्य प्रदेश** में मौजूद भारत की एकमात्र मैकेनाइज्ड डायमंड माइन का मालिक और संचालक ।
- **ग्लोबल रिसर्च: हैदराबाद में एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट R&D सेंटर चलाता है, जिसे यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (UNIDO) ने "सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस" के तौर पर मान्यता दी है ।**
- **सस्टेनेबल माइनिंग:** इको-फ्रेंडली माइनिंग तकनीक और सख्त एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम (EMS) को लागू करता है ताकि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को कम किया जा सके।
- **सामाजिक प्रभाव:** छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के दूर-दराज के आदिवासी इलाकों में शिक्षा, हेल्थकेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने वाले बड़े CSR प्रोग्राम।

महत्व

- **इंडस्ट्रियल बैंकबोन:** भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल सप्लाई करता है।
- **स्ट्रेटिजिक सिक्वोरिटी:** घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाकर, NMDC दुनिया भर में आयरन ओर की अस्थिर कीमतों से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाता है और इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करता है।
- **आर्थिक योगदान देने वाला:** एक हाई-परफॉर्मिंग नवरत्न के तौर पर, यह रॉयल्टी, टैक्स और डिविडेंड के ज़रिए देश के खजाने में बड़ा योगदान देता है।

खनन क्षेत्र में चुनौतियाँ

- **एनवायरनमेंटल मंजूरी:** तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ाने और जंगल और एनवायरनमेंट के कड़े नियमों के बीच बैलेंस बनाना एक मुश्किल रुकावट बनी हुई है।
- **लॉजिस्टिक दिक्कतें:** 50 MT+ अयस्क निकालने के लिए रेलवे रेक और स्लरी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े अपग्रेड की ज़रूरत है।
- **ग्लोबल प्राइस में उतार-चढ़ाव:** इंटरनेशनल स्टील की डिमांड में उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरेलू आयरन ओर के वैल्यूएशन और ऑफ-टेक पर पड़ता है।
- **ज़मीन का अधिग्रहण:** माइनिंग लीज़ को बढ़ाने में अक्सर संवेदनशील सामाजिक-आर्थिक हालात और मुआवज़े के तौर पर पेड़ लगाने की ज़रूरतों को समझना शामिल होता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन:** सुरक्षा और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए IoT, AI-ड्रिवन एक्सप्लोरेशन और ऑटोनाॅमस

मशीनरी का इस्तेमाल करके "स्मार्ट माइनिंग" लागू करना।

- **वैल्यू एडिशन:** पेलेटाइज़ेशन प्लांट और स्टील मैन्युफैक्चरिंग (जैसे, नगरनार स्टील प्लांट) में इन्वेस्ट करके कच्चे अयस्क निकालने से आगे बढ़ना।
- **इंटरनेशनल लेवल पर कोशिशें: ग्रीन एनर्जी मिनरल्स पाने के लिए KABIL** (खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड) के ज़रिए विदेशों में स्ट्रेटिजिक मिनरल एसेट्स (जैसे लिथियम और कोबाल्ट) की तलाश।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना:** अयस्क की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए "लाइनों को दोगुना करना" और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को मजबूत करना।

निष्कर्ष

NMDC का रिकॉर्ड तोड़ 50 MT प्रोडक्शन सिर्फ़ एक नंबर का माइलस्टोन नहीं है; यह भारत की बढ़ती इंडस्ट्रियल चाहत और काबिलियत का सबूत है। जैसे-जैसे देश \$5 ट्रिलियन की इकॉनमी की ओर बढ़ रहा है, NMDC का सस्टेनेबल और एफिशिएंट कामकाज एक सेल्फ-रिलायंट ("आत्मनिर्भर") स्टील सेक्टर बनाने के लिए ज़रूरी बना रहेगा।

प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

प्रसंग

प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम अपने चौथे सफल साल में पहुँच गया है, जिसकी पहचान राजस्थान के कंज़र्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में दो नए चूज़ों के अंडे से निकलने से हुई। यह मील का पत्थर कंज़र्वेशन स्ट्रेटिजी के "सॉफ्ट रिलीज़" फ्रेज़ में प्रोग्रेस का संकेत देता है।

परियोजना के बारे में

यह क्या है?

कैप्टिव ब्रीडिंग की पहल GIB के खत्म होने के खिलाफ एक ज़रूरी "बायोलॉजिकल इश्योरेंस पॉलिसी" का काम करती है। यह **मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज (MoEFCC)**, **राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट** और **वाइल्डलाइफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया (WII)** के बीच मिलकर किया गया एक काम है।

- **लॉन्च किया गया:** बड़े प्रोजेक्ट GIB को राजस्थान सरकार ने **2013 में शुरू किया था**, जिसमें डेडिकेटेड ब्रीडिंग सुविधाएं **2019 और 2022 के बीच पूरी तरह से चालू हो जाएंगी**।
- **मकसद:** एक सेल्फ-सस्टेनिंग कैप्टिव पॉपुलेशन बनाना और आखिर में पक्षियों को जंगल में वापस लाना ताकि उनकी घटती संख्या को स्टेबल किया जा सके।

प्रमुख विशेषताएं:

- **साइटिफिक ब्रीडिंग:** जेनेटिक डाइवर्सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए नेचुरल मेटिंग और एडवांस्ड आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन दोनों का इस्तेमाल करता है।
- **एक्स-सीटू और इन-सीटू इंटिग्रेसन:** इसमें कंट्रोल्ड ब्रीडिंग (एक्स-सीटू) को नेचुरल घास के मैदानों (इन-सीटू) की सुरक्षा के साथ मिलाया जाता है।
- **सॉफ्ट रिलीज़ स्ट्रैटेजी:** एक धीरे-धीरे बदलाव जिसमें कैद में पाले गए पक्षियों को पूरी तरह छोड़ने से पहले सुरक्षित बाड़ों में जंगल में रहने के लिए तैयार किया जाता है।
- **इंटरनेशनल सपोर्ट: इंटरनेशनल फंड फॉर हौबारा कंज़र्वेशन (अबू धाबी)** के साथ टेक्निकल सहयोग।

प्रजाति प्रोफ़ाइल: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)

घास के मैदानों का "फ्लैगशिप":

GIB एक शानदार, ज़मीन पर रहने वाला पक्षी है और **राजस्थान का ऑफिशियल स्टेट बर्ड** है (जिसे लोकल लोग *गोडावन कहते हैं*)। एक "अम्ब्रेला स्पीशीज़" के तौर पर, इसकी सुरक्षा अपने आप पूरे घास के मैदान के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखती है।

संरक्षण की स्थिति:

- **IUCN रेड लिस्ट:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972):** अनुसूची I (उच्चतम संरक्षण)।
- **CITES:** परिशिष्ट I।

आवास और वितरण:

- **रहने की जगह:** सूखे, खुले घास के मैदान और झाड़ियों वाली ज़मीन पसंद करता है; सिंचाई वाले या घने जंगल वाले इलाकों से दूर रहता है।
- **डिस्ट्रीब्यूशन:** पहले यह पूरे भारत में पाया जाता था, लेकिन अब यह राजस्थान (डेज़र्ट नेशनल पार्क), गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है।
- **कंसंट्रेशन:** राजस्थान में बाकी जंगली जानवरों की 90% से ज़्यादा आबादी है।

मुख्य विशेषताएं:

- **शारीरिक बनावट:** दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक, लगभग **1 मीटर लंबा**, एक अलग काले मुकुट और पीली गर्दन के साथ।
- **बायोलॉजी:** यह सब खाने वाला (कीड़े, चूहे, बीज) और धीरे-धीरे बच्चे पैदा करने वाला होता है, जो आम तौर

पर साल में सिर्फ **एक अंडा देता है**, जिससे आबादी को वापस लाना अपने आप मुश्किल हो जाता है।

अस्तित्व की चुनौतियाँ

- **पावर लाइन से करंट लगना:** राजस्थान और गुजरात में हाई-वोल्टेज ओवरहेड पावर लाइनें GIB के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, क्योंकि सामने से देखने में दिक्कत होती है।
- **हैबिटेट लॉस:** "बंजर ज़मीन" (घास के मैदान) को खेती की ज़मीन या रिन्यूएबल एनर्जी पार्क (सोलर/विंड) में बदलना।
- **शिकार:** अंडे और चूजे खुले में घूमने वाले कुत्तों और कौओं के लिए बहुत खतरनाक होते हैं।
- **धीमा रिप्रोडक्शन:** उनके "हर साल एक अंडा" साइकिल का मतलब है कि एक भी एडल्ट की मौत पूरी आबादी पर बड़ा असर डालती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **अंडरग्राउंड केबलिंग:** सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक "प्रायोरिटी एरिया" में ओवरहेड पावर लाइनों को अंडरग्राउंड केबल में बदलने के काम में तेज़ी लाएं।
- **हैबिटेट रेस्टोरेशन:** ज़्यादा "क्रिटिकल वाइल्डलाइफ़ हैबिटेट" घोषित करें और मौजूदा घास के मैदानों से इनवेसिव स्पीशीज़ को हटा दें।
- **कम्युनिटी की देखरेख:** शिकार और घोंसलों में गड़बड़ी को रोकने के लिए राजस्थान में लोकल कम्युनिटी को "बस्टर्ड गार्ड्स" के तौर पर शामिल करें।
- **जेनेटिक मैनेजमेंट:** पक्का करें कि कैप्टिव ब्रीडिंग पूल में ज़्यादा जेनेटिक वेरिएंस बना रहे, ताकि रीइंट्रोडक्शन के दौरान इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोका जा सके।

निष्कर्ष

कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम की सफलता, खत्म होने की कगार पर खड़ी एक स्पीशीज़ के लिए उम्मीद की एक किरण दिखाती है। हालांकि, कैप्टिव ब्रीडिंग तो बस आधी लड़ाई है; ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आखिरी वजूद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन बड़े, खुले घास के मैदानों को बचा पाते हैं और उन्हें ठीक कर पाते हैं, जिन्हें वे अपना घर कहते हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026

प्रसंग

केंद्र सरकार ने लोकसभा में **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 2019 में बदलाव करने के लिए एक बिल पेश किया**। इस बदलाव का मकसद "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" शब्द को

फिर से परिभाषित करना है और खुद की पहचान के अधिकार को हटाकर कानूनी जेंडर पहचान की प्रक्रिया में काफी बदलाव करना है।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड: ओरिजिनल 2019 एक्ट सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क **NALSA बनाम यूनिन ऑफ़ इंडिया (2014) के फैसले के बाद लागू किया गया था, जिसने ट्रांसजेंडर लोगों को "थर्ड जेंडर" के तौर पर मान्यता दी और आर्टिकल 21 के तहत जेंडर आइडेंटिटी के सेल्फ-डिटरमिनेशन के अधिकार को कन्फर्म किया।**

मुख्य प्रस्तावित परिवर्तन:

- **स्व-पहचान को हटाना:** धारा 4(2) को हटाना, जो पहले किसी व्यक्ति को स्वयं द्वारा निर्धारित लिंग पहचान के अधिकार को मान्यता देता था।
- **छोटी परिभाषा:** बिल "ट्रांसजेंडर" को खास सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (हिजड़ा, किन्नर, अरावनी, वगैरह), इंटरसेक्स अलग-अलग तरह के लोगों और जन्मजात बायोलॉजिकल अलग-अलग तरह के लोगों तक सीमित करता है। यह सिर्फ जेंडर के आधार पर पहचान करने वालों को साफ़ तौर पर बाहर रखता है।
- **मेडिकल बोर्ड की शुरुआत:** जेंडर सर्टिफिकेशन मामलों को वेरिफाई करने के लिए **चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO)** की अगुवाई में एक मेडिकल अथॉरिटी बनाना।
- **ज़रूरी बदलाव: सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी (SRS)** करवाने वाले लोगों को अब बदले हुए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा; अस्पतालों के लिए इन प्रोसीजर की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना ज़रूरी है।
- **क्रिमिनल प्रोविज़न: ज़बरदस्ती मज़दूरी, पब्लिक जगहों पर जाने से रोकना, और घरों से निकालना जैसे अपराधों को बढ़ाना, जिसमें ₹5 लाख तक का जुर्माना और अलग-अलग जेल की सज़ा शामिल है।**

संवैधानिक एवं कानूनी ढांचा

- **आर्टिकल 14 और 15:** कानून के सामने बराबरी की गारंटी देता है और लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है (इसका मतलब जेंडर आइडेंटिटी भी है)।
- **आर्टिकल 21:** इसमें इज्जत और प्राइवैसी का अधिकार शामिल है, जिसे ज्यूडिशियरी ने अपनी पहचान चुनने के अधिकार से जोड़ा है।

न्यायिक मिसालें:

- **NALSA बनाम यूनिन ऑफ़ इंडिया (2014):** फैसला सुनाया गया कि कानूनी पहचान के लिए SRS या

मेडिकल ट्रांज़िशन पर कोई भी ज़ोर देना अनैतिक और गैर-कानूनी है।

- **जस्टिस केएस पुट्टास्वामी बनाम यूनिन ऑफ़ इंडिया (2017):** इस बात पर ज़ोर दिया गया कि जेंडर आइडेंटिटी प्राइवैसी के फंडामेंटल राइट का एक मुख्य पहलू है।

सशक्तिकरण के लिए पहल

- **SMILE स्कीम:** SRS के लिए पूरी तरह से रिहैबिलिटेशन, रोज़ी-रोटी का सपोर्ट और मेडिकल कवर देती है।
- **ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नेशनल पोर्टल:** ब्यूरोक्रेट्स के साथ फिजिकल इंटरफेस के बिना ID कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए एक डिजिटल इंटरफेस।
- **गरिमा गृह:** सरकार से पैसे लेकर चलने वाले शेल्टर होम जो सुरक्षित जगह, खाना और वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट देते हैं।
- **सबको साथ लेकर चलने वाली शिक्षा:** NCERT टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल, शिक्षकों को जेंडर डायवर्सिटी के बारे में जागरूक करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

चुनौतियां

- **शारीरिक आज्ञादी का उल्लंघन:** मेडिकल बोर्ड की ज़रूरत लोगों को इनवेसिव फिजिकल जांच के लिए मजबूर करती है, जो 2019 से पहले के उत्पीड़न जैसा है।
- **पहले के उदाहरणों से टकराव:** ऐसा लगता है कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा NALSA मामले में सेल्फ-डिटरमिनेशन के संबंध में दी गई सुरक्षा को खत्म कर देगा।
- **पहचान मिटाना:** "जन्मजात अंतर" पर ध्यान देने से, बिल में उन जेंडर-क्रूर लोगों को बाहर करने का खतरा है जो पारंपरिक सामाजिक-सांस्कृतिक दायरे में फिट नहीं होते।
- **ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें:** डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मेडिकल मदद लेने के लिए अपनी मर्जी का अधिकार देने से अक्सर डॉक्यूमेंटेशन में बहुत देर हो जाती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **NALSA का पालन:** खुद की पहचान के अधिकार को फिर से शामिल करें ताकि यह पक्का हो सके कि बिल संवैधानिक वैधता के मामले में न्यायिक जांच में टिक सके।
- **कम्युनिटी कंसल्टेशन:** अलग-अलग ट्रांस ग्रुप्स के साथ पूरे देश में टाउन हॉल ऑर्गनाइज़ करें ताकि यह पक्का

हो सके कि कानून क्लिनिकल डेफिनिशन के बजाय लोगों के अनुभवों को दिखाए।

- **अधिकारियों को जागरूक करना:** अगर मेडिकल बोर्ड बनाए रखे जाते हैं, तो उन्हें ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों और साइकोलॉजिस्ट को शामिल करना चाहिए ताकि वे सिर्फ सर्जिकल नज़रिए से दूर रहें।
- **हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन:** सिस्टमिक सोशियो-इकोनॉमिक भेदभाव को दूर करने के लिए नौकरियों और शिक्षा में रिज़र्वेशन देने पर ध्यान दें।

निष्कर्ष

2026 का अमेंडमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन और फंडामेंटल राइट्स के बीच टेंशन को दिखाता है। हालांकि इसका मकसद 2019 के फ्रेमवर्क को बेहतर बनाना है, लेकिन इससे पहचान को पैथोलॉजिकल बनाने और ऑटोनॉमी छीनने का खतरा है। कानून को सच में प्रोटेक्टिव बनाने के लिए, इसे मेडिकल गेटकीपिंग के बजाय **डिग्रीटी और सेल्फ-डिटरमिनेशन पर आधारित होना चाहिए।**

भारत की पड़ोस कूटनीति और पश्चिम एशिया संकट

प्रसंग

2026 की शुरुआत में, वेस्ट एशिया में बढ़ते संघर्ष ने ग्लोबल इकॉनमी में शॉकवेव्स भेजीं, जिसका असर खास तौर पर साउथ एशिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ा। एक सेल्फ-डेसिग्रेटेड **नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर**, भारत को अपनी एनर्जी ज़रूरतों को मैनेज करने के साथ-साथ अपने पड़ोसियों को स्थिर करने और एक रीजनल ह्यूमनिटेरियन और स्ट्रेटेजिक संकट को रोकने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

चुनौती: साझा कमज़ोरियाँ

एनर्जी में रुकावट: श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई देश, जो स्टेबल एनर्जी कॉरिडोर पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। पश्चिम एशिया संकट की वजह से सप्लाई चेन में रुकावट आई है और कीमतें बढ़ी हैं, जिससे इन अर्थव्यवस्थाओं की महामारी के बाद की नाजुक रिकवरी पर खतरा मंडरा रहा है।

माइग्रेंट फैक्टर: लाखों साउथ एशियाई प्रवासी (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से) वेस्ट एशियाई देशों में काम करते हैं।

- **रेमिटेंस:** वापस लौटने वाले माइग्रेंट्स का अचानक आना या रेमिटेंस में कमी से नेशनल बजट अस्थिर हो सकता है।
- **इवैक्युएशन:** भारत अक्सर "ऑपरेशन" **स्टाइल इवैक्युएशन (जैसे ऑपरेशन गंगा या अजय)** में लीड करता है, और पड़ोसी ऐसे संकट के समय भारत की लॉजिस्टिक ताकत पर भरोसा करते हैं।

रणनीतिक चिंताएँ: "चीन फैक्टर"

भारत कई पड़ोसियों के साथ "अशांत बदलावों" के दौर से गुज़र रहा है:

- **राजनीतिक बदलाव: बांग्लादेश और मालदीव** में बदलती लीडरशिप ने पारंपरिक डिप्लोमैटिक रिश्तों की परीक्षा ली है।
- **वैक्यूम:** अगर भारत एनर्जी क्रेडिट, फूड सिक्योरिटी, या समुद्री सुरक्षा देने में नाकाम रहता है, तो **चीन** ज़्यादा ब्याज वाले फ़ाइनेंशियल लेवरेज और इंफ़्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देने की स्थिति में है।
- **स्ट्रेटेजिक घेरा:** चीन का यह "खालीपन भरना" भारत के अपने ही इलाके में असर के लिए सीधा खतरा है, जिसे अक्सर "स्ट्रिंग ऑफ़ पर्स" स्ट्रेटेजी कहा जाता है।

आधारभूत ढांचे

1. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी: अपने करीबी पड़ोसियों तक पहुंच, रिसोर्स और इमोशनल कनेक्टिविटी देने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटी।

2. गुजराल सिद्धांत (1996): पूर्व PM आई.के. गुजराल के नाम पर, यह सिद्धांत बताता है कि भारत, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और शक्ति के रूप में, अपने पड़ोसियों को "**नॉन-रेसिप्रोकल**" शर्तों पर देना चाहिए, जिसका अर्थ है कि भारत हर एहसान के बदले में जैसे को तैसा बदले की उम्मीद नहीं करता है, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली सद्भावना और स्थिरता चाहता है।

आगे का रास्ता: "बिग ब्रदर" से "लीड पार्टनर" तक

- **सबको साथ लेकर चलने वाली डिप्लोमेसी:** भारत को "बिग ब्रदर" (गुंडा माना जाने वाला) की इमेज छोड़नी होगी और एक सपोर्टिव "लीड पार्टनर" की भूमिका अपनानी होगी।
- **एनर्जी इंटीग्रेशन: भूटान और नेपाल** के साथ इस्तेमाल किए गए मॉडल को बढ़ाना, जहाँ भारत हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम में इन्वेस्ट करता है जो बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे भारतीय राज्यों और दूसरे पड़ोसियों को क्लीन एनर्जी देते हैं।
- **रीजनल ग्रिड:** साउथ एशियन पावर ग्रिड को जोड़ने के लिए "वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड" (OSOWOG) पहल को तेज़ करना, ताकि कलेक्टिव एनर्जी रेजिलिएंस पक्का हो सके।
- **इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट:** वेस्ट एशिया से होने वाली महंगाई के दौरान पड़ोसियों को "कर्ज़ के जाल" में फंसने से बचाने के लिए करेंसी स्वेप एग्रीमेंट और क्रेडिट लाइन देना।

निष्कर्ष

गुजराल डॉक्ट्रिन के सिद्धांतों को मानकर और अपने पड़ोसियों की एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता देकर, भारत संकट के समय को रीजनल इंटीग्रेशन के मौके में बदल सकता है। सफलता यह पक्का करेगी कि साउथ एशिया बाहरी ताकतों के लिए खेल का मैदान होने के बजाय "इंडियन-सेंट्रिक" असर वाला इलाका बना रहे।

अप्रत्याशित घटना

प्रसंग

2026 की शुरुआत में, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में काफी उतार-चढ़ाव आया क्योंकि कतर, कुवैत और बहरीन जैसे बड़े गल्फ प्रोड्यूसर्स ने ऑफिशियली "फोर्स मेज्योर" क्लॉज़ लागू कर दिए। इस कदम की वजह से कई लंबे समय के तेल और गैस सप्लाई एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इस इलाके में ईरान-इज़राइल के बढ़ते झगड़े से लॉजिस्टिक दिक्कतों और सिक्योरिटी रिस्क का हवाला दिया गया।

फ़ोर्स मेज्योर के बारे में

परिभाषा: फ्रेंच में इसका मतलब "बेहतर ताकत" होता है, फ़ोर्स मेज्योर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल एक स्टैंडर्ड कानूनी क्लॉज़ है। यह किसी पार्टी को अपने कॉन्ट्रैक्ट की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने से छूट देता है, जब कोई बहुत बड़ी घटना या हालात उनके कंट्रोल से बाहर हों और उन्हें ऐसा करने से रोक दें।

इन्वोकेशन के लिए मुख्य क्राइटेरिया:

- एक्सटर्नैलिटी:** घटना किसी बाहरी सोर्स की वजह से होनी चाहिए, न कि राहत मांगने वाली पार्टी की वजह से।
- अनहोनी:** कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय घटना का ठीक से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था।
- जिसे रोका न जा सके:** घटना के नतीजे ऐसे होने चाहिए जिन्हें टाला न जा सके, जिससे परफॉर्मंस फिजिकली या कानूनी तौर पर नामुमकिन हो जाए।

आम "एक्ट्स ऑफ़ गॉड" और इंसानी घटनाएँ:

- प्राकृतिक:** भूकंप, बाढ़, सुनामी और महामारी (जैसे, COVID-19)।
- राजनीतिक/सामाजिक:** युद्ध, दंगे, हड़ताल, या सरकारी नीति/कानून में अचानक बदलाव।

कानूनी ढांचा

- कॉन्ट्रैक्ट का आधार:** कुछ कानूनी सिद्धांतों के उलट, फ़ोर्स मेज्योर आमतौर पर "इंप्लाइड" नहीं होता है। इसे लागू करने लायक बनाने के लिए इसे खास तौर पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाना चाहिए।
- फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत:** भारत जैसे देशों में (इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 का सेक्शन 56), अगर कोई

कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना नामुमकिन हो जाता है और कोई फोर्स मेज्योर क्लॉज़ नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट को "फ्रस्ट्रेटेड" और अमान्य घोषित किया जा सकता है।

- सबूत का बोझ:** क्लॉज़ का इस्तेमाल करने वाली पार्टी को यह साबित करना होगा कि उन्होंने घटना के असर को कम करने के लिए सही कदम उठाए, लेकिन फिर भी वे एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर सके।

आवेदन में चुनौतियाँ

- मतलब निकालने पर झगड़े:** साफ़ शब्दों का इस्तेमाल (जैसे, "कंट्रोल से बाहर कोई और वजह") अक्सर इस बात पर केस की वजह बनता है कि कोई घटना सच में क्वालिफ़ाई करती है या नहीं।
- आर्थिक मुश्किल बनाम नामुमकिन:** कोर्ट आम तौर पर यह फैसला देते हैं कि सिर्फ़ खर्च बढ़ना या "खराब सौदा" फ़ोर्स मेज्योर नहीं होता; काम सच में नामुमकिन होना चाहिए।
- चेन रिएक्शन:** जब कोई प्राइमरी सप्लायर (जैसे कोई खाड़ी देश) इस क्लॉज़ का इस्तेमाल करता है, तो इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में "डोमिनो इफ़ेक्ट" शुरू हो जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर आर्थिक दिक्कतें आती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- सटीक ड्राफ़्टिंग:** भविष्य के इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट में क्षेत्रीय झगड़ों और साइबर-वॉरफेयर के बारे में ज़्यादा खास भाषा शामिल होने की संभावना है।
- अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन (ADR):** फ़ोर्स मेज्योर घटनाओं से होने वाले दावों को निपटाने के लिए लंबी मुकदमेबाजी के बजाय मध्यस्थता को बढ़ावा देना।
- डाइवर्सिफिकेशन:** एनर्जी इंपोर्ट करने वाले देशों को सप्लाई के रास्तों और सोर्स में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए ताकि जब कोई खास इलाका इन क्लॉज़ को लागू करे तो असर कम हो सके।

निष्कर्ष

फ़ोर्स मेज्योर एक ज़रूरी "लीगल एस्केप वाल्व" की तरह काम करता है, जिससे यह पक्का होता है कि पार्टियों को उन घटनाओं के लिए गलत सज़ा न मिले जो सच में इंसानी दखल से बाहर हैं। हालांकि, एनर्जी सेक्टर में हाल ही में इसका बार-बार इस्तेमाल जियोपॉलिटिकल अस्थिरता और क्लाइमेट से होने वाली आपदाओं के दौर में ग्लोबल ट्रेड की बढ़ती कमज़ोरी को दिखाता है।

दो लिंग वाले केकड़े की खोज

प्रसंग

एक दुर्लभ बायोलॉजिकल खोज में, रिसर्चर्स ने केरल के वेस्टर्न घाट में बसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क में एक अनोखे मीठे

पानी के केकड़े की पहचान की है। यह खोज दुनिया के सबसे खास "हॉटेस्ट हॉटस्पॉट" में से एक में मौजूद ज़बरदस्त बायोडायवर्सिटी और एवोल्यूशनरी गड़बड़ियों को दिखाती है।

डिस्कवरी के बारे में

प्रजाति: यह सैंपल *वेला कार्ली* प्रजाति का है, जो सेंट्रल वेस्टर्न घाट के जंगल की नदियों में पाया जाने वाला एक मीठे पानी का केकड़ा है।

घटना: गाइनैड्रोमॉर्फ़ी यह केकड़ा गाइनैड्रोमॉर्फ़ी नाम की एक दुर्लभ बायोलॉजिकल कंडीशन दिखाता है, जिसमें एक जीव में एक ही समय में नर और मादा दोनों तरह के फिजिकल गुण होते हैं।

- हर्माफ्रोडाइटिज़्म (जिसमें किसी जीव में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं लेकिन वह एक ही सेक्स जैसा दिख सकता है) के उलट, गाइनैड्रोमॉर्फ़ी अक्सर देखने में "बँटा" होता है, जिसमें शरीर के एक तरफ मेल के गुण और दूसरी तरफ फीमेल के गुण दिखते हैं।
- इस खास मामले में, केकड़े में नर केकड़े जैसा पतला, तिकोनी पेट और मादा केकड़े जैसा चौड़ा, गोल पेट दिखा।

खोज का महत्व

- **पहला रिकॉर्ड:** यह इस खास एंडेमिक फ्रेशवॉटर केकड़े की स्पीशीज़ में गाइनैड्रोमॉर्फ़ी का पहला डॉक्यूमेंटेड उदाहरण है।
- **एनवायर्नमेंटल इंडिकेटर:** ऐसी बायोलॉजिकल गड़बड़ियां कभी-कभी जेनेटिक म्यूटेशन, एनवायर्नमेंटल स्ट्रेस या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान टेम्परेचर में उतार-चढ़ाव से जुड़ी हो सकती हैं, जिससे इकोसिस्टम की हेल्थ का पता चलता है।
- **एंडेमिज़्म:** क्योंकि *वेला कार्ली* खास तौर पर वेस्टर्न घाट की ऊँचाई वाली नदियों में पाया जाता है, इसलिए यह खोज वेस्टर्न घाट के जानवरों की रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के बारे में हमारी समझ में एक नई परत जोड़ती है।

चुनौतियाँ और शोध अंतराल

- **डेटा की कमी:** गाइनैड्रोमॉर्फ़ी जंगल में बहुत कम होती है, जिससे साइंटिस्ट के लिए यह स्टडी करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे जीव बच्चे पैदा कर सकते हैं या वे स्टेराइल हैं।
- **हैबिटेट सेंसिटिविटी:** साइलेंट वैली एक नाजुक इकोसिस्टम है; पानी की कालिटी या क्लाइमेट में कोई भी बदलाव इन एंडेमिक स्पीशीज़ की डेवलपमेंटल बायोलॉजी पर असर डाल सकता है।
- **टैक्सोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी:** इस कंडीशन के जेनेटिक ट्रिगर को समझने के लिए एडवांस्ड जीनोमिक सीक्वेंसिंग

की ज़रूरत होती है, जो अक्सर लोकल, एंडेमिक स्पीशीज़ के लिए मुश्किल होता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **जेनेटिक मैपिंग:** सेलुलर लेवल पर "स्प्लिट" को समझने के लिए सैंपल का डिटेल्ड क्रोमोसोमल एनालिसिस।
- **लंबे समय तक मॉनिटरिंग:** वेस्टर्न घाट में फील्ड सर्वे बढ़ाना ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह कोई अलग घटना है या एनवायर्नमेंटल फैक्टर ऐसे म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं।
- **हैबिटेट प्रोटेक्शन:** साइलेंट वैली नेशनल पार्क के कंज़र्वेशन प्रोटोकॉल को मज़बूत करना ताकि यह पक्का हो सके कि जंगल की नदियों का साफ़-सुथरा नेचर बिना किसी रुकावट के बना रहे।

निष्कर्ष

वेला कार्ली की खोज सिर्फ़ एक बायोलॉजिकल जिज्ञासा से कहीं ज़्यादा है; यह वेस्टर्न घाट की छिपी हुई मुश्किलों का सबूत है। जैसे-जैसे हम दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहे हैं, ऐसी खोजें हमें उन खास हैबिटेट को बचाने की अहमियत की याद दिलाती हैं जिनमें ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें हम अभी भी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं।

अस्पतालों में आग से सुरक्षा

प्रसंग

कटक, झांसी और दिल्ली में हाल ही में हुई दुखद घटनाओं ने भारत में अस्पतालों में आग लगने की बार-बार होने वाली बुरी घटना को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। ये आग, जो अक्सर **ICU और नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) जैसी हाई-डिपेंडेंसी यूनिट में होती हैं**, बच्चों और कमज़ोर मरीज़ों की ऐसी मौतें हुई हैं जिन्हें रोका जा सकता था, जो सुरक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी कमी को दिखाता है।

आईसीयू हाई-रिस्क ज़ोन क्यों हैं?

मेडिकल माहौल, खासकर ICUs में, खतरों का एक अनोखा सेट होता है जो छोटी-मोटी चिंगारियों को बेकाबू आग में बदल देता है:

- **ऑक्सीजन से भरपूर माहौल:** ICU में मरीज़ों की मदद के लिए ऑक्सीजन का ज़्यादा लेवल बनाए रखा जाता है। ऑक्सीजन एक पावरफुल ऑक्सिडाइज़र है; ऑक्सीजन से भरपूर माहौल में, जो चीज़ें आम तौर पर आग नहीं पकड़तीं, वे आसानी से जल सकती हैं और बहुत तेज़ी से जल सकती हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्सिटी (हार्मोनिक करंट):** मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट नॉन-लीनियर लोड का इस्तेमाल करते हैं जो **हार्मोनिक करंट बनाते हैं**। ये हार्मोनिक्स न्यूट्रल कंडक्टर और ट्रांसफॉर्मर में ओवरहीटिंग का

कारण बन सकते हैं, भले ही सिस्टम पारंपरिक शब्दों में "ओवरलोडेड" न हो।

- **टेक्निकल खामियां:** कई हॉस्पिटल सर्किट में **आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्स (AFICs)** जैसे खास प्रोटेक्टिव डिवाइस या सही सर्किट ब्रेकर नहीं होते, जिससे छोटे इलेक्ट्रिकल आर्क बड़ी आग में बदल जाते हैं।

बार-बार आग लगने के मूल कारण

संकट शायद ही कभी किसी एक विफलता का परिणाम होता है, बल्कि यह तकनीकी और सिस्टमिक लापरवाही का मिश्रण होता है:

वर्ग	विशिष्ट मुद्दे
तकनीकी	घटिया, आग न रोकने वाली वायरिंग का इस्तेमाल; पुराने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए समय-समय पर लोड टेस्टिंग की कमी।
रखरखाव	रेगुलर फायर सेफ्टी ऑडिट और मॉक ड्रिल करने में लापरवाही; फायर एग्जिट बंद होना या स्प्रिंकलर का ठीक से काम न करना।
मानवीय कारक	आग लगने पर जो मरीज़ चल-फिर नहीं सकते (चल नहीं सकते), उन्हें निकालने के लिए ICU स्टाफ़ को खास ट्रेनिंग की कमी है।
आधारभूत संरचना	खराब वेंटिलेशन और वार्ड बनाने में आग पकड़ने वाले पार्टिशन मटीरियल (जैसे प्लाईवुड या प्लास्टिक) का इस्तेमाल।

नियामक ढांचा और जवाबदेही

भारत के नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का लगातार पालन न करने की वजह से कहानी "एक्सीडेंट" से "क्रिमिनल नेग्लिजेंस" की ओर मुड़ गई है।

- **सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:** न्यायपालिका ने पहले भी अस्पतालों में बार-बार आग लगने की घटनाओं को जीवन के अधिकार (आर्टिकल 21) का उल्लंघन बताया है, और इस बात पर ज़ोर दिया है कि "इंसानी ज़िंदगी को मुनाफ़े की वेदी पर कुर्बान नहीं किया जा सकता।"
- **क्रिमिनल लायबिलिटी:** हॉस्पिटल और कमर्शियल बेसमेंट में फायर सेफ्टी में चूक को गैर-इरादतन हत्या के मामलों के तौर पर देखने की मांग बढ़ रही है, ताकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की सख्त जवाबदेही पक्की हो सके।

आगे बढ़ने का रास्ता

RACE IAS

- **ज़रूरी ऑडिट:** हर छह महीने में थर्ड-पार्टी फायर सेफ्टी ऑडिट ज़रूरी होना चाहिए, जिसके नतीजे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हों।
- **टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड:** सभी क्रिटिकल केयर वार्ड में ऑटोमेटेड ऑक्सीजन शट-ऑफ वाल्व और हीट-सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल कट-ऑफ स्विच लगाना।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजाइन:** मेडिकल सुविधाओं में केवल फायर रेटेड (FR) और लो स्मोक ज़ीरो हैलोजन (LSZH) केबल का इस्तेमाल करने की ओर बदलाव।
- **डेडिकेटेड रिस्पॉन्स टीम:** ICU में हर शिफ्ट में इमरजेंसी में मरीज़ को निकालने की ट्रेनिंग वाले "फायर सेफ्टी मार्शल" होने चाहिए।

निष्कर्ष

हॉस्पिटल में आग से सुरक्षा सिर्फ एक टेक्निकल ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक नैतिक ज़रूरत भी है। जब तक लापरवाह एडमिनिस्ट्रेटर्स और खराब आग-क्वियरेंस प्रोसेस के खिलाफ़ "क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी" सख्ती से लागू नहीं होती, तब तक हॉस्पिटल उन्हीं लोगों के लिए मौत का जाल बनते रहेंगे जिन्हें ठीक करने के लिए उन्हें बनाया गया है।

बाल मृत्यु दर और पोषण

प्रसंग

यूनाइटेड नेशंस इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टैलिटी एस्टिमेशन (UNIGME) की हाल ही में आई रिपोर्ट "लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मॉर्टैलिटी" (2025/2026) से पता चलता है कि दुनिया भर में, 2024 में अपने पांचवें जन्मदिन से पहले 4.9 मिलियन बच्चों की मौत हो गई। इनमें से 2.3 मिलियन मौतें नवजात शिशुओं की थीं (जीवन के पहले 28 दिनों के अंदर)। रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से ज़्यादातर मौतों को कम लागत वाले इलाज और बेहतर हेल्थकेयर एक्सेस से रोका जा सकता है।

भारत की प्रगति (1990 बनाम 2024)

भारत बच्चों की मौत की दर में तेज़ी से कमी के लिए दुनिया भर में एक "मिसाल" बनकर उभरा है, जो दुनिया भर के औसत से काफ़ी आगे है।

सूचक	1990 (आधार वर्ष)	2024 (वर्तमान)	% गिरावट
नवजात मृत्यु दर (एनएमआर)	1,000 जीवित जन्मों पर 57	1,000 जीवित जन्मों पर 17	70%

5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR)	1,000 जीवित जन्मों पर 127	1,000 जीवित जन्मों पर 27	79%
---	---------------------------	--------------------------	------------

नोट: भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर अभी 27 है, जो 2030 तक **सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDG)** के ≤ 25 के टारगेट के करीब है।

बाल मृत्यु दर के कारण

तरक्की के बावजूद, कई अंदरूनी वजहें बच्चों के बचने की चुनौती बनी हुई हैं:

- **मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस:** समय से पहले जन्म, जन्म के समय एस्फिक्सिया, और नियोनेटल सेप्सिस नवजात शिशुओं की मौत के मुख्य कारण बने हुए हैं।
- **कुपोषण:** सीवियर एक्यूट कुपोषण (SAM) की वजह से 2024 में दुनिया भर में सीधे तौर पर **100,000 से ज्यादा मौतें हुईं** और यह दूसरी बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी को भी कमजोर करता है।
- **इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ:** नवजात अवस्था के बाद, निमोनिया, डायरिया और मलेरिया मुख्य "किलर" हैं।
- **माँ की सेहत:** प्रेग्नेसी के दौरान माँ को ठीक से खाना न मिलने से बच्चे का वजन कम होता है, जो बच्चे की मौत का एक बड़ा रिस्क फैक्टर है।

खाद्य सुरक्षा बनाम पोषण सुरक्षा

भारत में पॉलिसी का फोकस "पेट भरने" से हटकर "शरीर को पोषण देने" पर शिफ्ट हो रहा है।

- **फूड सिक्योरिटी:** खाने की मात्रा और उसकी असल पहुँच पर फोकस करता है (जैसे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए सब्सिडी वाला गेहूँ और चावल देना)।
- **न्यूट्रिशन सिक्योरिटी:** डाइट की क्वालिटी और डाइवर्सिटी पर फोकस करता है (जैसे, स्टंटिंग और वेस्टिंग को रोकने के लिए प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन का बैलेंस पक्का करना)।

प्रमुख सरकारी पहल

सरकार ने कई खास "मिशन" के ज़रिए हेल्थ और न्यूट्रिशन को एक साथ जोड़ा है:

- **PM POSHAN (पहले मिड-डे मील):** स्कूलों में बच्चों को एक बार गरमागरम पका हुआ पौष्टिक खाना देता है ताकि एडमिशन और न्यूट्रिशन की स्थिति दोनों में सुधार हो सके।
- **पोषण अभियान (नेशनल न्यूट्रिशन मिशन):** बच्चों और महिलाओं में स्टंटिंग, अंडर-न्यूट्रिशन और एनीमिया को कम करने के लिए कई मंत्रालयों का एक साथ मिलकर चलाया जाने वाला मिशन।

- **प्रधान मंत्री मटरू वंदना योजना (PMMVY):** यह एक मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है जो प्रेग्नेट महिलाओं को सैलरी के नुकसान की भरपाई के लिए **₹5,000-₹6,000 देती है और सही न्यूट्रिशन और आराम के लिए बढ़ावा देती है।**
- **मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:** एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम जो टेक्नोलॉजी (AWWs के लिए स्मार्टफोन) और फोर्टिफाइड फूड (जैसे, फोर्टिफाइड दूध और चावल) का इस्तेमाल करता है।

निष्कर्ष

यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और **जननी** जैसे उसके पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के बड़े लेवल का सबूत है। **सुरक्षा योजना**। हालांकि, तरक्की का "आखिरी पड़ाव" बेसिक फूड सिक्योरिटी से कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में बदलाव पर निर्भर करेगा, जिससे यह पक्का हो सके कि हर बच्चा न सिर्फ़ जिंदा रहे बल्कि आगे बढ़े।

प्रश्नकाल और गिलोटिन

प्रसंग

भारतीय संसद के कामकाज में, **प्रश्नकाल** और **गिलोटिन जैसे सिस्टम** एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी के स्पेक्ट्रम के दो छोर दिखाते हैं: एक सीधी जांच को आसान बनाता है, जबकि दूसरा फाइनेंशियल मामलों में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पक्का करता है।

प्रश्नकाल

उद्देश्य:

यह एक ज़रूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसका इस्तेमाल एग्जीक्यूटिव (सरकारी मंत्रियों) को जवाबदेह ठहराने के लिए किया जाता है। यह मेंबर्स ऑफ़ पार्लियामेंट (MPs) को सरकारी पॉलिसी और एक्टिविटी के बारे में जानकारी हासिल करने की इजाज़त देता है।

समय:

आमतौर पर दोनों सदनों (लोकसभा) में बैठक का **पहला घंटा सभा और राज्य सभा) , सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलती है ।**

संवैधानिक और कानूनी स्थिति:

- **संविधान में उल्लेख नहीं:** कई अन्य सुविधाओं के विपरीत, प्रश्नकाल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
- **प्रक्रिया के नियम: यह नियम 32 (लोकसभा) द्वारा शासित है सभा) और नियम 38 (राज्य सभा) के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के।**

- **नोटिस पीरियड:** सदस्यों को आम तौर पर सेक्रेटेरिएट को 15 दिन पहले नोटिस देना होता है ताकि मंत्रियों को सही जवाब तैयार करने का समय मिल सके।

प्रश्नों के प्रकार:

प्रकार	उत्तर की प्रकृति	पूरक प्रश्न
तारांकित प्रश्न	मौखिक (मंजिल पर उत्तर दिया गया)	अनुमति है (आगे के सवाल पूछे जा सकते हैं)
अतारांकित प्रश्न	लिखित (मेज पर रखा)	अनुमति नहीं
अल्प सूचना प्रश्न	मौखिक (तत्काल सार्वजनिक महत्व से संबंधित)	अनुमति है (10 दिन से कम समय पहले बताना ज़रूरी है)

गिलोटिन

परिभाषा:

यह एक पार्लियामेंटी प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल बजट सेशन के दौरान डिमांड्स फॉर ग्रान्ट्स को जल्दी पास करने के लिए किया जाता है। टाइम की कमी की वजह से, हर मिनिस्ट्री की सभी डिमांड्स पर चर्चा नहीं हो पाती है। इन डिमांड्स पर चर्चा के लिए तय आखिरी दिन, स्पीकर बाकी सभी (अनडिस्कस्ड) डिमांड्स पर एक साथ वोटिंग के लिए रखते हैं।

प्रभाव और आलोचना:

- **एफिशिएंसी:** यह पक्का करता है कि एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल तय कानूनी टाइमलाइन के अंदर पास हो जाएं, जिससे सरकारी खर्च "बंद" होने से बच जाता है।
- **जांच की कमी:** विपक्ष और सिविल सोसाइटी इसकी बहुत आलोचना करते हैं क्योंकि इसमें डिटेल्ड बहस को नज़रअंदाज़ किया जाता है। पब्लिक के पैसे की बड़ी रकम को अक्सर पार्लियामेंट में एक मिनट की भी चर्चा के बिना मंजूरी दे दी जाती है, जिससे " बिना रिप्रेजेंटेशन के कोई टैक्स नहीं" का सिद्धांत कमज़ोर होता है।

मुख्य अंतर एक नज़र में

विशेषता	प्रश्नकाल	गिलोटिन
प्राथमिक लक्ष्य	जवाबदेही और पारदर्शिता	विधायी दक्षता और समयसीमा

विषय - वस्तु	सामान्य प्रशासन और नीति	वित्तीय मांगें (बजट)
आवृत्ति	दैनिक (सत्रों के दौरान)	साल में एक बार (बजट सत्र के दौरान)
स्वर	न्यायिक जांच (सांसद बनाम मंत्री)	प्रक्रियात्मक (बजट पारित करना)

निष्कर्ष

जहां प्रश्नकाल पार्लियामेंटी डेमोक्रेसी का "दिल" है जो सरकार को चौकता रखता है, वहीं गिलोटिन एक "ज़रूरी बुराई" है जो यह पक्का करती है कि राज्य की फाइनेंशियल मशीनरी रुक न जाए। एक हेल्दी, काम करने वाली डेमोक्रेसी के लिए दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है।

आर्थिक स्थिरीकरण कोष

प्रसंग

वेस्ट एशिया विवाद और सप्लाई चेन में लगातार रुकावटों समेत दुनिया भर में बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने नए बने इकोनॉमिक स्टेबिलाइज़ेशन फंड के लिए ₹57,381 करोड़ देने का ऐलान किया है। इस कदम का मकसद इंटरनेशनल उतार-चढ़ाव के बीच भारत की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए फिस्कल सहारा देना है।

आर्थिक स्थिरीकरण कोष के बारे में

यह क्या है?

इकोनॉमिक स्टेबिलाइज़ेशन फंड एक खास फिस्कल सिस्टम है जिसे केंद्र सरकार को अचानक आने वाले ग्लोबल और घरेलू आर्थिक झटकों का सामना करने के लिए ज़रूरी "हेडरूम" देने के लिए बनाया गया है। यह नेशनल बजट या फिस्कल रोडमैप को पटरी से उतारे बिना अस्थिर बाहरी वजहों के असर को झेलने के लिए एक फाइनेंशियल बफर के तौर पर काम करता है।

- **लॉन्च किया:** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
- **मुख्य लक्ष्य:** भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाना, जैसे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल (जो शायद \$100 प्रति बैरल तक पहुंच जाए), एनर्जी की कमी, और जियोपॉलिटिकल झगड़ों से पैदा होने वाली अचानक व्यापार में रुकावटें।

यह काम किस प्रकार करता है

यह फंड फिस्कल डिस्प्लिन से समझौता किए बिना लिक्विडिटी पक्का करने के लिए एक स्ट्रेटिजिक बजटरी प्रोसेस के ज़रिए काम करता है:

1. **आवंटन:** सरकार अनुदानों की पूरक मांगों के माध्यम से विशिष्ट राशि (वर्तमान में ₹57,381 करोड़) आवंटित करती है।
2. **इस्तेमाल:** इन फंड्स का इस्तेमाल बाहरी मुश्किलों की वजह से होने वाले इमरजेंसी खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है (जैसे, अचानक एनर्जी के खर्च को कम करना या ज़रूरी सप्लाई लाइनों को सुरक्षित करना)।
3. **डेफिसिट मैनेजमेंट:** सरकार इन एलोकेशन को एडिशनल रिसीट्स के साथ मैनेज करती है ताकि **फिस्कल डेफिसिट टारगेट (2025-26 के लिए GDP का 4% तय)** पर कोई असर न पड़े।

प्रमुख विशेषताएँ

- **फिस्कल हेडरूम:** यह संकट के दौरान होने वाली आम कानूनी देरी के बिना इमरजेंसी उपायों पर खर्च करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है।
- **टारगेटेड रिस्पॉन्स:** इसे खास तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के सेंसिटिव सब-सेक्टर में सप्लाई चेन में रुकावटों और अचानक लगने वाले झटकों से निपटने के लिए बनाया गया है।
- **डेफिसिट न्यूट्रैलिटी:** फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस फंड से होने वाले खर्च को बैलेंस किया जाएगा ताकि केंद्र के फिस्कल डेफिसिट टारगेट से चूकने से बचा जा सके।
- **मैक्रोइकोनॉमिक शील्ड:** यह COVID-19 के बाद के रिकवरी फ्रेमवर्क पर आधारित है ताकि अलग-अलग आर्थिक झटकों के खिलाफ देश की ताकत को मजबूत किया जा सके।
- **सिग्नलिंग कॉर्पस:** शुरुआती एलोकेशन ₹2.01 लाख का एक बड़ा हिस्सा है हाल ही में लोक द्वारा अनुमोदित करोड़ का शुद्ध अतिरिक्त नकद व्यय सभा।

महत्व

- **ग्रोथ मोमेंटम:** इससे भारत को स्थिर GDP ग्रोथ बनाए रखने में मदद मिलती है, तब भी जब वेस्ट एशिया के झगड़ों या US-ईरान तनाव की वजह से ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव होता है।
- **एनर्जी सिक्योरिटी:** यह तेल के झटकों से बचने के लिए एक ज़रूरी सुरक्षा देती है, जिससे यह पक्का होता है कि घरेलू फ्यूल की कीमतों और एनर्जी सप्लाई को स्थिर रखा जा सके ताकि बेकाबू महंगाई को रोका जा सके।
- **इन्वेस्टर का भरोसा:** ग्लोबल मार्केट को सिग्नल कि भारत के पास बाहरी रिस्क को संभालने के लिए एक फॉर्मल, अच्छी तरह से फंडेड सिस्टम है, जिससे मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ती है।

इकोनॉमिक स्टेबिलाइज़ेशन फंड की स्थापना एक ज़्यादा प्रोएक्टिव और "शॉक-प्रूफ" फिस्कल पॉलिसी की ओर बदलाव को दिखाती है। ग्लोबल इमरजेंसी के लिए खास फंड तय करके, भारत का मकसद अपने घरेलू विकास के लक्ष्यों को इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की अनिश्चितता से अलग करना है।

नारियल प्रोत्साहन योजना

प्रसंग

यूनियन बजट 2026-27 में, भारत सरकार ने नारियल के सबसे बड़े ग्लोबल प्रोड्यूसर के तौर पर भारत की स्थिति पर ज़ोर दिया, जो दुनिया के प्रोडक्शन का 30.37% है। इस लीडरशिप का फ़ायदा उठाने के लिए, प्रोडक्टिविटी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए अभी कोकोनट प्रमोशन स्कीम बनाई जा रही है।

नारियल प्रोत्साहन योजना के बारे में

यह क्या है?

यह एक सेंट्रल सेक्टर इनिशिएटिव है जिसे भारत के मुख्य नारियल उगाने वाले इलाकों में नारियल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, क्वालिटी सुधारने और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वित्तीय परिचय:

2026-27 के बजट में ₹350 करोड़ के बड़े एलोकेशन के हिस्से के तौर पर इसकी घोषणा की गई है, जिसमें खास तौर पर नारियल, काजू और कोको जैसी हाई-वैल्यू कमर्शियल फसलों को टारगेट किया गया है।

प्राथमिक ऑब्जेक्ट:

- प्रति हेक्टेयर उत्पादन और कुल पैदावार बढ़ाना।
- बेहतर मार्केट लिंकेज के ज़रिए किसानों की नेट इनकम में सुधार करना।
- ग्लोबल नारियल प्रोडक्ट मार्केट में भारत की ब्रांड इक़िटी को बढ़ाना।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

- **रीप्लांटेशन और रिजुविनेशन:** पुराने, खराब और कम पैदावार वाले ताड़ के पेड़ों को ज़्यादा पैदावार वाली, नई किस्मों से बदलने के लिए खास कोशिशें।
- **क्लाइमेट-रेज़िलिएंट किस्में:** ऐसी किस्मों को बढ़ावा देना जो बीमारी-रेज़िस्टेंट हों (जैसे, रूट विल्ट के लिए) और बदलते क्लाइमेट पैटर्न के हिसाब से ढल जाएं।
- **मॉडर्न एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस:** रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और माइक्रो-इरिगेशन तकनीकें।

निष्कर्ष

- **वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट:** प्रोसेसिंग यूनिट्स (सूखा नारियल, वर्जिन नारियल तेल, नीरा) के लिए इंसेंटिव देना और इंटरनेशनल मार्केट के लिए ब्रांडिंग को सपोर्ट करना।
- **लाइवलीहुड सपोर्ट:** फसल पर सीधे निर्भर 10 मिलियन किसानों को सपोर्ट करने के लिए खास इंटरवेंशन ।

अभी की स्थिति: यह स्कीम अभी **बन रही है** । कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अभी तक राज्य/UT के हिसाब से फंड का बंटवारा और ऑपरेशनल गाइडलाइंस को फाइनल नहीं किया है।

भारत का नारियल उत्पादन प्रोफाइल

पैरामीटर	डेटा / सांख्यिकी
वैश्विक रैंक	प्रथम (विश्व स्तर पर सबसे बड़ा उत्पादक)
वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी	30.37%
खेती का क्षेत्रफल (भारत में)	2,165.20 हजार हेक्टेयर
वार्षिक उत्पादन	21,373.62 मिलियन नट्स
औसत उत्पादकता	प्रति हेक्टेयर 9,871 नट
आजीविका पर निर्भरता	~30 मिलियन लोग (लगभग 10 मिलियन किसानों सहित)

नारियल क्षेत्र में चुनौतियाँ

- **कीमत में उतार-चढ़ाव:** खोपरा और नारियल तेल के बाज़ार भाव में ज़्यादा उतार-चढ़ाव से किसानों की स्थिरता पर असर पड़ता है।
- **कीट और रोग:** गैंडे के भृंग, लाल ताड़ के घुन, और अलग-अलग पत्ते खाने वाले कैटरपिलर से खतरा।
- **छोटी-छोटी जोत:** छोटी और मामूली ज़मीन की वजह से बड़े पैमाने पर मशीन से कटाई करना मुश्किल हो जाता है।
- **वैल्यू एडिशन गैप:** फसल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी प्रोसेस्ड हाई-वैल्यू प्रोडक्ट्स के बजाय कच्चे नट्स या लो-वैल्यू कोपरा के रूप में बेचा जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **CDB को मज़बूत करना:** नारियल विकास बोर्ड (CDB) को रिसर्च संस्थानों और किसानों के बीच एक पुल के तौर पर काम करने के लिए मज़बूत बनाना ।
- **कोऑपरेटिव और FPOs:** किसान प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (FPOs) को प्राइमरी प्रोसेसिंग और कलेक्टिव बारगेनिंग के लिए बढ़ावा देना।
- **डाइवर्सिफिकेशन:** किसानों को आर्थिक सुरक्षा की एक और लेयर देने के लिए इंटरक्रॉपिंग (जैसे, कोको या मसालों के साथ) को बढ़ावा देना।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

प्रसंग

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) ने फूड फ्रॉड पर अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है, और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की रिपोर्ट दी है। नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन पक्का करने के लिए 2022 और 2025 के बीच **5.18 लाख से ज़्यादा फूड सैपल्स की टेस्टिंग** की गई।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:

खाने में मिलावट में जानबूझकर खाने की कालिटी खराब करना शामिल है, जिसमें खराब या नुकसानदायक चीज़ें मिलाई जाती हैं या ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हटा दिए जाते हैं। **फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत**, FSSAI सबसे बड़ी संस्था है जो स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करने और लोगों की सेहत की रक्षा के लिए फूड सप्लाय चैन की मॉनिटरिंग करने के लिए ज़िम्मेदार है।

वर्तमान अवलोकन:

- **टेस्टिंग का लेवल:** टेस्टिंग रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो गई है, जिसमें दूध, मसाले और खाने के तेल जैसी ज़्यादा खपत वाली चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है।
- **सख्ती से लागू करना:** ज़्यादा पेनल्टी और लाइसेंस कैंसलेशन, बार-बार गलती करने वालों के प्रति "ज़ीरो-टॉलरेंस" अप्रोच का संकेत है।
- **टेक्नोलॉजिकल बदलाव:** मोबाइल टेस्टिंग और रिस्क-बेस्ड मॉडलिंग की ओर बदलाव से तेज़ी से दखल दिया जा सकता है।

प्रमुख पहल और उठाए गए कदम

- **रिस्क-बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम (RBIS):** अब इंस्पेक्शन को फूड बिज़नेस के अंदरूनी रिस्क लेवल के आधार पर प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे मीट और डेयरी जैसी हाई-रिस्क कैटेगरी के लिए ज़्यादा सख्त मॉनिटरिंग पक्की होती है।

- **बड़े पैमाने पर सैपलिंग और टेस्टिंग:** कंटेमिनेंट्स और घटिया इंफ्रीडिण्डेंट्स का पता लगाने के लिए **5.18 लाख से ज्यादा सैपल्स (2022-2025)** का पूरा एनालिसिस।
- **सज़ा और सज़ा:** मज़बूत कानूनी रोक लगाई गई है, जिसके नतीजे में ये हुआ है:
 - **88,192** जुर्माना लगाया गया।
 - **3,614** क्रिमिनल सज़ाएँ।
 - नियम न मानने पर **1,161 लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए।**
- **फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (FSW):** 35 राज्यों/UTs में **305 मोबाइल टेस्टिंग लैब्स** लगाना ताकि कस्टमर्स और स्ट्रीट वेंडर्स को तुरंत, ऑन-साइट टेस्टिंग मिल सके।
- **निगरानी और रैंडम ऑडिट:** हाइजीन स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए पूरे साल लगातार सरप्राइज सैपलिंग और थर्ड-पार्टी ऑडिट किए जाते हैं।
- **कंज्यूमर अवेयरनेस:** ईट राइट कैम्पस और ईट राइट स्कूल जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम लोगों को मिलावटी खाने की चीज़ों की पहचान करने के बारे में बताते हैं।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **सप्लाई चेन की मुश्किल:** बहुत ज्यादा बिखरे हुए अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में मिलावट को ट्रैक करना मुश्किल बना हुआ है।
- **नए मिलावट:** एडवांस्ड सिंथेटिक केमिकल्स के इस्तेमाल के लिए लैबोरेटरी टेस्टिंग प्रोटोकॉल को लगातार अपडेट करने की ज़रूरत होती है।
- **मैनपावर की कमी:** भारत में लाखों फूड बिज़नेस के मुकाबले फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की संख्या कम है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना:** टेस्टिंग का समय कम करने के लिए स्टेट-ऑफ-द-आर्ट NABL-एक्रेडिटेड लैब्स की संख्या बढ़ाना।
- **ट्रेसेबिलिटी के लिए ब्लॉकचेन:** मिलावट की सही जगह का पता लगाने के लिए "फार्म-टू-फोर्क" डिजिटल ट्रैकिंग लागू करना।
- **पब्लिक पार्टिसिपेशन:** होम-टेस्टिंग किट को आसानी से उपलब्ध कराकर और शिकायत सुलझाने के प्रोसेस को आसान बनाकर "सिटीजन साइंस" को और बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

खाने में मिलावट की समस्या को रोकने के लिए FSSAI की कई तरह की स्ट्रेटेजी, जिसमें कड़ी टेस्टिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी और

कानूनी कार्रवाई शामिल है, बहुत ज़रूरी है। हालांकि, लगातार सफलता शहरी स्टैंडर्ड और ग्रामीण इलाकों में लागू करने के बीच के अंतर को कम करने पर निर्भर करेगी, जिससे यह पक्का हो सके कि हर नागरिक को सुरक्षित और पौष्टिक खाना मिले।

ब्रिक्स और वैज्ञानिक सहयोग

प्रसंग

भारत की 2026 की प्रेसीडेंसी में, BRICS ग्रुप 'बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' थीम के तहत अपनी साइंटिफिक पार्टनरशिप को और गहरा करने के लिए तैयार है। यह रियो डी जेनेरियो में 17वें सालाना समिट के बाद हो रहा है, जहाँ सदस्यों का मकसद ग्लोबल डिजिटल डिवाइड और क्लाइमेट रेजिलिएंस को सुलझाने के लिए बढ़ी हुई मेंबरशिप का फ़ायदा उठाना था।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड: BRICS के अंदर साइंटिफिक सहयोग एक स्ट्रेटेजिक पिलर है जिसका मकसद रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को मिलाकर एक **मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम बनाना है। यह फंडामेंटल साइंस पर फोकस करने से लेकर इनोवेशन-ड्रिवन इकोसिस्टम** की ओर बढ़ा है ताकि ग्लोबल साउथ की पश्चिमी दबदबे पर निर्भरता कम हो सके।

अब तक की गई पहल:

- **स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क:** 2015 के एक MoU ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन (STI) को जॉइंट रिसर्च के लिए एक मुख्य पिलर के तौर पर स्थापित किया।
- **कार्य योजनाएँ:** नवाचार सहयोग के लिए ब्रिक्स कार्य योजना (2017-2020) उद्यमशीलता और एसटीआई में महिलाओं और युवाओं की भूमिका पर केंद्रित थी।
- **इंस्टीट्यूशनल सेंटर:** BRICS टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर (TTC) की स्थापना और क्रॉस-बॉर्डर टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज़ेशन के लिए **iBRICS पहल**।
- **सेक्टरल एग्रीमेंट:** महत्वपूर्ण प्रगति में 2021 स्पेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट और ICT के लिए **BRICS इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर नेटवर्क्स** शामिल हैं।

विज्ञान और तकनीक में सहयोग की आवश्यकता

- **सामाजिक चुनौतियों से निपटना:** एनर्जी, पानी और हेल्थ में साझा विकास के मुद्दों से निपटने के लिए ज़रूरी (जैसे, COVID-19 के दौरान वैक्सीन रिसर्च और बायोसिक्वोरिटी में तेज़ी आई)।
- **टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी कम करना:** पश्चिमी देशों पर निर्भरता से दूर जाने के लिए शेरिड कैपेसिटी बनाना, जिसे 2022 में **BRICS+ के विस्तार से और बढ़ावा मिलेगा**।

- **इकोनॉमिक गवर्नेंस: STI को ऑपरेशन में बर्स को न्यू डेवलपमेंट बैंक** के ज़रिए स्ट्रेटेजी को कोऑर्डिनेट करने और ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस पर असर डालने की सुविधा देता है।
- **उभरती हुई टेक का गवर्नेंस:** नई टेक्नोलॉजी के लिए बराबर नियम बनाना; **AI पर 2025 के डिक्लेरेशन** ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नेंस का सेंट्रल पिलर बना दिया।
- **जियोपॉलिटिकल दबाव का मुकाबला:** मिलकर किए गए प्रयासों से सदस्यों को ग्लोबल तनाव, प्रतिबंधों और बढ़ते टेक्नो-नेशनलिज़्म से निपटने में मदद मिलती है।

चुनौतियां

- **असमान भागीदारी:** BRICS+ में विस्तार ने असमानताओं को उजागर किया है; उदाहरण के लिए, रिसर्च प्रस्तावों के लिए हाल ही में बुलाए गए कॉल में केवल मिस्र और ईरान ही शामिल हुए।
- **इनोवेशन गैप्स:** ज़्यादातर सदस्य देश (चीन को छोड़कर) **R&D पर ग्रांस डोमेस्टिक खर्च (GERD)** में ग्लोबल लीडर्स से पीछे हैं।
- **अलग-अलग तरह के हित:** आर्थिक विकास में अंतर की वजह से ग्रुप के प्रोजेक्ट मुश्किल हो जाते हैं, जिससे अक्सर खास सदस्यों के बीच "पेयर्ड लिंक" बन जाते हैं।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएं:** ज़्यादा लागत वाले "मेगा-साइंस" प्रोजेक्ट (समुद्र या पोलर रिसर्च) शेयर्ड भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण धीरे-धीरे डेवलप होते हैं।
- **इंस्टीट्यूशनल अस्थिरता:** परमानेंट मैनेजिंग बॉडी की कमी से लंबे समय की प्लानिंग में रुकावट आती है, क्योंकि सिस्टम रोटेटिंग सालाना प्रेसीडेंसी पर निर्भर करता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **परमानेंट मैकेनिज़्म:** फंड्स को मैनेज करने और लंबे समय के प्रोजेक्ट के नतीजों पर नज़र रखने के लिए EU के होराइजन प्रोग्राम की तरह एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाना।
- **मेगा-साइंस प्रोजेक्ट्स:** सदस्यों के बीच सिर्फ़ नेटवर्किंग से आगे बढ़कर गहरे इंस्टीट्यूशनल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर साइंटिफिक पहल करना।
- **सबको साथ लेकर चलने वाली कैपेसिटी बिल्डिंग:** अगले दशक में नए BRICS+ सदस्यों के नेशनल इनोवेशन सिस्टम (NIS) को मज़बूत करने पर ध्यान दें ताकि पार्टिसिपेशन की कमी को पूरा किया जा सके।

- **गवर्नेंस और स्केलिंग:** नई टेक के असर पर रिसर्च को शामिल करने के लिए फ्रेमवर्क को बढ़ाएं और सीधे समाज से जुड़ाव के लिए **बायोटेक्नोलॉजी और क्लाइमेट टेक में प्रोजेक्ट्स को स्केल करने की ओर बढ़ें।**

निष्कर्ष

हालांकि BRICS ने बेसिक साइंस से समाज के लिए ज़रूरी इनोवेशन की तरफ़ कामयाबी से बदलाव किया है, लेकिन अभी के रोटेटिंग फ्रेमवर्क को बदलना होगा। भारत की 2026 की प्रेसीडेंसी एक ज़्यादा तेज़, **परमानेंट सिस्टम बनाने का एक अहम मौका देती है** जो बढ़ी हुई BRICS+ मेंबरशिप के अंदर इनोवेशन की कमी को पूरा कर सके।

CCUS बनाम कार्बन फार्मिंग

प्रसंग


यूनियन बजट 2026 में **CCUS (कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और स्टोरेज)** के लिए डिपार्टमेंट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (DST) के रोडमैप पर आधारित **₹20,000 करोड़ के कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम की घोषणा** की गई। इससे बहस और कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, क्योंकि आम राय अक्सर इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइज़ेशन को **कार्बन फार्मिंग** से मिला देती है, जो मिट्टी पर आधारित कार्बन क्रेडिट के ज़रिए किसानों की इनकम बढ़ाने का एक तरीका है।

CCUS बनाम कार्बन फार्मिंग के बीच के अंतर को समझना

CCUS का टारगेट क्या है:

CCUS पहल खास तौर पर **उन इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करती है जिन्हें कम करना मुश्किल है**, जहाँ एमिशन ज़्यादा है और सिर्फ़ रिन्यूएबल एनर्जी से इसे खत्म करना टेक्निकली मुश्किल है। प्राइमरी सेक्टर में शामिल हैं:

- बिजली और रिफाइनरियां
- स्टील और सीमेंट
- रसायन



CCUS से बाहर क्यों रखा गया है:

- **फैला हुआ बनाम बिंदु स्रोत:** औद्योगिक उत्सर्जन विशिष्ट कारखाने के धुएं (बिंदु स्रोत) से आते हैं, जबकि कृषि उत्सर्जन विशाल परिदृश्य (फैला हुआ) में फैल जाते हैं।
- **बायोलॉजिकल मीडिएशन:** खेती से निकलने वाला एमिशन (मीथेन/नाइट्रस ऑक्साइड) बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जो उन्हें मैकेनिकल कैप्चर मशीनों के लिए सही नहीं बनाते हैं।
- **टेक्नोलॉजिकल मिसमैच:** CCUS कंसन्ट्रेटेड गैस स्ट्रीम से \$CO_2\$ कैप्चर करता है; एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन खुले एटमॉस्फियर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल (CDR) पर फोकस करते हैं।

प्रमुख अवसर

- **औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन :** ₹20,000 करोड़ यह इन्वेस्टमेंट भारत के लगभग 25% एमिशन के लिए जिम्मेदार सेक्टरों को साफ़ करने के लिए एक ज़रूरी पिलर है।
- **गांव में इनकम के नए स्रोत:** एक भरोसेमंद घरेलू कार्बन मार्केट बनाने से किसान रीजेनरेटिव तरीकों को अपनाकर क्रेडिट कमा सकते हैं।
- **मिट्टी में कार्बन जमा करना: एग्रोफॉरेस्ट्री और बायोचार** के इस्तेमाल से भारत की बड़ी खेती की ज़मीन को कार्बन सिंक के तौर पर इस्तेमाल करना।
- **वॉलंटरी कार्बन मार्केट:** नेचर-बेस्ड क्रेडिट की बढ़ती ग्लोबल डिमांड प्राइवेट सेक्टर के पायलट को मिट्टी के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए किसानों को मुआवजा देने की इजाज़त देती है।
- **क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती:** कार्बन-फ्रेंडली तरीकों को अपनाकर मिट्टी की सेहत और फूड सिक्योरिटी के लंबे समय के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है।

संबंधित चुनौतियाँ

- **कम्युनिकेशन गैप:** बजट में "कार्बन क्रेडिट" शब्द ने लाइनों को धुंधला कर दिया है; कई लोगों को उम्मीद थी कि भारी इंडस्ट्री के लिए तय खर्च से किसानों के लिए एक फंडेड स्कीम आएगी।
- **ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट:** CCUS एक कैपिटल-इंटेंसिव, टेक-हैवी पहल है जिसके लिए बड़े इन्वेस्टमेंट (पांच साल में ₹20,000 करोड़) की ज़रूरत है।
- **मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन:** मिट्टी के कार्बन को मापना, कंसन्ट्रेटेड इंडस्ट्रियल आउटपुट को मापने की तुलना में काफी ज़्यादा मुश्किल और कम सटीक है।
- **पॉलिसी में गड़बड़ी:** आलोचकों का कहना है कि "नए एमिशन को रोकने" (CCUS) और "मौजूदा \$CO_2\$ को

हटाने" (मिट्टी) के लिए पूरी तरह से अलग फंडिंग और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है।

- **स्टेकहोल्डर की उम्मीदें:** अगर गांव के स्टेकहोल्डर को पता चलता है कि मौजूदा बजट में सीधे तौर पर एग्रीकल्चरल कार्बन प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं दिया जाता है, तो लोगों को निराशा हो सकती है।

पश्चिमी गोलार्ध

- **साफ़ पॉलिसी डिमार्केशन:** इन्वेस्टर की उम्मीदों को मैनेज करने के लिए सरकार को "स्मोकस्टैक" (इंडस्ट्रियल) और "सॉइल" (एग्रीकल्चर) इनिशिएटिव को साफ़ तौर पर अलग करना होगा।
- **डेडिकेटेड कार्बन फार्मिंग फ्रेमवर्क:** खास तौर पर खेती से कार्बन निकालने और ग्रामीण क्रेडिट सिस्टम के लिए एक अलग, अच्छी तरह से फंडेड पॉलिसी बनाएं।
- **सटीक टर्मिनोलॉजी:** CCUS टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट और वॉलंटरी कार्बन मार्केट पार्टिसिपेशन के बीच अंतर बताने के लिए अलग भाषा का इस्तेमाल करें।
- **बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल डिप्लॉयमेंट: नेशनल नेट-ज़ीरो** लक्ष्यों को पूरा करने के लिए DST रोडमैप का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
- **मल्टी-सेक्टरल एम्बिशन:** एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल क्लाइमेट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल दोनों मोर्चों को बराबर ज़ोर से आगे बढ़ाएं।

निष्कर्ष

भारत की क्लाइमेट स्ट्रेटेजी अभी इंडस्ट्रियल CCUS पर भारी फाइनेंशियल दांव और नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस की बढ़ती मांग के बीच बैलेंस बना रही है। हालांकि मौजूदा बजट का खर्च पूरी तरह से इंडस्ट्रियल है, लेकिन कार्बन फार्मिंग में गहरी दिलचस्पी एक पैरेलल एग्रीकल्चरल पॉलिसी के लिए एक बड़े मौके का इशारा करती है जो एनवायरनमेंटल लक्ष्यों को पूरा करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकती है।

इसरो का NavIC (नेविगेशन सिस्टम) संकट

प्रसंग

भारत का स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, **NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन)**, एक ज़रूरी ऑपरेशनल फेज़ में आ गया है। पुराने सैटेलाइट्स के डीकमीशन होने और एक की रिप्लेसमेंट में टेक्निकल फेलियर के बाद, कॉन्स्टेलेशन की इंडिपेंडेंट पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग (PNT) सर्विस देने की क्षमता बहुत कम हो गई है।

समाचार के बारे में

- **"चार सैटेलाइट" नियम:** ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) को 3D फिक्स (लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड) प्लस टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन देने के लिए, रिसेवर को हर समय कम से कम **चार ऑपरेशनल सैटेलाइट दिखने चाहिए।**
- **अभी की खराबी: 13 मार्च, 2026** को, NavIC ग्रुप के चौथे फंक्शनल सैटेलाइट ने टर्मिनल सब-सिस्टम में खराबी की रिपोर्ट दी। इससे अभी सिर्फ **तीन सैटेलाइट ही** भरोसेमंद PNT सिग्नल भेज पा रहे हैं, जिससे NavIC अभी की हालत में सटीक सिविलियन या मिलिट्री नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा।
- **ऐतिहासिक वजह:** भारत ने IRNSS (बाद में NavIC) प्रोजेक्ट तब शुरू किया जब US ने **कारगिल युद्ध (1999) के दौरान भारत को हाई-प्रिसिजन GPS डेटा का एक्सेस देने से मना कर दिया**, जिससे "सॉवरेन" टाइमिंग और पोजिशनिंग डेटा की स्ट्रेजिक ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया।

संकट के कारण

- **एंड-ऑफ-लाइफ इश्यूज:** ज़्यादातर ऑरिजिनल 1G (फर्स्ट जेनरेशन) IRNSS सैटेलाइट्स (2013 और 2018 के बीच लॉन्च किए गए) अपनी तय **10-साल की मिशन लाइफ को पार कर चुके हैं या उस तक पहुँच चुके हैं।**
- **एटॉमिक क्लॉक फेलियर:** NavIC बहुत सटीक रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक पर निर्भर करता है। शुरुआती स्विस्-मेड क्लॉक (स्पेक्ट्राटाइम) समय से पहले फेल हो गए थे, और जबकि ISRO ने स्वदेशी वर्शन डेवलप किए, हाल ही में इंडीग्रेसन की दिक्कतों ने रिप्लेसमेंट मिशन में रुकावट डाली है।
- **लॉन्च में रुकावटें:** **NVS -02 (सेकंड जेनरेशन)** मिशन, जिसका मकसद L1 बैंड सिग्नल (स्मार्टफोन के साथ कम्पैटिबल) के साथ कॉन्स्टेलेशन को मज़बूत करना था, इस साल की शुरुआत में लॉन्च-पैड में एक गड़बड़ी का सामना करना पड़ा, जिससे 4-सैटेलाइट मिनिमम को फिर से शुरू करने में देरी हुई।

वैश्विक नेविगेशन परिदृश्य

भारत का NavIC एक रीजनल सिस्टम है, जबकि दूसरी बड़ी ताकतें ग्लोबल सिस्टम चलाती हैं:

प्रणाली	देश/क्षेत्र	कवरेज
GPS	यूएसए	वैश्विक
ग्लोनास	रूस	वैश्विक

गैलिलियो	यूरोपीय संघ	वैश्विक
बेइदौ	चीन	वैश्विक
क्यूजैडएसएस	जापान	क्षेत्रीय (अर्ध-ज़ेनिथ)
नाविक	भारत	क्षेत्रीय (भारत + 1500 किमी)

महत्व और प्रभाव

- **स्ट्रेजिक कमज़ोरी:** इस नाकामी की वजह से भारतीय रक्षा बलों को हाई-प्रिसिजन मिसाइल गाइडेंस और सैनिकों की मूवमेंट के लिए विदेशी सिस्टम (GPS/GLONASS) पर वापस निर्भर होना पड़ा, जिससे वही निर्भरता फिर से पैदा हो गई जिसे NavIC से हल करना था।
- **स्मार्टफोन इंडीग्रेसन:** भारत में बिकने वाले 5G हैंडसेट में NavIC सपोर्ट को ज़रूरी करने की कोशिशें अभी रुकी हुई हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर खराब सिग्नल के हिसाब से डिवाइस को कैलिब्रेट नहीं कर सकते।
- **एविएशन और लॉजिस्टिक्स:** कमर्शियल एविएशन और शिपिंग, जो रीजनल ऑपरेशन के लिए NavIC पर जा रहे थे, उन्हें अब पुराने सिस्टम को प्लान से ज़्यादा समय तक बनाए रखना होगा।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **मिशन "NavIC-Restore":** ISRO ने **GSLV Mk II रॉकेट का इस्तेमाल करके NVS-03 और NVS-04** के लॉन्च को तेज़ कर दिया है, जिसका टारगेट 2026 के बीच तक 4-सैटेलाइट बेसलाइन को ठीक करना है।
- **L1 बैंड अपनाना:** भविष्य के सैटेलाइट **L1 फ्रीक्वेंसी (1575.42 MHz)** में ट्रांसमिट करेंगे, जो सिविलियन GPS के लिए सबसे पॉपुलर बैंड है, जिससे NavIC कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़्यादा "प्लग-एंड-प्ले" बन जाएगा।
- **स्वदेशी घड़ियां:** ISRO देश में बनी स्पेस-कालिफाइट एटॉमिक घड़ियों का प्रोडक्शन दोगुना कर रहा है, ताकि यह पक्का हो सके कि भविष्य में आने वाली घड़ियों में सब-सिस्टम की वही कमज़ोरियां न हों।

निष्कर्ष

अभी का NavIC संकट इस बात की साफ़ याद दिलाता है कि स्पेस सॉवरेनिटी के लिए सिर्फ़ एक बार लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लगातार और मज़बूत रीप्लेनिशमेंट साइकिल की ज़रूरत है। भारत को अपनी स्ट्रेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए, फर्स्ट जेनरेशन (IRNSS) से NVS सीरीज़ में ट्रांज़िशन बिना

किसी और देरी के पूरा करना होगा ताकि "आसमान में नज़रें" वापस ऑनलाइन आ सकें।

इज़राइल-ईरान संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा संकट

प्रसंग

इज़राइल और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा शैडो वॉर एक सीधी, हाई-इंटेंसिटी लड़ाई में बदल गया है, जिसमें इलाके के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले हुए हैं। इस "एनर्जी वॉर" ने दशकों में ग्लोबल तेल और गैस मार्केट में सबसे बड़ी रुकावट पैदा की है, जिससे ब्रेंट क्रूड \$115 प्रति बैरल से ज़्यादा हो गया है और यूरोप में गैस की कीमतें 30% से ज़्यादा बढ़ गई हैं।

संघर्ष के बारे में

- **इज़राइल का अपस्ट्रीम स्ट्राइक: 18 मार्च, 2026** को, इज़राइल ने ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड पर एक बड़ा एयरस्ट्राइक किया — जो दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस डिपॉज़िट है (कतर के साथ शेयर किया गया)। यह मिलिट्री साइट्स को टारगेट करने से ईरानी सरकार की "इकोनॉमिक लाइफब्लड" पर हमला करने की ओर एक बदलाव था।
- **ईरानी जवाबी कार्रवाई:** जवाब में, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने खाड़ी के पड़ोसियों के प्रति अपनी संयम की नीति छोड़ दी। ईरान ने US के सहयोगियों की कई मुख्य एनर्जी सुविधाओं पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें शामिल हैं:
 - **कतर:** ग्लोबल लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के लिए एक ज़रूरी हब, रास लाफ़ान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला।
 - **UAE:** हबशान गैस फैसिलिटी और बाब ऑयल फील्ड को टारगेट किया, जिससे कुछ समय के लिए ऑपरेशनल रोक लगा दी गई।
 - **सऊदी अरब:** पूर्वी प्रांत में गैस प्लांट पर हमले की कोशिश की गई, हालांकि सऊदी डिफेंस ने कई मिसाइलों को रोक दिया।
- **"होर्मुज स्ट्रैंगलहोल्ड":** ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से टैंकर ट्रैफिक को असरदार तरीके से रोक दिया है, जिससे दुनिया का 20% तेल और LNG आम तौर पर गुज़रता है।

वैश्विक प्रभाव

- **एनर्जी सिक्योरिटी:** "बहुत ज़्यादा एनर्जी की कमी" ने यूरोप को कमज़ोर बना दिया है क्योंकि वह गैस स्टोरेज को फिर से भरना चाहता है। एशियाई बाज़ार (भारत,

जापान, दक्षिण कोरिया) भी इसी तरह के सप्लाय इंटकों का सामना कर रहे हैं।

- **खाने का संकट:** खाड़ी के बंद होने से फर्टिलाइज़र (दुनिया भर में होने वाले प्रोडक्शन का 25% स्ट्रेट से होकर जाता है) और अनाज की शिपमेंट में रुकावट आई है। इससे दुनिया भर में खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, खासकर अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे इंपोर्ट पर निर्भर इलाकों में।
- **डिप्लोमैटिक टकराव:** ऐसा लगता है कि US और इज़राइल के बीच "स्ट्रेटेजिक टकराव" है। टंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू में ईरान पर हमले को मंजूरी दी थी, लेकिन प्रेसिडेंट टंप ने हाल ही में कहा कि उन्होंने साउथ पारस फील्ड पर खास हमले को मंजूरी नहीं दी थी और अगर ईरान ने कतर को टारगेट करना जारी रखा तो बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है।

भारत का रुख और घरेलू उपाय

भारत खास तौर पर कमज़ोर है क्योंकि वह अपने 50% कच्चे तेल और 90% LPG (कुकिंग गैस) इंपोर्ट के लिए खाड़ी देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है।

- **स्ट्रेटेजिक न्यूट्रैलिटी:** भारत ने खाड़ी देशों पर ईरानी हमलों की निंदा की है (UNSC प्रस्ताव को-स्पॉन्सर करते हुए), जबकि दोनों पक्षों के साथ अपनी "स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप" बनाए रखने के लिए US-इज़राइली हमलों पर सावधानी से चुप्पी साधे रखी है।
- **इमरजेंसी पावर्स:** भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और नेचुरल गैस (सप्लाय रेगुलेशन) ऑर्डर, 2026 को लागू किया है ताकि:
 - इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के बजाय घरों के लिए घरेलू LPG प्रोडक्शन को प्राथमिकता दें।
 - जमाखोरी रोकने के लिए सिलेंडर रिफिल के लिए ज़रूरी वेटिंग पीरियड (21 दिन से 25 दिन) बढ़ाएं।
 - तेल कंपनियों को सारा इन्वेंट्री और एक्सपोर्ट डेटा सरकार के साथ शेयर करना ज़रूरी करें।
- **"रशियन बफ़र":** खाड़ी संकट को कम करने के लिए, US ट्रेजरी ने मार्च 2026 में 30-दिन की छूट जारी की, जिससे भारतीय रिफ़ाइनर समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीद सकें।
- **बीच-बचाव की कोशिशें:** मिलिट्री दखल से बचते हुए, भारत अपने 10 मिलियन डायस्पोरा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सीज़फ़ायर की वकालत करने के लिए (ओमान के साथ) डिप्लोमैटिक चैनल तलाश रहा है।

निष्कर्ष

इज़राइल-ईरान का झगड़ा एक इलाके के बॉर्डर झगड़े से आगे बढ़कर एक "जियोइकोनॉमिक आग" बन गया है। भारत के लिए, यह संकट उसकी "एक्ट वेस्ट" पॉलिसी का टेस्ट है, जो इमरजेंसी घरेलू उपायों से एनर्जी सुरक्षित करने और वेस्ट एशियन सिक्वोरिटी सिस्टम को पूरी तरह से गिरने से रोकने के लिए बिखरे हुए ग्लोबल डिप्लोमैटिक माहौल में तालमेल बिठाने के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाने पर मजबूर करता है।

नई जीडीपी सीरीज (आधार वर्ष 2022-23)

प्रसंग

27 फरवरी, 2026 को, मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने नेशनल अकाउंट्स की एक नई सीरीज जारी की। यह पूरा अपडेट बेस ईयर को 2011-12 से 2022-23 में बदलकर मॉडर्न इंडियन इकॉनमी को दिखाता है, जिसमें महामारी के बाद की असलियत और डिजिटल-एज के कंजम्पशन पैटर्न को ऑफिशियल ग्रोथ अनुमानों में शामिल किया गया है।

नई सीरीज के बारे में

- **बदलाव की वजह:** 2011-12 के बेस को "पुराना" माना गया और यह पिछले दशक के स्ट्रक्चरल बदलावों, जैसे गिग इकॉनमी, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ने को शामिल नहीं कर पाया।
- **2022-23 का चुनाव:** 2019-2021 में COVID-19 की दिक्कतों के बाद इसे "नॉर्मल" साल के तौर पर चुना गया, ताकि भविष्य में तुलना के लिए एक स्टेबल बेंचमार्क मिल सके।
- **अनुमानित ग्रोथ (FY 2025-26):** * रियल GDP ग्रोथ: 7.6% अनुमानित (पुरानी सीरीज के तहत 7.4% से ऊपर की ओर संशोधित)।
 - नॉमिनल GDP ग्रोथ: 8.6% रहने का अनुमान है।

मुख्य समावेशन और कार्यप्रणाली

- **घरेलू खपत खर्च सर्वे (HCES) 2022-23:** इस सीरीज में लेटेस्ट HCES के डेटा को शामिल किया गया है, जो खाने से लेकर दूसरे खर्च पर होने वाले खर्च में बड़ा बदलाव दिखाता है।
- **डिजिटल इकॉनमी:** पहली बार, इस सीरीज में डिजिटल और प्लेटफॉर्म-बेस्ड सर्विसेज़ को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है, जिसमें शामिल हैं:
 - OTT सब्सक्रिप्शन (नेटफ्लिक्स, डिज़्नी+ हॉटस्टार, आदि)
 - साझा गतिशीलता (उबर, ओला)
 - ई-कॉमर्स और गिग वर्क (ज़ोमेटो, स्विगी, डंज़ो)

- **नए डेटा सोर्स: * GST नेटवर्क:** मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज़ के लिए रियल-टाइम ट्रांज़ैक्शन डेटा।
 - **ई-वाहन पोर्टल:** गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस की बेहतर ट्रैकिंग।
 - **PFMS (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम):** राज्यों में सरकारी खर्च का असली डेटा।
- **बेहतर डिफ्लेशन स्ट्रैटेजी: * डबल डिफ्लेशन:** इसे मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में इनपुट और आउटपुट दोनों में कीमत में बदलाव का अलग-अलग हिसाब रखने के लिए लागू किया जाता है, ताकि ग्रोथ का ज़्यादा अंदाज़ा लगाने से रोका जा सके।
 - **सिंगल एक्सट्रपलेशन:** दूसरे सेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पुराने सिंगल डिफ्लेशन मेथड की जगह लेता है।

प्रभाव और अवधारणाएँ

अवधारणा	नई सीरीज में परिभाषा
नाममात्र जीडीपी	अभी (2025-26) कीमतों पर सामान/सर्विस की मार्केट वैल्यू। नई सीरीज ने कथित तौर पर कुल नॉमिनल GDP वैल्यू को 3-4% कम कर दिया है , जिससे फिस्कल डेफिसिट टारगेट कड़े हो सकते हैं।
वास्तविक जीडीपी	GDP को नए 2022-23 बेस ईयर प्राइस का इस्तेमाल करके महंगाई के लिए एडजस्ट किया गया है। यह "सिर्फ वॉल्यूम" ग्रोथ की तुलना करने की सुविधा देता है।
जीडीपी डिफ्लेटर	एक रेश्यो जो सभी नए, देश में बने, फाइनल सामान और सर्विस की कीमतों के लेवल को मापता है। नए 2022-23 डेटा के साथ, डिफ्लेटर 2011-12 सीरीज की तुलना में ज़्यादा सटीक (और अक्सर कम) महंगाई एडजस्टमेंट देता है।

महत्व

- **इन्वेस्टर क्रेडिबिलिटी:** डेटा को मॉडर्न बनाने से भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी के तौर पर अपनी रेप्युटेशन बनाए रखने में मदद मिलती है, साथ ही "पुराने" स्टैटिस्टिक्स को लेकर IMF की चिंताओं को भी दूर किया जा सकता है।
- **पॉलिसी की सटीकता:** इनफॉर्मल और अनइनकॉरपोरेटेड सेक्टर को बेहतर तरीके से कैप्चर करने से यह पक्का होता है कि सरकारी स्कीम प्रॉक्सी

इंडिकेटर्स के बजाय सही ज़मीनी हकीकत पर आधारित हों।

- **सेक्टर में बदलाव:** नई सीरीज़ **मैनुफैक्चरिंग में उछाल** (Q3 FY26 में डबल-डिजिट ग्रोथ) को दिखाती है और नेशनल इनकम में टर्शियरी सेक्टर के बढ़ते हिस्से को दिखाती है।

निष्कर्ष

2022-23 बेस ईयर में बदलाव सिर्फ एक टेक्निकल बात नहीं है; यह भारत की \$4-ट्रिलियन इकॉनमी के लिए एक "हाई-डेफिनिशन" लेंस है। हालांकि नए तरीके से बताए गए आंकड़ों में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन नतीजा डेटा ज़्यादा भरोसेमंद, ट्रांसपैरेंट और महामारी के बाद के डिजिटल-फर्स्ट भारत को दिखाता है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम)

प्रसंग

15 अगस्त, 2019 को लॉन्च हुआ **जल जीवन मिशन (JJM)** भारत सरकार का एक खास प्रोग्राम है जिसका मकसद "हर घर जल" देना है। **मार्च 2026 में**, यूनियन कैबिनेट ने **जल जीवन मिशन 2.0 को ऑफिशियली मंजूरी दी**, जिससे मिशन की डेडलाइन **दिसंबर 2028 तक बढ़ गई** और फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से हटाकर लंबे समय तक सर्विस देने और सस्टेनेबिलिटी पर आ गया।

मिशन विवरण

- **मुख्य लक्ष्य:** हर ग्रामीण घर को चालू घरेलू नल कनेक्शन (FHTCs) के ज़रिए हर व्यक्ति को हर दिन **55 लीटर पीने का पानी** देना।
- **नोडल मंत्रालय:** जल शक्ति मंत्रालय।
- **तरीका:** एक डीसेंटलाइज़्ड, कम्युनिटी-मैनेज्ड प्रोग्राम जो **जनभागीदारी** (लोगों की भागीदारी) पर ज़ोर देता है। यह सोर्स सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्रे-वाटर मैनेजमेंट, वॉटर कंज़र्वेशन और रेनवॉटर हार्वेस्टिंग को जोड़ता है।
- **ग्लोबल अलाइनमेंट:** **यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDG) 6** को सीधे सपोर्ट करता है, जिसका मकसद 2030 तक "सभी के लिए साफ़ पानी और सैनिटेशन" है।

स्थिति और विस्तार

- **कवरेज स्टेटस:** लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से, लगभग **15.82 करोड़ (81.76%)** को नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं।
- **डेडलाइन बढ़ाना:** COVID-19 महामारी, मुश्किल इलाके और फंडिंग की कमी जैसी चुनौतियों की वजह से ओरिजिनल 2024 का टारगेट पूरा नहीं हो पाया। यूनियन

बजट 2025-26 और उसके बाद कैबिनेट के फैसलों ने टाइमलाइन को **दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है**।

- **बढ़ा हुआ खर्च:** कुल प्रोजेक्ट खर्च बढ़ाकर **₹8.69 लाख करोड़ कर दिया गया है**, जिसमें केंद्र का हिस्सा बढ़ाकर ₹3.59 लाख करोड़ कर दिया गया है।

JJM 2.0 की मुख्य विशेषताएं

- **सुजलम भारत:** एक नया नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क जो हर गांव को एक यूनिक **सुजल गांव ID देता है** ताकि सोर्स से लेकर नल तक पूरी वॉटर सप्लाई चेन को मैप किया जा सके।
- **जल अर्पण और जल उत्सव:** ग्राम पंचायतों को पानी की संपत्ति सौंपने को औपचारिक रूप देने और समुदाय द्वारा किए जाने वाले रखरखाव का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम।
- **सुधार से जुड़े MoUs:** केंद्र, फंड रिलीज़ को असल सर्विस डिलीवरी और पानी की क्वालिटी मेट्रिक्स से जोड़ने के लिए राज्यों (जैसे राजस्थान, UP और महाराष्ट्र) के साथ एग्रीमेंट कर रहा है।
- **क्वालिटी पर ध्यान दें: आर्सेनिक और फ्लोराइड कंटैमिनेशन** से प्रभावित बस्तियों को शॉर्ट-टर्म उपायों और परमानेंट पाइपड सॉल्यूशन, दोनों के साथ प्रायोरिटी दें।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **फंक्शनैलिटी में कमी:** रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ इलाकों में "सिर्फ पाइपलाइन" वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है—जहां नल तो लगे हैं लेकिन सोर्स की खराब सस्टेनेबिलिटी की वजह से पानी की सप्लाई या तो कभी-कभी होती है या होती ही नहीं।
- **भ्रष्टाचार और चूक:** केंद्र ने हाल ही में 400 से ज़्यादा गांवों में इंस्पेक्शन किया, जिसके कारण 236 कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया गया और प्रोसेस और क्वालिटी उल्लंघन के लिए सैकड़ों अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की गई।
- **पानी की क्वालिटी:** तरक्की के बावजूद, **11,000 से ज़्यादा बस्तियों में** अभी भी पानी की क्वालिटी से जुड़ी दिक्कतें हैं। लगातार बैक्टीरियोलॉजिकल और केमिकल सेफ्टी पक्का करना एक मुश्किल काम है।
- **ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M):** कई ग्राम पंचायतों के पास शुरुआती कंस्ट्रक्शन का दौर खत्म होने के बाद पुराने पाइप और पंप को ठीक करने के लिए टेक्निकल जानकारी या पैसे की कमी होती है।

निष्कर्ष

जल जीवन मिशन तेज़ी से बढ़ने वाले "मिशन मोड" से भरोसेमंद सर्विस वाले "यूटिलिटी मोड" में बदल रहा है। हालांकि 2028 तक

बढ़ाने से बाकी 18% घरों को कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी बफर मिलेगा, लेकिन JJM 2.0 की सफलता लगाए गए नलों की संख्या से नहीं, बल्कि उनसे बहने वाले पानी की रेगुलरिटी और शुद्धता से मापी जाएगी।

मनरेगा बनाम वीबी-जी राम जी अधिनियम

प्रसंग

दिसंबर 2025 में, भारत की संसद ने **विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट पास किया**, जिसे आमतौर पर **VB-G RAM G** के नाम से जाना जाता है। यह कानून महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA), 2005 को ऑफिशियली रद्द करता है और उसकी जगह लेता है। 2026 की शुरुआत से, यह बदलाव चल रहा है, जो दो दशकों में भारत की रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव है।

मुख्य तुलना: MGNREGA बनाम VB-G RAM G

विशेषता	मनरेगा (2005)	वीबी-जी रैम जी एक्ट (2025)
पात्रता	100 दिनों की कानूनी गारंटी।	125 दिनों की बढ़ी हुई गारंटी।
नमूना	डिमांड-ड्रिवन: वर्कर की डिमांड के आधार पर काम दिया गया; बजट ओपन-एंडेड था।	सप्लाई-ड्रिवन (नॉर्मेटिव): केंद्र एक कम्पोजिट इंडेक्स के आधार पर "नॉर्मेटिव एलोकेशन" देता है।
फंडिंग पैटर्न	केंद्र ने 100% अनस्किल्ड मज़दूरी + 75% मटीरियल कॉस्ट का पेमेंट किया।	सेंट्रली स्पॉन्सर्ड (CSS): आम राज्यों के लिए 60:40 (सेंटर:स्टेट); NE/हिमालयी राज्यों के लिए 90:10।
कृषि समन्वय	खेती के मौसम के लिए पूरे देश में कोई ज़रूरी रोक नहीं।	बुवाई/कटाई के पीक सीज़न के दौरान 60 दिन का ज़रूरी ब्रेक (कुल मिलाकर)।

कार्य चयन	मोटे तौर पर ग्राम पंचायतें तय करेंगी।	PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेटेड 4 प्रायोरिटी वर्टिकल्स के साथ अलाइन किया गया।
-----------	---------------------------------------	--

नए वैधानिक कार्यक्षेत्र

VB-G RAM G फ्रेमवर्क के तहत, सभी कामों को चार खास डोमेन में ड्यूरेबल एसेट्स में योगदान देना होगा:

- जल सुरक्षा:** जल निकायों का कायाकल्प (मिशन अमृत सरोवर) और भूजल पुनर्भरण।
- कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर:** कनेक्टिविटी, सड़कें, और गांव की बुनियादी संपत्तियां।
- आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर:** स्टोरेज यूनिट, बाज़ार और प्रोडक्शन से जुड़ी संपत्तियां।
- क्लाइमेट रेजिलिएंस:** खराब मौसम की घटनाओं को कम करना और आपदा-रोधी कंस्ट्रक्शन।

महत्वपूर्ण चिंताएँ और चुनौतियाँ

- राज्यों पर फ़ाइनेंशियल बोझ: 60:40 फंडिंग रेश्यो (जहां पहले राज्य मज़दूरी के लिए लगभग कुछ भी नहीं देते थे)** में बदलाव का केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने कड़ा विरोध किया है, जो राज्य के खजाने पर बढ़ते दबाव का हवाला देते हैं।
- अधिकारों का सेंट्रलाइज़ेशन:** आलोचकों का कहना है कि "नॉर्मेटिव एलोकेशन" असल में "काम करने के अधिकार" को कम कर देते हैं। अगर कोई राज्य अपना सेंट्रल कोटा खत्म कर देता है, तो किसी भी एक्स्ट्रा रोज़गार के लिए पूरी फंडिंग राज्य को ही करनी होगी, जिससे गरीब इलाकों में काम मिलने से मना किया जा सकता है।
- "खेती में रुकावट":** हालांकि इसका मकसद किसानों के लिए मज़दूरी की कमी को रोकना है, लेकिन एक्टिविस्ट को चिंता है कि 60 दिन की ज़रूरी रुकावट से सबसे कमज़ोर ज़मीनहीन मज़दूरों को उन महीनों में कोई इनकम नहीं हो सकती है।
- फ़ेडरलिज़म के मुद्दे:** फंड देने के लिए "ऑब्जेक्टिव पैरामीटर" तय करने की केंद्र की शक्ति ने राजनीतिक भेदभाव का डर पैदा कर दिया है, जहाँ केंद्र सरकार के साथ जुड़े राज्यों को फंड देने को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- टेक्नोलॉजिकल रुकावटें:** ज़रूरी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और AI-बेस्ड फ़ॉड डिटेक्शन का मकसद करप्शन को रोकना है, लेकिन खराब

कनेक्टिविटी या बायोमेट्रिक रीड में फेलियर वाले इलाकों में वर्कर्स इससे बाहर हो सकते हैं।

संक्रमण का महत्व

सरकार VB-G RAM G को "वेलफेयर डोल्स" से "प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट" की ओर एक कदम के तौर पर देखती है। गांव के लेबर को हाई-वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर (विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के ज़रिए) से जोड़कर, यह एक्ट यह पक्का करना चाहता है कि मज़दूरी पर खर्च किया गया हर रुपया एक परमानेंट एसेट भी बनाए जो लंबे समय तक गांव की इकॉनमी को बेहतर बनाए।

निष्कर्ष

VB-G RAM G एक्ट भारत में ग्रामीण रोज़गार की सोच में एक बड़ा बदलाव दिखाता है—यह एक ओपन-एंडेड सोशल सेप्टी नेट से एक स्ट्रक्चर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित डेवलपमेंट मॉडल की ओर बढ़ रहा है। हालांकि 125 दिन तक बढ़ाना एक अच्छा कदम है, लेकिन एक्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या "नॉर्मेटिव एलोकेशन" मॉडल सच में काम की कानूनी गारंटी का सम्मान कर सकता है, बिना फिस्कल या पॉलिटिकल राशनिंग का टूल बने।

भारत-म्यांमार सीमा और मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR)

प्रसंग

2024 की शुरुआत में, भारत सरकार ने ऑफिशियली फ्री मूवमेंट रिज़ीम (FMR) को खत्म करने का कदम उठाया और 1,643 km लंबे भारत-म्यांमार बॉर्डर पर पूरी तरह से फेंसिंग करने का ऐलान किया। मार्च 2026 तक, यह बदलाव भारत की इंटरनल सिक्योरिटी स्टैटेजी का एक अहम हिस्सा बन गया है, जिसका मकसद नॉर्थ ईस्ट को स्थिर करना और म्यांमार में चल रहे सिविल वॉर के असर को रोकना है।

समाचार के बारे में

- **फ़ैसला:** गृह मंत्रालय (MHA) ने बॉर्डर वाले राज्यों के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को बनाए रखने और नेशनल सिक्योरिटी पक्का करने के लिए FMR को तुरंत सस्पेंड करने की सिफ़ारिश की।
- **बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट:** * कुल लंबाई: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम में 1,643 km.
 - **प्रोग्रेस:** 2025 के आखिर तक, लगभग 30 km तक फेंसिंग कर दी गई है, और मोरेह (मणिपुर) जैसे सेंसिटिव सेक्टर में हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम का पायलट ट्रायल किया जा रहा है।

- **टाइमलाइन:** बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन (BRO) को 2035-36 तक इस पूरे हिस्से को पूरा करने का काम सौंपा गया है।

- **नोडल एजेंसियां:** गृह मंत्रालय (MHA) और विदेश मंत्रालय (MEA), जिसमें असम राइफल्स मुख्य सुरक्षा बल के तौर पर काम कर रही है।

FMR नीति: एक ऐतिहासिक बदलाव

विशेषता	मूल एफएमआर (2024 से पहले)	नई स्थिति (2024-2026)
यात्रा सीमा	बिना वीज़ा/पासपोर्ट के 16 km तक।	सस्पेंड; आने-जाने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
ठहरने की अवधि	2 हफ़्ते तक।	43 एंटी पॉइंट्स से रोक/निगरानी।
सत्यापन	सिंपल बॉर्डर पास।	बायोमेट्रिक एनरोलमेंट और ज़रूरी रिपोर्टिंग।
उद्देश्य	जातीय/पारिवारिक संबंधों को आसान बनाना।	इंटरनल सिक्योरिटी और एंटी-इंसर्जेंसी को प्राथमिकता दें।

सुरक्षा खतरे और भू-राजनीतिक चुनौतियाँ

- **मणिपुर में जातीय संघर्ष:** कुकी -मेइतेई संघर्ष (2023-2025+) खुली सीमा की वजह से और बढ़ गया है, जिससे मिलिटेंट्स को म्यांमार के "बिना शासन वाले" चिन राज्य में पीछे हटने का मौका मिल गया है।
- **विदेशी प्रॉक्सी हस्तक्षेप:** * मार्च 2026 में, एनआईए ने भारतीय विद्रोही समूहों का समर्थन करने वाले म्यांमार-आधारित विद्रोहियों को प्रशिक्षण देने के संदेह में सात विदेशी नागरिकों (एक अमेरिकी सुरक्षा विश्लेषक और छह यूक्रेनियन सहित) को गिरफ़्तार किया।
 - **ड्रोन वॉरफेयर:** सितंबर 2024 में मिलिटेंट्स ने पहली बार भारतीय ज़मीन पर हथियार वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया। शक है कि यह तरीका म्यांमार सिविल वॉर से लिया गया है।
- **टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल:** विद्रोही ग्रुप्स को इंडियन ग्रिड मॉनिटरिंग को बायपास करने के लिए स्टारलिक सैटेलाइट इंटरनेट और हाई-टेक एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया है।

- **गैर-कानूनी व्यापार:** "गोल्डन ट्राएंगल" नशीले पदार्थों (अफीम/सिंथेटिक ड्रग्स) और गैर-कानूनी लकड़ी/जंगली जानवरों की तस्करी में भारी उछाल।

रणनीतिक महत्व: एक्ट ईस्ट बनाम आंतरिक सुरक्षा

- **"चिकन नेक" विकल्प:** म्यांमार दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एकमात्र जमीनी पुल है। **कलादान मल्टी-मॉडल प्रोजेक्ट** (कोलकाता को सित्तवे पोर्ट से जोड़ने वाला) जैसे प्रोजेक्ट, संकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बायपास करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
- **ट्राइलेटरल हाईवे:** इंडिया -म्यांमार-थाईलैंड हाईवे 2026 के लिए टॉप प्रायोरिटी बना हुआ है, हालांकि म्यांमार जुंटा के रेजिस्टेंस फोर्स (PDF/EAGs) से इलाके खोने की वजह से कंस्ट्रक्शन धीमा हो गया है।
- **इकोनॉमिक इंटीग्रेशन:** भारत अपने नॉर्थ ईस्ट को "एशिया का गेटवे" बना रहा है, लेकिन इसके लिए खुले व्यापार और एक "अभेद्य" सिक्वोरिटी बैरियर के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाना होगा।

निष्कर्ष

FMR को खत्म करने से नॉर्थ ईस्ट में "सॉफ्ट बॉर्डर्स" का दौर खत्म हो गया है। हालांकि यह लाइन से बंटे हुए जातीय समुदायों के लिए चुनौतियां खड़ी करता है, लेकिन भारत सरकार इसे इस इलाके को इंटरनेशनल प्रॉक्सी वॉर का अड्डा बनने से रोकने के लिए एक ऐसा कदम मानती है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस कदम की सफलता बाड़ लगाने की स्पीड और म्यांमार को स्थिर करने वाली किसी भी ताकत के साथ डिप्लोमैटिक रिश्ते बनाए रखने की काबिलियत पर निर्भर करती है।

हिंद महासागर क्षेत्र

प्रसंग

16 मार्च, 2026 को इंडियन नेवी ने **इंडियन ओशन शिप (IOS) SAGAR** पहल का दूसरा एडिशन शुरू किया। इस खास ऑपरेशनल एंगेजमेंट प्रोग्राम में **16 दोस्त देशों (खासकर इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम - IONS के सदस्य देश) के नेवी के लोग शामिल हैं। INS सुनयना** की लीडरशिप में यह मिशन, फरवरी 2026 में IONS की चेरमैनशिप संभालने के बाद भारत की लीडरशिप भूमिका को दिखाता है।

हिंद महासागर क्षेत्र के बारे में

- **परिभाषा:** एक बड़ा समुद्री इलाका जिसमें तटीय देश, द्वीप देश और एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाले बड़े ट्रेड रूट शामिल हैं।
- **भूगोल:** * यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है।

- **सीमाएं:** उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिणी महासागर।
- **पहुंच:** 36 समुद्र के किनारे बसे देशों के साथ इसकी सीधी सीमा है और 14 जमीन से घिरे देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है।
- **स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स:** **होर्मुज स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, बाब-अल-मंडेब और स्वेज नहर** सहित महत्वपूर्ण ग्लोबल ट्रांजिट पॉइंट्स का घर।

प्रमुख विशेषताएं

- **एसिमेट्रिक सर्कुलेशन:** यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका **सरफेस सर्कुलेशन** सिस्टम हर छह महीने में बदलता रहता है, जो मानसूनी हवाओं से चलता है।
- **इकोनॉमिक पावरहाउस:** इसके पास ऑफशोर तेल और नेचुरल गैस के बड़े भंडार हैं (खासकर फारस की खाड़ी में) और यह दुनिया भर में मछली पकड़ने का एक बड़ा हिस्सा है।
- **स्ट्रेटेजिक आइलैंड चेन:** इसमें **मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, कोमोरोस और मेडागास्कर** जैसे ज़रूरी समुद्री हब शामिल हैं।
- **मरीन बायोडायवर्सिटी:** दुनिया के लगभग 25% कोरल रीफ और बड़े मैंग्रोव जंगल यहीं हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ज़रूरी हैं।
- **सिक्वोरिटी फ्रेमवर्क:** यह इलाका **SAGAR** (सिक्वोरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) और बड़े **MAHASAGAR** (म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्वोरिटी अक्रॉस द रीजन) फ्रेमवर्क जैसे मिलकर काम करने वाले विज़न से चलता है।

महत्व

- **ग्लोबल एनर्जी आर्टरी:** दुनिया का 80% से ज़्यादा समुद्री तेल का व्यापार इन्हीं पानी से होकर गुजरता है, जिससे ग्लोबल एनर्जी सिक्वोरिटी के लिए इलाके की स्थिरता बहुत ज़रूरी हो जाती है।
- **इंडो-पैसिफिक पिवट:** अटलांटिक और पैसिफिक के बीच पुल के तौर पर, यह इंडो-पैसिफिक कंस्ट्रक्शन का सेंटर है, जहाँ बड़ी ताकतें स्ट्रेटेजिक असर के लिए मुकाबला करती हैं।
- **भारत की अहमियत:** समुद्र के सबसे ऊपरी हिस्से पर **7,517 km के समुद्र तट** के साथ, भारत इस इलाके में मानवीय मदद और आपदा राहत (HADR) के लिए एक **नेट सिक्वोरिटी प्रोवाइडर** और "फर्स्ट रिस्पॉन्डर" के तौर पर काम करता है।

चुनौतियां

- **समुद्री सुरक्षा:** समुद्री डकैती, ड्रग तस्करी, और गैर-कानूनी, बिना रिपोर्ट की गई, और बिना नियम के (IUU) मछली पकड़ने से खतरा।
- **जियोपॉलिटिकल मुकाबला:** बाहरी ताकतों का बढ़ता मिलिट्रीकरण और "स्ट्रिंग ऑफ़ पर्स" स्ट्रैटेजी, जो समुद्र के किनारे बसे देशों पर असर डालना चाहती हैं।
- **क्लाइमेट चेंज:** समुद्र का बढ़ता लेवल मालदीव और सेशेल्स जैसे निचले आइलैंड देशों के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा कर रहा है।

निष्कर्ष

हिंद महासागर अब सिर्फ एक "बैकयार्ड" नहीं रहा, बल्कि 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का सेंटर स्टेज बन गया है। **IOS SAGAR 2026 जैसे इनिशिएटिव** दिखाते हैं कि भारत एक रीजनल पावर से एक कोलेबोरेटिव लीडर बन रहा है, जो इंटरऑपरेबिलिटी और भरोसे को बढ़ावा देता है ताकि यह पक्का हो सके कि महासागर शांति और खुशहाल कॉमर्स का ज़ोन बना रहे।

लघु जल विद्युत (एसएचपी) विकास योजना

प्रसंग

मार्च 2026 में, यूनियन कैबिनेट ने **FY 2026-27 से FY 2030-31** के समय के लिए **स्मॉल हाइड्रो पावर (SHP) डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी। ₹2,584.60 करोड़** के डेडिकेटेड खर्च के साथ, इस स्कीम का मकसद देश के रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स को मज़बूत करने के लिए दूर-दराज और पहाड़ी इलाकों में भारत की बड़ी, बिना इस्तेमाल की गई हाइड्रो क्षमता का इस्तेमाल करना है।

योजना के बारे में

- **यह क्या है:** यह एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड पहल है जो **1 MW से 25 MW** के बीच कैपेसिटी वाले छोटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लगाने और चालू करने पर फोकस करती है।
- **नोडल मंत्रालय:** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)।
- **लॉन्च पीरियड:** मार्च 2026 (ऑपरेशनल 2031 तक)।
- **उद्देश्य:**
 - 2030 तक भारत के **500 GW नॉन-फॉसिल प्यूल कैपेसिटी के क्लाइमेट गोल में योगदान देना।**
 - ग्रामीण और बॉर्डर इलाकों को साफ़, डीसेंट्रलाइज़्ड बिजली देना।
 - ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) लॉस जैसी टेक्निकल रुकावटों को कम करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- **फाइनेंशियल लेवरेज:** सरकार का ₹2,584.60 करोड़ का एलोकेशन लगभग **₹15,000 करोड़ के टोटल सेक्टरल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।**
- **प्रोजेक्ट पाइपलाइन सपोर्ट:** 200 संभावित प्रोजेक्ट्स के लिए **डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPRs)** तैयार करने के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को **₹30 करोड़** का खास हिस्सा दिया जाता है।
- **घरेलू अधिदेश: आत्मनिर्भर भारत** के अनुरूप, सीएफए के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए संयंत्र और मशीनरी का 100% घरेलू निर्माताओं से प्राप्त किया जाना चाहिए।
- **डिस्ट्रीब्यूटेड जेनरेशन:** लोकल ग्रिड पर फोकस करता है, जिससे महंगी, लंबी दूरी की हार्ड-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों की ज़रूरत कम हो जाती है।

महत्व

- **पर्यावरण में तालमेल:** "मेगा" हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के उलट, SHPs का पर्यावरण पर कम असर होता है। इनके लिए आम तौर पर बड़े डैम, बड़े पैमाने पर ज़मीन अधिग्रहण, या स्थानीय लोगों को हटाने की ज़रूरत नहीं होती।
- **ग्रिड स्टेबिलिटी:** डीसेंट्रलाइज़्ड पावर जेनरेशन मुश्किल इलाकों (हिमालय, वेस्टर्न घाट) में लोकल ग्रिड को स्टेबल करने में मदद करता है, जहाँ सेंट्रल ग्रिड कनेक्टिविटी अक्सर रुक जाती है।
- **सामाजिक-आर्थिक असर:** दूर-दराज के "लास्ट-माइल" गांवों को भरोसेमंद बिजली देता है, लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है और बॉर्डर इलाकों में जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाता है।

चुनौतियाँ

- **इलाके की मुश्किलें:** ज़्यादा लॉजिस्टिक खर्च और पानी के बहाव में मौसम के बदलाव, ऊंचाई वाले इलाकों में प्रोजेक्ट्स की कमर्शियल कामयाबी पर असर डाल सकते हैं।
- **एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस:** अपने छोटे साइज़ के बावजूद, इकोलॉजिकली सेंसिटिव ज़ोन में प्रोजेक्ट्स को अभी भी कड़ी (हालांकि आसान) रेगुलेटरी जांच का सामना करना पड़ता है।
- **शुरुआती कैपिटल:** सोलर या विंड प्रोजेक्ट्स के मुकाबले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में कैपिटल ज़्यादा लगता है, इसलिए इस स्कीम में ज़्यादा CFA लेवल देना ज़रूरी है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **हाइब्रिड मॉडल:** साल भर एक जैसी बिजली सप्लाई पक्का करने के लिए छोटे हाइड्रो को फ्लोटिंग सोलर या विंड एनर्जी के साथ जोड़ने की कोशिश।
- **डिजिटल मॉनिटरिंग:** मुश्किल इलाकों में बिना आदमी वाले SHP स्टेशनों को मैनेज करने के लिए IoT-बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना।
- **कम्युनिटी की भागीदारी:** लोकल पंचायतों या कोऑपरेटिव को छोटी यूनिट्स (5 MW से कम) को मैनेज करने के लिए बढ़ावा देना, ताकि लोकल मेंटेनेंस और ओनरशिप पक्की हो सके।

निष्कर्ष

SHP डेवलपमेंट स्कीम भारत की एनर्जी ट्रांज़िशन पहली का एक अहम हिस्सा है। देसी मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर और "रन-ऑफ़-द-रिवर" टेक्नोलॉजी पर ध्यान देकर, सरकार यह पक्का कर रही है कि 500 GW ग्रीन एनर्जी की कोशिश इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो और भारत के सबसे दूर-दराज के नागरिकों के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से इनकलूसिव हो।

RISA: टाइमलेस ट्राइबल

प्रसंग

18 मार्च, 2026 को, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, श्री जुआल ओराम ने नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में "**RISA: टाइमलेस ट्राइबल**" लॉन्च किया। इस प्रीमियम सिग्रेचर ब्रांड को भारत ट्राइबल फेस्ट 2026 (पहले आदि महोत्सव) के दौरान लॉन्च किया गया था ताकि देसी कारीगरी को ग्लोबल लम्बरी फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट में ऊपर उठाया जा सके।

ब्रांड के बारे में

- **यह क्या है:** ट्राइबल टेक्सटाइल, एम्ब्रॉयडरी और हैंडीक्राफ्ट के लिए एक हाई-एंड नेशनल ब्रांड। इसका मकसद ट्राइबल प्रोडक्ट्स को सिर्फ पारंपरिक चीजों के बजाय एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल ऑफरिंग के तौर पर फिर से पेश करना है।
- **एटिमोलॉजी:** 'RISA' नाम त्रिपुरा के पारंपरिक हाथ से बुने हुए स्टोल से प्रेरित है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहना जाने वाला एक स्थायी सांस्कृतिक प्रतीक है।
- **नोडल मंत्रालय:** जनजातीय मामलों का मंत्रालय (MoTA)।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड)।
- **मकसद:** * कारीगरों को सीधे प्रीमियम मार्केट से जोड़कर, ज़मीनी स्तर पर सही प्रॉफ़िट शेयरिंग पक्का करना।

- पुरानी आदिवासी तकनीकों और आज की ग्लोबल डिमांड के बीच के अंतर को कम करना।
- खतरे में पड़े आदिवासी करघों और पारंपरिक ज्ञान सिस्टम को बचाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **टियर्ड स्ट्रैटेजी:** यह पहल चार पिलर्स पर बनी है: डिज़ाइन इंटरवेंशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रीमियम पैकेजिंग।
- **पहला फेज़ (10 क्लस्टर):** शुरुआती फोकस पूरे भारत में 10 क्लस्टर पर है, जिसमें 5 खास बुनाई, 2 कढ़ाई और 3 क्राफ्ट शामिल हैं।
- **स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप:** ट्रेडिशनल मोटिफ्स को मॉडर्न सिल्हूट्स के साथ मिलाने के लिए जाने-माने इंडियन डिज़ाइनर्स (जैसे, अबू जानी संदीप खोसला, मनीष त्रिपाठी, अंजू मोदी) के साथ कोलेबोरेशन।
- **सस्टेनेबल पैकेजिंग:** नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन (NID), हरियाणा ने ग्लोबल लम्बरी मार्केट के लिए इको-फ्रेंडली, प्रीमियम पैकेजिंग बनाई है।
- **इटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर:** रेडी-टू-वियर प्रोडक्शन को मुमकिन बनाने के लिए मौजूदा वीविंग क्लस्टर में स्टिचिंग यूनिट्स लगाना।

महत्व

- **आर्थिक सशक्तिकरण:** खास तौर पर महिला कारीगरों को टारगेट करता है, उन्हें अपस्किंग और वैल्यू एडिशन के ज़रिए इनकम में अच्छी बढ़ोतरी देता है।
- **वोकल फॉर लोकल:** लोकल विरासत को ग्लोबल लेवल पर कम्पेटिटिव ब्रांड में बदलकर "मेक इन इंडिया" के लिए इकोसिस्टम को मजबूत करता है।
- **कल्चरल प्रिजर्वेशन:** यह ट्रेडिशनल मोटिफ्स और टेक्निक्स को तेज़ी से बदलते मॉडर्न फैशन इंडस्ट्री में रिलिवेंट रखकर एक "लिविंग म्यूजियम" की तरह काम करता है।

निष्कर्ष

"RISA: टाइमलेस ट्राइबल" आदिवासी विकास में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जो वेलफेयर-बेस्ड मदद से एंटरप्राइज-लेड एम्पावरमेंट की ओर बढ़ रहा है। देसी क्रिएटिविटी को हाई-फैशन सेंसिबिलिटीज़ के साथ जोड़कर, ब्रांड यह पक्का करता है कि आदिवासी कारीगर सिर्फ अपने काम के सर्वाइवर ही नहीं हैं, बल्कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में कामयाब पार्टनर भी हैं।

मॉडल और मैनुफैक्चरर्स की अप्रूव्ड लिस्ट (ALMM) फ्रेमवर्क

प्रसंग

घरेलू वैल्यू एडिशन को और बढ़ाने के एक स्ट्रेटेजिक कदम के तहत, **मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) ने 2025-26 में ALMM फ्रेमवर्क को बढ़ाया है।** नए मैडेट में **सोलर इनगॉट और वेफर्स शामिल हैं, जो सोलर सेल के अपस्ट्रीम कंपोनेंट हैं, जो 1 जून, 2028 से लागू होंगे।** इस विस्तार का मकसद इम्पोर्ट पर स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस को कम करना और घरेलू सोलर सप्लाई चेन को पूरा करना है।

फ्रेमवर्क के बारे में

- **यह क्या है:** ALMM एक क्वालिटी और रिलायबिलिटी बेंचमार्क रजिस्ट्री है। यह पक्का करता है कि भारतीय प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले सोलर कंपोनेंट्स सख्त घरेलू मैनुफैक्चरिंग और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं।
- **लॉन्च किया गया:** 2019 (ALMM ऑर्डर, 2019 के तहत)।
- **नोडल मंत्रालय:** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)।
- **उद्देश्य:** * रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में **आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना।**
 - सोलर कंपोनेंट्स के लिए हाई-क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ज़रूरी बनाना।
 - इम्पोर्ट पर निर्भरता (खासकर चीन से) कम करना और पुरानी टेक्नोलॉजी की डंपिंग को रोकना।

प्रमुख विशेषताएँ

- **ज़रूरी सर्टिफिकेशन:** सिर्फ़ ALMM में लिस्टेड मैनुफैक्चरर ही सरकारी मदद वाले प्रोजेक्ट, नेट मीटरिंग/ओपन एक्सेस स्कीम, और **इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 63 के तहत आने वाले प्रोजेक्ट के लिए कंपोनेंट सप्लाई कर सकते हैं।**
- **स्तरित संरचना:**
 - **लिस्ट-I:** सोलर PV मॉड्यूल (एक्टिव)।
 - **सूची-II:** सौर पीवी सेल (सक्रिय)।
 - **सूची-III:** सौर सिल्लियाँ और वेफर्स (जून 2028 से प्रभावी)।
- **फिजिकल वेरिफिकेशन:** एनलिस्टमेंट ऑटोमैटिक नहीं होता; इसके लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी और क्वालिटी कंट्रोल को वेरिफाई करने के लिए **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोलर एनर्जी (NISE)** द्वारा

मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी का टेक्निकल ऑडिट ज़रूरी है।

- **नॉन-टैरिफ बैरियर: यह डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (DCR) पॉलिसी को मज़बूत करने के लिए एक रेगुलेटरी टूल के तौर पर काम करता है, जिससे यह पक्का होता है कि सोलर पैनल का "दिल" भारत में ही बना है।**
 - **ग्रेडफादरिंग प्रोविज़न:** इसमें पहले से पाइपलाइन में चल रहे प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए क्लॉज़ शामिल हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि अचानक पॉलिसी में बदलाव से डेवलपर्स को पैसे की तंगी न हो।
- ### महत्व
- **सप्लाई चेन सिक्वोरिटी:** इनगॉट और वेफर्स को शामिल करके, भारत इम्पोर्टेड पार्ट्स के सिर्फ़ "असेंबलर" से एक फुल-स्पेक्ट्रम मैनुफैक्चर बन गया है।
 - **क्वालिटी एश्योरेंस:** भारतीय बाज़ार को घटिया या कम एफिशिएंसी वाले सोलर प्रोडक्ट्स का डंपिंग ग्राउंड बनने से रोकता है।
 - **आर्थिक असर:** हाई-टेक मैनुफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है और अपस्ट्रीम सोलर टेक्नोलॉजी में हाई-स्किल्ड रोज़गार पैदा करता है।
 - **ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस:** यह भारतीय मैनुफैक्चरर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए तैयार करता है, जिससे भारत सोलर कंपोनेंट्स का नेट एक्सपोर्ट बन सकता है।

चुनौतियाँ

- **लागत में बढ़ोतरी:** घरेलू कम्पोनेंट अभी इम्पोर्टेड कम्पोनेंट से ज़्यादा महंगे हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में सोलर पावर के टैरिफ बढ़ सकते हैं।
- **कैपेसिटी की कमी:** सप्लाई में रुकावटों से बचने के लिए घरेलू इंडस्ट्री को वेफर्स और इनगॉट्स के लिए 2028 की डेडलाइन को पूरा करने के लिए तेज़ी से स्केल अप करना होगा।
- **टेक्नोलॉजी में कमी:** तेज़ी से हो रही ग्लोबल तरक्की (जैसे N-टाइप या टॉपकॉन सेल) के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए लिस्टेड मैनुफैक्चरर्स को लगातार R&D इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **PLI इंटीग्रेशन:** ALMM फ्रेमवर्क को **प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (PLI)** स्कीम के साथ सिंक करना, ताकि आगे बढ़ने वाले मैनुफैक्चरर्स को फाइनेंशियल मदद मिल सके।

- **R&D सपोर्ट:** सोलर इनोवेशन के लिए एक खास फंड बनाना ताकि यह पक्का हो सके कि ALMM-लिस्टेड प्रोडक्ट्स एफिशिएंसी में दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव बने रहें।
- **फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन:** डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स को बड़े पैमाने पर कैपिटल कमिटमेंट्स के लिए ज़रूरी प्रेडिक्टेबिलिटी देने के लिए एक साफ़, लंबे समय का रोडमैप बनाए रखना।

निष्कर्ष

ALMM फ्रेमवर्क को इनगॉट और वेफर्स को शामिल करने के लिए बढ़ाना, पूरी एनर्जी सॉलरिटी की तरफ एक बड़ा कदम है। हालांकि इससे शॉर्ट-टर्म प्राइसिंग में मुश्किलें आती हैं, लेकिन यह भारत के सोलर इकोसिस्टम की लॉन्ग-टर्म हेल्थ को सुरक्षित रखता है, यह पक्का करके कि ग्रीन एनर्जी में बदलाव "मेड इन इंडिया" टेक्नोलॉजी की नींव पर हो।

भारत औद्योगिक विकास योजना (BH AVYA)

प्रसंग

मार्च 2026 में, यूनियन कैबिनेट ने ₹33,660 करोड़ के कुल खर्च के साथ **भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को मंजूरी दी**। यह स्कीम एक बड़ी पहल है जिसे 2031-32 तक पूरे भारत में **100 वर्ल्ड-क्लास प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है**, जिसका मकसद मैनुफैक्चरिंग से होने वाली ग्रोथ को बढ़ावा देना और 'विकसित भारत' के विज़न को पूरा करना है।

समाचार के बारे में

- **यह क्या है:** BHAVYA एक सेंट्रली अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम है जो इंडस्ट्रीज़ को "शॉवल-रेडी" ज़मीन और इस्तेमाल के लिए तैयार सुविधाएं देती है।
- **नोडल मंत्रालय:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी)।
- **टारगेट:** 100 से 1,000 एकड़ (पहाड़ी/NE राज्यों के लिए 25 एकड़) तक के 100 पार्क बनाना।
- **उद्देश्य:**
 - ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में भारत की यात्रा को तेज़ करना।
 - कम से कम प्रोसेस में देरी के साथ "इंटेंट टू प्रोडक्शन" इकोसिस्टम देना।
 - **15 लाख डायरेक्ट नौकरियां** और लाखों इनडायरेक्ट मौके पैदा करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **प्लग-एंड-प्ले मॉडल:** इंडस्ट्रीज़ को पहले से मंजूर ज़मीन मिलती है, जिसके लिए सभी ज़रूरी एनवायरनमेंटल और कानूनी मंजूरी पहले से मौजूद होती है।
- **फाइनेंशियल मदद:** * कोर और सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रति एकड़ ₹1 करोड़ तक।
 - बाहरी कनेक्टिविटी (सड़क, रेल, वगैरह) के लिए 25% तक **सेंट्रल सपोर्ट**।
- **एकीकृत अवसंरचना:**
 - **कोर:** अंदरूनी सड़कें, ड्रेनेज, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETPs), और ICT सिस्टम।
 - **वैल्यू-एड डेड:** रेडी-बिल्ट फैक्ट्री शेड, टेस्टिंग लैब और स्पेशल वेयरहाउसिंग।
 - **सोशल:** वर्कर के लिए खास घर, हेल्थ सेंटर और ऑनसाइट सुविधाएं।
- **सस्टेनेबिलिटी:** PM गतिशक्ति सिद्धांतों के साथ, जिसमें ग्रीन एनर्जी इंटीग्रेशन और "नो-डिग" अंडरग्राउंड यूटिलिटी कॉरिडोर शामिल हैं।
- **सिलेक्शन प्रोसेस: प्रोजेक्ट्स को "चैलेंज मोड" के ज़रिए चुना जाता है, ताकि उन राज्यों को इनाम दिया जा सके जो प्रोएक्टिव इंडस्ट्रियल रिफॉर्म और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस दिखाते हैं।**

महत्व

- **एंटी बैरियर में कमी:** MSMEs और दुनिया की बड़ी कंपनियों को अपना काम शुरू करने में लगने वाले समय और कैपिटल में भारी कमी आएगी।
- **क्लस्टर-बेस्ड ग्रोथ:** सप्लायर्स और मैनुफैक्चरर्स की को-लोकेशन को बढ़ावा देता है, जिससे घरेलू सप्लाय चैन मजबूत होती है।
- **रीजनल डेवलपमेंट:** यह पक्का करता है कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले, जिसमें पुराने समय से पिछड़े पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी इलाके भी शामिल हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **राज्य-स्तर पर सुधार:** राज्यों को सेंट्रल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम को बेहतर बनाना जारी रखना चाहिए।
- **प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी:** NICDC, राज्य सरकारों और प्राइवेट डेवलपर्स के बीच स्पेशल पर्सन व्हीकल्स (SPVs) को बढ़ावा देना ताकि काम तेज़ी से हो सके।

- **स्किल मैपिंग:** इन 100 पार्कों में आने वाली खास इंडस्ट्रीज़ के साथ लोकल वोकेशनल ट्रेनिंग को अलाइन करना ताकि तुरंत नौकरी मिल सके।

निष्कर्ष

BHAVYA पारंपरिक इंडस्ट्रियल ज़ोन से भविष्य के लिए तैयार इकोसिस्टम की ओर एक बड़ा बदलाव है। बड़े फ़ाइनेंशियल खर्च और ईज़-ऑफ़-ड्रइंग-बिज़नेस सुधारों के बीच संतुलन बनाकर, यह स्कीम भारत को ग्लोबल मैनुफ़ैक्चरिंग वैल्यू चेन का बड़ा हिस्सा हासिल करने की स्थिति में लाती है, साथ ही टिकाऊ और सबको साथ लेकर चलने वाली आर्थिक ग्रोथ भी पक्का करती है।

कृषि सखी पहल

प्रसंग

एग्रीकल्चर इंड्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (AIC) ने ऑफिशियली कृषि सखी इनिशिएटिव लॉन्च किया है। यह देश भर में चलने वाला प्रोग्राम प्राइमरी सेक्टर में जेंडर गैप को कम करने के लिए बनाया गया है। इसके लिए महिला किसानों को फसल बीमा के बारे में टारगेटेड अवेयरनेस, एक्टिव पार्टिसिपेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी के ज़रिए मज़बूत बनाया जाएगा।

पहल के बारे में

- **यह क्या है:** यह एक बड़ा कैपेसिटी-बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसका मकसद महिला किसानों को "कृषि सखियों" (खेती की दोस्त) में बदलना है, जो गांव के खेती करने वाले समुदायों में बदलाव लाने में मदद करती हैं।
- **अग्रणी संगठन:** एग्रीकल्चर इंड्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एआईसी)।
- **प्राथमिक ऑब्जेक्ट:**
 - **भागीदारी बढ़ाना:** फॉर्मल एग्रीकल्चरल इंड्योरेंस और फैसले लेने की प्रोसेस में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना।
 - **जेंडर-सेंसिटिव डेवलपमेंट:** एक ऐसे इनक्लूसिव एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को बढ़ावा देना जो महिलाओं की खास ज़रूरतों और योगदान को पहचानता हो।
 - **सेक्टर को मज़बूत करना:** भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के तौर पर महिलाओं की भूमिका को मानना और उसे औपचारिक बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **स्ट्रक्चर्ड अवेयरनेस कैम्पेन:** इस पहल में 2026 के लिए महीने के हिसाब से कैलेंडर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एजुकेशनल वीडियो, कम्युनिटी वॉकथॉन और लोकल वर्कशॉप जैसे मल्टीमीडिया टूल शामिल हैं।

- **ग्राउंड-लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग:** महिला किसानों को फसल बीमा स्कीम, क्लेम प्रोसेस और रिस्क कम करने की टेक्निकल बातें सिखाने के लिए खास ट्रेनिंग सेशन किए जाते हैं।

- **होलिस्टिक आउटरीच:** खेती के अलावा, यह प्रोग्राम सैनिटेशन, हाइजीन और गांव की पूरी भलाई पर फोकस करते हुए सोशल और बिहेवियरल कैम्पेन को जोड़ता है।

- **लीडरशिप डेवलपमेंट:** इस पहल का मकसद जानकार महिला लीडर्स का एक ग्रुप बनाना है जो अपने साथियों को सरकारी स्कीम और खेती की मॉडर्न टेक्नीक समझने में गाइड कर सकें।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी:** डिजिटल इंड्योरेंस प्लेटफॉर्म और फॉर्मल बैंकिंग को मैनेज करने के लिए ज़रूरी टेक्निकल जानकारी में कमी को पूरा करना।
- **सामाजिक रुकावटें:** पारंपरिक पुरुष-प्रधान ढांचों को दूर करना, जो अक्सर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की ज़मीन की मालिकी और पैसे की आज़ादी को सीमित करते हैं।
- **लास्ट-माइल कनेक्टिविटी:** यह पक्का करना कि यह पहल दूर-दराज के आदिवासी और पहाड़ी इलाकों तक पहुंचे, जहां एग्रीकल्चरल इंड्योरेंस की पहुंच पहले से कम है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **SHGs के साथ इंटीग्रेशन:** अलग-अलग राज्यों में इस पहल को तेज़ी से बढ़ाने के लिए मौजूदा सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) का इस्तेमाल करना।
- **टेक्नोलॉजी अपनाना:** महिला किसानों को उनकी लोकल भाषा में इंड्योरेंस पॉलिसी की शर्तें समझाने के लिए AI-बेस्ड लोकल भाषा के टूल का इस्तेमाल करना।
- **पॉलिसी इंसेंटिव:** एनरोलमेंट को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के खेती के लिए खास प्रीमियम सब्सिडी या आसान क्लेम सेटलमेंट देना।
- **लगातार मॉनिटरिंग:** एक फीडबैक लूप बनाना, जहां कृषि सखियां पॉलिसी में सुधार के लिए सीधे AIC को ज़मीनी स्तर की मुश्किलों की रिपोर्ट कर सकें।

निष्कर्ष

कृषि सखी पहल महिलाओं को सिर्फ खेत मज़दूर के तौर पर देखने से लेकर उन्हें जानकार स्टेकहोल्डर और रिस्क मैनेजर के तौर पर पहचानने तक एक बड़ा बदलाव दिखाती है। फसल बीमा के ज़रिए फाइनेंशियल सुरक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण के साथ जोड़कर, यह प्रोग्राम भारतीय खेती के माहौल को ज़्यादा मज़बूत और बराबर बनाने का रास्ता बनाता है।

भारत में कॉलेजियम प्रणाली

प्रसंग

भारतीय न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया की फिर से जांच हुई क्योंकि डेटा से पता चला कि कॉलेजियम के औपचारिक सिद्धांतों और उसके असल तरीकों के बीच अंतर बढ़ रहा है। मार्च 2026 तक, रिपोर्ट बताती है कि सात हाई कोर्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से बिना किसी प्रतिनिधित्व के हैं, जो चुनिंदा प्रतिनिधित्व और सीनियर जजों के बार-बार सुपरसेशन पर चिंता को दिखाता है।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** कॉलेजियम सिस्टम एक एक्स्ट्रा-कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूडिशियल सिस्टम है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जजों का एक फोरम जजों के अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफर पर फैसला करता है।
- **कानूनी आधार:** इसका उल्लेख संविधान में नहीं है या संसद द्वारा नहीं बनाया गया है; इसके बजाय, यह **अनुच्छेद 124 (2) और 217 की न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से विकसित हुआ है।**
- **"जजों के केस" के ज़रिए विकास:**
 - **फर्स्ट जजेज केस (1981):** यह तय हुआ कि CJJ के साथ "सलाह" का मतलब "सहमति" नहीं है, जिससे एग्जीक्यूटिव को आखिरी फैसला लेने का अधिकार मिल गया।
 - **सेकंड जजेज केस (1993):** 1981 के फैसले को पलट दिया गया, कॉलेजियम की शुरुआत की गई और नियुक्तियों में ज्यूडिशियरी को प्राथमिकता दी गई।
 - **थर्ड जजेज केस (1998):** सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए कॉलेजियम को बढ़ाकर पांच सदस्यों वाली बॉडी (CJJ और चार सबसे सीनियर जज) कर दिया गया।
 - **चौथा जज केस (2015):** सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) एक्ट को रद्द कर दिया, और ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस की रक्षा के लिए कॉलेजियम सिस्टम को फिर से पक्का किया।

कार्य पद्धति

अवस्था	विवरण
दीक्षा	पदोन्नति के प्रस्ताव CJJ और SC के चार सबसे सीनियर जज शुरू करते हैं।

परामर्श	कॉलेजियम SC में उन "सक्सेसर जजों" से सलाह लेता है जो पहले कैंडिडेट के हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं।
मूल्यांकन	असेसमेंट मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर (MoP) पर आधारित है , जिसमें जजमेंट क्वालिटी, डिस्पोज़ल रेट और इंटीग्रिटी पर फोकस किया जाता है।
कार्यकारी इनपुट	इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के ज़रिए बैकग्राउंड चेक के लिए लॉ मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन भेजी जाती है।
अंतिम प्राथमिकता	अगर एग्जीक्यूटिव की आपत्ति के बाद कॉलेजियम किसी नाम को दोहराता है, तो सरकार पारंपरिक रूप से उन्हें नियुक्त करने के लिए बाध्य है।

चुनौतियां

- **साफ़ न होना:** बातचीत बंद दरवाज़ों के पीछे होती है और मिनट्स पब्लिश नहीं होते, जिससे सीनियर कैंडिडेट्स को नज़रअंदाज़ करने में ट्रांसपेरेंसी की कमी महसूस होती है।
- **सुपरसेशन के मुद्दे:** ऑल-इंडिया सीनियरिटी रैंक को बार-बार नज़रअंदाज़ करने से ज्यूडिशियरी का हौसला टूट सकता है और इस्टीमेशनल टकराव हो सकता है।
- **डेमोग्राफिक असंतुलन:** रीजनल और जेंडर रिप्रेजेंटेशन में कोई बदलाव नहीं है; उदाहरण के लिए, कुछ हाई कोर्ट में बेंच पर दबदबा है, जबकि दूसरों (जैसे झारखंड या उड़ीसा) में अभी ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है।
- **एग्जीक्यूटिव डेडलॉक:** सरकार फाइलों को अनिश्चित समय तक दबाकर रखकर "पॉकेट वीटो" का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे किसी जज की आखिरी सीनियरिटी में असरदार तरीके से बदलाव आ सकता है या उनका अपॉइंटमेंट रोका जा सकता है।
- **अंदरूनी खींचतान:** कैंडिडेट चुनने को लेकर अंदरूनी मतभेदों के बारे में हाल ही में लीक हुई बातें बताती हैं कि पांच सदस्यों वाली बॉडी में तनाव बढ़ रहा है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **बेहतर ट्रांसपेरेंसी:** लोगों का भरोसा बनाने के लिए, अपने सीनियर्स के बजाय खास कैंडिडेट्स को चुनने के लिए एडिटेड रेज़ोल्यूशन या शॉर्ट में वजहें पब्लिश करें।
- **इंडिपेंडेंट सेक्रेटैरिएट:** मेरिट मार्कर, जैसे डिस्पोज़ल रेट और ज्यूडिशियल इंटीग्रिटी का डेटा-ड्रिवन डेटाबेस

बनाए रखने के लिए एक परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाएं।

- **तय टाइमलाइन: मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर (MoP)** में बदलाव करके एग्जीक्यूटिव के लिए सिफारिशों को प्रोसेस करने की सख्त डेडलाइन तय करें, ताकि खास देरी को रोका जा सके।
- **डाइवर्सिटी को इंस्टीट्यूशनल बनाना:** बिना रिप्रेजेंटेशन वाले हाई कोर्ट और कम रिप्रेजेंटेशन वाले जेंडर के लिए पसंद को फॉर्मल तौर पर एक साथ लाना ताकि यह पक्का हो सके कि सुप्रीम कोर्ट एक "नेशनल कोर्ट" जैसा दिखे।
- **एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटैबिलिटी:** ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस और एक स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट प्रोसेस की ज़रूरत के बीच के गैप को कम करने के लिए लंबे समय से पेंडिंग MoP को फाइनल करें।

निष्कर्ष

कॉलेजियम सिस्टम, एग्जीक्यूटिव के दखल के खिलाफ ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक ज़रूरी ढाल बना हुआ है। हालांकि, इसकी लंबे समय तक चलने वाली लेजिटिमेसी इस बात पर निर्भर करती है कि यह बदलने को तैयार है या नहीं। एक सीक्रेट फोरम से एक ट्रांसपेरेंट, उेटा-ड्रिवन सिस्टम में बदलकर, जो मेरिट और फेयर रिप्रेजेंटेशन के बीच बैलेंस बनाता है, ज्यूडिशियरी यह पक्का कर सकती है कि अकाउंटैबिलिटी से उसकी इंडिपेंडेंस मजबूत हो, न कि उससे दब जाए।

डिजिटल निर्वासन और सेंसरशिप

प्रसंग

2026 की शुरुआत में, भारत "डिजिटल एक्ज़ाइल" की एक ऐसी लहर देख रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गई, जहाँ सोशल मीडिया अकाउंट और खास पोस्ट, खासकर LPG की कमी या पश्चिम एशिया संकट पर सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले अकाउंट रोके जा रहे हैं या डिलीट किए जा रहे हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और बोलने की आज़ादी के बुनियादी अधिकार के बीच बैलेंस पर एक नई बहस शुरू हो गई है।

कानूनी ढांचा: आईटी अधिनियम की धारा 69A

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट, 2000 का सेक्शन 69A, ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य टूल है।

ब्लॉक करने के कारण:

सरकार बिचौलियों (जैसे X, फेसबुक, या यूट्यूब) को इन चीज़ों के फ़ायदे के लिए कंटेंट ब्लॉक करने का निर्देश दे सकती है:

- भारत की संप्रभुता और अखंडता

- रक्षा और राज्य की सुरक्षा
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
- सार्वजनिक व्यवस्था
- ऊपर बताए गए किसी भी कॉन्ग्रिजेशनल अपराध के लिए उकसाने से रोकना

संवैधानिक संघर्ष

जबकि **श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2015)** के फैसले में सेक्शन 69A को सही ठहराया गया, इसे कैसे लागू किया जाए, इस बारे में एक बड़ा कानूनी "बाईपास" सामने आया है।

विशेषता	श्रेया सिंघल जनादेश (2015)	वर्तमान वास्तविकता (ब्लॉकिंग नियम, 2009)
लिखित कारण	ज्यूडिशियल रिव्यू के लिए कारण लिखकर रिकॉर्ड किए जाने चाहिए।	रूल 16 सभी ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट के लिए "सख्त गोपनीयता" ज़रूरी करता है।
उपयोगकर्ता सूचना	बेहतर होगा कि कंटेंट बनाने वाले को बताया जाए और उसकी बात सुनी जाए।	अक्सर यूज़र को सीधे नोटिस दिए बिना प्लेटफॉर्म को ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं।
न्यायिक निगरानी	आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में ऑर्डर को चुनौती दी जा सकती है।	कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से यूज़र्स के लिए यह जानना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि उन्हें <i>क्यों</i> या <i>किसने</i> ब्लॉक किया।

"रूल 16" का मुद्दा: आलोचकों और कानूनी जानकारों का कहना है कि 2009 के नियमों में कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज़ "**इनविज़िबल सेंसरशिप**" बनाता है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के लिए इस्तेमाल किए गए प्रोसेस से जुड़े सुरक्षा उपायों को असरदार तरीके से बेअसर कर देता है।

हाल के ट्रेंड्स और "सहयोग" पोर्टल

- **पावर का डीसेंट्रलाइज़ेशन:** मार्च 2026 में एक बड़े पॉलिसी बदलाव में, सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT (MeitY) से आगे भी ब्लॉकिंग पावर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। **होम अफेयर्स (MHA), एक्सटर्नल अफेयर्स (MEA), और डिफेंस जैसे**

मिनिस्ट्री जल्द ही AI से बनी "गलत जानकारी" पर तेज़ी से कार्रवाई करने के लिए सीधे टेकडाउन ऑर्डर जारी कर सकते हैं।

- **सहयोग व्यवस्था : अभी, सेक्शन 79(3) (b)** के तहत एक पैरेलल मैकेनिज्म **सहयोग पोर्टल** के ज़रिए काम करता है, जिससे अलग-अलग सेंट्रल और स्टेट एजेंसियां टेकडाउन की मांग कर सकती हैं। यह सेक्शन 69A के कमिटी-बेस्ड रिव्यू प्रोसेस को बायपास करता है।
- **छोटी टाइमलाइन:** फरवरी 2026 के नए बदलावों ने प्लेटफॉर्म के लिए "गैर-कानूनी" कंटेंट हटाने का समय 36 घंटे से घटाकर सिर्फ **2-3 घंटे कर दिया है**, जिससे टेक बड़ी कंपनियों द्वारा "ओवर-कम्प्लायंस" का खतरा बढ़ गया है।

सिविल सेवाओं के लिए महत्व

उम्मीदवारों (UPSC/UPPSC/BPSC) के लिए, यह विषय **"आनुपातिकता के सिद्धांत" का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। * अनुच्छेद 19 (1) (ए) (स्वतंत्र भाषण) बनाम अनुच्छेद 19 (2) (उचित प्रतिबंध)।**

- **अनुराधा भसीन केस (2020):** यह तय किया गया कि कोई भी इंटरनेट पाबंदी ज़रूरी, टेम्पररी और सही होनी चाहिए।
- **डरावना असर:** यह डर कि साफ़ न होने वाली या छिपी हुई सेंसरशिप नागरिकों को खुद को सेंसर करने पर मजबूर करती है, जिससे डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी "आइडिया के मार्केटप्लेस" को नुकसान पहुंचता है।

निष्कर्ष

डीसेंट्रलाइज़्ड और ओपेक सेंसरशिप मॉडल की ओर बदलाव भारत की डिजिटल डेमोक्रेसी के लिए एक चुनौती है। जहाँ सरकार डीपफेक और स्कैम के खिलाफ़ तेज़ी की ज़रूरत बताती है, वहीं कानूनी एक्सपर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि **ट्रांसपेरेंसी और अपील के अधिकार के बिना**, डिजिटल "पब्लिक स्कायर" पर एजीक्यूटिव की मनमानी कार्रवाई का खतरा बना रहता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य और पश्चिम एशिया संकट

प्रसंग

होर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए बंद करने की ऑफिशियल धमकी के बाद वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल हालात बहुत खराब हो गए हैं। यह बढ़ती US एडमिनिस्ट्रेशन के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद हुई है, जो डिप्लोमैटिक चैनल्स में लगभग पूरी तरह से ब्रेकडाउन और ग्लोबल मैरीटाइम स्टेबिलिटी के लिए सीधे खतरे का संकेत है।

वृद्धि और सैन्य पहुंच

- **होर्मुज स्ट्रेट अल्टीमेटम:** दुनिया के सबसे ज़रूरी तेल चोकपॉइंट को ब्लॉक करने की ईरान की घोषणा, बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय टकराव के बाद आई है, जिससे असल में फारस की खाड़ी पर "लॉक" लग गया है।
- **स्ट्रेटेजिक हमले:** लड़ाई को काफी बढ़ाते हुए, ईरान ने इज़राइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी और तेल अवीव एयरपोर्ट समेत कीमती एसेट्स को निशाना बनाया है।
- **मिसाइल रेंज बढ़ाई गई:** हिंद महासागर में **डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस** पर हमले ने मिलिट्री एनालिस्ट को हैरान कर दिया है, जिससे यह साबित होता है कि ईरान के पास अब **4,000 किलोमीटर तक की मिसाइल पहुंच है**, जिससे हिंद महासागर और अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा उसके स्ट्राइक ज़ोन में आ गया है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभाव

- **फंसे हुए जहाज़:** कई कर्माशियल जहाज़ अभी स्ट्रेट के एंट्रेस के पास रुके हुए हैं या फंसे हुए हैं, ब्लॉकड की वजह से वे आ-जा नहीं पा रहे हैं।
- **ज़्यादा ट्रांज़िट टाइम:** केप ऑफ़ गुड होप के आस-पास जहाजों का रूट बदलने से यात्रा का समय **30 से 60 दिन बढ़ जाता है।**
- **लॉजिस्टिकल कॉस्ट:** शिपिंग लाइनों द्वारा **लिबर्टीज़ क्लॉज़** का इस्तेमाल करने से कार्गो मालिकों पर भारी स्टोरेज और हैंडलिंग कॉस्ट पड़ रही है, जिससे ग्लोबल इन्वेंट्री प्राइसिंग में "डोमिनो इफ़ेक्ट" हो रहा है।

भारत के लिए आर्थिक परिणाम

- **एनर्जी सिक्योरिटी:** भारत की लगभग 60% नैचुरल गैस (LNG) और कच्चे तेल के इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट से होकर गुज़रता है। इसके बंद होने से भारत के एनर्जी ग्रिड और इंडस्ट्रियल आउटपुट को सीधा खतरा है।
- **करेंसी और फिस्कल प्रेशर:** दुनिया भर में तेल की कीमतों में बढ़ती से इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जिससे डॉलर के मुकाबले **भारतीय रुपये (INR) पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा।**
- **मैक्रोइकोनॉमिक रिस्क:** लंबे समय तक बंद रहने से 1991 जैसा **बैलेंस ऑफ़ पेमेंट्स (BoP) संकट** पैदा होने का खतरा है, क्योंकि ज़रूरी एनर्जी इंपोर्ट को बढ़ी हुई कीमतों पर पूरा करने के लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व खत्म हो जाएगा।

जलडमरूमध्य का सामरिक महत्व

- **चौड़ाई:** सबसे पतली जगह पर, शिपिंग लेन हर दिशा में सिर्फ **3 km** चौड़ी है, जिससे नेवल माइंस या कोस्टल बैटरी से इसे रोकना बहुत आसान हो जाता है।

- **वॉल्यूम:** दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग पांचवां हिस्सा रोज़ाना इस पतले पानी के रास्ते से गुज़रता है।

निष्कर्ष

मौजूदा संकट इलाके की दुश्मनी से कहीं आगे निकल गया है और ग्लोबल इकॉनमी के लिए सीधा खतरा बन गया है। भारत के लिए, हालात खास तौर पर बहुत खराब हैं, जिसके लिए एनर्जी सोर्स में तुरंत बदलाव और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) या अस्थिर फारस की खाड़ी को बायपास करने के लिए दूसरे दूसरे रास्तों की तरफ जाने की ज़रूरत है।

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (एनडीसी)

प्रसंग

19 मार्च, 2026 को भारत सरकार ने ऑफिशियली नेशनल डेंटल कमीशन (NDC) बनाया। इस बड़े रेगुलेटरी बदलाव में डेंटिस्ट एक्ट, 1948 को रद्द करना और उसके बाद दशकों पुरानी डेंटल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (DCI) की जगह एक ज़्यादा मॉडर्न, बेहतर ओवरसाइट बॉडी बनाना शामिल है।

नेशनल डेंटल कमीशन के बारे में

परिभाषा:

NDC एक कानूनी रेगुलेटरी बॉडी है जिसे भारत में डेंटल एजुकेशन और इस प्रोफेशन के लिए नई सबसे बड़ी अथॉरिटी के तौर पर काम करने के लिए बनाया गया है। इसे बनाना, भारतीय मेडिकल और डेंटल स्टैंडर्ड को ग्लोबल बेंचमार्क के साथ जोड़ने के लिए एक बड़े हेल्थकेयर सुधार का हिस्सा है।

शासी संरचना:

खास फोकस पक्का करने और अंदरूनी चेक और बैलेंस बनाए रखने के लिए, NDC को तीन ऑटोनॉमस बोर्ड का सपोर्ट मिलता है:

- **अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड:** डेंटल करिकुलम और एग्जाम के लिए हाई स्टैंडर्ड तय करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार।
- **डेंटल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड:** डेंटल इंस्टीट्यूशन के एक्रेडिटेशन, इंस्पेक्शन और कड़ी रेटिंग का काम।
- **एथिक्स और डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड:** डेंटिस्ट का नेशनल रजिस्टर बनाए रखता है और प्रोफेशनल व्यवहार और नैतिक स्टैंडर्ड को लागू करता है।

मुख्य उद्देश्य

- **कालिटी बढ़ाना:** डेंटल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाना ताकि दुनिया भर में कम्पेटिटिव प्रोफेशनल तैयार हो सकें।

- **रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी:** लोकल हितों और भेदभाव को कम करने के लिए पिछले चुने हुए सिस्टम की जगह जाने-माने प्रोफेशनल्स की एक चुनी हुई बॉडी बनाना।
- **अफ़ोर्डेबिलिटी:** प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए फ्रीस गाइडलाइन को रेगुलेट करके अफ़ोर्डेबल ओरल हेल्थकेयर तक पहुँच बढ़ाना।

महत्वपूर्ण कार्यों

- **रेगुलेटरी फ्रेमवर्क:** नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट के तहत रेगुलेशंस का ड्राफ्ट बनाना और उन्हें लागू करना।
- **इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट:** यह पक्का करने के लिए समय-समय पर असेसमेंट करना कि डेंटल कॉलेज ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं।
- **फीस रेगुलेशन:** प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में कमर्शियलाइजेशन को रोकने के लिए फीस स्ट्रक्चर के लिए खास गाइडलाइंस बनाना।
- **रिसर्च और मैनपावर:** डेंटिस्ट्री में नेशनल ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरतों का मूल्यांकन करना और एडवांस्ड क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देना।
- **यूनिफ़ॉर्म एथिक्स:** सभी राज्यों में कम्प्युनिटी डेंटल केयर के लिए एक नेशनल कोड ऑफ़ एथिक्स और यूनिफ़ॉर्म स्टैंडर्ड बनाना।

महत्व

- **प्रोफेशनलिज़्म: चुने हुए स्ट्रक्चर से नियुक्त स्ट्रक्चर** में बदलाव यह पक्का करता है कि कमीशन को इंटरनेट ग्रुप्स के बजाय एक्सपर्ट्स लीड करें।
- **ग्लोबल अलाइनमेंट:** करिकुलम और असेसमेंट क्राइटेरिया को मॉडर्न बनाने से, भारतीय डेंटल डिग्री को इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा पहचान मिलेगी।
- **स्पेशलाइज़्ड फोकस:** तीन-तरफ़ा बोर्ड का स्ट्रक्चर यह पक्का करता है कि एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल कालिटी और प्रोफेशनल एथिक्स पर इंडिपेंडेंट और एक्सपर्ट ध्यान दिया जाए।

निष्कर्ष

नेशनल डेंटल कमीशन की स्थापना 1948 के दौर के खत्म होने और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और मेरिट-बेस्ड रेगुलेटरी सिस्टम की शुरुआत का प्रतीक है। जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने MBBBS के लिए किया था, वैसे ही NDC से भारत में ओरल हेल्थकेयर और डेंटल एजुकेशन में नई जान डालने की उम्मीद है।

प्रारंभ 2026

प्रसंग

इनकम टैक्स एक्ट, 2025 में बदलाव की तैयारी के लिए, भारत सरकार ने **PRARAMBH 2026 लॉन्च किया है। यह देश भर में जागरूकता कैम्पेन 1 अप्रैल, 2026** से लागू होने वाले नए टैक्स कानूनों को आसानी से लागू करने के लिए बनाया गया है। यह पहल एक आसान, टेक्नोलॉजी पर आधारित और नागरिक-केंद्रित टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की ओर एक बड़ा बदलाव है।

प्रारंभ 2026 के बारे में

परिभाषा:

PRARAMBH (पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत) एक बड़ा आउटरीच और एजुकेशन कैम्पेन है। इसका मुख्य मकसद टैक्सपेयर्स को आने वाले इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के प्रोविज़न, नियमों और कम्प्लायंस ज़रूरतों के बारे में बताना है।

शामिल संगठन:

- **मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस (डिपार्टमेंट ऑफ़ रेवेन्यू):** पॉलिसी बनाने और नए एक्ट को लागू करने की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार नोडल अथॉरिटी।
- **सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT):** डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ी संस्था, जिसे PRARAMBH सुधारों को लागू करने और लोगों तक पहुंचने का काम सौंपा गया है।

मुख्य उद्देश्य

- **आसानी से बदलाव:** यह पक्का करना कि टैक्सपेयर्स और टैक्स अधिकारी, दोनों बिना किसी दिक्कत के अपडेटेड नियमों और कम्प्लायंस सिस्टम में बदल सकें।
- **भरोसे पर आधारित टैक्सेशन:** एक ट्रांसपेरेंट माहौल बनाना, जहाँ जागरूकता से टैक्स चोरी कम हो और ईमानदारी से रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिले।
- **एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी:** साफ़ कम्प्युनिकेशन और सिटिज़न-फ्रेंडली प्रोसेस के ज़रिए झगड़ों को कम करने पर ध्यान देना।

प्रमुख विशेषताएँ

- **मल्टीमीडिया आउटरीच:** टैक्स से जुड़ी जानकारी को बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना।
- **AI चैटबॉट 'कार साथी':** टैक्स ऑफिस में खुद जाकर जाने की ज़रूरत को कम करने के लिए सवालियों के लिए रियल-टाइम, आसानी से मिलने वाली मदद देना।

- **इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0:** एक मॉडर्न पोर्टल जिसमें बेहतर नेविगेशन, तेज़ सर्विस और बेहतर यूज़र इंटरफ़ेस है।
- **कई भाषाओं में बातचीत:** ज़रूरी टैक्स जानकारी कई क्षेत्रीय भाषाओं में देकर सबको शामिल करना पक्का करना।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** नए एक्ट को एक जैसा और अच्छे से लागू करने के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए देश भर में वर्कशॉप।
- **शारीरिक सहायता: आयकर सेवा केंद्र** उन टैक्सपेयर्स की मदद के लिए एक्टिव रहते हैं जिनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है।

महत्व

- **अपनी मर्ज़ी से पालन:** मुश्किल कानूनों को आसान बनाकर और कम्प्लायंस को कम करके, सरकार का मकसद टैक्सपेयर्स को अपनी मर्ज़ी से पालन करने के लिए बढ़ावा देना है।
- **नागरिक देवो भाव:** यह कैम्पेन "सिटिज़न-फर्स्ट" फिलॉसफी को दिखाता है, जिसमें सख्त पुलिसिंग के बजाय टैक्सपेयर्स की सुविधा, भरोसे और सर्विस पर ध्यान देने को प्राथमिकता दी जाती है।
- **डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन:** यह टैक्स फाइलिंग को आसान और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाने के लिए AI और नए वेब पोर्टल जैसे एडवांस्ड टूल्स को इंटीग्रेट करता है।

निष्कर्ष

PRARAMBH 2026 सिर्फ़ एक अवेयरनेस ड्राइव से कहीं ज़्यादा है; यह भारत में एक मॉडर्न, एफ़िशिएंट टैक्स इकोसिस्टम की ओर एक बुनियादी कदम है। मुश्किल कानून और टैक्सपेयर्स की समझ के बीच के गैप को कम करके, सरकार कम्प्लायंस का एक ऐसा कल्चर बनाना चाहती है जो **विकसित भारत के बड़े विज़न को सपोर्ट करे**।

लिबर्टीज़ क्लॉज़

प्रसंग

वेस्ट एशिया विवाद को देखते हुए, दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियों ने कार्गो को दूसरी जगह भेजने के 19वीं सदी के समुद्री नियम को फिर से शुरू किया है। इस स्ट्रेटिजिक बदलाव की वजह से कंटेनरों को दूसरे पोर्ट पर उतारा जा रहा है, जिससे लागत काफी बढ़ गई है और दुनिया भर की सप्लाय चैन में रुकावट आ रही है।

लिबर्टीज़ क्लॉज़ के बारे में

परिभाषा:

लिबर्टीज़ क्लॉज़ (या डेविेशन क्लॉज़) बिल ऑफ़ लैडिंग में एक स्टैंडर्ड प्रोविज़न है, जो शिपर और कैरियर के बीच का लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। यह शिपमास्टर को खास, ज़्यादा रिस्क वाली परिस्थितियों में प्लान किए गए यात्रा रूट को बदलने का अधिकार देता है।

ऐतिहासिक उत्पत्ति:

19वीं सदी के समुद्री कानून की बात करें तो, ये नियम तब बनाए गए थे जब समुद्री यात्राओं में पायरेसी, लकड़ी के जहाजों को बहुत ज़्यादा मौसम से नुकसान और क्षेत्रीय युद्ध जैसे अचानक आने वाले खतरों का सामना करना पड़ता था। इससे मालिकों को अपने कॉन्ट्रैक्ट को तकनीकी रूप से तोड़े बिना ही फैसला लेने की इजाज़त मिल गई।

प्राथमिक उद्देश्य:

जब बाहरी खतरे जहाज़ को डेस्टिनेशन पोर्ट तक सुरक्षित रूप से पहुँचने से रोकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर कैरियर को **कानूनी ज़िम्मेदारी से बचाने के लिए**।

प्रमुख विशेषताएँ

- **रूट में बदलाव:** यह जहाज़ को युद्ध वाले इलाकों या ज़्यादा खतरे वाले समुद्री गलियारों से बचने के लिए आम भौगोलिक रास्ते से हटने की इजाज़त देता है।
- **अल्टरनेटिव डिस्चार्ज:** अगर ओरिजिनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं जा सकता, तो कैरियर को सबसे पास के सुरक्षित और काम करने लायक पोर्ट पर कार्गो उतारकर अपनी कॉन्ट्रैक्ट की ज़िम्मेदारी पूरी करने की इजाज़त देता है।
- **कॉस्ट शिपिंग:** एक बार जब कार्गो को दूसरे पोर्ट पर उतार दिया जाता है, तो स्टोरेज, हैंडलिंग और आगे के लैंड ट्रांसपोर्ट सहित सभी बाद के खर्च पूरी तरह से **कार्गो मालिक पर आ जाते हैं**।
- **रिस्क रीएलोकेशन:** जैसे ही कोई डेविेशन ऑफिशियली डिक्लेयर होता है, ट्रांज़िट रिस्क कैरियर से कस्टमर पर आ जाता है।

आधुनिक पुनरुत्थान

मिडिल ईस्ट में लड़ाई की वजह से इस क्लॉज़ को ज़्यादा अहमियत मिली है। **होर्मुज़ स्ट्रेट** के पास एयर स्ट्राइक और कमर्शियल जहाजों को मिली धमकियों की वजह से, इंश्योरेंस कंपनियों ने शर्तें और कड़ी कर दी हैं। कैरियर अब इस क्लॉज़ का इस्तेमाल ज़्यादा रिस्क वाले "वॉर ज़ोन" और बढ़ते इंश्योरेंस प्रीमियम में अपने रिस्क को कम करने के लिए कर रहे हैं।

महत्व

- **पैसे का बोझ:** कार्गो मालिकों को हर कंटेनर पर बिना प्लान किए, चार अंकों के खर्च का सामना करना पड़ रहा है, जो दूसरे पोर्ट पर स्टोरेज और लोकल क्लीयरेंस के लिए उनके ओरिजिनल कोटेशन से ज़्यादा है।

- **सप्लाई चेन डोमिनो इफ़ेक्ट:** क्योंकि दुनिया का **90% व्यापार** समुद्र के रास्ते होता है, इसलिए इस नियम को लागू करने से इन्वेंट्री प्लानिंग में बहुत देरी होती है और ग्लोबल प्राइसिंग पर महंगाई का दबाव पड़ता है।

निष्कर्ष

लिबर्टीज़ क्लॉज़ का फिर से आना, जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के कारण आज के ग्लोबल ट्रेड की कमज़ोरी को दिखाता है। यह शिपिंग लाइनों को फिजिकल और लीगल रिस्क से बचाता है, लेकिन यह बिज़नेस और कंज्यूमर पर भारी फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक बोझ डालता है, जिससे इंटरनेशनल कॉमर्स में मज़बूत रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाता है।

सुरक्षा संकल्प कार्यशाला

प्रसंग

एचआईवी/एड्स के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के एक रणनीतिक कदम के तहत, **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने** राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) के माध्यम से एचआईवी/एड्स के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम के तहत, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (**एनएसीओ**) के माध्यम से **एचआईवी/एड्स सुरक्षा अभियान** का आयोजन किया। **संकल्प कार्यशाला**। यह **खास वर्कशॉप हरियाणा और दिल्ली** में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिस्पॉन्स को मजबूत करने के लिए रखी गई थी, जिसमें लोकल, हाई-इम्पैक्ट इंटरवेंशन पर फोकस किया गया।

सुरक्षा के बारे में संकल्प कार्यशाला

परिभाषा:

सुरक्षा संकल्प कार्यशाला एक नेशनल लेवल की वर्कशॉप पहल है जिसे HIV/AIDS रिस्पॉन्स को डीसेंट्रलाइज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेटेड, डेटा-ड्रिवन प्लानिंग और स्टेकहोल्डर की गहरी भागीदारी पर ज़ोर देता है।

मुख्य उद्देश्य:

- **HIV केयर कंटिन्युअम को मज़बूत करना:** शुरुआती डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट लिंकेज और लंबे समय तक वायरल सप्रेसन के बीच पुल को बेहतर बनाना।
- **महामारी पर तेज़ी से कंट्रोल:** 2027-2030 तक HIV/AIDS महामारी को पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा मानकर खत्म करने के लिए ग्लोबल **95-95-95 टारगेट की तरफ काम करना**।

प्रमुख विशेषताएँ

- **डिस्ट्रिक्ट-फोकस्ड अप्रोच:** यह पहल पूरे भारत में **219 प्रायोरिटी वाले जिलों की पहचान** करती है और उन्हें टारगेट करती है, और खास लोकल ज़रूरतों के

हिसाब से दखल देने के लिए डिटेल्ड डेटा का इस्तेमाल करती है।

- **पूरे सिस्टम का कोऑर्डिनेशन:** यह एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाता है जो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेकहोल्डर्स को एक साथ लाता है ताकि इंटीग्रेटेड एक्शन पक्का हो सके।
- **सबूतों पर आधारित प्लानिंग:** आम प्लानिंग के बजाय रियल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग और नतीजे पर आधारित स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करें।

महत्व

- **बेहतर हेल्थ नतीजे:** ज़िला लेवल पर फ़ोकस करके, यह प्रोग्राम इलाज कवरेज, दवा लेने की आदत और वायरस को रोकने को बढ़ाता है, जिससे सीधे तौर पर फैलने की दर कम होती है।
- **सामाजिक असर:** यह सबको साथ लेकर चलने वाले और बराबर हेल्थकेयर माहौल को बढ़ावा देता है, जिसका मकसद HIV केयर पूरी तरह से **बिना किसी भेदभाव के देना है**।
- **स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट:** यह भारत के घरेलू हेल्थ लक्ष्यों को इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कंट्रोल के लिए इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी टारगेट के साथ अलाइन करता है।

निष्कर्ष

सुरक्षा संकल्प कार्यशाला पब्लिक हेल्थ में "माइक्रो-प्लानिंग" की ओर एक बदलाव को दिखाता है। ज़िला प्रशासन को डेटा और रिसोर्स देकर, NACO यह पक्का करता है कि HIV केयर का "लास्ट माइल" मज़बूत हो, जिससे भारत इस महामारी को खत्म करने के अपने 2030 के लक्ष्य के और करीब आ सके।

अकाउंटिंग एजुकेशन को ग्लोबल GAAP के साथ जोड़ना

प्रसंग

जैसे-जैसे भारत एक बड़ा ग्लोबल फाइनेंस हब बन रहा है, जिसमें दुनिया के **55% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC)** हैं, कॉर्पोरेट एजुकेशन को मॉडर्न बनाने की तुरंत ज़रूरत है। 2030 तक, GCC वर्कफोर्स के **4.6 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे एक ज़रूरी एम्प्लॉयबिलिटी गैप को भरने के लिए US GAAP** जैसे ग्लोबल फ्रेमवर्क की ओर बदलाव ज़रूरी हो गया है।

समाचार के बारे में

मुख्य बहस: मुख्य चर्चा इस बात पर है कि क्या भारत के पारंपरिक कॉर्पोरेट करिकुलम में मौजूदा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स (**Ind AS**) के साथ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, खासकर **US GAAP** और **IFRS** को शामिल किया जाना चाहिए।

डेटा और तथ्य:

RACE IAS

- **एम्प्लॉयबिलिटी:** अभी, इंडियन कॉर्पोरेट ग्रेजुएट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी रेट **62.81% है**, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की कमी के कारण रुका हुआ है।
- **आर्थिक असर:** भारत के GCCs से **\$121 बिलियन का एक्सपोर्ट रेवेन्यू मिलता है**, और 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर **\$240 बिलियन होने की उम्मीद है**।
- **जॉब ग्रोथ:** भारत में ग्लोबल फाइनेंस इकोसिस्टम 2030 तक **1.3 मिलियन जॉब्स जोड़ने वाला है**, जो खास तौर पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में स्किल्ड प्रोफेशनल्स को टारगेट करेगा।

US GAAP को समझना

परिभाषा: जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स (GAAP) फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए **फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड (FASB)** द्वारा बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का एक स्टैंडर्ड सेट है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **कंसिस्टेंसी:** सभी US-लिस्टेड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन्स में एक जैसी रिपोर्टिंग पक्का करता है।
- **ट्रांसपेरेंसी:** फाइनेंशियल लॉजिक समझने के लिए पूरी जानकारी और डिटेल्ड फुटनोट्स की ज़रूरत होती है।
- **रेवेन्यू रिकग्निशन:** इनकम रिकॉर्ड करने के लिए खास इंडस्ट्री-बेस्ड नियमों का इस्तेमाल करता है।
- **हिस्टॉरिकल कॉस्ट:** आम तौर पर फेयर मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट के बजाय एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पर निर्भर करता है।

संरक्षण की आवश्यकता

- **एम्प्लॉयबिलिटी गैप को कम करना:** ग्रेजुएट्स को अक्सर GCC रोल में आने में मुश्किल होती है क्योंकि उन्हें ग्लोबल रिपोर्टिंग लॉजिक की जानकारी नहीं होती।
- **GCC बूम को सपोर्ट करना:** इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में माहिर वर्कफोर्स की ज़रूरत है ताकि वे लंबे रीट्रेनिंग पीरियड के बिना मुश्किल बिज़नेस ऑपरेशन्स को मैनेज कर सकें।
- **एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ाना:** अच्छी कालिटी का टैलेंट, ग्लोबल MNCs के लिए हाई-एंड फाइनेंस कामों को संभालकर भारत को अपने **\$240 बिलियन के रेवेन्यू टारगेट तक पहुंचने में मदद करेगा**।
- **ग्लोबल मोबिलिटी:** **IFRS** और **US GAAP** में ट्रेड प्रोफेशनल्स को इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर आसानी से काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है।

चुनौतियां

- **स्टैटिक करिकुलम:** ट्रेडिशनल कोर्स सख्त होते हैं और उनमें असली ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बहुत कम जानकारी होती है।
- **थ्योरेटिकल ओवर-रिलायंस:** एजुकेशन असल दुनिया की रिपोर्ट्स के मतलब के बजाय एग्जाम पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज़ोर देती है।
- **ट्रेनिंग का ज़्यादा खर्च:** प्रेजेंटेशन लॉजिक में गड़बड़ी की वजह से कंपनियों को नए ग्रेजुएट्स को जॉब के लिए तैयार करने के लिए "ब्रिज ट्रेनिंग" में भारी इन्वेस्ट करना पड़ता है।
- **इंडस्ट्री-एकेडमिक गैप:** एकेडमिक ट्रेनिंग, ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स की बदलती उम्मीदों से पीछे है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कम्पेरेटिव स्टडीज़:** डिस्कलोज़र में अंतर को हाईलाइट करने के लिए **Ind AS के साथ US GAAP और IFRS को कम्पेरेटिव सबजेक्ट्स के तौर पर इंटीग्रेट करें**।
- **केस-बेस्ड लर्निंग: क्लासरूम में** रियल-वर्ल्ड कंपनी रिपोर्ट का इस्तेमाल करके एनालाइज़ करें कि स्टैंडर्ड लाइव सेटिंग में कैसे काम करते हैं।
- **सिमुलेशन एक्सरसाइज़:** स्टूडेंट्स के लिए कंसोलिडेशन, ऑडिट प्रोसेस और रिपोर्टिंग एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए गाइडेड माहौल लागू करें।
- **इंडस्ट्री कोलैबोरेशन:** करिकुलम को रिलिवेंट बनाए रखने के लिए एकेडेमिया और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के बीच रेगुलर बातचीत को आसान बनाना।
- **नेशनल स्किल अलाइनमेंट:** कॉमर्स सिलेबस को फिर से बनाना ताकि यह पक्का हो सके कि ग्रेजुएट ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव हों।

निष्कर्ष

फाइनेंशियल सर्विसेज़ की पावरहाउस के तौर पर अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए, भारत की अकाउंटिंग एजुकेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। लोकल फाउंडेशन को इंटरनेशनल जानकारी के साथ मिलाकर, भारत ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकता है और अपने बढ़ते **\$240 बिलियन** के GCC सेक्टर को सपोर्ट कर सकता है, जिससे यह पक्का हो सके कि वर्कफोर्स पहले दिन से ही ग्लोबल स्टेज के लिए तैयार हो।

अघनाशिनी-वेदावती नदी-जोड़ो परियोजना

प्रसंग

UNESCO ने भारत सरकार को एक फॉर्मल एडवाइज़री जारी की है, जिसमें प्रस्तावित अघनाशिनी-वेदावती नदी-लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में **वर्ल्ड हेरिटेज कंज़र्वेशन नियमों का सख्ती से पालन करने पर ज़ोर दिया गया है। UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट,**

वेस्टर्न घाट की हाई इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी की वजह से इस प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल ध्यान खींचा है।

अघनाशिनी नदी के बारे में

यह क्या है?

अघनाशिनी भारत की सबसे साफ़, **बिना बहने वाली नदियों में से एक है**। यह एक इकोलॉजिकल दुर्लभ चीज़ है क्योंकि, ज़्यादातर बड़ी भारतीय नदियों के उलट, यह ज़्यादातर **बिना बांध वाली** और बड़े इंडस्ट्रियल प्रदूषण से मुक्त रहती है, जिससे वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम में एक अनोखा बायोडायवर्सिटी कॉरिडोर बना रहता है।

भौगोलिक विवरण:

- **उत्पत्ति:** यह कर्नाटक के **उत्तर कन्नड़ जिले में सिरसी** (हेगगरने वन रेंज में शंकर तीर्थ) से उत्पन्न होती है।
- **पत्तो पाथ:** नदी पूरी तरह से कर्नाटक राज्य में बहती है।
- **टाइप:** यह **पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है** जो कुमटा तालुक के तादरी में सीधे **अरब सागर में मिलती है**। यह एक स्वतंत्र नदी है, सहायक नदी नहीं।

वेदवती नदी के बारे में

यह क्या है?

छोटी, पहाड़ी अघनाशिनी के उलट, वेदवती एक लंबी, **पूरब की ओर बहने वाली पठारी नदी है**। यह सेंट्रल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आधे सूखे इलाकों के लिए एक ज़रूरी लाइफलाइन का काम करती है, और कम बारिश वाले इलाकों में सिंचाई और पीने के लिए पानी देती है।

भौगोलिक विवरण:

- **शुरुआत:** यह नदी **दो नदियों, वेद और अवती के मिलने से बनी है**, जो पश्चिमी घाट (चिक्कमगलुरु, कर्नाटक) के **बाबाबुदनगिरी पहाड़ों से निकलती हैं।**
- **गठन:** दोनों धाराएं **पुरा में मिलकर** औपचारिक रूप से वेदवती बन जाती हैं।
- **नदी सिस्टम:** वेदवती **तुंगभद्रा नदी** की एक बड़ी दाहिने किनारे की सहायक नदी है, जो **कृष्णा नदी** की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस तरह, यह **कृष्णा नदी बेसिन का एक अहम हिस्सा है।**

मुख्य तुलना: अघनाशिनी बनाम वेदवती

विशेषता	अघनाशिनी नदी	वेदवती नदी
प्रवाह दिशा	पश्चिम की ओर बहने वाली (अरब सागर की ओर)	पूर्व की ओर बहने वाली (बंगाल की खाड़ी प्रणाली की ओर)

प्रकृति	मुक्त प्रवाह, अप्रभावित, प्राचीन	सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल (पठार नदी)
बेसिन	स्वतंत्र तटीय बेसिन	कृष्णा नदी बेसिन (तुंगभद्रा के रास्ते)
पारिस्थितिक स्थिति	हाई (यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र)	अर्ध-शुष्क सूखा-रोधी के लिए महत्वपूर्ण

पर्यावरणीय चिंता

इन दोनों नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव में पानी की ज्यादा मात्रा वाले, इकोलॉजिकली सेंसिटिव अघनाशिनी बेसिन से पानी को पानी की कमी वाले वेदावती बेसिन की ओर मोड़ना शामिल है।

- **बायोडायवर्सिटी का खतरा:** पर्यावरणविदों का कहना है कि अघनाशिनी नदी पर डैम बनाने या उसका रास्ता बदलने से **एस्चुअरी इकोसिस्टम** और उन हजारों लोगों की रोजी-रोटी खत्म हो सकती है जो पारंपरिक बाइवाल्ड (शेलफिश) इकट्ठा करने पर निर्भर हैं।
- **UNESCO का रुख:** क्योंकि सोर्स इलाके **पश्चिमी घाट में हैं**, इसलिए किसी भी बड़े इंजीनियरिंग काम में "इकोलॉजिकली सेंसिटिव ज़ोन" को बायपास करना होगा ताकि साइट का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस बना रहे।

निष्कर्ष

अघनाशिनी-वेदावती प्रोजेक्ट क्लासिक "डेवलपमेंट बनाम कंज़र्वेशन" की उलझन दिखाता है। हालांकि इसका मकसद सेंट्रल कर्नाटक की सूखी ज़मीन को पानी की सुरक्षा देना है, लेकिन **UNESCO का दबाव** यह पक्का करता है कि किसी भी तरक्की को भारत की आखिरी जंगली नदियों में से एक की ऐसी इकोलॉजिकल वैल्यू के साथ बैलेंस करना होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।

मॉडल कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल (MCP)

प्रसंग

भारत सरकार ने AI एप्लिकेशन को **ई-सांख्यिकी पोर्टल** से जोड़ने के लिए एक खास **मॉडल कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल (MCP) सर्वर लॉन्च किया है**। यह इंटीग्रेशन AI टूल्स को वेरिफाइड, रियल-टाइम ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल डेटा सीधे लाने की सुविधा देता है, जिससे यह पक्का होता है कि AI से मिली आर्थिक जानकारी "ग्राउंड ट्रुथ" पर आधारित हो, न कि पुराने ट्रेनिंग डेटा पर।

मॉडल कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल (MCP) के बारे में

यह क्या है? मॉडल कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल (MCP) एक **ओपन-सोर्स स्टैंडर्ड है** जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल (जैसे जेमिनी, क्लाउड, या चैटGPT) को बाहरी डेटा सोर्स, टूल्स और प्रोफेशनल वर्कफ़्लो से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह समझें जो AI "ब्रेन" को किसी खास डेटाबेस या लोकल फ़ाइल सिस्टम तक सुरक्षित रूप से "पहुंचने" और इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है।

समयरेखा:

- **ग्लोबल ओरिजिन:** मूल रूप से **2024 के आखिर में** (एंथ्रोपिक द्वारा) एक ओपन स्टैंडर्ड के रूप में पेश किया गया।
- **इंडिया इंटीग्रेशन:** ऑफिशियल नेशनल स्टैटिस्टिक्स के लिए सरकार का खास इम्प्लीमेंटेशन **2026 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था**।

मुख्य उद्देश्य: AI के "नॉलेज साइलो" को खत्म करना। ट्रेनिंग के दौरान सीखी गई जानकारी पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, MCP AI को **वेरिफाइड, लाइव डेटाबेस को एक्सेस करके सटीक, डेटा-ड्रिवन और कॉन्टेक्ट-अवेयर जवाब देने में मदद करता है**।

यह कैसे काम करता है: "AI के लिए USB-C"

- **स्टैंडर्ड इंटरफ़ेस:** जैसे USB-C पोर्ट किसी भी डिवाइस को किसी भी चार्जर से कनेक्ट करने देता है, वैसे ही MCP एक कॉमन "पोर्ट" देता है जिसे कोई भी AI एप्लिकेशन किसी भी डेटा सोर्स से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
- **क्लाउंट-सर्वर आर्किटेक्चर:** * **क्लाउंट:** AI एप्लिकेशन (वह इंटरफ़ेस जिससे आप चैट करते हैं)।
 - **सर्वर:** डेटा सोर्स (जैसे, ई-सांख्यिकी पोर्टल या कंपनी का इंटरनल डेटाबेस)।
- **कॉन्टेक्टुअल रिट्रीवल:** जब कोई यूज़र भारत की GDP के बारे में कोई सवाल पूछता है, तो AI, MCP का इस्तेमाल करके ई-सांख्यिकी सर्वर से खास, लेटेस्ट आंकड़े निकालकर उसका जवाब तैयार करता है।
- **परमिशन-बेस्ड एक्सेस:** यह प्रोटोकॉल असल में सिक्वोर है; AI सिर्फ़ उन्हीं खास डेटा टूल्स या फ़ाइलों को "देख" और "इस्तेमाल" कर सकता है जिन्हें एक्सेस करने की उसे साफ़ तौर पर परमिशन दी गई है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **ओपन सोर्स और नॉन-प्रोप्राइटरी:** कोई भी डेवलपर, स्टार्टअप, या सरकारी संस्था किसी एक टेक बड़ी कंपनी को लाइसेंसिंग फीस दिए बिना अपने MCP सर्वर बना और डिप्लॉय कर सकती है।

- **यूनिवर्सल इंटीग्रेशन:** एक सिंगल MCP सर्वर एक डेटा सोर्स को एक साथ कई अलग-अलग AI असिस्टेंट के साथ इंटीग्रेट करने की सुविधा देता है।
- **रियल-टाइम डेटा एक्सेस: स्टैटिक मॉडल के उलट, MCP AI को लेटेस्ट उपलब्ध आंकड़े** (जैसे, आज सुबह का महंगाई डेटा या स्टॉक मार्केट इंडेक्स) लाने की सुविधा देता है।
- **टूल ऑर्केस्ट्रेशन:** AI सिर्फ डेटा "पढ़ता" नहीं है; यह काम भी कर सकता है, जैसे कोई मुश्किल कैलकुलेशन करना या किसी खास डेटाबेस केरी के आधार पर विजुअलाइजेशन बनाना।
- **वहम कम होना:** AI को "ग्राउंड ट्रुथ" (वेरिफाइड ऑफिशियल डेटाबेस) से जोड़कर, AI के "वहम" करने या नकली आंकड़े बनाने की संभावना बहुत कम हो जाती है।

महत्व

- **गवर्नेंस के लिए:** यह ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स तक पहुंच को डेमोक्रेटाइज़ करता है। नागरिक और पॉलिसी बनाने वाले एडवांस्ड डेटा साइंस स्किल्स की ज़रूरत के बजाय आसान नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके मुश्किल डेटासेट को केरी कर सकते हैं।
- **डेवलपर्स के लिए:** यह "AI एजेंट्स" बनाने में लगने वाले समय और मुश्किल को काफी कम कर देता है, जिन्हें सुरक्षित एंटरप्राइज़ या सरकारी डेटा के साथ इंटरैक्ट करने की ज़रूरत होती है।
- **इकॉनमी के लिए: AI को नेशनल स्टैटिस्टिकल पोर्टल** से जोड़कर, यह इकॉनमिक एनालिसिस की सटीकता को बढ़ाता है, जिससे बिज़नेस और रिसर्चर को बेहतर जानकारी वाले फ़ैसले लेने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष

भारत सरकार का **मॉडल कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल** अपनाया "एजेंटिक AI" की तरफ एक बदलाव दिखाता है, यह AI सिर्फ बात नहीं करता बल्कि असल दुनिया के डेटा पर काम करता है। ई-सांख्यिकी पोर्टल में AI को शामिल करके, भारत एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर रहा है कि सरकारें इंटेलिजेंस के इस ज़माने में ऑफिशियल डेटा को ज़्यादा आसान और काम का बनाने के लिए ओपन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर)

प्रसंग

2026 में राज्यसभा को दिए गए एक हालिया अपडेट में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने बताया कि भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व (SPRs) अभी 64% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। यह खुलासा ग्लोबल एनर्जी में बढ़ती अस्थिरता

के बीच हुआ है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए Phase-II विस्तार को पूरा करने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार के बारे में

यह क्या है? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व, ज़मीन के नीचे चट्टानों की खास गुफाओं में जमा कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है। ये एक "नेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी" की तरह काम करते हैं, जो जियोपॉलिटिकल झगड़ों, प्राकृतिक आपदाओं, या बहुत ज़्यादा ग्लोबल कीमतों के झटकों की वजह से अचानक सप्लाई में रुकावट से भारत की रक्षा करते हैं।

प्रशासनिक ढांचा:

- **शुरुआत: 1973 के तेल संकट** के बाद इस कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में पहचान मिली।
- **प्रबंध निकाय: इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड (ISPRL)**, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) है जिसे 2004 में ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड (OIDB) के तहत बनाया गया था।
- **ग्लोबल अलाइनमेंट: इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के एसोसिएट मेंबर** के तौर पर भारत के कमिटमेंट का एक हिस्सा, जो यह सलाह देता है कि देश नेट ऑयल इंपोर्ट का 90-दिन का रिज़र्व बनाए रखें।

मुख्य उद्देश्य:

- एक ज़रूरी शॉर्ट-टर्म बफर देकर **एनर्जी सॉवरेनिटी** पक्का करना।
- घरेलू बाज़ार को अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार के "कीमत के झटकों" से बचाना।

बुनियादी ढांचा और स्थान

भारत की SPR स्ट्रेटेजी दो मुख्य फेज़ में बंटी हुई है:

चरण-I (पूर्ण और चालू):

- **विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश:** 1.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) क्षमता।
- **मंगलुरु, कर्नाटक:** 1.50 MMT क्षमता।
- **पादुर, कर्नाटक:** 2.50 MMT क्षमता।

चरण-II (नियोजित विस्तार):

- **चंडीखोल, ओडिशा:** प्रस्तावित 4 MMT क्षमता।
- **पादुर, कर्नाटक:** अतिरिक्त 2.5 MMT क्षमता।

मुख्य तकनीकी और रणनीतिक विशेषताएं

- **ज़मीन के नीचे चट्टान की गुफाएँ:** ज़मीन के नीचे तेल स्टोर करना, ज़मीन के ऊपर बड़े स्टील टैंक बनाने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित (आग/तोड़-फोड़ से बचाव) और ज़्यादा सस्ता है।

- **हाइड्रोस्टैटिक कंटेनमेंट:** ये बिना लाइन वाली गुफाएं आस-पास के ग्राउंडवाटर के नेचुरल प्रेशर का इस्तेमाल करके कूड ऑयल को अंदर फंसाए रखती हैं, जिससे कोई भी बाहरी लीकेज या एनवायरनमेंटल कंटेमिनेशन नहीं होता।
- **स्ट्रेजिक-कम-कमर्शियल मॉडल:** ज़्यादा स्टोरेज कॉस्ट को कम करने के लिए, सरकार **ADNOC (UAE)** जैसी विदेशी कंपनियों को जगह लीज़ पर लेने की इजाज़त देती है। ये कंपनियाँ तेल का ट्रेड तो कर सकती हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान कच्चे तेल पर पहला अधिकार भारत सरकार के पास रहता है।
- **रिफाइनरी इंटीग्रेशन:** SPRs को बड़ी रिफाइनरियों के पास कोस्ट पर खास तौर पर लगाया जाता है ताकि किसी मुश्किल समय में पाइपलाइन के ज़रिए **कूड ऑयल को तेज़ी से पहुंचाया जा सके।**
- **डायनामिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट:** ISPR का मकसद इन कमियों को तब भरना है जब इंटरनेशनल कूड ऑयल की कीमतें कम (डाउनसाइकिल) हों, ताकि देश के खजाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके।

महत्व

- **इम्पोर्ट पर निर्भरता:** भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल कंज्यूमर है और अपनी कूड ऑयल की ज़रूरत का **88% से ज़्यादा इम्पोर्ट करता है।** SPRs ही टोटल सप्लाई कटऑफ के खिलाफ एकमात्र बचाव है।
- **महंगाई कंट्रोल:** ग्लोबल तेज़ी के दौरान स्टोर किया हुआ तेल निकालकर, सरकार पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को रोक सकती है, वरना खाने-पीने की चीज़ों और ज़रूरी चीज़ों में "कॉस्ट-पश" महंगाई बढ़ जाती है।
- **जियोपॉलिटिकल फ़ायदा:** एक मज़बूत रिज़र्व होने से इंटरनेशनल बातचीत के दौरान भारत की मोलभाव करने की ताकत और स्ट्रेजिक ऑटोनॉमी मज़बूत होती है।

निष्कर्ष

अभी 64% कैपेसिटी के साथ, अब **Phase-II को तेज़ी से पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। \$5 ट्रिलियन की इकॉनमी** के लिए कोशिश कर रहे देश के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ एक लॉजिस्टिक गोल नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का एक बुनियादी पिलर है।

एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी और टैक्स में छूट (RoDTEP)

प्रसंग

RACE IAS

2026 में, भारत सरकार ने **RoDTEP के पूरे रेट और वैल्यू कैप को फिर से लागू कर दिया, और पिछली 50% की रोक हटा दी। यह कदम पश्चिम एशिया** में चल रहे जियोपॉलिटिकल संकट की वजह से ज़्यादा माल ढुलाई की लागत और लॉजिस्टिक्स में रुकावटों से जूझ रहे भारतीय एक्सपोर्टर्स को ज़रूरी मदद देने के लिए बनाया गया है।

RoDTEP योजना के बारे में

यह क्या है? RoDTEP भारत की सबसे बड़ी **एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम** है। यह सेंट्रल, स्टेट और लोकल ड्यूटी या टैक्स को रिफंड करके काम करती है, जो एक्सपोर्ट किए गए सामान की मैनुफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान पहले "अन-रिफंड" कर दिए गए थे। इसकी मुख्य सोच यह है कि **"टैक्स एक्सपोर्ट नहीं किए जाने चाहिए,"** ताकि यह पक्का हो सके कि भारतीय प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में प्राइस-कॉम्पिटिटिव बने रहें।

प्रशासनिक ढांचा:

- **लॉन्च:** 1 जनवरी, 2021 (*भारत से व्यापारिक निर्यात योजना* या MEIS की जगह)।
- **नोडल मंत्रालय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- **इम्प्लीमेंटेशन:** कस्टम्स (CBIC) द्वारा एक डिजिटल एंड-टू-एंड ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए मैनेज किया जाता है।

मुख्य उद्देश्य:

- किसी दूसरे सिस्टम (जैसे GST या ड्यूटी ड्रॉबैक) में कवर नहीं होने वाले टैक्स, ड्यूटी और लेवी को रीइम्बर्स करना।
- प्रोडक्शन की "एम्बेडेड कॉस्ट" को कम करके भारत के एक्सपोर्ट वॉल्यूम और वैल्यू को बढ़ाना।
- भारत की एक्सपोर्ट सब्सिडी को इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **पूरी कवरेज:** इस स्कीम में **10,000 से ज़्यादा एक्सपोर्ट आइटम शामिल हैं**, जो खेती, समुद्री प्रोडक्ट, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी, और ऑटोमोबाइल जैसे अलग-अलग सेक्टर में आते हैं।
- **डिजिटल ट्रांसफ़रेबल स्क्रिप्स:** रिफंड इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के तौर पर जारी किए जाते हैं। इन्हें ई-लेजर में रखा जाता है और ये **ट्रांसफ़रेबल होते हैं**, जिसका मतलब है कि एक्सपोर्टर्स इनका इस्तेमाल बेसिक कस्टम ड्यूटी देने या दूसरे इंपोर्टर्स को बेचने के लिए कर सकते हैं।
- **WTO कम्प्लायंस:** पुराने MEIS (जिसे WTO में चुनौती दी गई थी) के उलट, RoDTEP असल में चुकाए गए टैक्स में पूरी तरह से **छूट है**। यह इसे वर्ल्ड ट्रेड

ऑर्गनाइजेशन के नियमों के पूरी तरह से कम्प्लायंस में रखता है।

- **ऑटोमैटिक प्रोसेसिंग:** रिबेट को **फ्रेट ऑन बोर्ड (FOB)** वैल्यू के परसेंटेज के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपोर्ट के शिपिंग बिल फाइल करने के बाद यह प्रोसेस ऑटोमैटिकली शुरू हो जाता है, जिससे पेपरवर्क कम हो जाता है।
- **लोकल लेवी को शामिल करना:** यह खास तौर पर **मंडी टैक्स**, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होने वाले **फ्यूल पर VAT**, और **बिजली ड्यूटी** कॉस्ट जैसी "छिपी हुई" कॉस्ट को टारगेट करता है, जिन्हें पहले एक्सपोर्टर खुद उठाते थे।

महत्व

- **ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस:** एम्बेडेड टैक्स हटाकर, भारतीय सामान **वियतनाम, थाईलैंड और चीन जैसे कॉम्पिटिटर के साथ कीमत पर बेहतर मुकाबला कर सकते हैं**।
- **लिक्विडिटी सपोर्ट:** स्क्रिप्स का डिजिटल नेचर तुरंत फाइनेंशियल राहत देता है, जो अभी के वेस्ट एशिया संकट जैसे ग्लोबल सप्लाय चैन शॉक्स के दौरान बहुत ज़रूरी है।
- **बिज़नेस करने में आसानी:** पेपरलेस, सिर्फ डिजिटल इंटरफ़ेस इंसानी दखल को कम करता है, भ्रष्टाचार के खतरे को कम करता है, और रिफंड प्रोसेसिंग में लंबी देरी को खत्म करता है।

निष्कर्ष

2026 में RoDTEP रेट्स को पूरी तरह से वापस लाना, भारत के एक्सपोर्ट की रफ़्तार को बचाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक दखल है। यह पक्का करके कि सामान की फ़ाइनेल कीमत से "टैक्स का बोझ" हटा दिया जाए, सरकार **आत्मनिर्भर भारत** के विज़न को मज़बूत कर रही है और भारतीय एक्सपोर्टर्स को बदलते ग्लोबल ट्रेड माहौल में आगे बढ़ने में मदद कर रही है।

ब्राज़ील का प्रोअलकूल प्रोग्राम

प्रसंग

चल रहे **वेस्ट एशिया विवाद** ने दुनिया भर में **तेल सप्लाय में काफ़ी रुकावट डाली है**, जिससे एक बार फिर **भारत की एनर्जी पर बहुत ज़्यादा निर्भरता सामने आई है**। इस उतार-चढ़ाव ने **इथेनॉल-बेस्ड सॉल्यूशन** में गहरी दिलचस्पी जगाई है, खासकर ब्राज़ील के दुनिया के सबसे अच्छे **प्रोअलकूल मॉडल** में, जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक ब्लूप्रिंट है।

ब्राज़ील के प्रोअलकूल प्रोग्राम के बारे में

यह क्या है? 1975 में शुरू किया गया प्रोग्राम **नैशनल डो एल्कूल (प्रोएलकूल)** एक **शुरुआती नैशनल बायोफ्यूल पहल है**। इसे 1973 के **ग्लोबल तेल संकट के जवाब** में गन्ने से बने **इथेनॉल** के लिए **गैसोलीन को धीरे-धीरे खत्म करने के लिए** बनाया गया था।

मुख्य उद्देश्य:

- इंटरनेशनल कूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से देश की अर्थव्यवस्था को बचाना।
- घरेलू खेती के सरप्लस का इस्तेमाल करके **एनर्जी सॉवरेनिटी** हासिल करना।
- गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा बाज़ार बनाकर एक टिकाऊ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

ब्राज़ीलियाई मॉडल की मुख्य विशेषताएं

- **ज़रूरी इथेनॉल ब्लेंडिंग:** ब्राज़ील पेट्रोल (जिसे गैसोलीन C के नाम से जाना जाता है) के साथ इथेनॉल ब्लेंड करने के लिए कानूनी तौर पर ज़रूरी है। यह ब्लेंड शुरुआती सालों में लगभग 11% से बढ़कर आज लगभग **27-30% हो गया है**, जिससे प्रोड्यूसर्स के लिए एक गारंटीड, बड़े पैमाने का मार्केट पक्का हो गया है।
- **फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (FFV) इकोसिस्टम: 2000 के दशक की शुरुआत से, ब्राज़ील ने ऐसे इंजन बनाए हैं जिनमें सेंसर लगे होते हैं जो फ्यूल मिक्स का पता लगा सकते हैं। ये गाड़ियां 100% पेट्रोल, 100% इथेनॉल (E100), या दोनों के किसी भी कॉम्बिनेशन पर चल सकती हैं।**
- **डुअल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर:** कई देशों के उलट, ब्राज़ील के फ्यूल स्टेशनों को कानूनी तौर पर ब्लेंडेड पेट्रोल और प्योर हाइड्रस इथेनॉल दोनों देना ज़रूरी है। इससे कस्टमर्स को रियल-टाइम कीमत में उतार-चढ़ाव के आधार पर फ्यूल बदलने का मौका मिलता है।
- **टैक्स में छूट:** ब्राज़ील सरकार ने पहले पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल पर कम वैल्यू-एडेड टैक्स लगाया था, ताकि कस्टमर इसे अपनाएं और बायोफ्यूल को ज़्यादा "पॉकेट-फ्रेंडली" ऑप्शन बनाया जा सके।

भारत के इथेनॉल रोडमैप के लिए सबक

- **बड़े ब्लेंडिंग टारगेट (E30-E100):** हालांकि भारत अभी **E20** (20% इथेनॉल ब्लेंड) को टारगेट कर रहा है, प्रोएलकूल मॉडल बताता है कि E30 या उससे ज़्यादा की ओर बढ़ना टेक्निकली मुमकिन है और डीप डीकार्बोनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिकली ज़रूरी है।
- **फ्लेक्स-फ्यूल इंजन को बढ़ाना:** भारत **फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों** के लिए पॉलिसी को तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। मैनुफैक्चरर्स को FFV टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए बढ़ावा देने से भारतीय कंज्यूमर इंजन कम्पैटिबिलिटी

की चिंता किए बिना ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड इस्तेमाल कर पाएंगे।

- **इटीग्रेटेड पॉलिसी और टैक्स रिफॉर्म:** इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल (प्योर फॉसिल फ्यूल की तुलना में) के लिए एक **जैसा और कम GST सिस्टम** लागू करने से प्राइसिंग एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है और प्रोडक्शन और कंजमेशन दोनों को बढ़ावा मिल सकता है।
- **खेती का तालमेल: ब्राज़ील की तरह ही, भारत भी गन्ने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इस मॉडल को अपनाने से चीनी के सरप्लस को मैनेज करने में मदद मिलती है और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किसानों को बेहतर कीमत मिलती है।**

निष्कर्ष

ब्राज़ील का प्रोअलकूल प्रोग्राम यह साबित करता है कि पेट्रोलियम-बेस्ड इकॉनमी से बायोफ्यूल-ड्रिवन इकॉनमी में बदलाव, ज़रूरी ब्लेंडिंग, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और फ़ाइनेंशियल सपोर्ट के सही मिक्स से मुमकिन है। भारत के लिए, इन सबक को अपनाना अब सिर्फ़ एक एनवायरनमेंटल चॉइस नहीं है, बल्कि इकॉनमी को बाहरी एनर्जी शॉक से बचाने के लिए एक **जियोपॉलिटिकल ज़रूरत है।**

कृषि में महिला किसान

प्रसंग

यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल फूड सिक्वोरिटी में उनकी ज़रूरी भूमिका को पहचानने के लिए **2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ द वुमन फ़ार्मर (IYWF 2026)** के तौर पर मनाया है। इस ग्लोबल विज़न के साथ, भारत ने हाल ही में पॉलिसी सुधारों को आगे बढ़ाने और प्राइमरी सेक्टर में महिलाओं के योगदान का ज़म्र मनाने के लिए नई दिल्ली में ग्लोबल कॉन्फ़ेस ऑन वीमेन इन एग्री-फूड सिस्टम्स (GCWAS-2026) होस्ट किया।

भारत में महिला किसानों की प्रोफ़ाइल

यह क्या है? महिला किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो ज़मीन तैयार करने और बीज बोने से लेकर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तक पूरी खेती की वैल्यू चेन में शामिल होती हैं। लंबे समय तक "अदृश्य मज़दूर" के तौर पर पहचानी जाने वाली, उन्हें अब स्वतंत्र उद्यमी और अहम फ़ैसले लेने वालों के तौर पर पहचाना जा रहा है जो घर के पोषण और ग्रामीण इलाकों में मज़बूती पक्का करती हैं।

मुख्य डेटा और सांख्यिकी:

- **प्राथमिक आजीविका:** ग्रामीण भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय **80%** महिलाएं खेती में काम करती हैं।
- **वर्कफ़ोर्स की बनावट:** ग्रामीण महिला वर्कफ़ोर्स में, **33%** खेतिहर मज़दूर हैं और **48%** सेल्फ़-एम्प्लॉयड किसान हैं।

- **वित्तीय समावेशन: पीएम-किसान** के तहत कुल लाभ का लगभग **25%** (₹1.01 लाख करोड़ से अधिक) महिला लाभार्थियों को दिया गया है।
- **कलेक्टिववाइज़ेशन:** भारत में अभी **1,175 FPOs** (किसान उत्पादक संगठन) हैं जिनमें 100% महिला शेयरहोल्डर हैं, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले फॉर्मल बिज़नेस स्ट्रक्चर की ओर बदलाव का संकेत है।

कृषि में बहुआयामी भूमिकाएँ

- **फसल उत्पादन:** बुवाई, निराई और धान की रोपाई जैसे मेहनत वाले कामों को संभालना।
- **पशुधन मैनेजमेंट:** डेयरी, पोल्ट्री और छोटे जुगाली करने वाले जानवरों के लिए प्राइमरी मैनेजर के तौर पर काम करना। **पशु सखी** मॉडल ने घर-घर जाकर जानवरों की देखभाल की सर्विस देने में कामयाबी हासिल की है।
- **कटाई के बाद और वैल्यू एडिशन:** सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) के ज़रिए कच्चे माल को मसालों और मशरूम जैसी बेचने लायक चीज़ों में बदलना।
- **नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट:** केमिकल-फ्री, सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देने के लिए 70,000 से ज़्यादा **SHG महिलाओं को नेचुरल फार्मिंग** की ट्रेनिंग दी गई है।
- **टेक्नोलॉजी अपनाना:** हाई-टेक सॉल्यूशन की ओर बढ़ना, खासकर प्रिसिजन फार्मिंग के लिए **नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम के ज़रिए।**

प्रमुख सरकारी पहल

- **नमो ड्रोन दीदी स्कीम:** खेती को मॉडर्न बनाने और सर्विस-बेस्ड रोजी-रोटी बनाने के लिए 80% सेंट्रल मदद के साथ महिला SHGs को **15,000 ड्रोन** देती है।
- **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP):** DAY-NRLM का एक सब-कंपोनेंट, जिसे खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल खेती के ज़रिए महिलाओं को मज़बूत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **कृषि सखी प्रोग्राम:** साइंटिफिक रिसर्च और फील्ड एप्लीकेशन के बीच के अंतर को कम करने के लिए **70,000 महिलाओं को पैरा-एक्सटेंशन वर्कर के तौर पर** ट्रेनिंग देना।
- **ICAR-CIWA:** भुवनेश्वर में सेंट्रल इंस्टिट्यूट फॉर वीमेन इन एग्रीकल्चर, महिलाओं के लिए आसान, मेहनत कम करने वाले टूल्स बनाता है और जेंडर-स्पेसिफिक रिसर्च करता है।

महिला किसानों के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- **ज़मीन के मालिकाना हक की कमी:** ज़मीन के टाइटल के बिना, महिलाएं सरकारी रिकॉर्ड में "अदृश्य" रहती हैं, जिससे PM-KISAN या इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलना मुश्किल हो जाता है।
- **शारीरिक मेहनत:** पारंपरिक औजार अक्सर पुरुषों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिससे महिला मज़दूरों की मांसपेशियों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है।
- **क्रेडिट गैप:** ज़मीन की कमी की वजह से अक्सर महिलाओं को बैंक लोन नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें SHGs या इनफॉर्मल लेंडर्स पर निर्भर रहना पड़ता है।
- **एक्सटेंशन सर्विसेज़ में कमी:** ज़्यादा पैदावार वाली वैरायटी (HYV) के बीजों या पेस्टिसाइड्स के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग में आम तौर पर पुरुष किसानों को टारगेट किया जाता है, और खेत में असल में इसे लागू करने वाले लोग नहीं होते।
- **मौसम की मार:** सूखे या बाढ़ के दौरान, महिलाओं को पानी और चारा लाने में ज़्यादा परेशानी होती है, जिससे उन्हें खेती के मैनेजमेंट के लिए कम समय मिलता है।

पश्चिमी गोलार्ध

1. **डिजिटल लैंड वेरिफिकेशन:** ज़मीन के रिकॉर्ड के डिजिटलाइज़ेशन में तेज़ी लाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं DBT स्कीम के लिए खुद से रजिस्टर कर सकें।
2. **जेंडर-सेंसिटिव मशीनीकरण:** महिलाओं को छोटे लेवल की मशीनरी चलाना और रिपेयर करना सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाना।
3. **महिलाओं के FPO को बढ़ाना:** ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों पर फोकस करते हुए 10,000 FPO का टारगेट पूरा करना।
4. **मार्केट लिंकेज: AMI/ISAM स्कीम** का इस्तेमाल करके महिलाओं को गांव-लेवल पर मार्केट बनाने के लिए 33.33% सब्सिडी देना।
5. **कृषि सखियों को मेनस्ट्रीम करना:** सरकारी टेक्निकल डिपार्टमेंट और ग्रामीण समुदायों के बीच फॉर्मल लिंक के तौर पर उनकी भूमिका को इंस्टीट्यूशनल बनाना।

निष्कर्ष

\$5 ट्रिलियन की इकॉनमी के लक्ष्य के लिए महिला किसानों का एम्पावरमेंट एक ज़रूरी शर्त है। **नमो ड्रोन दीदी** जैसी स्कीम के ज़रिए उन्हें मज़दूरों से "एग्री-एंटरप्रेन्योर्स" में बदलकर, भारत **2026 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ द वुमन फार्मर** के दौरान दुनिया भर में आगे बढ़ सकता है।

टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई

प्रसंग

RACE IAS

www.raceias.com

Page 68 of 89

वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2026 पर, भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान के तहत हुई बड़ी तरक्की पर ज़ोर दिया, और बताया कि TB के मामलों में 21% की कमी आई है। इस रफ़्तार को बनाए रखने के लिए, भारत ने जनभागीदारी और एडवांस्ड AI-ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स पर फोकस करते हुए एक नया 100-दिन का तेज़ कैम्पेन शुरू किया है ताकि आखिरी छोर तक पहुंचा जा सके।

क्षय रोग को समझना

TB क्या है? ट्यूबरकुलोसिस एक फैलने वाली बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों (पल्मोनरी TB) को प्रभावित करती है, लेकिन यह रीढ़ की हड्डी, दिमाग और किडनी (एक्स्ट्रा-पल्मोनरी TB) को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यह हवा से फैलने वाली बीमारी है जो खांसी या छींक से फैलती है।

टीबी के मामलों के प्रकार:

- **लेटेंट TB:** बैक्टीरिया मौजूद तो होते हैं लेकिन निष्क्रिय होते हैं; व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं होते और वह संक्रामक नहीं होता।
- **एक्टिव TB:** बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे बीमारी होती है और व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है।
- **बिना लक्षण वाले TB:** 2026 में इस पर खास ध्यान दिया जाएगा; इन मरीजों में कोई आम लक्षण (जैसे लगातार खांसी) नहीं दिखते, लेकिन फिर भी ये बीमारी फैला सकते हैं।
- **ड्रग-रेसिस्टेंट TB (MDR/XDR-TB):** ऐसे स्ट्रेन जो स्टैंडर्ड फर्स्ट-लाइन या सेकंड-लाइन एंटीबायोटिक्स पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करते।

मुख्य डेटा और सांख्यिकी (2015-2026)

- **मामलों में कमी:** भारत में TB के मामलों में 21% की कमी आई है, जो दुनिया भर में मामलों में कमी की दर से लगभग दोगुनी है।
- **मृत्यु दर में कमी:** TB से संबंधित मौतों में 25% की कमी आई है।
- **स्क्रीनिंग सफल:** हाल ही में 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिससे 32 लाख मामलों का पता चला।
- **बिना लक्षण वाली चुनौती:** नेशनल सर्वे बताते हैं कि 50% TB मरीजों में आम लक्षण नहीं दिखते, इसलिए पहले से स्क्रीनिंग ज़रूरी है।

उन्मूलन के लिए प्रमुख पहल

राष्ट्रीय स्तर (भारत):

- **निक्षय पोषण योजना:** मरीजों को पोषण संबंधी मदद के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए **₹500/महीना** देती है।
- **नि-क्षय मित्र:** एक अनोखी कम्युनिटी पहल जिसमें लोग या कॉर्पोरेट TB मरीजों को "गोद" लेते हैं ताकि उन्हें न्यूट्रिशनल और वोकेशनल मदद दी जा सके।
- **AI-इनेबल्ड डायग्नोस्टिक्स: दूर-दराज के इलाकों में टेस्टिंग के लिए 3,000+ AI-पावर्ड हैंडहेल्ड एक्स-रे यूनिट** और *निक्षय वाहन* (मोबाइल वैन) लगाए जाएंगे।
- **100-दिन का कैम्पेन (2026):** गांव और पंचायत लेवल पर "ज़ीरो TB" स्टेटस पाने के लिए कई मंत्रालयों का प्रयास।

वैश्विक स्तर:

- **WHO की TB खत्म करने की स्ट्रैटेजी:** इसका लक्ष्य 2035 तक मौतों में 95% और इसके मामलों में 90% की कमी लाना है।
- **मॉस्को घोषणा:** महामारी को खत्म करने के लिए मल्टीसेक्टरल एक्शन और जवाबदेही के लिए एक ग्लोबल कमिटमेंट।

उन्मूलन का महत्व

- **इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी:** यह काम करने वाली उम्र की आबादी में मैन-आवर्स के नुकसान को रोकता है और परिवारों को हेल्थकेयर के बहुत ज़्यादा खर्च से बचाता है।
- **हेल्थ सिस्टम की मज़बूती:** TB इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे मॉलिक्यूलर टेस्टिंग) को दूसरी महामारियों के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि COVID-19 के दौरान देखा गया।
- **सामाजिक बराबरी:** यह पक्का करता है कि प्रवासी मज़दूरों और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों जैसे पिछड़े ग्रुप्स को जीवन बचाने वाली देखभाल तक बराबर पहुंच मिले।
- **AMR को रोकना:** सही इलाज पूरा होने से बैक्टीरिया का खतरनाक दवा-रेसिस्टेंट "सुपरबग्स" में बदलना रुक जाता है।

चुनौतियों का सामना करना

- **साइलेंट स्प्रेड:** 10.9 लाख एसिम्प्टोमैटिक केस की पहचान ट्रेडिशनल पैसिव तरीकों के बजाय सिर्फ़ प्रोएक्टिव AI स्क्रीनिंग से हुई।
- **सामाजिक कलंक:** अकेलेपन या नौकरी छूटने के डर से कई लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं, अपनी हालत छिपाती हैं।

- **इलाज का पालन:** लंबे समय (6-9 महीने) में मरीज़ बेहतर महसूस करने के बाद इलाज छोड़ देते हैं, जिससे दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
- **शहरीकरण:** कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसी "फ्लोटिंग पॉपुलेशन" को ट्रैक करना मुश्किल बना हुआ है, क्योंकि वे इलाज के बीच में ही अपनी जगह बदल लेते हैं।

पश्चिमी गोलार्ध

1. **यूनिवर्सल मॉलिक्यूलर टेस्टिंग: पारंपरिक माइक्रोस्कोपी की जगह देश भर में TruNat/CBNAAT** जैसे तेज़ और ज़्यादा सटीक टेस्ट लाना।
2. **वैक्सीन एक्सेलेरेशन:** लंबे समय तक इम्यूनिटी के लिए "मेड-इन-इंडिया" TB वैक्सीन कैंडिडेट्स के क्लिनिकल ट्रायल्स में तेज़ी लाना।
3. **प्राइवेट सेक्टर इंटीग्रेशन:** यह पक्का करना कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर सभी तरह के इलाज को स्टैंडर्ड बनाने के लिए **नि-क्षय पोर्टल का इस्तेमाल करें**।
4. **लोकलाइज़्ड डेटा:** टारगेटेड मेडिकल इंटरवेंशन के लिए वार्ड लेवल पर हाई-रिस्क हॉटस्पॉट की पहचान करना।

निष्कर्ष

TB के खिलाफ भारत की लड़ाई एक क्लिनिकल प्रोटोकॉल से एक **जन** आंदोलन में बदल गई है। लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी को ज़मीनी स्तर पर सामाजिक सपोर्ट के साथ मिलाकर, देश **TB-मुक्त भारत की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है**। इस रफ़्तार को बनाए रखना ही इस पब्लिक हेल्थ संकट को इतिहास का एक बंद चैप्टर बनाने की चाबी है।

माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना-2.0 (CGSMFI-2.0)

प्रसंग

मार्च 2026 में, भारत सरकार ने **माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशनस के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम-2.0 (CGSMFI-2.0)** शुरू की। **इस पहल का मकसद माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में ₹20,000 करोड़** डालना है ताकि छोटे कर्जदारों के लिए लिक्विडिटी पक्की हो सके और क्रेडिट इकोसिस्टम स्थिर हो सके।

CGSMFI-2.0 के बारे में

यह क्या है? एक खास फाइनेंशियल फ्रेमवर्क जिसमें सरकार **मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन (MLI) को**, आम तौर पर बैंकों को NBFC-MFI और दूसरे माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन (MFI) को दिए गए लोन पर होने वाले डिफॉल्ट के खिलाफ गारंटी देती है। यह एक "क्रेडिट एन्हांसर" के तौर पर काम करता है, जो बैंकों को

रिस्क का एक बड़ा हिस्सा लेकर माइक्रोफाइनेंस सेक्टर को लोन देने के लिए बढ़ावा देता है।

प्रशासनिक ढांचा:

- **नोडल विभाग:** वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय।
- **प्रबंध एजेंसी:** नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC), जो गारंटी कवर की देखरेख करती है।
- **टाइमलाइन:** 30 जून, 2026 तक या ₹20,000 करोड़ की लिमिट खत्म होने तक वैलिड।

मुख्य उद्देश्य:

- फाइनेंशियल स्ट्रेस के समय MFIs को लिक्विडिटी कुशन देना।
- कम इनकम वाले कर्ज लेने वालों और छोटे बिज़नेस को बिना किसी रुकावट के क्रेडिट मिलना पक्का करना।
- ग्रामीण आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना और गहरे फाइनेंशियल इन्क्लूजन को बढ़ावा देना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **टियर गारंटी कवरेज:** यह स्कीम MFI के साइज़ के आधार पर अलग-अलग लेवल की सुरक्षा देकर छोटे प्लेयर्स को प्राथमिकता देती है:
 - छोटे MFI: डिफॉल्ट अमाउंट का 80% कवरेज।
 - मीडियम MFIs: 75% कवरेज।
 - बड़े MFI: 70% कवरेज।
- **ब्याज दर सीमा:** * बैंक से एमएफआई: बाहरी बेंचमार्क उधार दर (ईबीएलआर) / एमसीएलआर + 2% पर सीमित।
 - MFI से आम लोगों के लिए: MFI को अपनी लेंडिंग रेट्स को पिछले छह महीनों की औसत लेंडिंग रेट से 1% कम रखना होगा।
- **अफ़ोर्डेबल रिस्क मिटिगेशन:** कैपिटल की कॉस्ट कम रखने के लिए लोन देने वाली संस्थाओं से 0.50% सालाना की मामूली गारंटी फ़ीस ली जाती है।
- **टारगेटेड रीच:** खास तौर पर छोटे बॉरोअर्स (जैसा RBI क्राइटेरिया के हिसाब से बताया गया है) पर फोकस करता है, यह पक्का करता है कि फंड "लास्ट माइल" तक पहुंचे।

महत्व

- **लास्ट माइल के लिए सपोर्ट:** NBFC-MFIs को मज़बूत बनाता है, जो ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में

प्राइमरी क्रेडिट डिलीवरी व्हीकल के तौर पर काम करते हैं, जहाँ फॉर्मल बैंक ब्रांच अक्सर नहीं होती हैं।

- **सामाजिक-आर्थिक असर:** लगभग 36 लाख कर्ज लेने वालों को टारगेट करके, यह स्कीम सीधे तौर पर सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) के ज़रिए सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट, गरीबी हटाने और महिलाओं को मज़बूत बनाने में मदद करती है।
- **सिस्टमिक स्टेबिलिटी:** यह माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में क्रेडिट की कमी को रोकता है, और यह पक्का करता है कि छोटे एंटरप्रेन्योर्स को वर्किंग कैपिटल मिलता रहे।

निष्कर्ष

CGSMFI-2.0 एक स्ट्रेटेजिक दखल है जो सरकार और बैंकिंग सेक्टर के बीच रिस्क-शेयरिंग को बैलेंस करता है। छोटे MFI पर फोकस करके और इंटररेस्ट रेट को कैप करके, सरकार यह पक्का करती है कि कम लागत वाली लिक्विडिटी का फायदा ज़मीनी स्तर तक पहुंचे, जिससे मज़बूत लोकल इकॉनमी को बढ़ावा मिले।

स्टैथ फ्रिगेट तारागिरी (F41)

प्रसंग

3 अप्रैल, 2026 को इंडियन नेवी विशाखापत्तनम में स्टैथ फ्रिगेट 'तारागिरी (F41)' को कमीशन करने वाली है। यह इवेंट भारत के आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पल है, जिसमें बड़े प्रोजेक्ट 17A के तहत एडवांस्ड स्वदेशी नेवल इंजीनियरिंग दिखाई जाएगी।

स्टैथ फ्रिगेट तारागिरी के बारे में

यह क्या है? तारागिरी (F41) एक हाई-टेक स्टैथ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17A क्लास के हिस्से के तौर पर, इसे मल्टी-डाइमेंशनल नेवल वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सतह, हवा और पानी के अंदर से खतरों से निपटने में सक्षम है।

मैनुफैक्चरिंग डिटेल्स:

- **निर्माता:** मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), मुंबई द्वारा निर्मित।
- **स्वदेशीकरण:** इसमें 75% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री है, जिसमें पूरे भारत में 200 से ज़्यादा MSMEs की सप्लाय चेन शामिल है।

मुख्य उद्देश्य:

- कटिंग-एज स्टैथ और हथियारों के साथ भारत की समुद्री लड़ाई की बढ़त को मजबूत करना।
- घरेलू मैनुफैक्चरिंग क्षमताओं को साबित करके विदेशी डिफेंस इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना।

मुख्य विशेषताएं और तकनीकी विनिर्देश

- **स्टेलथ कैपेबिलिटी: रिड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन (RCS)** के साथ डिज़ाइन किया गया, जहाज़ का हल और सुपरस्ट्रक्चर रडार रिफ्लेक्शन को कम करता है, जिससे यह लंबे समय तक दुश्मन के सेंसर से छिपा रहता है।
- **डिस्प्लेसमेंट (~6,670 टन):** इसका ज़्यादा टनेज एडवांस्ड सेंसर, फ़्यूल और हथियारों के भारी पेलोड को ले जाने की सुविधा देता है, जिससे यह लंबे समय तक चलने वाले **ब्लू-वॉटर ऑपरेशन के लिए आइडियल** है।
- **प्रोपल्शन (CODOG सिस्टम): इसमें कंबाईंड डीज़ल या गैस (CODOG) आर्टिकेटेक्चर का** इस्तेमाल होता है। डीज़ल इंजन लंबी दूरी की क्रूज़िंग के लिए फ़्यूल एफिशिएंसी देते हैं, जबकि गैस टर्बाइन लड़ाई के दौरान हाई-स्पीड बर्स्ट की इजाज़त देते हैं।
- **वेपन सिस्टम: सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल (ब्रह्मोस), एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल, और एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (ASW) सिस्टम,** जिसमें देसी टॉरपीडो लॉन्चर भी शामिल हैं, से लैस।
- **इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम:** एक यूनिफाइड डिजिटल इंटरफ़ेस जो सभी सेंसर और हथियारों से डेटा को मर्ज करता है, जिससे कमांडिंग ऑफिसर को रियल-टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है।
- **ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी:** सीधे युद्ध के अलावा, यह फ़्रिगेट एस्कॉर्ट ड्यूटी, समुद्री निगरानी, और **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मिशन** के लिए भी तैयार है।

महत्व

- **आर्थिक असर:** सैकड़ों छोटे और मीडियम एंटरप्राइज़ (MSMEs) को जोड़कर घरेलू डिफेंस इकोसिस्टम को मज़बूत करता है।
- **स्ट्रेटिजिक डिटेरेंस: इंडियन ओशन रीजन (IOR)** में इंडियन नेवी की "पहुंच और असर" को बढ़ाता है, जो ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक ज़रूरी ज़ोन है।
- **टेक्नोलॉजिकल लीप:** यह पारंपरिक शिप डिज़ाइन से मॉडर्न मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन में बदलाव दिखाता है, जिससे बनाने का समय कम होता है और स्ट्रक्चरल इंटीग्रेटी बेहतर होती है।

निष्कर्ष

तारागिरी के शामिल होने से भारत की एक उभरती हुई समुद्री ताकत के तौर पर पहचान और मज़बूत होगी। खतरनाक हथियारों को एडवांस्ड स्टेल्थ के साथ मिलाकर, यह फ़्रिगेट यह पक्का करता है कि इंडियन नेवी इंडो-पैसिफिक में एक "फर्स्ट रिस्पॉन्डर" और पसंदीदा सिक्वोरिटी पार्टनर बनी रहे।

भारत में वोट का अधिकार

प्रसंग

विधानसभा चुनाव शेड्यूल से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने **ज़रूरी वोटिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर गंभीर चिंताएं जताईं**। चर्चा में डेमोक्रेटिक हिस्सेदारी बढ़ाने और व्यक्तिगत आज़ादी की सुरक्षा के बीच तनाव पर ज़ोर दिया गया।

भारत में वोट के अधिकार के बारे में

यह क्या है? वोट देने का अधिकार एक **कानूनी अधिकार** है जो नागरिकों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने का अधिकार देता है। डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी होने के बावजूद, इसे भारतीय संविधान के तहत फंडामेंटल राइट नहीं माना गया है, बल्कि यह खास कानूनी और संवैधानिक नियमों से मिला एक अधिकार है।

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान:

- **आर्टिकल 326: यूनिवर्सल एडल्ट सफ़रेज की** स्थापना करता है, जो 18+ साल के हर नागरिक को वोट के तौर पर रजिस्टर होने का अधिकार देता है, कुछ डिसकालिफिकेशन (जैसे, गैर-निवास, दिमागी तौर पर ठीक न होना, या अपराध) के अधीन।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950:** मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए योग्यताओं को रेखांकित करता है (धारा 19)।
- **रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1951:** यह उन लोगों को वोट देने का अधिकार देता है जिनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं (**सेक्शन 62**)।

अधिकार का स्वरूप: भारत में न्यायिक आम सहमति यह है कि:

1. **वोटिंग एक कानूनी अधिकार है:** यह एक कानून से बनाया गया है और एक कानून से ही इसे छीना जा सकता है।
2. **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: पीयूसीएल बनाम भारत संघ** जैसे मामलों में, न्यायालय ने माना कि वोट देने का **विकल्प (नोटा सहित)** मतदाता की राय की अभिव्यक्ति है, इसे **अनुच्छेद 19(1)(ए) से जोड़ा**।

समिति की सिफारिशें

दिनेश गोस्वामी समिति (1990):

- **स्थिति:** अनिवार्य वोटिंग का कड़ा विरोध।
- **तर्क:** लागू करने में बहुत बड़ी प्रैक्टिकल मुश्किलों का ज़िक्र किया और कहा कि डेमोक्रेटिक भागीदारी अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए और जागरूकता से होनी चाहिए, ज़बरदस्ती से नहीं।

भारतीय विधि आयोग – 255वीं रिपोर्ट (2015):

- **ऑब्ज़र्वेशन:** ध्यान दें कि जिन देशों में कंप्लेसरी वोटिंग है, वहां वोटिंग में लगभग 7% की बढ़ोतरी देखी गई है।
- **निष्कर्ष:** यह नतीजा निकाला गया कि भारत के लिए ज़रूरी वोटिंग न तो सही है और न ही मुमकिन है। इसमें कहा गया कि सख्त सज़ा सामाजिक रूप से गलत होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इसे मैनेज करना नामुमकिन होगा।

अनिवार्य मतदान से जुड़े मुख्य मुद्दे

- **अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन:** कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में चुप रहने का अधिकार या वोट न देने का अधिकार शामिल है।
- **एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ:** भारत जैसे बड़े देश में लाखों नॉन-वोटर्स को ट्रैक करने और सज़ा देने का सिस्टम लागू करना एक लॉजिस्टिक बुरा सपना होगा।
- **सामाजिक भेदभाव:** सज़ा के तरीके (जैसे जुर्माना या सरकारी सेवाओं से मना करना) गरीब और पिछड़े लोगों पर बहुत ज़्यादा असर डालेंगे, जिन्हें पोलिंग स्टेशन तक पहुँचने में असली दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
- **पसंद का कम होना:** ज़बरदस्ती वोटिंग से "रैंडम" वोटिंग हो सकती है, जहाँ नागरिक सोच-समझकर पॉलिटिकल चुनाव करने के बजाय, सिर्फ़ फाइन से बचने के लिए उम्मीदवार चुनते हैं।

निष्कर्ष

2026 में ज़रूरी वोटिंग पर बहस इस बात को पक्का करती है कि ज़्यादा वोटर टर्नआउट एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है, लेकिन ज़बरदस्ती इसका हल नहीं है। वोटर एजुकेशन के ज़रिए आर्टिकल 326 को मज़बूत करने और चुनाव प्रोसेस को और आसान बनाने पर फ़ोकस बना हुआ है, ताकि यह पक्का हो सके कि "वोट देने का अधिकार" कानूनी बोझ के बजाय अपनी मर्ज़ी का एक अहम हिस्सा बना रहे।

भारत में गर्भपात कानून

प्रसंग

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को **30 हफ़्ते की प्रेग्नेसी खत्म करने की इजाज़त दी**, जिसमें बच्चे की सेहत से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को प्राथमिकता दी गई। जस्टिस बीवी नागरत्ना के नेतृत्व में यह फैसला, 24 हफ़्ते की कानूनी लिमिट से कहीं ज़्यादा समय तक प्रेग्नेसी खत्म करने की इजाज़त देकर एक बड़ी मिसाल कायम करता है, खासकर उस पिटीशनर के लिए जो कंसीव करने के समय नाबालिग थी।

भारत में गर्भपात कानून के बारे में

RACE IAS

कानूनी स्थिति: भारत में अबॉर्शन एक कानूनी अधिकार है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेसी (MTP) एक्ट, 1971 और उसके बाद के बदलावों के तहत आता है। यह इंडियन पीनल कोड (IPC) के लिए एक कानूनी छूट के तौर पर काम करता है, जो अपनी मर्ज़ी से प्रेग्नेसी खत्म करने को जुर्म मानता है।

मुख्य डेटा और तथ्य:

- **MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021:** स्पेशल कैटेगरी (रेप सर्वाइवर, माइनर और डिसेबिलिटी वाली महिलाएं) के लिए प्रेग्नेसी की ऊपरी लिमिट 20 से बढ़ाकर **24 हफ़्ते कर दी गई**।
- **मैटरनल मॉर्टैलिटी:** अनसेफ़ अबॉर्शन मैटरनल डेथ का एक बड़ा कारण बना हुआ है; MTP एक्ट को शुरू में सुरक्षित, रेगुलेटेड सर्विस देने के लिए एक पब्लिक हेल्थ उपाय के तौर पर बनाया गया था।
- **न्यायिक वॉल्यूम:** 2021 से, **1,100 से ज़्यादा मामले** हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, क्योंकि लोगों ने कानूनी लिमिट से ज़्यादा अबॉर्शन की इजाज़त मांगी है।
- **30-हफ़्ते का माइलस्टोन:** 2026 का फैसला, भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब तक टर्मिनेशन के लिए मंज़ूर की गई सबसे ज़्यादा प्रेग्नेसी की उम्र में से एक है।
- **वैवाहिक स्थिति:** 2022 के मामले (*X बनाम प्रमुख सचिव, दिल्ली*) में, SC ने फैसला दिया कि **अविवाहित महिलाएं** 24 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए समान रूप से पात्र हैं।

कानूनी ढांचे की विशेषताएं

- **स्तरित गर्भावधि सीमाएँ:**
 - **20 हफ़्ते तक:** इसके लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (RMP) की राय ज़रूरी है।
 - **20-24 हफ़्ते:** खास कमज़ोर कैटेगरी के लिए दो RMPs की राय ज़रूरी है।
- **असामान्यताओं के लिए कोई सीमा नहीं:** अगर राज्य स्तर का **मेडिकल बोर्ड** भ्रूण में गंभीर असामान्यताओं का पता लगाता है, तो 24 हफ़्ते की सीमा लागू नहीं होती है।
- **मेंटल हेल्थ का आधार:** कानून यह मानता है कि अगर प्रेग्नेसी से "मेंटल हेल्थ को गंभीर नुकसान" होता है (जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर भी शामिल है) तो यह टर्मिनेशन का एक सही आधार है।
- **सहमति और गोपनीयता:** बड़ों (18+) के लिए, **सिर्फ़ महिला की सहमति** ज़रूरी है। एक्ट में मरीज़ की पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखने का नियम है।

चुनौतियां

- **भ्रूण की जीवनक्षमता बनाम स्वायत्तता:** हाल के मामलों (जैसे *X बनाम भारत संघ, 2023*) ने उन विवादों को उजागर किया है जहां अदालतों ने शुरू में भ्रूण के जीवित होने पर गर्भपात से इनकार कर दिया था, जिससे भ्रूण के जीवन और मातृ अधिकारों के बीच एक "सैद्धांतिक पहली" पैदा हो गई थी।
- **थर्ड-पार्टी गेटकीपिंग:** कानूनी नियमों के बावजूद, कई अस्पताल अभी भी अनऑफिशियली **पति या पार्टनर की सहमति मांगते हैं**, खासकर ग्रामीण इलाकों में।
- **नाबालिगों के लिए एक्सेस: POCSSO** के तहत ज़रूरी रिपोर्टिंग अक्सर नाबालिगों को कानूनी कार्रवाई के डर और प्राइवैसी की कमी के कारण सुरक्षित अबॉर्शन करवाने से रोकती है।
- **मेडिकल बोर्ड की देरी:** देर से होने वाले मामलों में बोर्ड रिव्यू की ज़रूरत के कारण अक्सर ब्यूरोक्रेटिक देरी होती है, जिससे केस के कोर्ट में विचाराधीन रहने के दौरान प्रेग्नेंसी आगे बढ़ जाती है।
- **अलग-अलग कानून:** सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग बेंचों के अलग-अलग आदेशों की वजह से निचली अदालतें यह साफ़ करना चाहती हैं कि क्या माँ की आज्ञादी को हमेशा पहले रखा जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्टैंडर्ड गाइडलाइंस:** स्वास्थ्य मंत्रालय को "बॉर्न-अलाइव" रिस्क और लेट-टर्म टर्मिनेशन में नियोनेटल केयर से निपटने के लिए साफ़ प्रोटोकॉल जारी करने चाहिए।
- **मेडिकल बोर्ड को डीसेंट्रलाइज़ करना:** कमज़ोर आबादी के लिए आने-जाने का समय और प्रोसेस से जुड़ी मुश्किलें कम करने के लिए ज़िला लेवल पर बोर्ड बनाना।
- **सेंसिटाइज़ेशन:** हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग देना ताकि वे एडल्ट महिलाओं के लिए पति की सहमति या पुलिस FIR जैसी एक्स्ट्रा-लीगल ज़रूरतों को खत्म कर सकें।
- **अधिकार-आधारित तरीका:** फ्रेमवर्क को "मेडिकल ज़रूरत" से बदलकर "अधिकार-आधारित" मॉडल में बदलना, जहाँ महिला की पसंद सबसे ज़रूरी हो।
- **प्रोवाइडर बेस बढ़ाना:** गांवों में पहुंच बढ़ाने के लिए, समय से पहले मेडिकल अबॉर्शन करने के लिए मिड-लेवल हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग देना।

निष्कर्ष

2026 का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला **आर्टिकल 21** के तहत रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को एक बुनियादी अधिकार के तौर पर मान्यता देने की दिशा में एक पक्का बदलाव दिखाता है।

हालांकि MTP एक्ट में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन कानूनी सीमाओं और संवैधानिक अधिकारों के बीच तनाव बना हुआ है। यह पक्का करना कि एक महिला के शरीर को "राज्य का बर्तन" न माना जाए, गरिमा और पसंद बनाए रखने के लिए ज़रूरी है।

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और पर्यावरण

प्रसंग

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंटल अकाउंटैबिलिटी की अपनी जांच तेज कर दी है। मशहूर **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) केस का ज़िक्र करते हुए**, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ ने इस बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ी प्रजाति के हैबिटाट पर काफ़ी असर डाला था, कोर्ट ने इशारा किया कि CSR को "ऑप्शनल फिलैण्ट्रोपी" से "इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन" में बदलना होगा।

समाचार के बारे में

"रेस्टोरेशन गैप": इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के एनवायरनमेंटल फुटप्रिंट और उसे कम करने के लिए लगाए गए कैपिटल के बीच एक बड़ा अंतर है।

- **प्रभाव बनाम निवेश:** जबकि औद्योगिक गतिविधियाँ क्षेत्रीय पारिस्थितिक क्षरण के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं (उदाहरण के लिए, **10%**), पर्यावरणीय सुधार में वास्तविक कॉर्पोरेट निवेश अक्सर असमान रूप से कम रहता है (उदाहरण के लिए, **2%**)।
- **शॉर्ट-टर्म सोच:** कंपनियाँ अक्सर हेल्थ कैंप या स्कूल का सामान बांटने जैसे "ज़ल्दी जीतने वाले" सोशल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देती हैं, जिनसे तुरंत पहचान और ब्रांडिंग मिलती है।
- **लंबे समय के लक्ष्यों से बचना:** पेड़ लगाना, ग्राउंडवॉटर रिचार्जिंग, या बायोडायवर्सिटी कॉरिडोर जैसे मुश्किल, लंबे समय के पर्यावरण से जुड़े वादे अक्सर उनके धीमे जेस्टेशन पीरियड और मुश्किल से मापने वाले मेट्रिक्स की वजह से नज़रअंदाज़ कर दिए जाते हैं।

कानूनी और नियामक ढांचा

कंपनीज़ एक्ट, 2013 (सेक्शन 135): भारत पहला देश था जिसने कानून बनाकर CSR को ज़रूरी बनाया। यह ज़रूरी नियम किसी भी कंपनी पर लागू होता है जो नीचे दिए गए फाइनेंशियल लिमिट में से कम से कम एक को पूरा करती है:

- **नेट वर्थ:** ₹500 करोड़ या उससे ज़्यादा।
- **सालाना टर्नओवर:** ₹1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा।
- **नेट प्रॉफ़िट:** ₹5 करोड़ या उससे ज़्यादा।

2% नियम: योग्य कंपनियों को कानूनी तौर पर पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में हुए अपने एवरेज नेट प्रॉफ़िट का कम से कम 2% CSR एक्टिविटी पर खर्च करना ज़रूरी है।

शेड्यूल VII: एक्ट के इस सेक्शन में मंजूर CSR एक्टिविटीज़ की लिस्ट है, जिसमें खास तौर पर "एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस और नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन पक्का करना" शामिल है।

पर्यावरण CSR में चुनौतियाँ

- **मेज़रमेंट की मुश्किल:** किताबें बांटने के उलट, किसी ठीक किए गए वेटलैंड या कार्बन सिंक की "सक्सेस" को मापने के लिए साइंटिफिक एक्सपर्टिज़ और सालों की मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है।
- **ज्योग्राफिकल मिसमैच:** कंपनियाँ अक्सर CSR फंड को दूर के इकोलॉजिकल ज़ोन में खर्च करने के बजाय, शहरी हब में अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के पास खर्च करती हैं, जहाँ उनके एक्सट्रैक्शन या मैनुफैक्चरिंग से असल में नुकसान होता है।
- **कम्प्लायंस बनाम असर:** कई फर्म 2% की ज़रूरत को एक "टैक्स" की तरह मानती हैं जिसे जल्दी चुकाना होता है, जिससे प्रोजेक्ट्स बिखर जाते हैं और उनमें एक जैसी एनवायरनमेंटल स्ट्रेटेजी नहीं होती।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **इकोलॉजी के लिए तय करना:** सरकार खास तौर पर एनवायरनमेंटल रेस्टोरेशन और क्लाइमेट रेजिलिएंस प्रोजेक्ट्स के लिए 2% CSR मैडेट के अंदर एक सब-कोटा पर विचार कर सकती है।
- **साइंटिफिक ऑडिट:** फाइनेंशियल ऑडिट से आगे बढ़कर "इकोलॉजिकल ऑडिट" करने से यह पक्का होगा कि "ग्रीन इनिशिएटिव" के कॉर्पोरेट दावों से बायोलॉजिकल या एटमोस्फेरिक फायदे हों जिन्हें मापा जा सके।
- **कम्युनिटी के नेतृत्व में रेस्टोरेशन:** लोकल कम्युनिटी को एनवायरनमेंटल CSR (जैसे, पवित्र ग्रीव का बचाव) में शामिल करने से सोशल और एनवायरनमेंटल लक्ष्यों के बीच का अंतर कम हो सकता है, जिससे प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी पक्की हो सकती है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का दखल इस बात पर ज़ोर देता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट "खत्म होने के लेवल" के इकोलॉजिकल नुकसान की कीमत पर नहीं आ सकता। कंपनीज़ एक्ट के सेक्शन 135 को क्लाइमेट संकट की ज़रूरी ज़रूरतों के साथ जोड़ना ज़रूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि CSR सिर्फ PR से बढ़कर देश में पर्यावरण को ठीक करने का एक असली ज़रिया बन जाए।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2025

प्रसंग

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साल 2025 के लिए अपना सालाना **करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) जारी किया है**। यह रिपोर्ट पब्लिक सेक्टर में करप्शन के लिए एक ग्लोबल बैरोमीटर का काम करती है, जो डेवलपिंग इकॉनमी के सामने तेज़ी से ग्रोथ और एथिकल गवर्नेंस के बीच बैलेंस बनाने में आने वाली लगातार चुनौतियों को दिखाती है।

समाचार के बारे में

भारत के लिए मुख्य निष्कर्ष:

- **ग्लोबल रैंकिंग:** 182 देशों में भारत **91वें स्थान पर है**।
- **CPI स्कोर:** भारत को **39** का स्कोर मिला (जिस स्केल पर 0 का मतलब बहुत ज़्यादा करप्ट और 100 का मतलब बहुत साफ़ है)।
- **स्टेटस:** 40 से कम स्कोर आम तौर पर पब्लिक सेक्टर में बड़े स्ट्रक्चरल करप्शन के मुद्दों और एंटी-करप्शन कोशिशों में ठहराव को दिखाता है।

भ्रष्टाचार का विकास: आज का भ्रष्टाचार "कैश के ब्रीफ़केस" मॉडल से आगे निकल गया है। 2025 की रिपोर्ट में इसके कई जटिल रूपों की पहचान की गई है:

- **पोजीशनल फेवर:** नॉन-मॉनेटरी बेनिफिट्स या करियर में तरक्की देने के लिए अर्थांटी का गलत इस्तेमाल।
- **छिपे हुए झगड़े:** "शांत" भ्रष्टाचार, जहाँ फैसला लेने वालों का पॉलिसी के नतीजों में छिपा हुआ हित होता है।
- **नैतिक भ्रष्टाचार:** सरकारी सेवा में नैतिक मानकों का कम होना, जो पैसे के गलत काम से पहले होता है।

व्यापार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

कम्प्लायंस का बोझ: बहुत ज़्यादा रेगुलेशन, जिसे अक्सर "इंस्पेक्टर राज 2.0" कहा जाता है, रेंट-सीकिंग बिहेवियर के लिए उपजाऊ ज़मीन बनाता है।

- **आम मुश्किलें:** भारत में एक कंपनी खोलने में **26,134 कम्प्लायंस क्लॉज़ से गुज़रना पड़ सकता है**।
- **शक्ति पहल (2026-27):** इस नए बायोफार्मा फ्रेमवर्क के तहत, एक मैनुफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए 998 कम्प्लायंस की ज़रूरत होती है।
- **बिज़नेस का क्रिमिनलाइज़ेशन:** खास बात यह है कि इनमें से **49% कम्प्लायंस में जेल जाने का प्रोविज़न है**। यह "गलतियों का क्रिमिनलाइज़ेशन" बिज़नेस को हैरेसमेंट या जेल से बचने के लिए रिश्वत देने पर मजबूर करता है।

मैक्रोइकोनॉमिक नतीजे:

- **ग्लोबल ड्रेन:** अनुमान है कि भ्रष्टाचार की वजह से हर साल ग्लोबल GDP का लगभग **5% खर्च होता है**।

- **ब्लैक इकॉनमी:** भ्रष्टाचार का बढ़ता लेवल एक पैरेलल इकॉनमी को बढ़ावा देता है, जिससे टैक्स कम होता है और मार्केट में कॉम्पिटिशन बिगड़ता है।

मौजूदा ढांचा और चुनौतियाँ

वर्तमान उपाय:

- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI):** आधार और UPI जैसे टूल्स ने वेल्फेयर स्कीम्स में "लीकेज" को काफी कम कर दिया है।
- **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT):** यह बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेजकर बिचौलियों को खत्म करता है।

"ग्लास वॉल" प्रॉब्लम: डिजिटलाइज़ेशन की वजह से "रिटेल करप्शन" (सर्विस के लिए छोटी-मोटी रिश्वत) कम हुआ है, लेकिन "होलसेल करप्शन" (हाई-लेवल पॉलिसी का असर) को ट्रैक करना अभी भी मुश्किल है। इनमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है:

- **फ़ाइल ट्रेकिंग:** नागरिक और बिज़नेस अक्सर यह नहीं देख पाते कि कोई परमिट या फ़ाइल कहाँ अटकी हुई है, जिससे अधिकारी "स्पीड मनी" की मांग कर सकते हैं।
- **अपनी मर्ज़ी से काम करने की शक्ति:** कानूनों में बड़ी कमियाँ अधिकारियों को नियमों का अपने मनमाने तरीके से मतलब निकालने की शक्ति देती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

विनियामक सरलीकरण:

- रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने वाले "डर" को खत्म करने के लिए छोटी-मोटी प्रोसेस की गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करें।
- एक "सिंगल विंडो 2.0" लागू करें जो सच में सिर्फ़ डिजिटल हो, और रेगुलेटर के साथ फ़िज़िकल इंटरफ़ेस की ज़रूरत को खत्म कर दे।

बढ़ी हुई पारदर्शिता:

- देरी के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, कमर्शियल लॉजिस्टिक्स की तरह **सरकारी फाइलों की लाइव ट्रेकिंग** ज़रूरी करें।
- "छिपे हुए" भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा को मज़बूत करें।

संस्थागत स्वायत्तता:

- लोकपाल और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) जैसी एंटी-करप्शन बॉडी पूरी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव आज़ादी के साथ काम करें।

निष्कर्ष

CPI 2025 में भारत की 91वीं रैंक यह याद दिलाती है कि सिर्फ़ डिजिटल टूल्स से करप्शन खत्म नहीं किया जा सकता। इस

साइकिल को तोड़ने के लिए, सिर्फ़ प्रोसेस को डिजिटलाइज़ करने से हटकर, कानूनों को आसान बनाने और ब्यूरोक्रेसी की ज़्यादा सज़ा देने की ताकत को कम करने पर ध्यान देना होगा।

अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा और धर्म परिवर्तन

प्रसंग

एक ज़रूरी कानूनी सफाई में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक पहचान और सामाजिक पहचान के मेल पर बात की, और इस पर फैसला सुनाया कि क्या हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे धर्म अपनाने के बाद भी लोग अपना शेड्यूल्ड कास्ट (SC) का स्टेटस और उससे जुड़े फायदे बनाए रख सकते हैं।

समाचार के बारे में

मुख्य फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से ईसाई या इस्लाम जैसे धर्मों में धर्म बदलने पर SC का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसमें शिक्षा और नौकरी में आरक्षण के फायदे, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) एक्ट के तहत सुरक्षा भी खत्म हो जाती है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- **स्टेटस की खासियत:** SC स्टेटस कानूनी तौर पर हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों को मानने वालों के लिए रिज़र्व है।
- **धार्मिक अंतर:** कोर्ट ने तर्क दिया कि ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे धर्म ऐतिहासिक रूप से जाति-आधारित भेदभाव या "छुआछूत" को अपने मूल सिद्धांतों में मान्यता नहीं देते हैं या उनके पास इसका कोई स्ट्रक्चरल सिस्टम नहीं है।
- **पसंद का नतीजा:** हालांकि संविधान अपनी मर्ज़ी से धर्म बदलने के अधिकार को बनाए रखता है, लेकिन ऐसी पसंद का कानूनी नतीजा SC कैटेगरी से बाहर निकलना होता है।

संवैधानिक और कानूनी ढांचा

आर्टिकल 25: ज़मीर की आज़ादी और धर्म को आज़ादी से मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। लेकिन, यह अधिकार "ज़बरदस्ती" धर्म बदलने पर लागू नहीं होता, जो गैर-कानूनी है।

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950:

- **मूल आदेश:** शुरू में, सिर्फ़ हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को ही अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाता था।
- **1956 संशोधन:** सिख समुदाय को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया गया।
- **1990 अमेंडमेंट:** नियो-बौद्ध आंदोलन के बाद बौद्ध समुदाय को शामिल करने के लिए इसका दायरा और बढ़ाया गया।

न्यायिक मिसालें:

- **केरल राज्य बनाम चंद्रमोहनन (2004):** यह स्थापित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने मूल रीति-रिवाजों और परंपराओं को त्याग देता है तो धर्म परिवर्तन के बाद वह अनुसूचित जनजाति या जाति का सदस्य नहीं रह जाता।
- **सूसाई बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1985):** कोर्ट ने पहले माना था कि 1950 का ऑर्डर भेदभाव वाला नहीं था, क्योंकि यह दिखाने के लिए काफ़ी सबूत नहीं थे कि "छुआछूत" की सामाजिक कमियां ईसाई धर्म में धर्म बदलने के बाद भी उसी रूप में बनी रहीं।

चुनौतियाँ और बहसें

- **सामाजिक सच्चाई बनाम थियोलॉजी:** आलोचकों का तर्क है कि भले ही कोई धर्म धार्मिक रूप से जाति को मान्यता न दे, लेकिन धर्म बदलने के बाद भी सामाजिक भेदभाव अक्सर बना रहता है ("जाति धर्म बदलने वालों के पीछे चलती है" तर्क)।
- **रंगनाथ मिश्रा कमीशन (2007):** इस कमीशन ने पहले सिफारिश की थी कि SC स्टेटस को "धर्म से पूरी तरह अलग" कर देना चाहिए और इसे शेड्यूल्ड ट्राइब (ST) स्टेटस की तरह धर्म-न्यूट्रल बना देना चाहिए।
- **चल रही याचिकाएँ:** कई ग्रुप 1950 के ऑर्डर को कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं, और "दलित ईसाइयों" और "दलित मुसलमानों" को SC के फ़ायदे देने की मांग कर रहे हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **डेटा पर आधारित असेसमेंट:** सरकार ने धर्म बदलने वालों की सोशियो-इकोनॉमिक स्थिति की जांच करने और यह पता लगाने के लिए कमीशन (जैसे केजी बालकृष्णन कमीशन) बनाए हैं कि क्या वे अब भी पुरानी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
- **कानूनी स्पष्टता:** SC के दायरे को बढ़ाने के लिए संविधान में बदलाव की ज़रूरत होगी। संसद को अलग-अलग पिछड़े ग्रुप्स की शामिल करने की मांगों के साथ सीमित "कोटा पाई" को बैलेंस करना होगा।
- **न्यायिक स्थिरता:** अदालतों को धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा और रिज़र्वेशन सिस्टम के खास सामाजिक उद्देश्य के बीच बैलेंस बनाना जारी रखना चाहिए, जो कि छुआछूत की पुरानी प्रथा को ठीक करना है।

निष्कर्ष

मौजूदा कानूनी स्थिति इस बात को पक्का करती है कि SC का दर्जा सिर्फ़ एक सामाजिक कैटेगरी नहीं है, बल्कि यह खास धार्मिक बैकग्राउंड से जुड़ा एक कानूनी दर्जा है। जब तक कानूनी बदलाव नहीं होते या आगे की न्यायिक समीक्षा में दूसरे धर्मों में

लगातार "छुआछूत" का सबूत नहीं मिलता, तब तक धर्म बदलने पर SC का दर्जा खत्म होना भारत में एक तय कानूनी नियम बना हुआ है।

समाचार में स्थान

जगह	जगह	महत्व	हाल की घटना
खर्ग द्वीप	फारस की खाड़ी (ईरान)	ईरान का मुख्य तेल एक्सपोर्ट हब; इसके कूड एक्सपोर्ट का ~90% हिस्सा हैंडल करता है।	मार्च 2026 में होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉकेड को लेकर ईरान पर दबाव बनाने के लिए US ने बड़े बमबारी हमले किए।
दक्षिण पारस	फारस की खाड़ी (ईरान/कतर)	दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड (कतर के साथ शेयर किया गया)।	मार्च 2026 में इज़राइली हवाई हमलों का निशाना बना, जिससे ईरान के कुल गैस प्रोडक्शन का 12% नुकसान हुआ।
नतांज़	इस्फ़हान प्रांत (ईरान)	ईरान की मुख्य अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी।	मार्च 2026 में US-इज़राइल के जॉइंट हमलों से नुकसान हुआ; एंट्रेस बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ लेकिन कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ।

डिमोना	नेगेव रेगिस्तान (इज़राइल)	शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का घर।	नतांज़ पर हमलों के सीधे जवाब में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया।
---------------	---------------------------	--	--

रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल

प्रसंग

केंद्रीय रेल मंत्री ने रिफॉर्म एक्सप्रेस की घोषणा की, जो भारतीय रेलवे को मॉडर्न बनाने के लिए बनाया गया एक लैंडमार्क पॉलिसी फ्रेमवर्क है। इस पहल में पाँच स्ट्रेटिजिक सुधार पेश किए गए हैं, जिनका मकसद कार्गो लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर सर्विस दोनों में सुधार करना है ताकि ज़्यादा कुशल, ट्रांसपैरेंट और टेक्नोलॉजी से चलने वाला नेटवर्क पक्का किया जा सके।

पहल के बारे में

यह क्या है? रिफॉर्म एक्सप्रेस रेल मंत्रालय की अगुवाई में एक बड़ी बदलाव की स्ट्रेटेजी है। यह 2030 तक पुराने सिस्टम को "नेक्स्ट-जेन" रेल इकोसिस्टम में बदलने के लिए एक फास्ट-ट्रैक मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है।

मुख्य उद्देश्य:

- **टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन:** मैनुअल ओवरसाइट की जगह AI और आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन लाना।
- **लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी:** नमक और ऑटोमोबाइल जैसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले सेक्टर के लिए "बिज़नेस करने की लागत" कम करना।
- **काम में ईमानदारी:** इंफ्रास्ट्रक्चर में "प्रिडेटरी बिडिंग" और टिकटिंग में "टाउटिंग" को खत्म करना।

सुधार के पांच प्रमुख स्तंभ

1. **विशेष कार्गो लॉजिस्टिक्स (नमक क्षेत्र):**
 - **इनोवेशन:** स्टेनलेस स्टील, टॉप-लोडिंग और हाइड्रोलिक साइड-डिस्चार्ज कंटेनर की शुरुआत।
 - **मकसद:** नमक की नमी से होने वाले वैगन को खराब होने से रोकना और लीकेज को खत्म करना, ताकि रोलिंग स्टॉक की उम्र लंबी हो सके।
2. **बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता नियंत्रण:**
 - **कॉन्ट्रैक्टर वेटिंग:** सिर्फ़ सीरियस प्लेयर्स ही हिस्सा लें, यह पक्का करने के लिए कड़े एलिजिबिलिटी

क्राइटेरिया और एक फिक्स्ड 2% बिड सिक्वोरिटी।

- **एंटी-प्रिडेटरी बिडिंग:** नए सेफगार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉस्ट से काफी कम पर बिडिंग करने से रोकते हैं, जिससे अक्सर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी खराब हो जाती है या प्रोजेक्ट रुक जाते हैं।
3. **टिकटिंग इंटेग्रेटी और IRCTC क्लीनअप:**
 - **डिजिटल पर्ज:** बिना इजाज़त एजेंट्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे लगभग 3 करोड़ (30 मिलियन) नकली IRCTC अकाउंट्स को हटाया गया।
 - **वेरिफिकेशन:** बुकिंग के लिए आधार-बेस्ड OTP वेरिफिकेशन लागू करना ताकि असली यात्रियों को ही बर्थ मिल सके।
 4. **यात्री सुविधा:**
 - **आखिरी समय में बदलाव:** यात्री अब अपडेटेड IRCTC ऐप के ज़रिए डिपार्चर से 30 मिनट पहले तक डिजिटली अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं या ट्रेवल क्लास अपग्रेड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
 5. **ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट ऑप्टिमाइज़ेशन:**
 - **रूट-स्पेसिफिक डिज़ाइन:** कम ऊंचाई वाले वैगन डिज़ाइन लाना ताकि कम ऊंचाई वाले पुलों और पतली सुरंगों जैसी बनावट की दिक्कतों को दूर किया जा सके, खास तौर पर ऑटोमोटिव सप्लायर्स में रेल का हिस्सा बढ़ाने के लिए।

महत्व

- **आर्थिक असर:** ज़रूरी सामान (नमक) और ज़्यादा कीमत वाले एक्सपोर्ट (ऑटोमोबाइल) के लिए लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाकर, यह पहल नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के लक्ष्यों को सपोर्ट करती है, जिसके तहत लॉजिस्टिक्स की लागत को GDP के 10% से कम करना है।
- **एंटी-करप्शन:** IRCTC डेटाबेस को साफ करने और बोली लगाने के नियमों को सख्त करने से बिचौलियों का असर काफी कम हो जाता है और सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल पक्का होता है।
- **ऑपरेशनल ड्यूरेबिलिटी:** स्टेनलेस स्टील और क्वालिटी-कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने से लंबे समय के मेंटेनेंस साइकिल कम हो जाते हैं और रेल एसेट्स का "लाइफ-टू-रिप्लेसमेंट" रेश्यो बढ़ जाता है।

निष्कर्ष

रिफॉर्म एक्सप्रेस भारतीय रेलवे में छोटे-मोटे बदलावों से लेकर स्ट्रक्चरल बदलाव तक का बदलाव दिखाता है। यात्रियों के लिए "ईज़ ऑफ़ ट्रैवल" और इंडस्ट्री के लिए "ईज़ ऑफ़ लॉजिस्टिक्स" के बीच बैलेंस बनाकर, मंत्रालय का मकसद रेलवे को \$5 ट्रिलियन की इकॉनमी की रीढ़ बनाना है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026

प्रसंग

भारत की संसद ने ट्रांसजेंडर लोगों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन बिल, 2026 को भारी विरोध और देश भर में विरोध के बीच पास कर दिया। यह बिल 2019 के एक्ट को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करता है, जिसमें कानूनी ढांचे को "सेल्फ-डिटरमिनेशन" से "मेडिकल और रेगुलेटरी वैलिडेशन" में बदल दिया गया है, आलोचकों का कहना है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक NALSA बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2014) फैसले के ठीक उलट है।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:

सरकार ने यह कहते हुए अमेंडमेंट पेश किया कि 2019 की डेफिनिशन "अस्पष्ट और बड़ी" थी, जिससे "असल में दबे-कुचले" बेनिफिशियरी की पहचान करने में मुश्किलें आ रही थीं। **25 मार्च, 2026 को**, लोकसभा से वॉइस वोट से पास होने के बाद, राज्यसभा ने बिल को अपनी आखिरी मंजूरी दे दी।

मुख्य संशोधन:

- **स्व-पहचान का उन्मूलन:** विधेयक 2019 अधिनियम की धारा 4(2) को हटाता है, जिसने पहले व्यक्तियों को स्वयं-अनुभूत लिंग पहचान का अधिकार दिया था।
- **छोटी परिभाषा:** कानूनी मान्यता अब इन तक सीमित है:
 - **सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान:** किन्नर, हिजड़ा, अरावनी, जोगता और हिजड़े।
 - **बायोलॉजिकल बदलाव:** इंटरसेक्स बदलाव या खास जन्मजात बायोलॉजिकल मार्कर वाले लोग।
 - **ज़बरदस्ती की पहचान:** वे लोग जिन्हें सर्जरी या हॉर्मोन के ज़रिए ज़बरदस्ती ट्रांसजेंडर पहचान दी जाती है।
- **पहचान का मेडिकलाइज़ेशन:** पहचान का सर्टिफिकेट पाने के लिए, अब किसी व्यक्ति की जांच एक **मेडिकल बोर्ड** (जिसके हेड चीफ़ मेडिकल ऑफिसर होंगे) से करवानी होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिर्फ़ इस बोर्ड की रिकमेंडेशन के आधार पर ही सर्टिफिकेट जारी करेंगे।

तुलना: 2019 एक्ट बनाम 2026 अमेंडमेंट

विशेषता	ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019	संशोधन विधेयक, 2026
पहचान के आधार पर	खुद की जेंडर पहचान।	बायोलॉजिकल मार्कर या सोशियो-कल्चरल ग्रुप मेंबरशिप।
प्रमाणन	डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस।	मेडिकल बोर्ड की सिफारिश ज़रूरी है।
समावेश	इसमें ट्रांस-मेन, ट्रांस-वुमन और जेंडरक्वीर शामिल थे।	इसमें साफ़ तौर पर "खुद को महसूस करने वाली" या "जेंडर-फ्लूइड" पहचान को शामिल नहीं किया गया है।
दंड	ज़्यादातर अपराधों के लिए 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा।	ज़बरदस्ती पहचान/अपहरण के लिए उम्रकैद तक।

संवैधानिक और सामाजिक विवाद

नालसा (2014) का उल्लंघन:

सुप्रीम कोर्ट ने पहले माना था कि जेंडर आइडेंटिटी "किसी के पर्सनल सेल्फ का कोर" है और "साइकोलॉजिकल टेस्ट" के पक्ष में "बायोलॉजिकल टेस्ट" को रिजेक्ट कर दिया था। क्रिटिक्स का कहना है कि 2026 का बिल **आर्टिकल 14, 19, और 21 का उल्लंघन करते हुए बायोलॉजिकल टेस्ट को फिर से लागू करता है।**

मेडिकल गेटकीपिंग:

मेडिकल बोर्ड से किसी पहचान को "वेरिफाई" करने की ज़रूरत को जेंडर डायवर्सिटी को गलत ठहराने जैसा माना जाता है, इसे ह्यूमन राइट के बजाय एक मेडिकल कंडीशन माना जाता है। इससे **पुट्टास्वामी (2017)** के फैसले के तहत प्राइवैसी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।

"गुरु-चेला" सिस्टम और शोषण:

हालांकि बिल में किसी को ट्रांसजेंडर पहचान के लिए मजबूर करने पर सख्त सज़ा का प्रावधान है (बड़ों को अगवा करने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक), लेकिन इसकी आलोचना इन वजहों से हुई है:

- **अंदरूनी हायरार्की को नज़रअंदाज़ करना:** यह **पारंपरिक घराना (घर) सिस्टम** के शोषण वाले पहलुओं को सुधारने में नाकाम रहता है, जहाँ "गुरु" "चेलों" पर गलत कंट्रोल कर सकते हैं।

- **सपोर्ट को क्रिमिनल बनाना:** एक्टिविस्ट्स को डर है कि ट्रांज़िशन के लिए "लुभाने" या "फुसलाने" के खिलाफ क्लॉज़ का इस्तेमाल NGOs या माइनर के जेंडर जर्नी को सपोर्ट करने वाले परिवारों को टारगेट करने के लिए किया जा सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **ज्यूडिशियल रिव्यू:** इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की उम्मीद है, क्योंकि कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवाइजरी पैनल (जस्टिस आशा मेनन की हेडिंग में) ने पहले ही इसे वापस लेने की अपील की है।
- **सेंसिटाइजेशन:** अगर बिल पास हो जाता है, तो मेडिकल बोर्ड को सेंसिटाइज करने की तुरंत ज़रूरत है ताकि यह पक्का हो सके कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस और ज़्यादा ट्रॉमा या हैरेसमेंट की जगह न बने।
- **कम्युनिटी कंसल्टेशन:** भविष्य के नियमों में LGBTQ+ कम्युनिटी के बड़े दायरे को शामिल किया जाना चाहिए, खासकर ट्रांस-मेन और नॉन-बाइनरी लोग जिन्हें अभी नई परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

2026 का अमेंडमेंट गवर्नेंस के एक प्रोटेक्शनिस्ट, बायोलॉजिकल-लेड मॉडल की ओर एक बदलाव दिखाता है। जबकि सरकार "टारगेटेड वेलफेयर" और "फ्रॉड को रोकने" पर ज़ोर देती है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इसे "मिटाने का आर्किटेक्चर" मानती है जो एक दशक की ज्यूडिशियल प्रोग्रेस को पीछे ले जाता है।

वंदे मातरम बनाम राष्ट्रगान

प्रसंग

जन गण मन (राष्ट्रगान) की तुलना में **वंदे मातरम (राष्ट्रगीत)** का कानूनी स्टेटस अक्सर जांच के दायरे में आता है। हाल ही में कोर्ट में सफाई और सरकारी गाइडलाइंस में हर एक के लिए ज़रूरी प्रोटोकॉल और पालन के लेवल को तय करने की कोशिश की गई है।

समाचार के बारे में

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण:

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय गीत, *वंदे मातरम के लिए खड़ा होने या उसे गाने से मना करता है*, तो उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। हालांकि इस गाने की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक खास और सम्मानित जगह है, लेकिन कोर्ट इसे गाने को ज़रूरी कानूनी ज़िम्मेदारी के बजाय **सलाह के तौर पर देखता है।**

संवैधानिक ढांचा:

- **अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य):** 42वें संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा सम्मिलित, अनुच्छेद 51A(a)

में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों, **राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे।**

- **चूक:** खास बात यह है कि आर्टिकल 51A के टेक्स्ट में "नेशनल सॉन्ग" का साफ तौर पर ज़िक्र नहीं है। इसलिए, फॉर्मल सम्मान दिखाने (जैसे खड़े होना) की संवैधानिक ज़िम्मेदारी कानूनी तौर पर खास तौर पर एंथम और झंडे से जुड़ी है।

आधिकारिक प्रोटोकॉल और दिशानिर्देश

गृह मंत्रालय (MHA) के निर्देश:

सरकारी कामों के दौरान दोनों रचनाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए, MHA ने खास सीक्रेसिंग गाइडलाइंस जारी की हैं:

- **बजाने का क्रम:** अगर एक ही इवेंट में राष्ट्रगान और राष्ट्रगान दोनों बजाए जाने हैं, तो **वंदे मातरम** पहले बजाया या गाया जाना चाहिए।
- **निष्कर्ष:** कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान, **जन गण मन के प्रदर्शन के साथ होना चाहिए।**

प्रीलिम्स के लिए ऐतिहासिक तथ्य

विशेषता	विवरण
संगीतकार	बंकिम चंद्र चटर्जी
स्रोत	<i>आनंदमठ</i> (1882) उपन्यास में शामिल
पहली संगीत रचना	रवींद्रनाथ टैगोर के संगीत पर आधारित और गाया हुआ
राजनीतिक गोद लेना	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान एक राजनीतिक संदर्भ में गाया गया था
जन लोकप्रियता	बंगाल के बंटवारे के बाद 1905 के स्वदेशी आंदोलन का राष्ट्रगान बन गया
स्थिति	1950 में इसे नेशनल सॉन्ग के तौर पर अपनाया गया, जिससे इसे नेशनल एंथम के सम्मान में "बराबर का दर्जा" मिला।

चुनौतियाँ और कानूनी बारीकियाँ

- **नेशनल ऑनर के अपमान की रोकथाम एक्ट, 1971:** यह एक्ट नेशनल एंथम गाने से रोकने या ऐसा गाना गा रहे लोगों की भीड़ में परेशानी पैदा करने पर

सज़ा का प्रावधान करता है। हालाँकि, यह एक्ट अभी नेशनल सॉना पर इन खास क्रिमिनल सज़ाओं को लागू नहीं करता है।

- **न्यायिक व्याख्या:** कोर्ट ने हमेशा "नेशनल ऑनर" और बोलने और बोलने की आज़ादी के फंडामेंटल राइट (Article 19) के बीच बैलेंस बनाया है, जैसा कि नेशनल एंथम से जुड़े *बिजो इमैनुएल केस* में देखा गया था, हालांकि उस केस में बेइज्जती के बजाय धार्मिक चुप्पी पर फोकस किया गया था।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **नागरिक शिक्षा:** कानूनी दबाव के बजाय एजुकेशनल करिकुलम के ज़रिए *वंदे मातरम* के ऐतिहासिक महत्व पर ज़ोर देना।
- **साफ़ कोड बनाना:** हालांकि MHA गाइडलाइंस मौजूद हैं, लेकिन नेशनल सिंबल के लिए एक फॉर्मल "फ्लैग कोड" स्टाइल डॉक्यूमेंट, प्रोटोकॉल को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन कम करने में मदद कर सकता है।
- **न्यायिक एकरूपता:** यह पक्का करना कि "संवैधानिक देशभक्ति" को इस तरह से बढ़ावा दिया जाए कि राष्ट्रीय प्रतीकों को बनाए रखते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए।

निष्कर्ष

हालांकि लोगों के दिलों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड में *वंदे मातरम* को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान मिला हुआ है, लेकिन कानूनी तौर पर इसकी जगह अलग है। राष्ट्रगान के लिए कोई ज़रूरी सज़ा का नियम न होना दिखाता है कि न्यायपालिका का इरादा इसे अपनी मर्ज़ी से देशभक्ति दिखाने का मामला बनाना है, न कि सरकार का दिया हुआ आदेश।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा

प्रसंग

लंबे समय तक मैक्रोइकॉनॉमिक स्टेबिलिटी पक्का करने के लिए, भारत सरकार और **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (FIT) फ्रेमवर्क को ऑफिशियली रिन्यू कर दिया है। यह एक्सटेंशन सेंट्रल बैंक के लिए 31 मार्च, 2031 तक प्राइस स्टेबिलिटी को मैनेज करने के मैडेट को और पक्का करता है।**

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:

इन्फ्लेशन टारगेटिंग सिस्टम, जिसे असल में 2016 में **उर्जित पटेल कमेटी** की सिफारिशों के बाद शुरू किया गया था, भारत की मॉनिटरी पॉलिसी की नींव रहा है। इसे रिन्यू करना दिखाता है कि सरकार का इस नियम-आधारित तरीके पर भरोसा है ताकि रहने-

सहने के खर्च को कंट्रोल किया जा सके और इन्वेस्टर्स के लिए एक उम्मीद के मुताबिक माहौल दिया जा सके।

लक्ष्य:

- **एंकर: RBI को 4%** की आइडियल महंगाई दर बनाए रखने का काम सौंपा गया है।
- **टॉलरेंस बैंड:** उभरते बाज़ारों की वोलैटिलिटी को देखते हुए, दोनों तरफ़ 2% की छूट दी जाती है।
 - **ऊपरी सीलिंग:** 6% (लगातार तीन तिमाहियों तक इससे ज़्यादा महंगाई को फेलियर माना जाता है)।
 - **निचला स्तर:** 2% (इससे नीचे महंगाई कमज़ोर मांग और आर्थिक मंदी का संकेत है)।

संस्थागत तंत्र

द मेज़र: CPI बनाम WPI

- **कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI):** होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) के उलट, जो फैक्ट्री गेट पर सामान को ट्रैक करता है, यह फ्रेमवर्क **CPI (कंबाईंड) का इस्तेमाल करता है।** यह रिटेल कंज्यूमर्स द्वारा दी गई असल कीमतों को दिखाता है, जिसमें एजुकेशन और हेल्थकेयर जैसी सर्विस शामिल हैं, जिससे यह ज़्यादा "पीपल-सेंट्रिक" मेट्रिक बन जाता है।

निर्णयकर्ता: मौद्रिक नीति समिति (MPC)

MPC छह सदस्यों वाली कानूनी संस्था है जिसे बेंचमार्क पॉलिसी रेट (रेपो रेट) तय करने का अधिकार है।

- **संरचना:** RBI से 3 सदस्य (गवर्नर सहित) और सरकार द्वारा नियुक्त 3 बाहरी सदस्य।
- **वोटिंग:** हर सदस्य के पास एक वोट होता है; टाई होने पर RBI गवर्नर **कास्टिंग वोट देते हैं।**

यह क्यों मायने रखता है ("ट्रिपल ऑब्जेक्टिव")

1. **प्राइस स्टेबिलिटी:** गरीबों की खरीदने की ताकत को बचाना, जो खाने और फ्यूल की महंगाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
2. **ग्रोथ सपोर्ट:** महंगाई का अनुमान लगाकर, RBI एक स्थिर इंटररेस्ट रेट का माहौल बनाता है जो बिज़नेस को उधार लेने और इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा देता है।
3. **उम्मीदों को बनाए रखना:** जब लोगों को लगता है कि RBI अपना 4% का टारगेट पूरा कर लेगा, तो वे कीमतें या सैलरी बढ़ाने में जल्दबाजी नहीं करते, जिससे "महंगाई का चक्र" रुक जाता है।

चुनौतियां

- **सप्लाई-साइड शॉक:** MPC मुख्य रूप से इंटररेस्ट रेट के ज़रिए *डिमांड को कंट्रोल करता है।* मॉनसून की

खराबी (खाने की कीमतें) या ग्लोबल कूड ऑयल में तेज़ी जैसे सप्लाई के मामलों पर इसका पावर लिमिटेड है।

- **"ग्रोथ-इन्प्लेशन" ट्रेड-ऑफ:** इन्प्लेशन को कम करने के लिए रेट्स को तेज़ी से बढ़ाने से कभी-कभी अनजाने में GDP ग्रोथ और जॉब क्रिएशन धीमा हो सकता है।
- **ग्लोबल स्पिलओवर:** US फेडरल रिजर्व के फैसले अक्सर RBI को कैपिटल फ्लाइड को रोकने के लिए रेट एडजस्ट करने के लिए मजबूर करते हैं, भले ही घरेलू हालात स्थिर हों।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **बेहतर कम्युनिकेशन:** RBI को मार्केट को पॉलिसी में बदलाव का अंदाज़ा लगाने में मदद करने के लिए "फॉरवर्ड गाइडेंस" देते रहना चाहिए।
- **सप्लाई-साइड कोऑर्डिनेशन:** सरकार को खाने की महंगाई से निपटने के लिए RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ फिस्कल उपाय (जैसे बफर स्टॉक और इंपोर्ट ड्यूटी एडजस्टमेंट) करने चाहिए।
- **डेटा एक्स्प्लेसि:** CPI डेटा कलेक्शन की टाइमलाइन और प्रीकेंसी को बेहतर बनाना ताकि यह पक्का हो सके कि MPC रियल-टाइम इकोनॉमिक बदलावों पर रिएक्ट करे।

निष्कर्ष

2031 तक 4% के टारगेट को रिन्यू करने से भारत की इकॉनमी के लिए एक "नॉर्थ स्टार" मिलता है। प्राइस स्टेबिलिटी की ज़रूरत और ग्रोथ की ज़रूरतों के बीच बैलेंस बनाकर, यह फ्रेमवर्क ग्लोबल इकॉनॉमिक अनिश्चितता से निपटने के लिए भारत का सबसे असरदार टूल बना हुआ है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)

प्रसंग

2015 के पेरिस एग्रीमेंट (COP 21) के तहत, साइन करने वाले देशों को ग्रीनहाउस गैस एमिशन को रोकने के लिए अपनी मज़ी से वादे करने होते हैं, जिन्हें **नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDCs) के नाम से जाना जाता है**। इसका सबसे बड़ा मकसद ग्लोबल वार्मिंग को प्री-इंडस्ट्रियल लेवल से **1.5°C तक सीमित करना है**। हालांकि ये टारगेट देश के हिसाब से तय और अपनी मज़ी से तय किए गए हैं, लेकिन ये किसी देश का सबसे बड़ा मकसद दिखाते हैं।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:

भारत (अर्जेंटीना के साथ) ने क्लाइमेट टारगेट को अपडेट करने में अपनी पिछली देरी को ठीक किया। 2030 के फ्रेमवर्क से आगे बढ़ते हुए, भारत ने **2035 के लिए अपने अपडेटेड NDC टारगेट**

की ऑफिशियल घोषणा की है, जो क्लाइमेट एक्शन के "पंचामृत" (पांच अमृत तत्व) के लिए लंबे समय के कमिटमेंट का संकेत है।

2035 के लिए मुख्य लक्ष्य:

- **नॉन-फॉसिल फ्यूल एनर्जी:** कुल इंस्टॉल्ल बिजली कैपेसिटी का **60% नॉन-फॉसिल सोर्स (सोलर, विंड, न्यूक्लियर और बायोमास) से आने का लक्ष्य है**। यह 2030 के टारगेट से 10% ज़्यादा है।
- **एमिशन इंटेंसिटी:** अपने GDP की एमिशन इंटेंसिटी को **47% तक कम करने का वादा** (2005 के लेवल की तुलना में), जो पिछले लक्ष्य 45% से ज़्यादा है।
- **कार्बन सिंक:** ज़्यादा जंगल और पेड़ लगाकर कुल कार्बन सिंक को **3.5 बिलियन टन CO₂ के बराबर बढ़ाना**।

वर्तमान प्रगति और जमीनी हकीकत

आज तक की उपलब्धियां:

- **कैपेसिटी माइलस्टोन:** भारत ने अपनी इंस्टॉल्ल पावर कैपेसिटी का **52% नॉन-फॉसिल सोर्स से हासिल कर लिया है**, जो तय समय से पहले ही ओरिजिनल 2030 के लक्ष्य को पार कर गया है।
- **सीक्रेस्टेशन:** देश ने लगभग **1.97 बिलियन टन का कार्बन सिंक सफलतापूर्वक बनाया है**।

पीढ़ी का अंतर:

इंस्टॉल्ल कैपेसिटी और असल जेनरेशन के बीच एक बड़ा अंतर होता है :

- इंफ्रास्ट्रक्चर का **52% हिस्सा बनाते हैं**, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी (सोलर/विंड) के रुक-रुक कर आने की वजह से असल में बनने वाली बिजली में उनका हिस्सा सिर्फ **25% ही होता है**।
- **ब्रिज इनिशिएटिव: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना** (रूपटॉप सोलर) और **नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन** जैसी स्कीमें ग्रिड में "ग्रीन" इलेक्ट्रॉन्स का असल हिस्सा बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं।

चुनौतियां

- **ग्रिड इंटीग्रेशन:** रिन्यूएबल एनर्जी में बदलाव के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और ग्रिड स्टेबिलाइज़ेशन में बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है।
- **फाइनेंशियल फ्लो:** 2035 के टारगेट को पाने के लिए ट्रिलियन डॉलर के क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत है, जो इंटरनेशनल बातचीत (NCQG) में एक रुकावट बना हुआ है।
- **ज़मीन अधिग्रहण:** 3.5 बिलियन टन सिंक टारगेट को पूरा करने के लिए जंगल का एरिया बढ़ाने में मुश्किलें आ

रही हैं, क्योंकि खेती और इंडस्ट्री के लिए ज़मीन के इस्तेमाल की ज़रूरतें एक-दूसरे से अलग हैं।

- **कोयले पर निर्भरता:** ग्रीन पुश के बावजूद, कोयला भारत की बेसलोड बिजली की रीढ़ बना हुआ है, जिससे "जस्ट ट्रांज़िशन" मुश्किल हो जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्टोरेज में बदलाव:** पंप वाले हाइड्रो और लिथियम-आयन स्टोरेज को तेज़ी से बढ़ाना ताकि यह पक्का हो सके कि ग्रीन एनर्जी 24/7 उपलब्ध रहे।
- **सेक्टर डीकार्बोनाइजेशन:** स्टील, सीमेंट और शिपिंग जैसे मुश्किल से कम होने वाले सेक्टर को ग्रीन हाइड्रोजन पर स्विच करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए।
- **सर्कुलर इकॉनमी:** एनर्जी ट्रांज़िशन के लिए ज़रूरी मिनरल्स को सुरक्षित करने के लिए ई-वेस्ट और बैटरी रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम को मज़बूत करना।
- **ग्लोबल सहयोग:** साउथ-साउथ सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का इस्तेमाल करना।

निष्कर्ष

2035 के लिए भारत के अपडेटेड NDCs क्लाइमेट चेंज के लिए एक प्रैक्टिकल लेकिन बड़ा नज़रिया दिखाते हैं। सिर्फ "कैपेसिटी" से "एक्चुअल जेनरेशन" पर फ़ोकस करके और कार्बन सिंक को बढ़ाकर, भारत अपनी घरेलू एनर्जी सिक्योरिटी ज़रूरतों को बैलेंस करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में खुद को ग्लोबल लीडर के तौर पर बना रहा है।

अमेरिका-ईरान शांति फॉर्मूला

प्रसंग

अमेरिका ने 15-पॉइंट का एक बड़ा शांति फॉर्मूला पेश किया था, जिसका मकसद पांच दिन का मानवीय ठहराव और लंबे समय तक इलाके में स्थिरता लाना था। लेकिन, ईरान ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया और तनाव कम करने के लिए अपनी कुछ शर्तें रखीं।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड: बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच, US डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट ने चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए एक फ्रेमवर्क बताया। इस प्रस्ताव का मकसद न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और क्षेत्रीय प्रॉक्सी वॉरफेयर से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करना था, जिसके बदले में बड़ी आर्थिक मदद दी जानी थी।

अमेरिका की मुख्य मांगें:

- **न्यूक्लियर डिसमेंटलमेंट:** ज़रूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तुरंत डिसमेंटल करना और सभी न्यूक्लियर

कैपेबिलिटी के डेवलपमेंट पर हमेशा के लिए रोक लगाना।

- **समुद्री सुरक्षा:** होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार के लिए खुला रखने की गारंटी।
- **मिसाइल की पाबंदियां:** ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल रेंज पर सख्त पाबंदियां और मॉनिटरिंग।
- **प्रॉक्सी ग्रुप्स:** रीजनल प्रॉक्सी ऑर्गनाइजेशन्स को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट पूरी तरह से बंद करना।
- **इंटरनेशनल ओवरसाइट:** यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) द्वारा बिना रोक-टोक और लगातार इंस्पेक्शन।

प्रस्तावित लाभ:

- **प्रतिबंधों में राहत:** पूरी तरह से पालन करने के बदले में, US ने मुख्य आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की पेशकश की, जिसका मकसद ईरान को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में फिर से शामिल करना और उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना था।

रणनीतिक ढांचा और बाधाएं

भू-राजनीतिक उद्देश्य:

- **रीजनल स्टेबिलिटी:** नॉन-स्टेट एक्टर्स को न्यूट्रलाइज़ करके मिडिल ईस्ट में बड़े झगड़े के रिस्क को कम करना।
- **नॉन-प्रोलिफरेशन:** यह पक्का करना कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह वेरिफिकेशन के ज़रिए न्यूक्लियर-वेपन-फ्री ज़ोन बना रहे।

परस्पर विरोधी दृष्टिकोण:

- **संप्रभुता का तर्क:** ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर रिसर्च को ज़रूरी रोकथाम और राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला मानता है।
- **भरोसे की कमी:** पहले के इंटरनेशनल एग्रीमेंट (जैसे JCPOA) से पीछे हटने से एक "कम्प्लायंस डेडलॉक" बन गया है, जहाँ कोई भी पक्ष पक्की गारंटी के बिना पहला कदम उठाने को तैयार नहीं है।

चुनौतियां

- **ज़ीरो-सम नेगोशिएशन:** "परमानेंट" रोक की मांग को तेहरान अक्सर डिप्लोमैटिक शुरुआत के बजाय अस्तित्व के लिए खतरा मानता है।
- **अंदरूनी दबाव:** वॉशिंगटन और तेहरान दोनों जगह कट्टरपंथियों को "नरम" दिखने या विरोधी पक्ष को बहुत ज्यादा छूट देने के लिए घरेलू राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ता है।

- **वेरिफिकेशन मुश्किल:** ईरानी मिलिट्री सीक्रेसी का सम्मान करते हुए US की सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने वाला मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना टेक्निकली और डिप्लोमैटिकली मुश्किल बना हुआ है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **फेज़्ड इम्प्लीमेंटेशन:** "ऑल-ऑर-नथिंग" 15-पॉइंट प्लान से "फ्रीज़-फॉर-फ्रीज़" अप्रोच की ओर शिफ्ट होना, जहाँ छोटी-छोटी छूटों के बदले धीरे-धीरे पाबंदियों में राहत दी जाती है।
- **मल्टीलेटरल मीडिएशन:** एप्रीमेंट के लिए गारंटर के तौर पर काम करने के लिए न्यूट्रल थर्ड पार्टी या रीजनल ब्लॉक (जैसे EU या GCC) को शामिल करना।
- **इकोनॉमिक इंसेंटिव:** बड़े इकोनॉमिक सहयोग के लिए "प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट" के तौर पर ह्यूमनिटेरियन कॉरिडोर और मेडिकल मदद पर फोकस करना।
- **बैकचैनल डिप्लोमेसी:** हाई-प्रोफाइल समिट में जाने से पहले भरोसे का एक मिनिमम बेसलाइन बनाने के लिए नॉन-पब्लिक चैनलों का इस्तेमाल करना।

निष्कर्ष

US-ईरान शांति फ़ॉर्मूला एक "ग्रेड बार्गेन" के ज़रिए रिश्तों को फिर से ठीक करने की एक ज़रूरी, भले ही तनावपूर्ण, कोशिश है। हालांकि अभी इसे नकारना गहरे अविश्वास को दिखाता है, लेकिन एक डिटेल्ड 15-पॉइंट फ्रेमवर्क का होना भविष्य की बातचीत के लिए एक रेफरेंस पॉइंट देता है, जिसका मकसद ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना है।

ब्रिक्स+

प्रसंग

"मल्टीपोलर" ग्लोबल ऑर्डर की तरफ एक बड़े बदलाव में, BRICS अलायंस **BRICS+ बन गया है**। 2026 तक, ओरिजिनल ब्लॉक (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका) में **मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे कई नए सदस्य शामिल हो गए हैं, जिससे** मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथईस्ट एशिया में इसकी पहुंच काफी बढ़ गई है।

विस्तार की चुनौतियाँ

हालांकि विस्तार से ब्लॉक का ग्लोबल वज़न बढ़ता है, लेकिन इससे अंदरूनी तौर पर काफ़ी टकराव पैदा होता है:

- **अंदरूनी मतभेद:** गहरी ऐतिहासिक दुश्मनी वाले देशों (जैसे, ईरान बनाम सऊदी अरब और UAE) को एक साथ लाने से सुरक्षा और डिप्लोमैटिक पॉलिसी पर एक राय बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

- **आर्थिक अंतर:** इस ग्रुप में अब बड़े तेल एक्सपोर्टर (सऊदी अरब, UAE, ईरान) और बड़े तेल इंपोर्टर (भारत, चीन, इथियोपिया) शामिल हैं, जिससे ग्लोबल एनर्जी प्राइसिंग को लेकर अलग-अलग प्राथमिकताएं बन रही हैं।

- **जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट:** सदस्य देश पश्चिम के साथ बहुत अलग-अलग रिश्ते रखते हैं; जबकि कुछ सीधे "एंटी-वेस्ट" विकल्प चाहते हैं, दूसरे (जैसे भारत और UAE) एक "मल्टी-अलाइन्ड" तरीका पसंद करते हैं जो US और BRICS+ पार्टनर्स दोनों के साथ रिश्तों में बैलेंस बनाए रखता है।

वैश्विक व्यवस्था में निरंतर प्रासंगिकता

इन मुश्किलों के बावजूद, BRICS+ 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में एक मज़बूत ताकत बना हुआ है:

- **ग्लोबल साउथ की आवाज़:** यह विकासशील देशों के लिए पारंपरिक "G7" दबदबे को चुनौती देने और ग्लोबल गवर्नंस में ज़्यादा दखल की मांग करने के लिए एक खास प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है।
- **डी-डॉलराइज़ेशन और ट्रेड:** यह ग्रुप US डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए **लोकल करेंसी ट्रेड मैकेनिज़्म को तेज़ी से बढ़ावा दे रहा है, ताकि सदस्यों को पश्चिमी एकतरफ़ा प्रतिबंधों से बचाया जा सके।**
- **फाइनेंशियल विकल्प:** न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) IMF और वर्ल्ड बैंक का एक विकल्प देता है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ज़रूरतों के हिसाब से "बिना किसी शर्त के" इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग देता है।
- **स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी:** भारत जैसे देशों के लिए, BRICS+ एक "मल्टीपोलर" दुनिया बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, ताकि यह पक्का हो सके कि कोई एक सुपरपावर ग्लोबल नियम तय न करे।

ब्रिक्स बनाम जी7: एक तुलनात्मक नज़र

विशेषता	ब्रिक्स+	जी7
जनसंख्या	विश्व के कुल का ~45%	विश्व के कुल का ~10%
वैश्विक जीडीपी (पीपीपी)	~37% (G7 से आगे)	~30%
ऊर्जा नियंत्रण	वैश्विक तेल भंडार का लगभग 80% नियंत्रित करता है	मुख्य रूप से तेल उपभोक्ता

विचारधारा	विविध/विषम	समरूप (उदार लोकतंत्र)
-----------	------------	-----------------------

निष्कर्ष

BRICS का BRICS+ में विस्तार ग्लोबल साउथ के लिए "वयस्कता" का संकेत है। हालांकि एक कॉमन करेंसी या एक एकीकृत राजनीतिक मोर्चे का रास्ता अंदरूनी उलझनों की वजह से रुका हुआ है, लेकिन इसका सामूहिक आर्थिक वज़न और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल इसे नए इंटरनेशनल सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा बनाता है।

ज़ोजिला दर्रा

प्रसंग

ज़ोजिला दर्रे पर एक दुखद एवलांच में पांच लोगों की मौत हो गई। यह घटना भारी बेमौसम बर्फबारी और उसके बाद अचानक तापमान बढ़ने से हुई, जिससे ज़ांस्कर रेंज की खड़ी ढलानों पर बर्फ का ढेर अस्थिर हो गया।

समाचार के बारे में

एवलांच किस वजह से हुआ?

- **भारी बर्फबारी:** बर्फ की परतें तेज़ी से जमा होना जो आपस में अच्छी तरह से नहीं जुड़तीं।
- **खड़ी ढाल:** ज़ोजिला दर्रे में **30°-45° से अधिक ऊंचे कोण वाले ढलान हैं**, जहां गुरुत्वाकर्षण आसानी से घर्षण पर विजय पा लेता है।
- **टेम्परेचर फ्लक्स:** अचानक गर्मी (थर्मल ट्रिगर) बर्फ को चट्टान से जोड़े रखने वाले "गोंद" को पिघला देती है।
- **वाइब्रेशन:** श्रीनगर-लेह हाईवे पर भूकंप की हलचल या भारी गाड़ियों की आवाजाही।

क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति (उत्तर से दक्षिण):

ट्रांस-हिमालय और हिमालय के क्रम को समझना भौगोलिक संदर्भ के लिए ज़रूरी है:

1. काराकोरम रेंज (सबसे ऊंची)
2. लद्दाख रेंज
3. ज़ांस्कर रेंज (ज़ोजिला का स्थान)
4. पीर पंजाल रेंज
5. धौलाधार पर्वतमाला
6. शिवालिक (बाहरी हिमालय)

प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी पहाड़ी दर्रे

पास का नाम	जगह	मुख्य महत्व
ज़ोजिला दर्रा	ज़ांस्कर रेंज (जम्मू-कश्मीर/लद्दाख)	यह श्रीनगर-लेह नेशनल हाईवे (NH-1) के ज़रिए कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है ।
उमलिंग ला	पूर्वी लद्दाख	दुनिया का सबसे ऊंचा मोटेरेबल पास (19,000+ ft) , जिसे BRO ने प्रोजेक्ट हिमांक के तहत बनाया है ।
लिपुलेख दर्रा	उत्तराखंड	भारत-चीन-नेपाल ट्राई-जंक्शन पर स्थित; कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए महत्वपूर्ण।
नाथू ला	सिक्किम	भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला एक पुराना सिल्क रोड; एक बड़ा बॉर्डर ट्रेड पोस्ट।
शिपकी ला	हिमाचल प्रदेश	तिब्बत से भारत में सतलुज नदी का एंट्री पॉइंट।
बोमडिला	अरुणाचल प्रदेश	तवांग सेक्टर को बाकी भारत से जोड़ता है; पूर्वी हिमालय में स्ट्रेटेजिक दर्रा।
रोहतांग दर्रा	हिमाचल प्रदेश	पीर पंजाल रेंज में स्थित; कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है।
पालघाट गैप	पश्चिमी घाट	वेस्टर्न घाट में सबसे चौड़ा ब्रेक; केरल और तमिलनाडु के बीच एक बड़े कॉरिडोर का काम करता है ।

महत्व और चुनौतियाँ

- **स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी:** ये दर्रे भारतीय सेना और बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एकमात्र लाइफलाइन हैं।
- **मौसम की कमजोरी:** ज़ोजिला जैसे ज़्यादातर ऊंचाई वाले दर्रे सर्दियों में ज़्यादा बर्फबारी के कारण 4-6 महीने तक बंद रहते हैं।

- **इंफ्रास्ट्रक्चर: ज़ोजिला टनल (जो अभी बन रही है)** जैसे प्रोजेक्ट्स का मकसद एवलांच वाली सड़कों को बायपास करते हुए, हर मौसम में कनेक्टिविटी देना है।

निष्कर्ष

ज़ोजिला त्रासदी से पता चलता है कि हिमालय के ऊंचे इलाकों में लॉजिस्टिक्स से जुड़े बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंटल रिस्क हैं। सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए, इन दरों की लोकेशन और नदियों से जुड़ाव को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज्योग्राफी और इंटरनल सिक्योरिटी मॉड्यूल दोनों में बार-बार आने वाला टॉपिक है।

पेट्रोल और डीज़ल एक्साइज ड्यूटी में कटौती

प्रसंग

26 मार्च, 2026 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर **स्पेशल एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी (SAED) में बड़ी कटौती की घोषणा की**। यह कदम वेस्ट एशिया (US-इज़राइल-ईरान विवाद) में बढ़ते तनाव और होर्मुज़ स्ट्रेट से सप्लाई में रुकावट के खतरे के कारण पैदा हुए ग्लोबल एनर्जी संकट के बीच उठाया गया है।

समाचार के बारे में

विकास:

दोनों फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी **₹10 प्रति लीटर कम कर दी है।**

- **पेट्रोल:** ₹13 से घटाकर **₹3 प्रति लीटर**।
- **डीज़ल:** ₹10 से घटाकर **ज़ीरो (शून्य) कर दिया गया**।

कंज्यूमर्स बनाम OMCs पर असर:

- **रिटेल प्राइस में कोई कटौती नहीं:** टैक्स में कमी के बावजूद, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कंज्यूमर्स के लिए पंप पर वैसी ही रहेंगी।
- **OMCs को बेल आउट करना:** इस फ़ायदे का मकसद IOCL, BPCL, और HPCL जैसी पब्लिक सेक्टर की **ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को सहारा देना है**। ये कंपनियाँ रिटेल कीमतों को स्थिर रखने के लिए भारी "अंडर-रिकवरी" (काल्पनिक नुकसान) झेल रही हैं, जबकि ग्लोबल कूड की कीमतें लगभग **\$122 प्रति बैरल तक बढ़ गई हैं**।

आर्थिक तर्क

- **महंगाई कंट्रोल:** फिस्कल लेवल पर खर्च को एब्जॉर्ब करके, सरकार "प्राइस शॉक" को रोक रही है। फ्यूल रेट में सीधी बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स पर इसका बुरा असर पड़ेगा, जिससे सब्जियां और दूध जैसी ज़रूरी चीज़ें काफी महंगी हो जाएंगी।
- **सप्लाई में स्थिरता:** ड्यूटी में कटौती यह पक्का करती है कि OMCs के पास इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा

कीमतों के बावजूद कूड ऑयल का इंपोर्ट जारी रखने के लिए फाइनेंशियल लिक्विडिटी हो, जिससे फ्यूल की संभावित कमी को रोका जा सके।

- **एक्सपोर्ट लेवी:** इसके साथ ही, सरकार ने **डीज़ल पर ₹21.5 प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर ₹29.5 प्रति लीटर का एक्सपोर्ट टैक्स लगाया**, ताकि यह पक्का हो सके कि ज़्यादा मुनाफ़े के लिए विदेश में बेचे जाने के बजाय, घरेलू रिफाइनरी आउटपुट को भारत के अंदरूनी बाज़ार के लिए प्राथमिकता दी जाए।

राजकोषीय प्रभाव

मीट्रिक	अनुमानित मूल्य
सकल राजस्व हानि	हर 15 दिन में लगभग ₹7,000 करोड़ ।
निर्यात कर लाभ	हर 15 दिन में ₹1,500 करोड़ का ऑफ़सेट।
शुद्ध राजकोषीय नुकसान	15 दिन के समय में ₹5,500 करोड़ ।
दैनिक अंडर-रिकवरी	कटौती से पहले OMCs को रोज़ाना लगभग ₹2,400 करोड़ का नुकसान हो रहा था।

निष्कर्ष

एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती एक स्ट्रेटेजिक फिस्कल दखल है जिसका मकसद जियोपॉलिटिकल उतार-चढ़ाव के समय में मैक्रोइकॉनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना है। हालांकि यह नागरिकों को तुरंत "पॉकेट रिलीफ" नहीं देता है, लेकिन यह महंगाई में भारी उछाल के खिलाफ एक शील्ड का काम करता है, जो वरना ग्लोबल कूड ऑयल में उछाल के कारण होना ही था।

AI टोकन

प्रसंग

ग्लोबल AI इंडस्ट्री ने अपना इकोनॉमिक फोकस **टोकनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट कर दिया है**, जहां "कॉस्ट पर टोकन" OpenAI, Google और DeepSeek जैसी बड़ी टेक कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन के लिए प्राइमरी मेट्रिक के तौर पर उभरा है।

AI टोकन के बारे में

वे क्या हैं? टोकन डेटा की एटॉमिक यूनिट हैं जिन्हें एक **लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) प्रोसेस करता है**। जबकि इंसान भाषा को शब्दों या वाक्यों के रूप में समझते हैं, AI मॉडल टेक्स्ट को इन

छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक टोकन एक सिंगल कैरेक्टर, एक पूरा शब्द, या एक सब-वर्ड (जैसे, "powerful" शब्द में "power" और "ful") को भी दिखा सकता है।

यह काम किस प्रकार करता है?

1. **टोकनाइजेशन:** टोकनाइजर आपके इनपुट प्रॉम्प्ट को अलग-अलग टोकन में काटता है।
2. **न्यूमेरिकल कन्वर्जन:** हर टोकन को एक यूनिक न्यूमेरिकल ID (वेक्टर) से मैप किया जाता है, जिसे मॉडल मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर सकता है।
3. **प्रोसेसिंग:** AI एक सीक्वेंस में अगले सबसे ज़्यादा संभावित टोकन की स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है।
4. **डीटोकनाइजेशन:** अनुमानित न्यूमेरिकल IDs को फ़ाइनल आउटपुट के लिए वापस ह्यूमन-रीडेबल टेक्स्ट में बदल दिया जाता है।

मुख्य विशेषताएं

- **भाषा में बदलाव:** एफिशिएंसी भाषा के हिसाब से अलग-अलग होती है; मुश्किल स्क्रिप्ट (जैसे देवनागरी या मैंडरिन) में अक्सर इंग्लिश के मुकाबले हर शब्द के लिए ज़्यादा टोकन की ज़रूरत होती है, जिससे कॉस्ट और स्पीड पर असर पड़ता है।
- **कॉन्टेक्ट विंडो:** हर मॉडल की एक फिक्स्ड "मेमोरी" लिमिट होती है (जैसे, 128k या 1M टोकन)। यह बताता है कि मॉडल एक बार में कितनी जानकारी (डॉक्यूमेंट्स, पिछली चैट हिस्ट्री) "अपने दिमाग में रख सकता है"।
- **स्टेटेसनेस:** मॉडल को यह याद नहीं रहता कि आप कौन हैं। बातचीत जारी रखने के लिए, हर नए प्रॉम्प्ट के साथ पिछले टोकन मॉडल को फिर से भेजने होंगे।
- **त्रै-न्यूलैरिटी:** सब-वर्ड लेवल पर काम करके, टोकन मॉडल को प्रीफिक्स, सफिक्स और यहां तक कि मुश्किल कोडिंग सिंटैक्स को भी अच्छे से समझने में मदद करते हैं।

महत्व

- **AI का यूटिलिटी मीटर:** टोकन AI युग के लिए बिलिंग यूनिट का काम करते हैं। प्रोवाइडर डेवलपर्स से **इनपुट टोकन** (भेजे गए निर्देश/कॉन्टेक्ट) और **आउटपुट टोकन** (जेनरेट किया गया कंटेंट) के आधार पर चार्ज करते हैं।
- **आर्थिक मुकाबला:** AI एजेंट्स के बढ़ने के लिए हर मिलियन टोकन की कीमत कम करना बहुत ज़रूरी है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम हज़ारों बैकग्राउंड टास्क करते हैं, और रोज़ाना बहुत सारे टोकन इस्तेमाल करते हैं।

- **ग्लोबल मार्केट में बदलाव:** खास तौर पर चीन के प्लेयर्स की एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ज़्यादा टोकन इस्तेमाल वाले एप्लिकेशन (जैसे लॉन्ग-फॉर्म रिसर्च या ऑटोनॉमस कोडिंग) को कमर्शियली ज़्यादा फ़ायदेमंद बना रही हैं।

निष्कर्ष

टोकन, जेनरेटिव AI इकॉनमी की बेसिक करेंसी हैं। जैसे-जैसे मॉडल कम लागत पर बड़े कॉन्टेक्ट विंडो को प्रोसेस करने में ज़्यादा कुशल होते जा रहे हैं, फोकस सिंपल चैटबॉट से कॉम्प्लेक्स, टोकन-हैवी ऑटोनॉमस एजेंट पर शिफ्ट हो रहा है जो रियल-टाइम में बड़े डेटासेट को हैंडल कर सकते हैं।

गृह सुगम पोर्टल

प्रसंग

नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर **गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया है**। यह खास डिजिटल प्लेटफॉर्म डिफेंस, पैरामिलिट्री और सरकारी कर्मचारियों (राज्य और केंद्र दोनों) के लिए होम लोन की आसानी को आसान बनाने के लिए बनाया गया है।

गृह सुगम पोर्टल के बारे में

यह क्या है? यह एक खास **डिजिटल ब्रिज** और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो सरकारी कर्मचारियों को सीधे लोन देने वाली संस्थाओं से जोड़ता है। यह पोर्टल यूज़र्स को अपनी घर की ज़रूरतों को रजिस्टर करने, अलग-अलग बैंकों से अच्छी बोलियों की तुलना करने और बिना किसी फिजिकल विज़िट के लोन प्रोसेस पूरा करने की सुविधा देता है।

शामिल ऑर्गनाइज़ेशन: इस प्रोजेक्ट को **नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) लीड कर रहा है**, जो भारत में हाउसिंग फाइनेंस के लिए सबसे बड़ी रेगुलेटरी और प्रमोशनल बॉडी है, और पूरी तरह से भारत सरकार की है।

उद्देश्य:

- **फाइनेंशियल इन्क्लूजन:** उन कर्मचारियों को फॉर्मल हाउसिंग क्रेडिट देना जिन्हें अक्सर प्रोसेस से जुड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है।
- **अफ़ोर्डेबिलिटी:** कॉम्पिटिटिव लोन को बढ़ावा देना, सरकारी कर्मचारियों के लिए कम इंटररेस्ट रेट पक्का करना।
- **रिमोट एक्सेसिबिलिटी:** खास तौर पर दूर या ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिकों और अधिकारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बैंकों से आसानी से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते।

प्रमुख विशेषताएं

- **एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इंटीग्रेशन:** कर्मचारी अपने ऑफिस या यूनिट के डिजिटल इंटरफ़ेस के ज़रिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयर और लेंडर आसानी से जुड़ जाते हैं।
- **यूनिफाइड डिजिटल मार्केटप्लेस:** एक ट्रांसपेरेंट "बिडिंग" माहौल जहां कई रजिस्टर्ड बैंक यूज़र को तुलना करने के लिए कस्टमाइज़्ड लोन ऑफ़र देते हैं।
- **कम से कम डेटा एंट्री:** एप्लिकेंट बेसिक जानकारी के साथ रजिस्टर करते हैं, जिसे फिर प्रोसेस शुरू करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सुरक्षित रूप से भेज दिया जाता है।
- **रियल-टाइम सपोर्ट:** इसमें सवालियों के जवाब के लिए ऑनलाइन चैट की सुविधा और कंप्यूटर प्रोटेक्शन के लिए पहले से मौजूद शिकायत सुलझाने का सिस्टम है।
- **आसान ऑपरेशन:** NHB सिस्टम और बड़े लोन देने वाले इंस्टीट्यूशन के साथ सीधे जुड़ा हुआ है ताकि प्रोसेसिंग में आसानी हो और पैसे तेज़ी से दिए जाएं।

महत्व

- **सैनिकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग:** यह पक्का करता है कि बॉर्डर पर सेवा करने वाले लोग अपनी पोस्ट छोड़े बिना अपने परिवारों के लिए घर सुरक्षित कर सकें।
- **डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन:** पब्लिक सेक्टर में पेपरलेस लेंडिंग को अपनाने में तेज़ी लाता है, जिससे ब्यूरोक्रेटिक देरी और फिजिकल "पेपर ट्रेल" कम होता है।
- **मार्केट कॉम्पिटिशन:** मार्केटप्लेस को सेंट्रलाइज़ करके, यह बैंकों को बॉरोअर का बिज़नेस जीतने के लिए ज़्यादा अच्छी शर्तें देने के लिए मजबूर करता है, जिससे घर का मालिकाना हक ज़्यादा सस्टेनेबल बनता है।

निष्कर्ष

गृह सुगम पोर्टल, भारत के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके "सभी के लिए घर" की तरफ एक बड़ा कदम है। भौगोलिक और प्रोसेस से जुड़ी रुकावटों को हटाकर, NHB ने एक मॉडर्न इकोसिस्टम बनाया है जो सरकारी नौकरी करने वालों की सुविधा और फाइनेंशियल भलाई को प्राथमिकता देता है।

एमएलएट्रैक.कॉम

प्रसंग

केरल ने **MLATrack.com** लॉन्च किया है, जो भारत का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन और लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों (MLAs) के परफॉर्मंस को ट्रैक करने के लिए है।

केरल के **MLATrack.com** के बारे में

यह क्या है? MLATrack.com एक **पब्लिक डिजिटल डेटाबेस** है जो केरल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों के मौजूदा टर्म (2021-2026) के लेजिस्लेटिव कामों के बारे में ऑब्जेक्टिव डेटा इकट्ठा करके दिखाता है।

उद्देश्य:

- **ट्रांसपेरेंसी:** वेरिफाइड डेटा के साथ कानूनी कामकाज को लोगों की नज़र में लाना।
- **अकाउंटेबिलिटी:** नागरिकों, रिसर्चर्स और मीडिया को एक टूल देना ताकि वे मॉनिटर कर सकें कि रिप्रेजेंटेटिव हाउस में कैसे काम करते हैं।
- **ऑब्जेक्टिव एनालिसिस:** पॉलिटिकल बातचीत को बयानबाजी से दूर और सबूतों पर आधारित इवैल्यूएशन की ओर ले जाना।

प्रमुख विशेषताएँ

- **पूरी MLA प्रोफ़ाइल:** पर्सनल बायोडेटा, अटेंडेंस रिकॉर्ड, चुनाव क्षेत्र के मैप और खास पार्टिसिपेशन मेट्रिक्स सहित डिटेल्ड डिजिटल पोर्टफोलियो।
- **लेजिस्लेटिव एक्टिविटी ट्रैकिंग:** 68,000 से ज़्यादा सवालों का एक सर्च किया जा सकने वाला आर्काइव, साथ ही तारीख के हिसाब से डिबेट, मोशन और इंटरवेंशन के रिकॉर्ड।
- **डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और एक्सेसिबिलिटी:** इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जो मुश्किल डेटा को आसान बनाते हैं और वेरिफ़िकेशन के लिए ऑफिशियल असेंबली रिस्पॉन्स के लिए सीधे हाइपरलिंक देते हैं।

महत्व

- **एम्पावर्ड इलेक्टरल:** नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का मूल्यांकन कैम्पेन के वादों के बजाय असल परफॉर्मंस के आधार पर करने में मदद करता है।
- **स्टैंडर्डाइज़्ड मॉनिटरिंग:** यह कानूनी ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बेंचमार्क बनाता है जो दूसरे भारतीय राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है।
- **न्यूट्रैलिटी:** यह प्लेटफॉर्म रॉ डेटा और विज़ुअलाइज़ेशन पर फोकस करता है, सब्जेक्टिव रैंकिंग या पॉलिटिकल बायस से बचता है ताकि यूज़र अपने नतीजे खुद निकाल सकें।

निष्कर्ष

डिजिटल डेमोक्रेसी की तरफ एक बड़ी छलांग है। असेंबली और जनता के बीच जानकारी के अंतर को कम करके, केरल एक ज़्यादा जानकारी वाली और भागीदारी वाली पॉलिटिकल कल्चर को बढ़ावा दे रहा है।

अमेरिकी क्रांति

प्रसंग

यूनाइटेड स्टेट्स सरकार ने स्वतंत्रता की घोषणा की 250वीं सालगिरह मनाने के लिए **टास्क फोर्स 250** और **स्टोरी ऑफ़ अमेरिका वीडियो सीरीज़ लॉन्च** की, जो 4 जुलाई, 2026 को खत्म होगी।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:

अमेरिकन क्रांति (1775-1783) एक बदलाव लाने वाला राजनीतिक और मिलिट्री संघर्ष था, जिसमें तेरह नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनियों ने ब्रिटिश राज को ठुकराकर आज़ाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका की स्थापना की।

क्रांति के लिए जिम्मेदार कारण:

- **बिना रिप्रेजेंटेशन के टैक्स:** स्टैम्प एक्ट जैसे टैक्स का विरोध, जो एक ऐसी पार्लियामेंट द्वारा लगाए गए थे जहाँ कॉलोनी के लोगों के कोई चुने हुए सदस्य नहीं थे।
- **ज्ञानोदय के आदर्श:** प्राकृतिक अधिकारों और सहमति से सरकार के बारे में **जॉन लॉक** जैसे दार्शनिकों का प्रभाव।
- **1763 की घोषणा:** अप्पलाचियन पहाड़ों के पार पश्चिम की ओर विस्तार पर ब्रिटिश पाबंदियां, जिससे कॉलोनियल आत्मनिर्भरता दब गई।
- **बर्दाश्त न होने वाले काम:** बोस्टन टी पार्टी के बाद सज़ा देने वाले कदम, जिसके तहत बोस्टन हार्बर को बंद कर दिया गया और लोकल गवर्नेंस को रोक दिया गया।
- **आर्थिक आज़ादी:** मर्केटिलिस्ट नीतियों के प्रति नाराज़गी, जिन्होंने सीधे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाई।

क्रांति का कालक्रम

- **स्टैम्प एक्ट (1765):** पहला डायरेक्ट इंटरनल टैक्स; इसने **सन्स ऑफ़ लिबर्टी को बढ़ावा दिया** और बॉयकॉट को ऑर्गनाइज़ किया।
- **बोस्टन टी पार्टी (1773):** एक विद्रोही काम जिसमें चाय की 342 पेटियां नष्ट कर दी गईं, जिससे क्राउन के साथ एक ऐसा झगड़ा हो गया जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था।
- **लेक्सिंगटन और कॉनकोर्ड (1775):** "दुनिया भर में सुनी गई गोली"; राजनीतिक विरोध से खुले हथियारबंद संघर्ष में बदलाव।
- **स्वतंत्रता की घोषणा (1776):** मुख्य रूप से **थॉमस जेफरसन** द्वारा तैयार किया गया, जिसने देश को "सभी

मानव जाति के प्राकृतिक अधिकारों" पर आधारित किया।

- **साराटोगा की लड़ाई (1777):** युद्ध का टर्निंग पॉइंट; इस जीत ने **फ्रांस के साथ एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस पक्का किया**।
- **यॉर्कटाउन में सरेंडर (1781):** आखिरी बड़ी ज़मीनी लड़ाई; अमेरिकी और फ्रांसीसी सेनाओं ने मिलकर जनरल कॉर्नवालिस को फंसा लिया।
- **पेरिस की संधि (1783):** ग्रेट ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता।

प्रमुख व्यक्ति और भूमिकाएँ

नेता	योगदान
जॉर्ज वाशिंगटन	कमांडर-इन-चीफ जिन्होंने बहुत मुश्किलों के बावजूद कॉन्टिनेंटल आर्मी को बनाए रखा।
थॉमस जेफरसन	बौद्धिक आर्किटेक्ट और स्वतंत्रता की घोषणा के मुख्य लेखक।
बेंजामिन फ्रैंकलिन	लीड डिप्लोमैट जिन्होंने ज़रूरी फ्रेंच फाइनेंशियल और नेवल सपोर्ट हासिल किया।
जॉन एडम्स	आज़ादी के लगातार समर्थक और आखिरी शांति समझौते के मुख्य बातचीत करने वाले।
अबीगैल एडम्स	"क्रांति की महिलाओं" की प्रतिनिधि जो घरेलू मामलों को संभालती थीं और राजनीतिक सलाह देती थीं।

वैश्विक प्रभाव

- **मॉडर्न डेमोक्रेसी का जन्म:** पहला बड़े पैमाने का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया, जिससे यह साबित हुआ कि बिना राजा के भी सेल्फ-गवर्नेंस मुमकिन है।
- **ग्लोबल आंदोलनों के लिए प्रेरणा:** फ्रेंच क्रांति (1789) और पूरे लैटिन अमेरिका में आज़ादी की लड़ाई के लिए कैटलिस्ट का काम किया।
- **ह्यूमन राइट्स का कोडिफिकेशन:** इसके बाद बिल ऑफ़ राइट्स संवैधानिक सुरक्षा और ह्यूमन राइट्स चार्टर के लिए एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट बन गया।

निष्कर्ष

250वीं सालगिरह अमेरिकी क्रांति को सिर्फ एक नेशनल माइलस्टोन के तौर पर ही नहीं, बल्कि आज़ादी के ग्लोबल सिंबल के तौर पर दिखाती है। बराबरी और इनोवेशन के प्रिंसिपल्स पर दोबारा गौर करके, यह पहल उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मज़बूत करने की कोशिश करती है जो मॉडर्न गवर्नेंस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को आकार देते रहते हैं।

RACE IAS

RACE IAS®

Since 2010



सिविल सेवा परीक्षा 2026

ADMISSION OPEN FOR NEW SESSION 2026-27

ANNOUNCEMENT FOR NEW FACE TO FACE (OFFLINE) BATCH

UTKARSH PROGRAM

(3 Years Course)

for **IAS/PCS**

After 10+2 (Intermediate)

FOUNDATION COURSE

for **GRADUATES**

with **SANKALP PROGRAM**

GENERAL STUDIES PRE CUM MAINS

OUR SELECTED CANDIDATES IN UPPCS- 2024



Pooja Tiwari
SDM, RANK-7



Sushma Yadav
SDM, RANK-13



Anjali Gupta
Deputy S.P.



Harsh Tiwari
Asstt. Commissioner, CT



Katyayan Rajmeat
Asstt. Commissioner, CT



Preeti Mishra
Asstt. Commissioner, CT



Ritika Shukla
Asstt. Commissioner, CT



Avinash Singh
Asstt. Commissioner, CT



Alok Yadav
Asstt. Commissioner, CT



Nidhi Sahu
Asstt. Commissioner, CT



Shipra Yadav
Asstt. Commissioner, CT



Shruti Shukla
District Commandant



Shweta Kaushik
BDO



Deepak Chaturvedi
BDO



Vardan Gupta
BDO



Esha Harshita
BDO



Prateek Singh
CTO



Himanshu Singh
CTO



Preeti Singh
CTO



Anshu Singh
CTO



Satyendra Pratap Singh
DFMO



Prateek Srinet
NT



Bharat Singh
NT



Abhishek Pandey
NT



Prabhat Kumar Mishra
NT



Garima Singh
NT



Shubham Pastor
NT



Akanksha Tiwari
NT



Akshay Pratap Singh
NT



Shiv Shankar Mishra
NT



Vineet Kumar Dixit
Deputy Jailor



Shashank Upadhyay
Deputy Jailor



Anupam Tiwari
Deputy Jailor



Rahul Pandey
DHWO



Joyant Singh
Sub Registrar



ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिये
RACE IAS मोबाइल ऐप डाउनलोड करें



KANPUR CENTRE : CALL: 9044327779, 7355556256

CALL : 7388114444, 9044137462, 8917851448


LUCKNOW : ALIGANJ | INDIRA NAGAR | ALAMBAGH



Join our Telegram Channel
raceiaslucknow



Follow us on :



www.raceias.com